पंचदश माला, खंड 10, अंक 1

सोमवार, 26 जुलाई, 2010

4 श्रावण, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

21 March 2011

(खण्ड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 10, पांचवां सत्र, 2010/1932 (शक)
अंक 1, सोमवार, 26 जुलाई, 2010/4 श्रावण, 1932 (शक)

विषय **कॉलम**

पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची ..... i-x

लोक सभा के पदाधिकारी xi

मंत्रिपरिषद ..... xiii-xvi

राष्ट्रगान 1

निधन संबंधी उल्लेख 1-4

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20 4-53

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 53-528

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 529-530

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 530-536

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 537-538

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 538

*किसी सदस्य के नाम पर + अंकित चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर-पूर्व दिल्ली)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अजनाला, डा. रतन सिंह (खडूर साहिब)

अजमल, श्री बदरूद्दीन (धुबरी)

अजहरूद्दीन, श्री मोहम्मद (मुरादाबाद)

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)

अधिकारी, श्री शिशिर (कांथी)

अधिकारी, श्री सुवेन्दु (तामलुक)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)

अब्दुल्ला, डॉ. फारूख (श्रीनगर)

अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)

अर्गल, श्री अशोक (भिंड)

अलागिरी, श्री एम.के. (मदुरै)

अलागिरी, श्री एस. (कुड्डालोर)

अहमद, श्री ई. (मालापुरम)

अहमद, श्री सुल्तान (उलूबेरिया)

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची)

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)

आरुन रशीद, श्री जे.एम. (थेनी)

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला-असम)

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर)

इस्लाम, शेख नूरूल (बसीरहाट)

ईरींग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)

उपाध्याय, श्रीमती सीमा (फतेहपुर सीकरी)

एंटोनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह (बरेली)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

कछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली)

कटारिया, श्री लालचन्द (जयपुर ग्रामीण)

कटील, श्री नलिन कुमार (दक्षिण कन्नड़)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)

करवारिया, श्री कपिल मुनि (फूलपुर)

करूणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कामत, श्री गुरूदास (मुंबई उत्तर-पश्चिम)

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी (श्रीकाकुलम)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)

कुमार, श्री मिथिलेश (शाहजहांपुर)

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)

कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारास्वामी, श्री एच.डी. (बंगलौर ग्रामीण)

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर)

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)

कृष्टप्प, श्री एन. (हिन्दुपुर)

केपी, श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)

कोड़ा, श्री मधु (सिंहभूम)

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी (गडचिरोली-चिमुर)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

खंडेला, श्री महादेव सिंह (सीकर)

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील (नांदेड़)

खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद)

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा)

गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)

गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतमाल-वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्री वरुण (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती मेनका (आंवला)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गांधीसेलवन, श्री एस. (नामाक्कल)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगढ़)

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (फरीदकोट)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोहैन, श्री राजेन (नोगोंग)

गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे (बंगलौर उत्तर)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (उदूपी चिकमगलूर)

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल)

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

घुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी)

चांग, श्री सी.एम. (नागालैंड)

चाको, श्री पी.सी. (थ्रिसूर)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरूपति)

चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)

चौधरी, श्री अधीर (बहरामपुर)

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण)

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती)

चौधरी, श्री जयंत (मथुरा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)

चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़)

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)

चौहान, श्री दारा सिंह (घोसी)

चौहान, श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी. (साबरकांठा)

चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)

चौहान, श्रीमती राजकुमारी (अलीगढ़)

जगतरक्षकन, डॉ. एस. (अराकोनम)

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागरकुरनूल)

जतुआ, श्री चौधरी मोहन (मथुरापुर)

जेयदुरई, श्री एस.आर. (थूथुकुडी)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)

जहां, श्रीमती कैसर (सीतापुर)

जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली)

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ)

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)

जाधव, श्री बलीराम (पालघर)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद (देवरिया)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जावले, श्री हरिभाऊ (रावेर)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)

जूदेव, श्री दिलीप सिंह (बिलासपुर)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)

जैन, श्री प्रदीप (झांसी)

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)

जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़)

जोशी, श्री महेश (जयपुर)

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)

टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव)

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)

टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोड़ा)

टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज)

टैगौर, श्री मानिक (विरुद्धनगर)

टोप्पो, श्री जोसेफ (तेजपुर)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

ठाकोर, श्री जगदीश (पाटन)

डिएस, श्री चार्ल्स (नामनिर्देशित)

डे, डॉ. रत्ना (हुगली)

डेका, श्री रमेन (मंगलदोई)

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी)

डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)

तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)

तंवर, श्री अशोक (सिरसा)

संजय, श्री तकाम (अरुणाचल पश्चिम)

तरई, श्री बिभु प्रसाद (जगतसिंहपुर)

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)

तिरकी, श्री मनोहर (अलीपुरद्वार)

तिरूमावलावन, श्री थोल (चिदम्बरम)

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)

त्रिवेदी, श्री दिनेश (बैरकपुर)

थरूर, डॉ. शशी (तिरूवनंतपुरम)

थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)

थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)

थॉमस, श्री पी.टी. (इदुक्की)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर-मध्य)

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष (बारासात)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)

दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव (परभणी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु)

देवरा, श्री मिलंद (मुंबई-दक्षिण)

देवी, श्रीमती अश्वमेध (उजियारपुर)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)

देशमुख, श्री के.डी. (बालाघाट)

धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी)

धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)

नकवी, श्री जफर अली (खीरी)

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा (बनगांव)

नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह (गौतम बुद्ध नगर)

नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप (धुले)

नारायणसामी, श्री वी. (पुडुचेरी)

निरूपम, श्री संजय (मुम्बई-उत्तर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर)

नैपोलियन, श्री डी. (पेरम्बुलर)

पक्कीरप्पा, श्री एस. (रायचूर)

पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर-चम्पा)

पटेल, श्री आर.के. सिंह (बांदा)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (वलसाड़)

पटेल, श्री दिनशा (खेडा)

पटेल, श्री देवजी एम. (जालौर)

पटेल, श्री देवराज सिंह (रीवा)

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नगर हवेली)

पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा गोंदिया)

पटेल, श्री बाल कुमार (मिर्जापुर)

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन (महेसाणा)

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण)

पलानीमनिकम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (माधा)

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)

पांडा, श्री वैजयंत (केन्द्रपाड़ा)

पाण्डेय, श्री राकेश (अम्बेडकर नगर)

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)

पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रतीक (सांगली)

पाटील, श्री संजय दिना (मुम्बई उत्तर पूर्व)

पाटिल, श्री सी.आर. (नवसारी)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)

पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ (भदोही)

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्री सचिन (अजमेर)

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)

पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)

पाला, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)

पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम)

पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)

पॉल, श्री तापस (कृष्णानगर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

प्रभाकर श्री पोन्नम, (करीमनगर)

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)

प्रधान श्री नित्यानंद (अस्का)

प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)

प्रेमदास, श्री (इटावा)

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप (कोलकाता उत्तर)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)

बब्बर, श्री राज (फिरोजाबाद)

बनर्जी, कुमारी ममता (कोलकाता दक्षिण)

बनर्जी, श्री अम्बिका (हावड़ा)

बनर्जी, श्री कल्याण (श्रीरामपुर)

बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान (संभल)

बलराम, श्री पी. (महबूबाबाद)

बलीराम, डॉ. (लालगंज)

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी. (पोन्नानी)

बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर)

बहुगुणा, श्री विजय (टिहरी गढ़वाल)

बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

बाजवा, श्री प्रताप सिंह (गुरदासपुर)

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर (भटिंडा)

बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)

बाबर, श्री गजानन ध. (मावल)

'बाबा', श्री के.सी. सिंह (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर)

बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरूम्बुदूर)

बाल्मीकि, श्री कमलेश (बुलन्दशहर)

बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई (राजकोट)

बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)

बिसवाल, श्री हेमानंद (सुन्दरगढ़)

बीजू, श्री पी.के. (अलथूर)

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)

बेसरा, श्री देवीधन (राजमहल)

बैठा, श्री कामेश्वर (पलामू)

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

भगत, श्री सुदर्शन (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भजन लाल, श्री (हिसार)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भुजबल, श्री समीर (नासिक)

भूरिया, श्री कांति लाल (रतलाम)

भैया, श्री शिवराज (दमोह)

भोंसले, श्री उदयनराजे (सतारा)

भोई, श्री संजय (बारगढ़)

मंडल, डॉ. तरूण (जयनगर)

मंडल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार (बलूरघाट)

मणि, श्री जोस के. (कोट्टयम)

मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)

मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)

महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री नरहरि (पुरूलिया)

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकिनगर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महापात्र, श्री सिद्धांत (बरहामपुर)

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर)

मांझी, श्री हरि (गया)

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

मारन, श्री दयानिधि (चेन्नई मध्य)

मित्रा, श्री सोमेन (डायमंड हार्बर)

मिर्धा, डॉ. ज्योति (नागौर)

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)

मिश्रा, श्री पिनाकी (पुरी)

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल (दौसा)

मीणा, श्री नमोनारायन (टौंक-सवाई माधोपुर)

मीणा, श्री रघुवीर सिंह (उदयपुर)

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड (नामनिर्देशित)

मुंडा, श्री अर्जुन (जमशेदपुर)

मुंडे, श्री गोपीनाथ (बीड)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मैन्या, डॉ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर)

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अरुण (खंडवा)

यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री ओम प्रकाश (सीवान)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)

यादव, श्री धर्मेन्द्र (बदायूं)

यादव, श्री मधुसूदन (राजनंदगांव)

यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)

राघवन, श्री एम.के. (कोझिकोड)

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगा)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री रमाशंकर (सलेमपुर)

राजा, श्री ए. (नीलगिरि)

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नई दक्षिण)

राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राठौड़, श्री रमेश (आदीलाबाद)

राणा, श्री कादिर (मुजफ्फरनगर)

राणा, श्री जगदीश सिंह (सहारनपुर)

राणा, श्री राजेन्द्रसिंह (भावनगर)

राणे, श्री निलेश नारायण (रत्नागिरि-सिन्धुदुर्ग)

रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)

राम, श्री पूर्णमासी (गोपालगंज)

रामकिशुन, श्री (चन्दौली)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)

रामशंकर, प्रो. (आगरा)

रामासुब्बू, श्री एस. (तिरुनेलवेली)

राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच बिहार)

राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)

राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुडी)

राय, श्री रुद्रमाधव (कंधमाल)

राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

राय, प्रो. सौगत (दमदम)

राय, श्रीमती शताब्दी (बीरभूम)

राव, श्री के. नारायण (मछलीपटनम)

राव, डॉ. के.एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (महबूबनगर)

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (चेवेल्ला)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.आर.जी. (भोंगीर)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री वाई.एस. जगन मोहन (कडापा)

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका (बापतला)

लागुरी, श्री यशवंत (क्योंझर)

लाल, श्री पकौड़ी (रॉबर्ट्सगंज)

लालू प्रसाद, श्री (सारण)

लिंगम, श्री पी. (तेनकासी)

वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)

वर्मा, श्री सज्जन (देवास)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम (शिरडी)

वानखेड़े श्री सुभाष बापूराव (हिंगोली)

वासनिक, श्री मुकुल (रामटेक)

विजय शान्ति, श्रीमती एम. (मेडक)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विवेकानन्द, डॉ. जी. (पेड्डापल्ली)

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. (मैसूर)

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश (चिक्कोडी)

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम)

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजामुन्दरी)

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई)

वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)

व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)

तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल (संत कबीर नगर)

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार (करनाल)

शर्मा, श्री जगदीश (जहानाबाद)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)

शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)

शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बारामुला)

शिंदे, श्री सुशीलकुमार (शोलापुर)

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश (रामनाथपुरम)

शिवप्रसाद, डॉ. एन. (चित्तूर)

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील (शिरूर)

शिवासामी, श्री सी. (तिरूपुर)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव (वडोदरा)

शेखर, श्री नीरज (बलिया)

शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहीराबाद)

शेट्टी, श्री राजू (हातकंगले)

संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा)

सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (मल्काजगिरि)

सम्पत, श्री ए. (अटिगल)

सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मोहनलालगंज)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

साईं प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)

साहा, डॉ. अनूप कुमार (बर्धमान-उत्तर)

साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद)

सिंगला, श्री विजय इन्दर सिंह (संगरूर)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलंगिर)

सिंह, कुंवर आर.पी.एन. (कुशीनगर)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)

सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री उमाशंकर (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)

सिंह, श्री कल्याण (एटा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गोपाल (राजसमंद)

सिंह, श्री जगदानंद (बक्सर)

सिंह, श्री जसवंत (दार्जीलिंग)

सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री धनंजय (जौनपुर)

सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)

सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री भूपेन्द्र (सागर)

सिंह, डॉ. भोला (नवादा)

सिंह, श्री महाबली (काराकाट)

सिंह, श्री मुरारी लाल (सरगुजा)

सिंह, श्री यशवीर (नगीना)

सिंह, श्री रतन (भरतपुर)

सिंह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह; श्री राजनाथ (गाजियाबाद)

श्री राजीव रंजन सिंह, उर्फ ललन सिंह (मुंगेर)

सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)

सिंह, श्री राधे मोहन (गाजीपुर)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री विजय बहादुर (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश)

सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)

सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्रीमती मीना (आरा)

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)

सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सिरिसिल्ला, श्री राजैया (वारंगल)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुगुमार, श्री के. (पोल्लाची)

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)

सुमन, श्री कबीर (जादवपुर)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मवेलीकारा)

सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)

सुशान्त, डॉ. राजन (कांगड़ा)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेम्मलई, श्री एस. (सलेम)

सैलजा, कुमारी (अम्बाला)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई (अहमदाबाद पश्चिम)

सोलंकी, श्री दीनूभाई (जूनागढ़)

सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)

स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)

स्वामी, श्री एन. चेलुवरया (मांड्या)

हक, श्री मोहम्मद असरारुल (किशनगंज)

हक, शेख सैदुल (बर्धमान-दुर्गापुर)

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)

हरि, श्री सब्बम (अनाकापल्ली)

हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन (रणघाट)

हसन, डॉ. मोनाजिर (बेगूसराय)

हसन, श्रीमती तबस्सुम (कैराना)

हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (उत्तर कन्नड़)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एस. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

मंत्रिपरिषद्

कैबिनेट मंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी, जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किये गये हैं, जैसे : 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; 2. योजना मंत्रालय; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; 4. अंतरिक्ष विभाग; और 5. संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रणब मुखर्जी	वित्त मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री ए.के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	गृह मंत्री
कुमारी ममता बनर्जी	रेल मंत्री
श्री एस.एम. कृष्णा	विदेश मंत्री
श्री वीरभद्र सिंह	इस्पात मंत्री
श्री विलासराव देशमुख	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री सुशीलकुमार शिन्दे	विद्युत मंत्री
श्री एम. वीरप्पा मोइली	विधि और न्याय मंत्री
डॉ. फारूख अब्दुल्ला	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	शहरी विकास मंत्री
श्री कमल नाथ	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री दयानिधि मारन	वस्त्र मंत्री
श्री ए. राजा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

श्री मुरली देवरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	सूचना और प्रसारण मंत्री
श्री मल्लिकार्जुन खरगे	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री बी.के. हान्डिक	खान मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
डॉ. सी.पी. जोशी	ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री
कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
डॉ. एम.एस. गिल	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री जी.के. वासन	पोत परिवहन मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री
श्री मुकुल वासनिक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री कांति लाल भूरिया	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री एम.के. अलागिरी	रसायन और उर्वरक मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री सलमान खुर्शीद	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती कृष्णा तीरथ	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री जयराम रमेश	पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री श्रीकांत जेना	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई. अहमद	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. नारायणसामी	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमो नारायन मीणा	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. सौगत राय	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिकम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितिन प्रसाद	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. साई प्रताप	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती परनीत कौर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गुरूदास कामत	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरीश रावत	श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. के.वी. थॉमस	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री भरतसिंह सोलंकी	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री महादेव सिंह खंडेला	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिनेश त्रिवेदी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री शिशिर अधिकारी	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुल्तान अहमद	पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री मुकुल राय	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री चौधरी मोहन जतुआ	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री डी. नैपोलियन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. एस. जगतरक्षकन	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. गांधीसेलवन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. तुषार चौधरी	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सचिन पायलट	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अरुण यादव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रतीक पाटील	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
कुंवर आर.पी.एन. सिंह	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विन्सेंट एच. पाला	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रदीप जैन	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
कुमारी अगाथा संगमा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 26 जुलाई, 2010/4 श्रावण, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं)*

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत, इस सभा के वर्तमान सदस्य श्री दिग्विजय सिंह और अपने पूर्व सहयोगी श्री राम सागर के दुखद निधन की सूचना देनी है।

माननीय सदस्यों, आप सभी को भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दुखद निधन की जानकारी है। श्री शेखावत जी इस देश की जानीमानी हस्तियों में से एक थे जिन्होंने अपने दीर्घ और विशिष्ट सार्वजनिक जीवन के दौरान अनेक पदों को सुशोभित किया।

श्री शेखावत वर्ष 1952 से 1972 तक और 1977 से 2002 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1974 से 1977 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

कुशल प्रशासक श्री शेखावत जून 1977 से फरवरी 1980; मार्च 1990 से दिसम्बर 1992 और दिसम्बर 1993 से दिसम्बर 1998 तक तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। वह जुलाई 1980 से दिसम्बर 1989 और फिर जनवरी 1999 से अगस्त 2002 तक राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे।

श्री शेखावत 19 अगस्त 2002 को देश के उप-राष्ट्रपति के उच्च पद के लिए निर्वाचित हुए। राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में उन्होंने ऊपरी सदन की कार्यवाही को पूर्ण गरिमा के साथ चलाया तथा इस प्रतिष्ठापूर्ण पद जिस पर वे 21 जुलाई, 2007 तक आसीन रहे, को नई गरिमा और प्रतिष्ठा प्रदान की।

श्री शेखावत आम नागरिकों के जीवन से जुड़ी अनेक कल्याणकारी परियोजनाओं से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से देश ने एक प्रवीण राजनेता, एक विशिष्ट सांसद तथा मानव मूल्यों का एक समर्पित पैरोकार खो दिया है। उनकी अनुपस्थिति जीवन के अनेक क्षेत्रों में महसूस की जाएगी।

श्री भैरों सिंह शेखावत का निधन 87 वर्ष की आयु में 15 मई 2010 को जयपुर में हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह वर्तमान लोक सभा में बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इससे पूर्व, उन्होंने वर्ष 1998 से 2004 तक बारहवीं तथा तेरहवीं लोक सभा में इसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने वर्ष 1990 से 1996 तक और वर्ष 2005 से 2009 तक राज्य सभा सांसद के रूप में क्रमशः बिहार एवं झाारखंड राज्यों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सिंह बारहवीं लोक सभा के दौरान रक्षा संबंधी समिति एवं विदेश मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। वे वर्तमान लोक सभा में भी विदेश मामलों संबंधी समिति के सदस्य थे।

एक कुशल प्रशासक श्री सिंह, केन्द्रीय कैबिनेट में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित रहे। वह वित्त मंत्रालय में 21 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक उपमंत्री; विदेश मंत्रालय में 28 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक उपमंत्री; रेल मंत्रालय में 13 अक्तूबर, 1999 से 22 जुलाई, 2001 और पुनः 1 अगस्त, 2001 से 1 जुलाई, 2002 तक राज्य मंत्री; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में 22 जुलाई, 2001 से 1 सितम्बर, 2001 तक राज्य मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में 1 जुलाई, 2002 से 21 मई, 2004 तक राज्य मंत्री रहे।

खेल प्रेमी श्री सिंह भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य भी थे।

अनेक देशों की यात्रा कर चुके श्री सिंह स्टॉकहोम, स्वीडन, में 1992 में हुए अंतर-संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।

श्री दिग्विजय सिंह का निधन 54 वर्ष की आयु में 24 जून, 2010 को लन्दन (इंग्लैंड) में हुआ।

श्री राम सागर वर्ष 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के तथा वर्ष 1989 से 1991 तक नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री सागर वर्ष 1968 से 1974 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे। इस अवधि के दौरान, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया।

नौवीं लोक सभा के दौरान, श्री सागर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे।

पेशे से एक किसान, श्री सागर ने समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाई।

श्री राम सागर का निधन 12 जुलाई 2010 को वाराणसी में 71 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं।

माननीय सदस्यगण, कारगिल युद्ध में भारत की विजय की आज ग्यारहवीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर, हम उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और उन सभी सैनिकों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए वीरतापूर्वक लड़ाई में भाग लिया।

माननीय सदस्यगण, 29 जून, 2010 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए हमले में अर्द्धसैनिक बल के 27 कार्मिक मारे गए और छत्तीसगढ़ के चार विशेष पुलिस अधिकारी सहित सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

इससे पूर्व, 8 मई, 2010 को छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के जवानों को ले जा रही एक बुलेटप्रूफ गाड़ी को नक्सलियों ने उड़ा दिया। इस घटना में आठ जवान शहीद हो गए। 16 मई, 2010 को नक्सलियों ने एक अन्य हमले में छत्तीसगढ़ के ही राजनंदगांव जिले के एक ग्राम सरपंच सहित छह ग्रामीणों की हत्या कर दी।

यह सभा देश में शांति भंग करने और अव्यवस्था फैलाने के लिए किए गए इन नृशंस हमलों की निन्दा करती है।

माननीय सदस्यगण, 22 मई, 2010 को कर्नाटक में मंगलौर हवाई अड्डे के बाहर हुई एक दुखद हवाई दुर्घटना में एक एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें विमान में सवार 158 लोग मारे गए।

28 मई, 2010 को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में मुम्बई जा रही ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गयी और एक मालगाड़ी से टकरा गयी। इस भीषण रेल दुर्घटना में कम-से-कम 148 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए। 19 जुलाई, 2010 को पश्चिम बंगाल के ही बीरभूम जिले में स्थित सैंथिया स्टेशन पर हुए एक अन्य रेल हादसे में सियालदाह जा रही उत्तरबंग एक्सप्रेस, रांची जा रही वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई जिसमें कम-से-कम 60 लोग मारे गए और 90 से अधिक लोग घायल हो गए।

माननीय सदस्यगण, हाल ही में पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ अन्य भागों में भारी वर्षा के कारण आई विनाशकारी बाढ़ से कम-से-कम 51 लोगों की जानें गयीं। इस बाढ़ में फसलों तथा सम्पत्ति को हुए बड़े पैमाने पर नुकसान के अलावा, बहुत सारे पशु भी मारे गए और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए।

मैं अपनी और सभा की ओर से कारगिल युद्ध के शहीदों, नक्सली हमलों, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दूरसंचार सुविधा को सुदृढ़ करना

[अनुवाद]

***1. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा सहित तटीय राज्यों में दूरसंचार सुविधाएं पर्याप्त हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इन राज्यों में दूरसंचार सुविधाओं

को उन्नत/सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार गोवा सहित नए दूरसंचार सर्किलों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) तटीय राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लाइसेंस सेवा क्षेत्र शामिल हैं। गोवा राज्य महाराष्ट्र दूरसंचार सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। गोवा सहित तटीय राज्यों में दूरसंचार सुविधाएं देश के अन्य भागों में उपलब्ध दूरसंचार सुविधाओं के अनुरूप हैं। दिनांक 31 मई, 2010 की स्थिति के अनुसार गोवा सहित महाराष्ट्र में प्रति 100 की जनसंख्या पर बी.एस.एन.एल. द्वारा उपलब्ध कराए गए टेलीफोनों की संख्या 8.39 है जबकि बी.एस.एन.एल. द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध कराए गए टेलीफोनों की औसत संख्या 8.66 है। बी.एस.एन.एल. सहित अन्य सभी दूरसंचार प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराई गई दूरसंचार सेवाओं को शामिल करने पर गोवा सहित महाराष्ट्र में टेली-घनत्व 52.57 है जबकि इस संबंध में अखिल भारतीय औसत 55.38 है। अन्य तटीय राज्यों के संबंध में टेली-घनत्व का स्तर भी लगभग इसी के अनुरूप है।

गोवा सहित महाराष्ट्र राज्य में दूरसंचार अभिगम सेवा प्रदाताओं की कुल संख्या 13 है और यह संख्या भी अन्य राज्य जहां 12 से 14 प्रचालक काम कर रहे हैं, के अनुरूप है।

गोवा सहित महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में बी.एस.एन.एल. के 4939 लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंज हैं जिनमें से 135 गोवा राज्य में हैं।

बी.एस.एन.एल. ने मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए गोवा सहित महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में 5474 मोबाइल टावर स्थापित किए हैं जिनमें से 274 गोवा राज्य में हैं।

बी.एस.एन.एल. द्वारा दूरसंचार अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। बी.एस.एन.एल. महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सहित देश में अपनी दूरसंचार अवसंरचना में निरंतर विस्तार और वृद्धि कर रहा है।

(ग) और (घ) वर्तमान में गोवा सहित नए दूरसंचार सर्किलों की स्थापना करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बी.एस.एन.एल. के पहले से ही 26 दूरसंचार सर्किल हैं।

[हिन्दी]

निर्यात निष्पादन

***2. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयात और निर्यात के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान मद-वार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की मुख्य मदों का निर्यात किया गया;

(ख) गत छह माह के दौरान भारत के निर्यात में यदि कोई गिरावट आई है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने, उसके विविधीकरण तथा लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव डॉलर से भिन्न करेंसी के विनिमय दर संबंधी अनुबंध पर विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) विश्व व्यापार के बारे में डब्ल्यू.टी.ओ. आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 में वैश्विक पण्य वस्तु के आयात तथा निर्यात में भारत का हिस्सा क्रमशः 1.93 प्रतिशत और 1.24 प्रतिशत है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख वस्तुओं के निर्यात का मूल्य संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले 6 महीनों अर्थात् जनवरी से जून, 2010 और वर्ष 2009 की तदनुरूपी अवधि के दौरान पण्य वस्तु निर्यातों के आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं, जिनसे निर्यातों में गिरावट प्रदर्शित नहीं होती है।

(ग) सरकार तथा आर.बी.आई. देश के तथा अंतर्राष्ट्रीय

आर्थिक घटनाक्रमों पर सतत आधार पर निगरानी रख रहे हैं। निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसके विविधीकरण तथा निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार तथा आर.बी.आई. द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें बजट 2009-10 तथा 2010-11; विदेश व्यापार नीति (एफ.टी.पी.), 2009-14; और तत्पश्चात जनवरी/मार्च, 2010 में की गई घोषणाओं सहित प्रोत्साहन पैकेजों के रूप में अनेक आवश्यकता आधारित उपाय शामिल हैं। सरकार ने ऐसे विभिन्न निर्यात क्षेत्रों को सहायता/प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है जो वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। निर्यातों को बढ़ावा देने तथा उनके विविधीकरण और निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे उपायों/निर्यातकों को दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वी.के.जी.यू.वाई.), फोकस बाजार स्कीम (एफ.एम.एस.), फोकस उत्पाद स्कीम (एफ.पी.एस.), बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एम.एल. एफ.पी.एस.) और दर्जाधारक प्रोत्साहन स्क्रिप (एस.एच. आई.एस.) स्कीम के अंतर्गत जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के रूप में हैं। इसके अतिरिक्त निर्यातकों को विपणन सहायता स्कीम; शुल्क निष्प्रभावीकरण एवं वापसी स्कीमों; प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु निर्यात संवर्धन, पूंजीगत वस्तु (ई.पी.सी.जी.) स्कीमों, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए रियायती निर्यात ऋण तथा ब्याज छूट आदि के अंतर्गत सहायता भी दी जाती है।

(घ) और (ङ) विदेश व्यापार नीति (एफ.टी.पी.), 2009-14 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसार निर्यातक किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा (अम. डॉ. सहित) में अथवा भारतीय रुपए में अपनी निर्यात संविदाओं के बीजक तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से प्रमुख वस्तुओं के पण्य वस्तु निर्यात का मूल्य

(बिलि. अम. डॉलर में)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	चाय	0.51	0.59	0.62
2.	कॉफी	0.46	0.50	0.43
3.	चावल	2.93	2.45	2.37
4.	तम्बाकू	0.48	0.75	0.92
5.	मसाले	1.04	1.39	1.30
6.	काजू	0.55	0.64	0.59
7.	तेल खाद्य	2.04	2.25	1.66
8.	फल एवं सब्जियां	0.88	1.11	1.25
9.	समुद्री उत्पाद	1.72	1.53	2.09
10.	लौह अयस्क	5.84	4.77	6.03
11.	अभ्रक, कोयला तथा अन्य अयस्क, प्रसंस्कृत खनिजों सहित खनिज	3.31	3.13	2.69
12.	चर्म एवं चर्म विनिर्माण	3.40	3.49	3.28

1	2	3	4	5
13.	रत्न एवं आभूषण	19.69	28.41	29.00
14.	औषधि, भेषज एवं प्रसंस्कृत रसायन	7.65	8.79	8.89
15.	अन्य मूलभूत रसायन	6.30	6.92	9.84
16.	इंजीनियरी वस्तुएं	33.74	40.49	32.71
17.	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	3.35	6.83	5.47
18.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.15	0.34	0.18
19.	कॉटन यार्न/फैब्रिक/मेड अप्स आदि और हथकरघा उत्पाद*	4.65	4.16	3.95
20.	मानव निर्मित यार्न/फ्रैबिक्र/मेड अप्स आदि	2.90	3.05	3.60
21.	सभी वस्त्रों के आर.एम.जी.	9.69	10.93	10.70
22.	फर्श आच्छादन सहित जूट विनिर्माण	0.33	0.30	0.22
23.	कालीन	1.07	0.91	0.83
24.	हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद	28.92	27.85	28.34
25.	पेट्रोलियम उत्पाद	0.02	0.01	0.01
26.	प्लास्टिक एवं लिनोलियम	3.42	3.05	3.36
27.	अन्य उत्पाद	18.09	20.64	21.32
	कुल	163.13	185.30	178.66

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस.)

टिप्पणी : * हथकरघा उत्पाद अप्रैल, 2009 से जोड़े गए हैं। वर्ष 2009-10 के लिए आंकड़े अनंतिम और परिवर्तन के अध्यधीन हैं।

विवरण-II

पिछले 6 महीनों अर्थात् जनवरी से जून, 2010 और वर्ष 2009 की तदनुरूपी अवधि के दौरान पण्य वस्तु निर्यातों के आंकड़े

(बि. अम. डॉ. में)

माह	2009	2010	वृद्धि (% में) बढ़ोत्तरी (+)/ह्रास (-)
1	2	3	4
जनवरी	12.9	15.6	+20.93
फरवरी	11.9	15.7	+31.93
मार्च	12.9	20.2	+56.59
अप्रैल	12.5	16.9	+35.20
मई	12.3	16.1	+30.89
जून	13.6	17.8	+30.88

[अनुवाद]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों को धनराशि का आबंटन

***3. श्रीमती जयाप्रदा:**

श्री एम. राजामोहन रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए राज्यों को आबंटित की गई धनराशि और उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस समय राज्य-वार कितने जॉब कार्ड धारक हैं;

(ग) वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य-वार कितने प्रतिशत जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया;

(घ) क्या कुछ राज्यों में केवल 3 से 5 प्रतिशत जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-II के पैरा 4 में उल्लेख है कि किसी पंजीकृत परिवार का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में दर्ज हो, वह इस योजना के अंतर्गत अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ जॉब कार्ड जारी कर दिए जाने से ही कोई परिवार रोजगार प्राप्त करने का हकदार नहीं हो जाता। जॉब कार्ड धारक परिवार को अधिनियम की अनुसूची-II के पैरा 9 के तहत रोजगार प्राप्त करने की हकदारी प्राप्त करने के लिए काम के लिए आवेदन देना होता है। इसलिए, रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या की तुलना में दिए गए रोजगार के दिनों की संख्या देखनी होती है। वर्ष 2009-2010 के दौरान रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों में से 100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या, विवरण-II के कॉलम 5 में दी गई है।

अधिनियम के तहत किसी परिवार द्वारा प्राप्त किए गए रोजगार के दिनों की संख्या, उस क्षेत्र में रोजगार के अन्य अवसरों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। श्रमिक अपने पास उपलब्ध रोजगार के किसी अन्य अवसर का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है।

विवरण-I

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	2007-08			2008-09		
		केंद्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय	केंद्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	136874.40	229320.82	208374.75	321910.19	370669.63	296390.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	705.38	972.49	303.90	2948.84	4338.22	3289.54
3.	असम	51317.01	80609.74	54914.93	95872.16	136558.01	95380.73
4.	बिहार	46557.83	152388.63	105222.66	138819.05	218785.90	131647.97
5.	छत्तीसगढ़	114316.71	151755.67	140183.20	166449.34	200591.38	143447.52

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	4973.71	12680.45	8184.24	16419.20	28126.75	19600.66
7.	हरियाणा	3908.97	5802.46	5235.01	13656.65	16415.91	10988.22
8.	हिमाचल प्रदेश	12278.06	16150.35	12564.88	40974.63	50125.23	33227.64
9.	जम्मू और कश्मीर	6538.37	8880.16	4200.26	10472.53	15279.30	8772.02
10.	झारखंड	65049.07	125468.19	106253.85	180580.14	236337.36	134171.70
11.	कर्नाटक	24783.52	43671.67	23650.54	39851.14	66157.34	35787.46
12.	केरल	6310.55	9973.95	8336.83	19887.32	29771.74	22453.65
13.	मध्य प्रदेश	259160.82	328848.34	289172.60	406111.54	507517.11	355496.21
14.	महाराष्ट्र	2008.75	49783.33	18907.21	18756.08	61828.50	36154.33
15.	मणिपुर	5894.13	6400.54	6276.15	36540.97	38595.72	34965.82
16.	मेघालय	5798.73	7389.93	5091.18	7802.60	10975.76	8945.10
17.	मिजोरम	3143.49	4595.38	4200.70	15194.15	17426.30	16455.70
18.	नागालैंड	4089.59	4495.41	2397.57	26805.72	28921.18	27231.15
19.	उड़ीसा	53303.69	81079.83	57956.90	87843.67	105128.86	67829.29
20.	पंजाब	2030.32	5027.36	3004.29	6775.32	11492.70	7177.06
21.	राजस्थान	104400.20	144067.79	147733.72	652157.16	724534.48	616439.73
22.	सिक्किम	564.75	1432.37	1185.76	4097.14	4810.69	4275.61
23.	तमिलनाडु	50429.09	70113.96	51642.38	140126.58	179459.04	100406.47
24.	त्रिपुरा	16941.45	21850.39	20860.34	46036.60	51943.39	49077.13
25.	उत्तर प्रदेश	164552.89	222726.19	189825.13	393390.13	470692.85	356887.72
26.	उत्तरांचल	10527.65	15319.60	9575.01	10116.44	15566.09	13579.33
27.	प. बंगाल	88135.88	133148.55	100434.62	92275.09	133654.90	94038.47
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				702.75	1557.83	327.54
29.	दादरा और नगर हवेली				45.10	46.20	1.03
30.	दमन व दीव				21.86	21.86	0

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	गोवा				618.21	951.28	249.96
32.	लक्षद्वीप				262.26	435.20	178.68
33.	पांडिचेरी				419.44	969.44	136.10
34.	चंडीगढ़				20	20	0
	कुल	1244727.01	1933953.55	1585688.61	2993960.00	3739706.15	2725009.92

क्र.सं.	राज्य	2009-10			2010-11 (मई, 10 तक)		
		केंद्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय	केंद्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	कुल व्यय
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	378160.23	538354.80	450918.00	213134.00	300570.80	122512.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	3386.17	4290.39	1725.74	217.58	2782.23	0.00
3.	असम	77888.50	142433.89	103350.71	32598.03	82054.41	1901.90
4.	बिहार	103278.45	235820.39	181687.63	115178.24	169311.42	69.36
5.	छत्तीसगढ़	82710.30	162928.83	130373.56	64969.34	103157.52	26633.00
6.	गुजरात	77729.70	98142.04	73975.11	34011.10	62334.68	11908.59
7.	हरियाणा	12400.38	19455.21	14355.28	1825.60	7034.33	899.59
8.	हिमाचल प्रदेश	39542.50	62308.71	55655.70	27028.00	36600.38	3911.23
9.	जम्मू और कश्मीर	17568.95	25402.53	18236.28	8558.50	17357.20	269.19
10.	झारखंड	81216.22	192450.63	137970.19	36814.74	91448.10	17756.00
11.	कर्नाटक	276998.19	331990.63	281653.45	77305.00	131821.10	9307.23
12.	केरल	46771.42	58768.93	47184.81	23500.08	41153.61	5773.48
13.	मध्य प्रदेश	351923.66	567572.87	377972.03	99580.00	289220.85	19444.40
14.	महाराष्ट्र	24965.06	63775.42	32109.32	5121.99	39528.24	3407.67
15.	मणिपुर	43681.36	51120.41	39316.87	6467.46	18671.00	0.00
16.	मेघालय	21136.81	25228.69	18352.79	6394.74	13270.64	114.25

1	2	9	10	11	12	13	14
17.	मिजोरम	27697.03	29698.28	23823.99	10271.11	16145.40	71.73
18.	नागालैंड	56292.34	62784.43	45985.00	17550.13	34349.56	471.53
19.	उड़ीसा	44581.26	97685.66	93273.74	79844.00	91723.58	20688.75
20.	पंजाब	14318.45	20615.32	14871.55	3427.63	12775.90	1590.86
21.	राजस्थान	594264.49	820272.52	564149.15	278882.00	551171.09	24255.13
22.	सिक्किम	8857.35	10256.22	6408.92	1729.58	7051.17	270.42
23.	तमिलनाडु	137118.92	241131.95	176123.49	70727.63	135736.55	4247.62
24.	त्रिपुरा	88636.01	96206.73	72393.18	20916.75	65399.21	2254.35
25.	उत्तर प्रदेश	531887.16	713268.04	590003.87	141940.00	279517.61	16209.19
26.	उत्तरांचल	27960.22	35911.48	28309.06	6689.45	14730.37	138.72
27.	प. बंगाल	178728.96	240854.15	210898.16	71333.00	108580.02	24968.93
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	241.15	1603.75	1226.12	396.27	862.67	13.13
29.	दादरा और नगर हवेली	39.20	197.07	133.95	47.73	110.85	0.00
30.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
31.	गोवा	20.72	905.68	450.33	93.24	572.98	194.27
32.	लक्षद्वीप	200.00	462.12	201.48	33.58	294.22	0.00
33.	पांडिचेरी	459.93	1100.44	726.90	909.95	1283.49	0.86
34.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
	कुल	3350661.09	4952999.20	3793816.43	1457496.45	2726621.18	319254.05

वित्त वर्ष 2007-08 में चरण-II के जिलों में आरंभिक व्यवस्था के लिए 16312.00 लाख रु. रिलीज किए गए, इसलिए कुल केंद्रीय रिलीज (वित्त वर्ष 2007-08) 1261039.01 लाख रु. है।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	2-2-2006 से अब तक जॉब कार्ड जारी किए गए परिवारों की संख्या	रोजगार मांगने वाले परिवारों की संचयी संख्या	रोजगार मुहैया कराए गए परिवारों की संचयी संख्या	100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संचयी संख्या	कॉलम 4 में दिए गए आंकड़े के संदर्भ में 100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	11722646	6158493	6158493	1695537	22.66

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	135140	72606	68157	276	0.40
3.	असम	3611714	2139111	2137270	130457	6.10
4.	बिहार	12403792	4127330	4127330	282797	6.85
5.	छत्तीसगढ़	3574607	2025845	2025845	160648	7.93
6.	गुजरात	3570123	1612280	1612280	103752	6.44
7.	हरियाणा	459367	156410	156406	8837	5.65
8.	हिमाचल प्रदेश	994969	499174	497336	48283	9.71
9.	जम्मू और कश्मीर	663994	350347	337356	21360	6.33
10.	झारखंड	3697477	1703243	1702599	133296	7.83
11.	कर्नाटक	6239289	3633845	3535351	445185	12.59
12.	केरल	2428808	934272	931221	37749	4.05
13.	मध्य प्रदेश	11292252	4722734	4722409	678717	14.37
14.	महाराष्ट्र	5533933	591611	591547	22630	3.83
15.	मणिपुर	426533	418564	418564	101	0.02
16.	मेघालय	372523	302537	300482	13453	4.48
17.	मिजोरम	180803	180140	180140	7059	3.92
18.	नागालैंड	322223	322223	319723	59554	18.63
19.	उड़ीसा	5591073	1413372	1394118	81985	5.88
20.	पंजाब	708967	271312	270492	7637	2.82
21.	राजस्थान	8820959	6467764	6467764	1492420	23.07
22.	सिक्किम	70050	54156	54156	12633	23.33
23.	तमिलनाडु	6535710	4373257	4373257	708018	16.19
24.	त्रिपुरा	635265	577049	576001	210800	36.60
25.	उत्तर प्रदेश	11698780	5664644	5480434	796929	14.54
26.	उत्तरांचल	893496	522304	522304	20664	3.96
27.	प. बंगाल	10351948	3489363	3479915	72123	2.07

1	2	3	4	5	6	7
28.	अं. व नि. द्वीपसमूह	12763	20634	20337	657	3.23
29.	दादरा व नगर हवेली	10923	3741	3741	24	0.64
30.	दमन व दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	14279	6613	6604	119	1.80
32.	लक्षद्वीप	6079	5192	5192	20	0.39
33.	पांडिचेरी	60780	40377	40377	385	0.95
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	113041265	52860543	52517201	6954105	13.24

एन.आर. - असूचित

अवांछित कालों पर रोक

***4. श्री मनीष तिवारी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टेली-मार्केटिंग कंपनियों द्वारा मोबाइल और लैंडलाइन टेलीफोन पर की जाने वाली अवांछित कॉलों से निपटने की दूरसंचार विभाग की क्या नीति है;

(ख) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या दूरसंचार विभाग के पास इन टेली-मार्केटिंग कंपनियों को पंजीकृत कराने की कोई प्रक्रिया है और इन टेली-मार्केटिंग कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कोई सांविधिक जिम्मेदारी है;

(ग) उन दूरसंचार ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने टेली-मार्केटिंग कंपनियों के साथ मिलकर बेधड़क तरीके से "डू नॉट कॉल रजिस्ट्री" का उल्लंघन करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पर अवांछित दूरसंचार विपणन कॉल भेजकर बेतहाशा लाभ कमाया है;

(घ) क्या सरकार का निजता के अधिकार का उल्लंघन करने हेतु मोबाइल और फिक्स्ड उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) टेलीमार्केटिंग कंपनियों से मोबाइल और लैंडलाइन टेलीफोनों पर आने वाली अवांछित कॉलों पर रोक लगाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 5 जून, 2007 को दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संचार (यू.सी.सी.) विनियम अधिसूचित किए थे। बाद में "राष्ट्रीय डू नॉट कॉल (एन.डी.एन.सी.)" रजिस्ट्री स्थापित की गई जो मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय डेटाबेस है जिसमें ऐसे सभी उपभोक्ताओं के टेलीफोन नंबरों की सूची उपलब्ध है जो अवांछित वाणिज्यिक संचार (यू.सी.सी.) प्राप्त नहीं करना चाहते। यू.सी.सी. से बचने के लिए कोई भी उपभोक्ता अपने दूरसंचार सेवा प्रदाता के माध्यम से एन.डी.एन.सी. रजिस्ट्री में अपना टेलीफोन नंबर दर्ज करा सकता है।

(ख) दूरसंचार विभाग द्वारा जून, 2007 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार टेलीमार्केटिंग कंपनियां अपने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के जरिए दूरसंचार विभाग में अपना नाम दर्ज कराएंगी। ट्राई विनियम के अनुसार, टेलीमार्केटिंग कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सांविधिक जिम्मेदारी सेवा प्रदाताओं की है।

(ग) ट्राई द्वारा जारी किए गए विनियमों में इन विनियमों का अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड लगाने से संबंधित उपबंध है। उक्त उपबंध के अनुसार यदि सेवा प्रदाता उपभोक्ता की शिकायत पर टेलीमार्केटरों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता तो सेवा प्रदाता को इस विनियम का पहली बार अनुपालन न करने पर अधिकतम 5000 रु. की दांडिक राशि का भुगतान करना होगा तथा दूसरी बार या इसके

बाद अनुपालन न करने पर प्रत्येक बार के लिए अधिकतम 20000 रु. की दांडिक राशि का भुगतान करना होगा। अब तक ट्राई ने आठ सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय दंड लगाया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	दंड की राशि
1.	मै. वोडाफोन	15000/- रु.
2.	मै. रिलायंस	11000/- रु.
3.	मै. भारती	10000/- रु.
4.	मै. टाटा	1000/- रु.
5.	मै. स्पाईस	9000/- रु.
6.	मै. बी.पी.एल.	1000/- रु.
7.	मै. एम.टी.एन.एल.	1000/- रु.
8.	मै. बी.एस.एन.एल.	1000/- रु.

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का निर्यात

***5. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**

डॉ. संजय सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए फलों और सब्जियों की मात्रा और कीमत का ब्यौरा क्या है;

(ख) फलों और सब्जियों के निर्यात के संबंध में चालू योजनाओं और इस कार्य में लगी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये योजनाएं किसानों के लिए कितनी लाभप्रद साबित हुई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फल एवं सब्जियों के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मात्रा मी. टन, मूल्य लाख रु.)

उत्पाद	2007-08		2008-09		2009-10*	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
फल	365732	91186	470795	115143	उ.न.	226895
सब्जी	1358842	152527	2175471	250772	उ.न.	290435
कुल	1724574	243713	2646266	365915	उ.न.	517330

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस., *वित्त वर्ष के लिए अनंतिम, उ.न. - उपलब्ध नहीं।

(ख) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का गठन अनुसूचित कृषि उत्पादों जिनमें अन्य उत्पादों के साथ-साथ फल एवं सब्जियां शामिल हैं, के विकास एवं निर्यात संवर्धन हेतु वर्ष 1986 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। सरकार बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन सहायता संबंधी अपनी स्कीमों के जरिए फल एवं सब्जियों सहित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के एक उपाय के रूप में एपीडा के माध्यम से पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जहां तक प्याज के निर्यात का संबंध है,

वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) सहित 13 राज्य व्यापार उद्यम (एस.टी.ई.) इस प्रयोजनार्थ सरणीयन एजेंसियों के रूप में प्राधिकृत हैं।

(ग) एपीडा के साथ पंजीकृत निर्यातकों को सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का लाभ अंततः फलों एवं सब्जियों के कृषकों/उपजकर्ताओं को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी कीमत के रूप में मिलता है। पिछले तीन वर्षों (2007-08 से 2009-10) के दौरान फलों एवं सब्जियों के निर्यात में मूल्य के रूप में 112 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा

***6. श्री नारायण सिंह अमलाबे:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डी.एम. आई.सी.) परियोजना का कार्य-शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र/कस्बे/शहर शामिल किए गए हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के राजगढ़ को परियोजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना के अंतर्गत किसी क्षेत्र/शहर को शामिल करने के लिए क्या मानदंड/नियम अपनाए जाते हैं/अपनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डी.एम.आई.सी.) परियोजना के तहत, समग्र डी.एम.आई.सी. क्षेत्र के लिए संदर्शी योजना तैयार करने हेतु परामर्श कार्य और साथ ही निम्नलिखित के लिए विकास योजनाओं एवं व्यवहार्यता अध्ययनों के कार्य भी सौंप दिए गए हैं:

1. मध्य प्रदेश में पीतमपुरा-धार मऊ निवेश क्षेत्र
2. गुजरात में अहमदाबाद-धोलेरा निवेश क्षेत्र
3. उत्तर प्रदेश में दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र
4. हरियाणा में मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र
5. राजस्थान में कुरूक्षेत्र-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र, और
6. महाराष्ट्र में इगतपुरी-नासिक-सिनार निवेश क्षेत्र तथा दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र।

उपर्युक्त नोड फिलहाल योजना बनाने के चरण में हैं।

(ग) डी.एम.आई.सी. परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्से आते हैं। इस औद्योगिक गलियारे का विकास दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम-चरण में, विकास हेतु छह निवेश क्षेत्र और छह औद्योगिक क्षेत्र (संलग्न विवरण अनुसार) हाथ में लिए जाएंगे।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। महोदया। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए, रतलाम-नागदा नोड के लिए अध्ययन शुरू किए हैं जिसके तहत राजगढ़ में शुरुआती परियोजना के तौर पर विद्युत उपकरण विनिर्माण हब शामिल है। डी.एम.आई.सी. परियोजना के तहत, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से चिन्हित किए गए हैं और उपलब्ध संसाधनों, बाजार संभाव्यता और मांग निर्धारण अध्ययन, आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् उन्हें रेखांकित किया गया है।

(च) डी.एम.आई.सी. परियोजना एक बहुत विशाल पहल है और इसके तहत आने वाले नोड अगले 30 वर्षों में पूरी तरह विकसित हो जाने की आशा है।

विवरण

राज्य का नाम	दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डी.एम.आई.सी.) परियोजना चरण-I में विकास हेतु चिन्हित किए गए नोड
1	2
उत्तर प्रदेश	दादरी-नोएड-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र
	मेरठ-मुजफ्फरनगर औद्योगिक क्षेत्र

1	2
हरियाणा	मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र
	फरीदाबाद-पलवल औद्योगिक क्षेत्र
मध्य प्रदेश	पीतमपुरा-धार मऊ निवेश क्षेत्र
	नीमच-नयागांव औद्योगिक क्षेत्र
राजस्थान	कुरूक्षेत्र-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र
	जयपुर-दौसा औद्योगिक क्षेत्र
गुजरात	अहमदाबाद-धौलेरा निवेश क्षेत्र
	वड़ोदरा-अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र
महाराष्ट्र	इगतपुरी-नासिक-सिनार निवेश क्षेत्र
	दिघी में ग्रीनफील्ड पत्तन सहित औद्योगिक क्षेत्र

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित पेयजल

***7. श्री इन्दर सिंह नामधारी:**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यक्रम के पहले और दूसरे चरण के लिए राज्य-वार कितना बजटीय प्रावधान किया गया और कितना वास्तविक व्यय हुआ; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) से (ग) 20-7-2010 तक भारत निर्माण - ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है:

(बसावटों की संख्या)

बसावटों की श्रेणी	लक्ष्य	उपलब्धि
कवर न की गई	55067	54693
निचली श्रेणी में गई	331604	487713
गुणवत्ता प्रभावित	216968	84473
कुल	603639	628879

शेष कवर न की गई तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को भारत निर्माण चरण-II के दौरान कवर किए जाने के लिए लक्षित किया गया है।

2005-06 से 2009-10 तक भारत निर्माण के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 26628.72 करोड़ रु. के आबंटन की तुलना में 26799.54 करोड़ रु. रिलीज किए गए तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने 24510.70 करोड़ रु. खर्च करने की सूचना दी है। 2010-11 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 8460.00 करोड़ रु. के आबंटन में से 3437.82 करोड़ रु. रिलीज किए गए तथा 20-7-2010 तक 665.62 करोड़ रु. का उपयोग कर लिया गया है। निधियों के राज्य-वार आबंटन, रिलीज तथा उपयोग को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

यह सुनिश्चित करने कि शेष लक्षित बसावटों को भारत निर्माण चरण-II के दौरान कवर कर लिया जाएगा, राज्य सरकारों को प्राथमिकता आधार पर कवर न की गई तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने के लिए वार्षिक कार्ययोजना बनाने तथा लक्षित बसावटों को ऑन लाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली में चिन्हित करने का आग्रह किया गया है। निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत निर्माण की शुरुआत से अब तक ग्रामीण पेयजल के लिए निधियों के आबंटन में भारी वृद्धि की गई है। यह आबंटन भारत निर्माण की शुरुआत से पहले के वर्ष अर्थात 2004-05 के 2,585 करोड़ रु. से बढ़ाकर वर्ष 2009-10 में 8,000 करोड़ रु. किया गया जिसे वर्ष 2010-11 में और बढ़ाकर 9,000 करोड़ रु. कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2010-11 तक भारत निर्माण अवधि (चरण-I तथा II) के दौरान एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत आबंटन रिलीज तथा उपयोग (20-7-2010 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(वर्ष 2005-06 से 2009-10)			2010-11		
		आबंटन	रिलीज	उपयोग	आबंटन	रिलीज	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1,568.53	1,760.68	1,613.11	491.02	233.23	51.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	641.46	696.46	689.70	123.01	58.43	एनआर
3.	असम	1,079.83	962.39	914.11	412.81	206.41	0.10
4.	बिहार	1,415.91	1,091.48	564.54	341.46	0.00	44.26
5.	छत्तीसगढ़	466.92	465.12	420.40	130.27	61.88	21.57
6.	गोवा	17.67	8.07	5.25	5.34	0.00	एनआर
7.	गुजरात	1,258.09	1,326.10	1,241.00	542.67	271.34	82.93
8.	हरियाणा	514.95	523.25	448.72	233.69	111.00	12.11
9.	हिमाचल प्रदेश	600.61	729.94	693.88	133.71	66.86	10.64
10.	जम्मू और कश्मीर	1,639.50	1,598.78	1,375.28	449.22	0.00	38.73
11.	झारखंड	559.80	375.51	306.90	165.93	78.82	0.00
12.	कर्नाटक	1,722.48	1,844.32	1,667.21	644.92	306.34	0.00
13.	केरल	462.90	466.98	464.89	144.28	68.53	9.76
14.	मध्य प्रदेश	1,328.73	1,359.48	1,306.02	399.04	199.52	13.48
15.	महाराष्ट्र	2,307.03	2,394.33	2,179.58	733.27	348.30	एनआर
16.	मणिपुर	218.45	173.42	144.02	54.61	25.94	एनआर
17.	मेघालय	252.88	281.02	277.81	62.83	31.42	1.57
18.	मिजोरम	181.24	217.04	195.66	35.71	17.86	एनआर
19.	नागालैंड	186.31	185.80	188.61	51.70	24.56	एनआर
20.	उड़ीसा	900.10	933.32	894.16	204.88	102.44	9.45

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	303.35	309.49	310.97	82.21	41.11	18.08
22.	राजस्थान	3,514.35	3,396.72	3,137.39	1,165.44	276.79	105.10
23.	सिक्किम	76.72	102.32	101.97	15.45	7.34	1.96
24.	तमिलनाडु	992.47	1,042.17	1,040.55	316.91	158.46	एनआर
25.	त्रिपुरा	224.24	250.62	237.18	53.88	26.94	3.79
26.	उत्तर प्रदेश	2,463.99	2,541.26	2,421.89	899.12	449.56	240.14
27.	उत्तरांचल	463.86	448.95	353.56	139.39	66.21	एनआर
28.	प. बंगाल	1,263.58	1,297.03	1,279.86	418.03	198.56	एनआर
29.	अं. व निको. द्वीपसमूह	0.67	17.48	35.50	1.01	0.00	एनआर
30.	दादरा व नगर हवेली	0.66	0.00	0.00	1.09	0.00	एनआर
31.	दमन व दीव	0.14	0.00	0.00	0.61	0.00	एनआर
32.	दिल्ली	0.36	0.00	0.00	4.31	0.00	एनआर
33.	लक्षद्वीप	0.04	0.00	0.00	0.24	0.00	एनआर
34.	पुदुचेरी	0.87	0.00	1.00	1.54	0.00	एनआर
35.	चंडीगढ़	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	एनआर
	कुल	26,628.72	26,799.54	24,510.70	8,460.00	3,437.82	665.62

एनआर - असूचित

[हिन्दी]

खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***8. श्री अनंत कुमार हेगड़े:**

श्री जगदीश शर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में खुदरा बाजार/मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार/थोक बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) बढ़ाने हेतु एक नई नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप खुदरा बाजार में कितनी राशि का विदेशी पूंजी निवेश होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने एफ.डी.आई. सीमा के बढ़ने से छोटे व्यापारियों पर इसके प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में असंगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र में छोटे व्यापारियों के हित की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में एफ.डी.आई. के माध्यम से विभिन्न खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों के भंडारण की क्षमता निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) मौजूदा नीति में, विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत केवल सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति है। मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. की अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार को एसोसिएशनों/व्यापार निकायों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) इसका उद्देश्य है - खुदरा व्यापार क्षेत्र के आरंभिक कार्यकलापों (बैक एण्ड) की आधारभूत सुविधाओं में परिचालन की दक्षता बढ़ाना, कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करना, उत्पादकों का लाभ बढ़ाना, खुदरा व्यापारियों को मूल्य-शृंखला में एकीकृत करना, और अधिक प्रतिस्पर्धा के जरिए उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना। इस उद्देश्य से, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने "मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश" विषय पर एक चर्चा-पत्र जारी किया है ताकि इस विषय पर जानकारीयुक्त चर्चा आरंभ की जा सके और विभिन्न संबद्ध पक्षों के विचार एवं टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। सभी संबद्ध पक्षों के बीच परामर्श प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरांत सरकार द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विभाग ने पहले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद् (आई.सी.आर.आई.ई.आर.) के जरिये "असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित खुदरा व्यापार का प्रभाव" विषय पर एक अध्ययन करवाया था। चर्चा-पत्र में, छोटे व्यापारियों पर प्रभाव, असंगठित क्षेत्र के छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा हेतु संभावित रणनीति तथा खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों, आदि के भंडारण की क्षमता निर्माण पर संभावित प्रभाव की भी जांच की गई है। यह चर्चा-पत्र तथा आई.सी.आर.आई.ई.आर. की रिपोर्ट जनता की पहुंच हेतु उपलब्ध है।

(ङ) इस प्रकार के प्रयासों का लक्ष्य भंडारण क्षमता की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना है, ताकि उन्नत आपूर्ति शृंखला का निर्माण किया जा सके।

प्रमुख पत्तनों में भूमि का अतिक्रमण

***9. श्री हुक्मदेव नारायण यादव:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रमुख पत्तनों के विशाल भू-क्षेत्र पर अभी भी अतिक्रमण किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए केन्द्र सरकार/संबंधित पत्तन न्यास (पोर्ट ट्रस्ट) द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (घ) महापत्तनों पर भूमि के गैर कानूनी अतिक्रमण का पत्तन वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

पत्तन	अधिक्रमण का ब्यौरा
कोलकाता	1. अनाधिकृत कब्जेदारों द्वारा तारातला मार्ग, डॉक पूर्वी बाऊंड्री मार्ग, ट्रांस्पोर्ट डीपोर्ट मार्ग और गारागाचा मार्ग के रोड बर्म्स। 2. पुराने चेटला स्टेशन यार्ड में कुछ झुग्गियां और गैरकानूनी कब्जेदारों की बस्तियां। 3. दक्षिण 24 परगना में मोयापुर में ओल्ड मैगजीन डिपो पर कुछ छितराए अनाधिकृत कब्जे। हल्दिया डॉक कॉम्पलैक्स में, कोलकाता पत्तन न्यास की भूमि पर लगभग 1650 अनाधिकृत ढांचे निर्मित हैं जो कि लगभग 125 एकड़ की भूमि के क्षेत्र में फैले हैं।
पारादीप	पत्तन की 23.50 एकड़ भूमि पर 5156 गैर कानूनी कब्जे हैं।
चेन्नई	निम्नलिखित द्वारा अनाधिकृत कब्जे किए गए हैं: - अन्नाल इंदिरा गांधी नगर रैजीडैन्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन (2249 वर्ग फीट) - श्री तामोधीरन द्वारा निर्मित आवासीय गृह - अम्मान मंदिर (1800 वर्ग फीट) - तिरुसूलम ग्रामीण वासियों द्वारा गैर कानूनी कब्जा (1.25 एकड़)
जवाहरलाल नेहरू	गैर कानूनी कब्जे का स्तर बहुत छोटा है जिसमें छोटी झोपड़ियां, अस्थाई शेड आदि शामिल हैं।

पत्तन	अधिक्रमण का ब्यौरा
मुम्बई	मुंबई पत्तन न्यास की भूमि पर 25 पॉकिटों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों द्वारा गैर कानूनी कब्जा है जहां गत वर्षों में लगभग 15,000 झोपड़ियां बन गई हैं। झोपड़ पट्टी के अंतर्गत आने वाली भूमि लगभग 7 हैक्टेयर है।
तूतीकोरिन	शून्य
कोचीन	कोचीन पत्तन की भूमि पर गैर कानूनी कब्जे के कोई गंभीर मामले नहीं हैं। समय-समय पर पश्चभूमि क्षेत्र में गैर कानूनी कब्जे के छोटे मोटे मामलों की सूचना प्राप्त हुई है।
नव मंगलूर	शून्य
मुरगांव	खारेवावा में घाट सं. 11 के बहुत नजदीक वास्को बे के तट के साथ-साथ मछुआरों द्वारा गैर कानूनी कब्जे के मामले प्रकाश में आए हैं। इसी प्रकार बाइना फुटबाल ग्राउंड तट के साथ-साथ झोपड़ियां भी बन गई हैं मुख्यतः बीच के साथ रहने वाले मछुआरों द्वारा। उपरोक्त के अलावा, मुरगांव बंदरगाह में आवासीय गृह बनाने के 2 मामले, फुटबाल मैदान बाइना के नजदीक 1 मामला और बोगडा में 5 गैर कानूनी झोपड़ियां।
इन्नौर	वेल्लूर गांव, पोन्नेरी ताल्लुक, तिरुवल्लूर जिले के एस सं. एस 717/1 आदि में लगभग 5.88 हैक्टेयर भूमि पर गैर कानूनी कब्जा है।
कांडला	गांधीधाम टाऊनशिप भूमि के विभिन्न सैक्टरों में 119 गैर कानूनी कब्जे हैं और कांडला की भूमि पर 8 गैर कानूनी कब्जे हैं।
विशाखापट्टनम	शून्य

गैर कानूनी कब्जों को हटाने की कार्रवाई गैर कानूनी कब्जों की प्रकृति के आधार पर की जाती है। गैर कानूनी कब्जे अकसर पुलिस की मदद से छापे और हटाने की कार्रवाई के माध्यम से हटाए जाते हैं। इस मामले को इस प्रकार के अनधिकृत ढांचों/गैर कानूनी कब्जों को पत्तन की भूमि से हटाने के लिए जिला सिविल प्रशासन से भी उठाया गया है। पब्लिक (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार भी पत्तन की भूमि से गैर कानूनी कब्जेदारों को हटाने के कदम उठाए गए हैं।

स्पेक्ट्रम के संबंध में "ट्राई" की सिफारिशें

***10. श्री विश्व मोहन कुमार:**

श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में 2जी और 3जी स्पेक्ट्रम के संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मोबाइल ऑपरेटरों के साथ इस पर विचार-विमर्श किया है और "ट्राई" द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु एक समिति भी गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सरकार को "स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क" के संबंध में दिनांक 11-05-2010 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। उसके बाद सरकार ने ट्राई की उक्त सिफारिशों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रम के संबंध में 07-07-2010 को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ विचार-विमर्श किया था और उसके बाद 14-07-2010 को राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन.एल.डी.)/अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आई.एल.डी.) लाइसेंसधारकों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.), और अवसंरचना प्रदाताओं (आई.पी.-I) के साथ विचार-विमर्श किया था। अब सरकार ने ट्राई की उक्त सिफारिशों की जांच करने के लिए 14-07-2010 को सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। नीतिगत मामला होने के कारण ट्राई की इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिए

जाने के बारे में कोई समय-सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटीशुदा रोजगार

***11. श्री पूर्णमासी राम:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू होने के समय से जॉब कार्ड जारी किए गए परिवारों की संख्या और रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या में अंतर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस मामले में तथा इस योजना के अंतर्गत किसी परिवार को गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) और (ख) जी, हां। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किसी परिवार को जारी किया गया जॉब कार्ड 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होता है। किसी परिवार को जॉब कार्ड तब जारी किया जाता है जब परिवार के एक या उससे अधिक वयस्क सदस्य इसके लिए आवेदन करते हैं। तथापि, जॉब कार्ड जारी कर देने मात्र से ही कोई परिवार अधिनियम के अंतर्गत रोजगार का हकदार नहीं हो जाता है। अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने के लिए परिवार के वयस्क सदस्यों को लिखित में कार्य के लिए आवेदन करना पड़ता है। जॉब कार्डधारक एक वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिनियम के अंतर्गत 100 दिनों के गारंटीशुदा रोजगार के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा, हालांकि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार मांगने वाले के पास जॉब कार्ड का होना अनिवार्य है, किंतु वह किसी खास वित्त वर्ष में अधिनियम के अंतर्गत रोजगार शुरू करे, यह अनिवार्य नहीं है।

(ग) अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए गहन आई.ई.सी. क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों में पर्याप्त संख्या में समर्पित स्टॉफ तैनात करने के लिए राज्यों पर दबाव डाला गया है। ऐसे समर्पित स्टॉफ का वेतन, अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय प्रशासनिक व्यय में से दिया जाता है। केंद्र सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं कि श्रम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्य उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

***12. श्री अरविन्द कुमार चौधरी:**

श्री नीरज शेखर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में 3000 से लेकर 6000 तक की जनसंख्या वाली बस्तियों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए कुछ तकनीशियनों/इंजीनियरों की नियुक्ति को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में इन राज्य सरकारों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई है/की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यक्रम संतोषजनक नहीं पाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) और (ख) जी, हां। महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ब्लॉकों तथा ग्राम पंचायतों में तकनीकी कार्मिकों की कमी संबंधी मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने ग्रामीण परिवारों की प्रति 6000 जनसंख्या पर दो इंजीनियरों की तैनाती संबंधी अनुमोदन किया है। पूर्वोत्तर राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों में ग्रामीण परिवारों की प्रति 3000 जनसंख्या पर दो इंजीनियरों की तैनाती की जा सकती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इन इंजीनियरों की तैनाती पर व्यय को अधिनियम के तहत कुल व्यय के 6 के बराबर प्रशासनिक व्यय घटक से पूरा किया जाना है, जिसका भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

(ङ) और (च) महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित है। कार्य के इच्छुक वैध जॉब कार्डधारक को अधिनियम के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होता है। इसके कार्यान्वयन के चार वर्षों में वर्ष 2006-07 में 2.10 करोड़ परिवारों, 2007-08 में 3.39 करोड़ परिवारों, 2008-09 में 4.51 करोड़ परिवारों, एवं 2009-10 में 5.25 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। वर्ष 2006-07 में 8.35 लाख, 2007-08 में 17.88 लाख, 2008-09 में 27.75 लाख और 2009-10 में 46.01 लाख, कार्य शुरू किए गए।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार करने एवं इसे सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(i) नरेगा हेतु प्रतिबद्ध स्टॉफ की तैनाती, सामाजिक लेखा-परीक्षा, समस्या समाधान एवं आई.सी.टी. अवसंरचनाओं के प्रबंधन एवं प्रशासनिक सहायता तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए स्वीकार्य प्रशासनिक व्यय की सीमा को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया गया है।

(ii) मजदूरी के संवितरण में पारदर्शिता लाने के लिए नरेगा कर्मियों के खातों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई है। वित्तीय सेवाओं तथा उनकी उपलब्धता के बीच अन्तर को कम करने तथा मजदूरी के संवितरण में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ग्रामीण ए.टी.एम., हस्तचालित उपकरणों, स्मार्ट कार्ड, बॉयोमीट्रिक्स आदि की व्यवस्था की गई है।

(iii) सभी राज्यों को 07-09-2009 को निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें समस्या के समाधान के लिए जिला स्तर पर ओम्बड्समैन की नियुक्ति करने को कहा गया है।

(iv) आई.आई.टी., आई.आई.एम. तथा कृषि विश्वविद्यालयों सहित पेशेवर संस्थानों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है।

(v) राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता तथा प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है।

(vi) केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा दौरे किए जाते हैं।

(vii) जॉब कार्डों, मांगा गया एवं आबंटित रोजगार, किए गए कार्य के दिवस, मस्टररोल, कार्यों की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधियों एवं विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को दी गई निधियों, सामाजिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों, शिकायतों के पंजीकरण एवं सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी चेतावनी आदि से संबंधित जानकारी सार्वजनिक जांच हेतु उपलब्ध कराने के लिए आई.सी.टी. आधारित एम.आई.एस.।

(viii) राज्य सरकारों के साथ आवधिक समीक्षा।

(ix) मंत्रालय ने अधिनियम को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं के संबंध में छह कार्यदल गठित किए हैं। ये कार्यदल निम्नलिखित को कवर करते हैं - (क) आयोजना एवं क्रियान्वयन, (ख) मजदूरी, (ग) पारदर्शिता एवं जवाबदेही (घ) क्षमता निर्माण (ङ) विशिष्ट कार्मिकों की विशिष्ट आवश्यकताएं (च) वैयक्तिक भूमि पर किए जाने वाले कार्य। सभी कार्यदलों ने अपनी प्रारूप रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत घरेलू कामगार

***13. श्री गजानन ध. बाबर:**

श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गठित घरेलू कामगार संबंधी कृतक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट और उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में घरेलू कामगारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या घरों में नियोजित घरेलू कामगारों के शोषण को रोकने हेतु प्लेसमेंट एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) जी, हां। घरेलू कामगार संबंधी कृतक बल ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की थीं:

(i) घरेलू कामगारों के लिए स्वास्थ्य तथा मातृत्व लाभ, मृत्यु एवं अपंगता लाभ तथा वृद्धावस्था लाभ सहित कल्याण योजनाओं का विस्तार।

(ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) घरेलू कामगारों पर लागू की जाने वाली प्रथम कल्याण योजना होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रयुक्त स्मार्ट कार्डों का प्रयोग बाद में घरेलू कामगारों के लिए तैयार की गई अन्य कल्याण योजनाओं के लिए किया जा सकता है।

(iii) राज्य के श्रम विभाग द्वारा घरेलू कामगारों की पहचान की जानी चाहिए तथा उन्हें पंजीकृत करना चाहिए।

(iv) घरेलू कार्य को घरेलू कामगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण तथा प्रवर्तन के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत एक अधिसूचना द्वारा अनुसूचित नियोजन की केन्द्रीय सूची में जोड़ा जाना चाहिए। जिन राज्य सरकारों ने घरेलू कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की है, उन्हें घरेलू कामगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करनी चाहिए।

(v) घरेलू कार्य से संबंधित तैनाती, सोर्सिंग और भर्ती सेवा प्रदान करने वाली सभी रोजगार एजेन्सियों तथा व्यक्तियों का दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए।

(vi) घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए।

(vii) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किए गए कौशल और पुनःकौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उन्नयन किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का घरेलू कामगारों पर विस्तार किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) और (च) कृतक बल की सिफारिशों में से एक सिफारिश घरेलू कार्य से संबंधित तैनाती, सोर्सिंग और भर्ती सेवा प्रदान करने वाली सभी रोजगार एजेन्सियों तथा व्यक्तियों का दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य किए जाने से संबंधित है। कृतक बल की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

दलहनों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र

***14. श्री मनोहर तिरकी:**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दलहनों के निर्यात हेतु देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है अथवा उसकी अनुमति देने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड.) से दालों के निर्यात से संबंधित दो प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड (बी.ओ.ए.) ने दिनांक 9 अप्रैल, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया था। इस उत्पाद के संवेदनशील स्वरूप को देखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने दालों के आयात प्रसंस्करण, व्यापार तथा निर्यात से संबंधित अनुरोधों को आस्थगित रखने का निर्णय लिया।

[हिन्दी]

मंदबुद्धि बच्चों के लिए बाल-गृह

***15. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में मंदबुद्धि बच्चों के विकास और उनकी देख-भाल के लिए बाल-गृह (चिल्ड्रन होम्स) स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत

तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार ऐसे कितने बाल-गृहों की स्थापना की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान ऐसी कुछ रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि कुछ राज्यों में मंदबुद्धि बच्चों की उक्त बाल-गृहों में उचित देख-भाल नहीं हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार मंदबुद्धि बच्चों के लिए बाल-गृह स्थापित नहीं करती। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र की दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत, मंदबुद्धि व्यक्तियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मंदबुद्धि व्यक्तियों को सेवाओं के प्रावधान से संबंधित परियोजनाओं के लिए जारी सहायता अनुदान का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) दिल्ली में मंदबुद्धि बच्चों के एक बाल-गृह में असंतोषजनक स्थितियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। यह गृह इस मंत्रालय से अनुदान प्राप्तकर्त्ता संगठन नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा संचालित एक संगठन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि वह बाल-गृह में बच्चों की भीड़ को कम करने के लिए तीन और भवनों को उपलब्ध कराने सहित आवश्यक प्रतिकारी कदम उठा रही है।

विवरण

दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में मंदबुद्धि व्यक्तियों से संबंधित परियोजनाओं के लिए जारी सहायता अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

जारी की गई राशि (लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1055.95	768.42	1193.93	70.24
2.	असम	48.56	65.59	59.93	शून्य
3.	बिहार	33.11	44.14	10.66	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	7.71	20.32	7.74	शून्य
5.	गुजरात	18.40	20.00	22.69	1.59
6.	हरियाणा	109.29	82.91	61.00	17.98
7.	हिमाचल प्रदेश	5.62	1.46	0.91	शून्य
8.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	3.76	शून्य	शून्य
9.	कर्नाटक	270.14	206.88	200.18	शून्य
10.	केरल	187.47	337.77	400.31	37.17

1	2	3	4	5	6
11.	मध्य प्रदेश	68.85	101.53	70.00	शून्य
12.	महाराष्ट्र	21.64	48.71	22.93	शून्य
13.	मणिपुर	62.92	100.98	85.45	शून्य
14.	मेघालय	6.39	6.32	4.36	शून्य
15.	मिजोरम	9.00	16.10	शून्य	शून्य
16.	उड़ीसा	179.93	154.09	209.87	2.78
17.	पंजाब	52.60	31.89	23.36	8.39
18.	राजस्थान	68.84	53.01	80.90	शून्य
19.	तमिलनाडु	197.10	171.18	206.06	3.95
20.	त्रिपुरा	4.39	4.39	6.54	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश	226.89	196.23	213.18	शून्य
22.	उत्तराखंड	27.42	50.37	22.18	9.41
23.	पश्चिम बंगाल	257.20	340.21	359.77	25.73
24.	दिल्ली	35.05	33.31	44.51	शून्य
	कुल	2954.48	2859.60	3306.47	177.24

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का प्रभाव

***16. श्रीमती मेनका गांधी:**

श्री उमा शंकर सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत यूरोपीय संघ के साथ हाल ही में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता करने में विश्व व्यापार संगठन द्वारा अधिदेशित मानकों से उच्च मानकों पर बौद्धिक संपदा संरक्षण संबंधी उपबंधों को शामिल करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे उपबंधों का देश में कीमतों, दवाइयों की खरीद और लोक स्वास्थ्य नीतियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या जापान और अन्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग करने से उनके विषैले अपशिष्टों के भारत में आने की संभावना बढ़ जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (घ) जी नहीं। प्रस्तावित भारत-ई.यू. व्यापक आधारित द्विपक्षीय करार के संबंध में वार्ताएं चल रही हैं और अंतिम राय नहीं बनी है। आई.पी.आर. सहित किसी भी क्षेत्र में कोई करार नहीं किया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति

***17. श्री चंद्रकांत खैरे:**

श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "राष्ट्रीय कौशल विकास नीति" बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति बनाने की पृष्ठभूमि/कारण क्या हैं; और

(ग) इससे अन्य विकासशील/विकसित देशों की कुशल जनशक्ति की तुलना में भारत की कुशल जनशक्ति के कितने लाभ की स्थिति में रहने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (एन.एस.डी.पी.) बनाई है जिसे 23 फरवरी, 2009 को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

(ख) वैश्विक कौशल बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करने तथा अच्छे रोजगार तक पहुंच बनाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मान्यता वाले उन्नत कौशलों के माध्यम से सभी व्यक्तियों को सशक्त बनाने के मिशन के साथ देश में कौशल विकास हेतु एक कार्ययोजना की नीति में परिकल्पना की गई है। एन.एस.डी.पी. के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) जीवनपर्यंत सभी के लिए कौशल प्राप्त करने, विशेषकर युवाओं, महिलाओं तथा लाभवंचित समूहों के लिए अवसरों का सृजन।

(ii) सभी पणधारियों द्वारा कौशल विकास पहले अपनाने हेतु प्रतिबद्धता को प्रोत्साहन।

(iii) वर्तमान तथा उभरती हुई बाजार आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक उच्च गुणवत्तात्मक कुशल कार्यबल/उद्यमियों का विकास।

(iv) मानकों की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की विशेषताओं के प्रत्युत्तर में लोचशील वितरण तंत्र की स्थापना करना।

(v) विभिन्न मंत्रालयों, केन्द्र तथा राज्यों और जनता तथा साथ ही निजी कौशल प्रदाताओं के मध्य प्रभावी समन्वय करना।

एन.एस.डी.पी. ने संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों के माध्यम से सभी पणधारियों को शामिल करते हुए वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों के कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है।

एन.एस.डी.पी. के गठन हेतु पृष्ठभूमि/कारण निम्नानुसार हैं:

(i) 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि सतत श्रम सघन विकास की योग्यता आर्थिक विकास की प्रेरक शक्तियों के रूप में कौशल क्षमताओं और ज्ञान के विस्तार पर निर्णायक रूप से निर्भर करती है।

(ii) सम्भावित रूप से, कौशल विकास हेतु लक्षित समूह में श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश करने वालों (लगभग 12.8 मिलियन प्रतिवर्ष) सहित समस्त श्रम बल, वर्ष 2004-05 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में नियोजित व्यक्ति (26.0 मिलियन) और असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्ति (433 मिलियन) शामिल हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों की वर्तमान क्षमता 3.85 मिलियन है।

(iii) भारत की 'जनांकिकी लाभ' की अनुकूल स्थिति है। उपयुक्त कौशल विकास प्रयासों के माध्यम से जनांकिकी लाभ का दोहन करने के वैश्विक कौशल कमियों को पूरा करने के साथ-साथ देश में समावेशन तथा उत्पादकता को भी प्राप्त करने का एक अवसर उपलब्ध होगा।

(ग) नीति का उद्देश्य अन्य विकासशील/विकसित देशों की कुशल जनशक्ति के समतुल्य भारतीय कुशल जनशक्ति को बनाए रखने के लिए उन्नत कौशलों, जानकारी तथा अंतरराष्ट्रीय अर्हताओं से तुलनात्मक अर्हताओं के माध्यम से सभी व्यक्तियों को सशक्त बनाना है।

चाय क्षेत्र को बढ़ावा

***18. श्री आर. थामराईसेलवन:**

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चाय के उत्पादन और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चाय के उत्पादन और निर्यात में प्रतिशत वृद्धि/गिरावट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्या और श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय चाय बाजार में भारत के बड़े प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा चाय के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या देश में बड़ी संख्या में चाय बागान बंद/परित्यक्त पड़े हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चाय बागानों के पुनरूद्धार तथा छोटे चाय उत्पादकों की सहायता हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिशत वृद्धि/गिरावट सहित चाय के उत्पादन तथा निर्यात का संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (मि. कि.ग्रा.)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि (+)/ह्रास (-)	निर्यात (मि. कि.ग्रा.)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि (+)/ह्रास (-)	निर्यात मूल्य मि. अम. डा. में	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि (+)/ह्रास (-)
2007-08	987.02	+1.43	185.32	-15.05	469.59	+3.94
2008-09	972.77	-1.44	190.64	+2.87	518.04	+10.32
2009-10 (अ.)	991.18	+1.89	200.24	+5.04	571.29	+10.28

(अ) अनुमानित तथा संशोधन के अध्यधीन

(ग) और (घ) जी हां। कुल वैश्विक निर्यातों में केन्या, श्रीलंका का हिस्सा औसतन क्रमशः 22 प्रतिशत और 18 प्रतिशत हैं तथा भारत का हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत है। भारत के विपरीत केन्या तथा श्रीलंका दोनों अपने लगभग पूरे उत्पादन का निर्यात करते हैं क्योंकि उनका घरेलू बाजार नगण्य है जबकि भारत विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

(ङ) चाय के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार चाय बोर्ड, कोलकाता के जरिए अनेक कदम उठा रही है जिनमें (i) नवरोपण, पुनर्रोपण तथा नवीकरण, सिंचाई एवं जल निकास, गुणवत्ता उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास, लघु चाय उत्पादकों को प्रशिक्षण एवं सहायता आदि और (ii) विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलापों का आयोजन तथा भारतीय चाय निर्यातकों को उनके विपणन प्रयासों में संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

(च) और (छ) जी नहीं। दिनांक 01-07-2004 की स्थिति के अनुसार केवल 33 सूचीबद्ध बंद चाय बागान थे। दिनांक 01-04-2007 के बाद प. बंगाल के दार्जिलिंग जिले में दो और चाय बागान बंद हुए थे जिससे इनकी कुल संख्या 35 हो गई। इनमें से 23 बागान दोबारा खोले गए हैं। अतः दिनांक 01-07-2010 की स्थिति के अनुसार केवल 12 चाय बागान बंद पड़े हैं। इनमें प. बंगाल में 7 तथा केरल में 5 चाय बागान शामिल हैं। भारत सरकार ने बंद पड़े चाय बागानों के पुनरुद्धार के लिए 38.65 करोड़ रु. तक के एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है। 11वीं योजना स्कीमों के अंतर्गत फील्ड निविष्टियों, समुचित पत्ती संग्रहण प्रणालियों की स्थापना, परिवहन हेतु वाहनों, लघु चाय प्रसंस्करण फैक्टरियों की स्थापना और चाय उत्पादन के आधुनिक पहलुओं के संबंध में विशेष प्रशिक्षण के लिए लघु उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा अपनाए गए इन उपायों का उद्देश्य उपजकर्ताओं की उत्पादकता और उनके उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाना तथा उनके निवेश पर समुचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बाजार पहुंच उपलब्ध कराना है।

दोहा दौर की वार्ता के प्रति भारत की वचनबद्धता

***19. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**

श्री रामकिशुन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दोहा दौर की वार्ता की धीमी प्रगति के बारे में कई अवसरों पर अमरीका और अन्य विकसित देशों के समक्ष अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा मुक्त व्यापार को सुकर बनाने हेतु दोहा दौर की वार्ता के प्रति अपनी वचनबद्धता पूरी करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) भारत एक निष्पक्ष, समान, नियम आधारित, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में व्यापार वार्ताओं का दोहा दौर विकास का दौर है और भारत ने लगातार यह दृष्टिकोण अपनाया है कि इन वार्ताओं का शीघ्र समापन विकासशील देशों के सर्वोत्तम हित में है।

जुलाई, 2008 में लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक के रुक जाने के पश्चात, वार्ताओं को पुनः शुरू करने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे। आर्थिक संकट को देखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विश्व के नेताओं द्वारा दोहा दौर को शीघ्र सम्पन्न करने का समर्थन किया गया था। भारत ने सितम्बर, 2009 में नई दिल्ली में "दोहा दौर की पुनः शुरुआत : विकास के प्रति वचनबद्धता" विषय पर एक अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी कर इस बात के समर्थन का मजबूत संकेत दिया था।

दिल्ली में आयोजित की गई इस बैठक के तुरंत बाद डब्ल्यू.टी.ओ. में रुकी हुई वार्ताएं पुनः शुरू की गई थी। तथापि, बैठकों के नियमित आयोजन के पश्चात भी वार्ताओं में प्रमुख मुद्दों पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

भारत ने नवम्बर-दिसम्बर, 2009 में आयोजित डब्ल्यू.टी.ओ. के सातवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सहित विभिन्न अवसरों पर इन वार्ताओं की धीमी प्रगति पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

मार्च, 2010 में डब्ल्यू.टी.ओ. में वार्ताकारों द्वारा चलाई गई आकलन प्रक्रिया के दौरान, सदस्यों ने आमतौर पर बहुपक्षीय भागीदारी के स्थापित सिद्धांतों के आधार पर इस दौर को शीघ्र संपन्न करने, वार्ताओं में अब तक हुई प्रगति में तेजी लाने के लिए अपना कार्य जारी रखने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की थी। विकास संबंधी आयाम के महत्व पर भी बल दिया गया था।

भारत, अमेरिका सहित प्रमुख विकसित देशों और विकासशील देशों के साथ दोहा दौर के संतुलित और विकासोन्मुखी समापन के लिए कार्य कर रहा है।

प्रमुख पत्तनों पर कंटेनर टर्मिनल

***20. श्री एस. सेम्मलई :** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के प्रमुख पत्तनों पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आई.सी.टी.टी.) की स्थापना करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या कोचीन पत्तन पर वल्लारपदम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (वी.आई.सी.टी.टी.) को शुरू करने हेतु किए गए तलकर्षण (ड्रेजिंग) कार्य के फलस्वरूप समुद्र तट का क्षरण हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आई.सी.टी.टी.) कोचीन पत्तन में लगाया जा रहा है। अभी तक आई.सी.टी.टी. ने प्रत्यक्ष रूप से पूरे होने का काम 95 प्रतिशत प्राप्त कर दिया गया है। टर्मिनल के प्रथम चरण में अगस्त, 2010 की अंतिम तक संचालन के लिए तैयार हो जाने की संभावना है।

(ख) से (घ) कोचीन पत्तन न्यास ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ औसिनोग्राफी (एन.आई.ओ.) तथा सेंट्रल वॉटर तथा पॉवर रिसर्च स्टेशन (सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस.), पूणे द्वारा आई.सी.टी.टी. की इनवायर इम्पेक्ट एसिसमेंट अध्ययन कराया था। ई.आई.ए. अध्ययन के समय कोई प्रतिकूल प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया गया था। ई.आई.ए. अध्ययन के आधार पर, पर्यावरण अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय से उक्त परियोजना के लिए प्राप्त कर ली थी। अनुमोदन के बताते समय, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने परियोजना के प्रारंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए परियोजना के प्रभाव को लगातार देखने के लिए नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ औसिनोग्राफी को शुरू करने के लिए पत्तन न्यास को निर्देश दिए थे।

इसके अनुसार, पत्तन न्यास ने अन्य कोई प्रभाव को लगातार देखने के लिए एन.आई.ओ. को शुरू करने के लिए पहले से ही कह दिया था। यह अध्ययन दिसम्बर, 2008 में प्रारंभ किया था, जब पूंजीगत तलकर्षण प्रारंभ हुआ था और दिसम्बर, 2011 तक पूंजीगत तलकर्षण के पूरा होने तक जारी रहेगा। एन.आई.ओ. तट पर पूंजीगत तलकर्षण के कोई प्रतिकूल प्रभाव की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

लोक अभ्यावेदन पर, यह पत्तन ने इस विषय पर नई स्वतंत्र अध्ययन देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ औसिनोग्राफी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास से विशेषज्ञ भी नियुक्त किए हैं।

[हिन्दी]

मोबाइल कनेक्टिविटी

1. श्री राकेश सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने अपनी अधिष्ठापित क्षमता से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जबलपुर सहित पूरे देश के विभिन्न भागों में मोबाइल कनेक्टिविटी में समस्या आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस तरह की बार-बार होने वाली समस्या के समाधान हेतु कोई कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल (जी.एस.एम.) नेटवर्क की ट्रैफिक संचालन क्षमता को मद्देनजर रखते हुए ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन (जी.एस.एम.) कनेक्शन जारी कर रहा है।

(ग) से (च) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल दूरभाष सेवा जबलपुर सहित अपने लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है और सामान्यत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) द्वारा निर्धारित किए गए सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों को पूरा कर रही है।

[अनुवाद]

दूरसंचार नेटवर्क में वृद्धि

2. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से नेटवर्क बढ़ाने के लिए मूल रूप से मंजूर राशि में शेष राशि के उपयोग हेतु अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) दूरसंचार विभाग को कर्नाटक राज्य सरकार से दूरसंचार नेटवर्क में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत धनराशियों का उपयोग नहीं किया जाना

3. श्री ई.ज़ी. सुगावनम:
श्री मिलिंद देवरा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आबंटित बड़ी मात्रा में धनराशि देश के विभिन्न राज्यों में बेकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने श्रमिक रोजगार से वंचित रहे;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत धनराशियों के प्रभावी उपयोग हेतु राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों ने इसका कितना अनुपालन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित योजना है। केंद्र सरकार फील्ड स्तर पर पैदा होने वाली श्रम मांग के आधार पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/जिलों को निधियों की रिलीज करती है। श्रम मांग में अचानक आने वाले किसी उछाल से निपटने के लिए निधियां पहले से तैयार रखी जानी होती हैं। निधियों की अगली किस्त की रिलीज, राज्यों/जिलों को कुल उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग कर लेने के पश्चात की जाती है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निधियां अव्यपगमनीय हैं तथा वित्त वर्ष की खर्च न की गई निधियां अगले वित्त वर्ष में अग्रेनीत कर दी जाती हैं ताकि उनका उस वर्ष की श्रम मांग को पूरा करने में उपयोग किया जा सके।

(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार की मांग करने के लिए तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी इकाई, परिवार है। एक वैध जॉब कार्ड वाले व्यक्ति को काम के लिए आवेदन करना होता है जोकि उसे काम की मांग किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना होता है। वर्ष 2009-10 के दौरान काम की मांग करने वाले तथा काम करने वाले परिवारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया को शामिल करते हुए गहन आई.ई.सी. क्रियाकलापों के माध्यम से जागरुकता सृजन।

(ii) एम.आई.एस. आधारित आई.सी.टी. ताकि जन संवीक्षा के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकें, जिसमें जॉब कार्ड, मांगा गया तथा आबंटित किया गया रोजगार, किए गए कार्यों के दिन, मस्टररोल, कार्यों की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधियां तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान की गई निधियां, सामाजिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायतों का पंजीकरण तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए चेतावनी सृजित करना शामिल है।

(iii) नरेगा के लिए समर्पित स्टाफ तैनात करने, प्रबंधन तथा प्रशासनिक सहायता संरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासनिक व्यय की अनुमत सीमा को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iv) मजदूरी संवितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नरेगा कामगारों के सांस्थानिक खातों के माध्यम से भुगतान। वित्तीय सेवाओं तथा इनकी उपलब्धता की कमी को दूर करने तथा मजदूरी संवितरण में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भी ग्रामीण ए.टी.एम., हस्तचालित उपकरण, स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक्स शुरू किए गए हैं।

(v) निधियों के सुचारु प्रवाह के लिए राज्यों को राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित करने के लिए कहा गया है।

(vi) कार्यों की उचित योजना बनाने पर जोर दिया गया है।

(vii) राज्य सरकारों के साथ आवधिक समीक्षा।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की सं.	रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6158493	6158493
2.	अरुणाचल प्रदेश	72606	68157
3.	असम	2139111	2137270
4.	बिहार	4127330	4127330
5.	छत्तीसगढ़	2025845	2025845
6.	गुजरात	1612280	1612280
7.	हरियाणा	156410	156406
8.	हिमाचल प्रदेश	499174	497336

1	2	3	4
9.	जम्मू और कश्मीर	350347	337356
10.	झारखण्ड	1703243	1702599
11.	कर्नाटक	3633845	3535351
12.	केरल	934272	931221
13.	मध्य प्रदेश	4722734	4722409
14.	महाराष्ट्र	591611	591547
15.	मणिपुर	418564	418564
16.	मेघालय	302537	300482
17.	मिजोरम	180140	180140
18.	नागालैंड	322223	319723
19.	उड़ीसा	1413372	1394118
20.	पंजाब	271312	270492
21.	राजस्थान	6467764	6467764
22.	सिक्किम	54156	54156
23.	तमिलनाडु	4373257	4373257
24.	त्रिपुरा	577049	576001
25.	उत्तर प्रदेश	5664664	5480434
26.	उत्तराखंड	522304	522304
27.	पश्चिम बंगाल	3489363	3479915
28.	अंडमान व निकोवार द्वीपसमूह	20634	20337
29.	दादरा व नगर हवेली	3741	3741
30.	दमन व दीव	0	0
31.	गोवा	6613	6604
32.	लक्षद्वीप	5192	5192
33.	पांडिचेरी	40377	40377
35.	चंडीगढ़	0	0
	कुल	52860543	52517201

[हिन्दी]

शहीदों/विकलांग सैनिकों की दशा

4. श्री कीर्ति आजाद: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने युद्ध के शहीदों तथा विकलांग सैनिकों की दशा देखने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने शहीदों के परिवारों को सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) ऐसे कितने परिवार हैं जो इस प्रकार की किसी सहायता से वंचित हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (घ) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग भूतपूर्व सैनिकों की सभी श्रेणियों के लिए कल्याण की देखरेख करने हेतु एक शीर्ष विभाग है। तीन सम्बद्ध कार्यालय, नामत: महानिदेशालय पुनर्वास, केंद्रीय सैनिक बोर्ड तथा भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। राज्य तथा जिला स्तर पर राज्य सैनिक बोर्ड तथा जिला सैनिक बोर्ड शहीदों के परिवारों तथा नि:शक्त सैनिकों की दशा का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा, रिकार्ड कार्यालय, सशस्त्र सेनाओं की स्थानीय विरचनाएं/विस्थापनाएं/यूनिटों में एक ऐसी व्यवस्था विद्यमान है जिसके अंतर्गत शहीदों के परिवारों तथा नि:शक्त सैनिकों के साथ आवधिक रूप से औपचारिक तथा अनौपचारिक बातचीत की जाती है। पेंशन संबंधी समस्याओं को मौके पर ही सुलझाने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर नियमित अंतराल से पेंशन अंदालतें लगाई जाती हैं।

कुल 12091 शहीद परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है तथा 2625 परिवारों को शिशु शिक्षा रियायत मुहैया करायी गई है।

इन स्कीमों के संबंध में दावा करने वाले सभी निकट

संबंधियों को मुआवजे को भुगतान किया गया है तथा कोई दावा बकाया नहीं पड़ा है।

अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना

5. श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा किन-किन विभागों को यह राशि प्रदान की गई;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान की गई पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (घ) अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) (पूर्व में विशेष संघटक योजना) तैयार करने और इसके कार्यान्वयन और मानीटरिंग के लिए योजना आयोग द्वारा दिसम्बर, 2006 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षित है कि वे कुल योजना परिव्यय में से एस.सी.एस.पी. के अंतर्गत कम से कम कुल जनसंख्या के प्रति अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में निधियां निर्दिष्ट करें।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनेक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग, योजना आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार एस.सी.एस.पी. के अंतर्गत निधि निर्दिष्ट नहीं कर रहे हैं। एस.सी.एस.सी. के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग के वर्तमान दिशा-निर्देशों के पुनः परीक्षण एवं उनके संशोधन के लिए जून, 2010 में एक कार्य-बल का गठन किया गया है।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत तकनीकी कर्मचारी

6. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत तकनीकी कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां। मंत्रालय को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के पास तकनीकी कर्मियों की कमी होने की जानकारी मिली है।

(ख) महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में तकनीकी कर्मियों की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने ग्रामीण परिवारों की प्रति 6000 व्यक्तियों की आबादी के लिए 2 इंजीनियर तैनात करने की मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में ग्रामीण परिवारों की प्रति 3000 व्यक्तियों की आबादी के लिए 2 इंजीनियर तैनात किए जा सकते हैं। ऐसे इंजीनियरों की तैनाती पर होने वाले खर्च का वहन, अधिनियम के अंतर्गत कुल खर्च के 6 प्रतिशत के प्रशासनिक व्यय घटक, जिसका भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, से किया जाएगा।

राष्ट्रीय केन्द्र/मॉडल स्कूल

7. श्री यशवंत लागुरी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दृष्टिहीन, मूक, बधिर तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय केन्द्र या मॉडल स्कूल चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों/मॉडल स्कूलों में अब तक कितने व्यक्ति अध्ययन कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को इन केन्द्रों/मॉडल स्कूलों में विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार पूरे देश में और ऐसे केन्द्र/मॉडल स्कूल खोलने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून दृष्टिबाधितों के लिए देहरादून में एक मॉडल स्कूल चला रहा है और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद, नई दिल्ली में मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेंटर और सिकन्दराबाद में स्पेशल एजुकेशन सेंटर चला रहा है।

(ग) इन तीन सेंटरों में 476 छात्र अध्ययनरत हैं।

(घ) अनियमितताओं के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत अंशदान

8. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मीडिया संगठनों/उद्योग में राज्य-वार कुल कितने कर्मचारी हैं जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत शामिल किया गया है; और

(ख) इनमें से राज्य-वार कुल कितने कर्मचारी हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि में नियमित अंशदान देते हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) द्वारा कवर सदस्यों की कुल संख्या तथा नियमित रूप से अंशदान करने वालों की संख्या संलग्न विवरण के अनुसार क्रमश: 176547 तथा 154262 है।

विवरण

मीडिया संगठनों/उद्योग में कवरेज का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	ई.पी.एफ.ओ. के अंतर्गत कवर सदस्यों की कुल संख्या	कॉलम संख्या (3) में से नियमित रूप से अंशदान करने वाले अभिदाताओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23123	21738
2.	बिहार	3134	3134
3.	छत्तीसगढ़	1361	1340
4.	दिल्ली	8489	7494
5.	गोवा	5120	3401
6.	गुजरात	5176	3053
7.	हरियाणा	881	512
8.	हिमाचल प्रदेश	372	372
9.	झारखण्ड	1502	951
10.	कर्नाटक	5138	4509
11.	केरल	15294	14664
12.	मध्य प्रदेश	3860	3860
13.	महाराष्ट्र	49760	40607
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	3349	3329
15.	उड़ीसा	3848	1749
16.	पंजाब	5611	5364
17.	राजस्थान	3249	3249
18.	तमिलनाडु	18986	18273
19.	उत्तरांचल	597	311
20.	उत्तर प्रदेश	12999	12178
21.	पश्चिम बंगाल	4698	4174
	योग	176547	154262

कृषि निर्यात जोन की स्थापना

9. श्री इज्यराज सिंह:

श्री हरीश चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सहित देश में कृषि निर्यात जोन स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कृषि निर्यात जोनों का कार्यनिष्पादन क्या रहा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने राजस्थान सहित देश के 20 राज्यों में 60 कृषि निर्यात जोनों (ए.ई.जेड.) की स्थापना की है। वर्ष 2005 में राजस्थान राज्य में धनिये के लिए कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ तथा चित्तौड़ के जिलों में और जीरे के लिए नागौर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर जिलों में ए.ई.जेडों की स्थापना की गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राजस्थान राज्य में धनिये तथा जीरे के लिए दो ए.ई.जेडों से हुए निर्यात एवं उनमें हुए निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	ए.ई.जेड. परियोजना	जिले	वास्तविक निर्यात (करोड़ रु.)		वास्तविक निवेश (करोड़ रु.)	
			मार्च, 2009 तक	मार्च, 2010 तक	मार्च, 2009 तक	मार्च, 2010 तक
1.	धनिया	कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ तथा चित्तौड़	55.86	74.37	89.67	346.93
2.	जीरा	नागौर, बाड़मेर, जालौर, पाली और जोधपुर	40.99	44.38	47.03	118.05
		कुल	96.85	118.75	136.70	464.98

मोबाइल नेटवर्क की क्षमता

10. श्री रमेश बैस:

श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) की मोबाइल नेटवर्क क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बी.एस.एन.एल. की जी.एस.एम. उपस्कर की 93 मिलियन लाइनों की खरीद की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2010-11 के दौरान अपने मोबाइल नेटवर्क की क्षमता में 5.5 मिलियन ग्लोबल सिस्टम मोबाइल संचार लाइन (जी.एस.एम.) क्षमता की वृद्धि करने की योजना बनाई है।

(ग) और (घ) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों और इसके अतिरिक्त भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थिति की समीक्षा करने के लिए गठित की गई सैम पित्रोदा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर भारत संचार निगम लिमिटेड, बोर्ड ने दिनांक 21-05-2010 को बी.एस.एन.एल. के चार क्षेत्रों द्वारा चरण-VI परियोजना के तहत जी.एस.एम. उपस्करों की 93 मिलियन लाइनों के प्रापण की निविदा रद्द करने का निर्णय किया है।

[अनुवाद]

दूरसंचार उपस्कर का आयात

11. श्री मिलिंद देवरा:

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राधिकृत प्रमाणीकरण एजेंसियों द्वारा मंजूरी के अध्यधीन दूरसंचार उपस्कर के आयात की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार दूरसंचार क्षेत्र में आयातों को बढ़ाने के लिए नए मानदंडों को अंतिम रूप दे रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति

12. श्री रामसिंह राठवा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों संबंधी राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत उनके कल्याण हेतु अब तक कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार तथा राज्यों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की गई विभिन्न रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान वृद्धाश्रमों को प्रदान की गई अनुदानों/वित्तीय सहायताओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एन.पी.ओ.पी.), 1999 में वरिष्ठ नागरिकों हेतु वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, पोषण, आश्रय, शिक्षा, कल्याण और जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रावधान है।

(ख) मंत्रालय, फिलहाल वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणता को सुधारने के लिए आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन सुविधाओं इत्यादि बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करके वृद्ध व्यक्तियों हेतु एकीकृत कार्यक्रम की योजना को कार्यान्वित कर रहा है। योजना के तहत वृद्धाश्रमों, दिवा-देखभाल केन्द्रों और सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों इत्यादि को संचालित करने और उनका रखरखाव करने के लिए उपयुक्त गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आय-कर, रेल और वायुयान किराए में विभिन्न रियायतें; विशेष चिकित्सा सुविधाएं, इत्यादि प्रदान की जाती हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को प्रति लाभार्थी, प्रति माह 200/- रुपए की दर से पेंशन के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है और इसे राज्यों द्वारा कम से कम समान अंशदान के द्वारा पूरा किया जाना होता है ताकि प्रत्येक लाभार्थी प्रति माह पेंशन के रूप में कम से कम 400/- रुपए प्राप्त करें।

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आई.पी.ओ.पी. योजना के तहत वृद्धाश्रमों को संचालित करने और उनके रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों को 3634.46 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (2010-11) के दौरान वृद्धाश्रम संचालित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जारी निधि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (2010-11) के दौरान जारी राशि (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1024.7
2.	असम	186.97
3.	बिहार	10.40
4.	छत्तीसगढ़	12.23
5.	हरियाणा	61.00
6.	कर्नाटक	550.02
7.	केरल	2.22
8.	मध्य प्रदेश	26.22
9.	महाराष्ट्र	86.28
10.	मणिपुर	180.78
11.	नागालैंड	1.38
12.	उड़ीसा	418.11
13.	पुडुचेरी	3.97
14.	पंजाब	14.99
15.	राजस्थान	26.68
16.	तमिलनाडु	583.49
17.	त्रिपुरा	20.98
18.	उत्तर प्रदेश	120.85
19.	उत्तराखंड	8.44
20.	पश्चिम बंगाल	314.75
	कुल	3634.46

थ्री-जी स्पेक्ट्रम के प्रयोग हेतु प्रचार

13. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने रेल मंत्रालय के साथ देश में थ्री - जी स्पेक्ट्रम के उपयोग के प्रचार हेतु कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी राशि व्यय की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण

14. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के कितने लाभार्थी हैं;

(ख) क्या सरकार स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को ऋण दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता-प्रदत्त स्वरोजगारियों की राज्यवार संख्या और संवितरित ऋण की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के तहत राज्यवार वित्तीय प्रगति

(संख्या में/लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10	
		संवितरित ऋण (लाख रु.)	सहायता प्रदत्त स्वरोजगारियों की कुल सं.	संवितरित ऋण (लाख रु.)	सहायता प्रदत्त स्वरोजगारियों की कुल सं.	संवितरित ऋण (लाख रु.)	सहायता प्रदत्त स्वरोजगारियों की कुल सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	27763.26	263615	29836.79	188837	28826.68	295568
2.	अरुणाचल प्रदेश	127.55	1599	93.01	774	155.32	1496
3.	असम	13207.21	100261	23609.78	142728	33639.87	164752
4.	बिहार	15084.45	100159	25592.21	127226	26472.16	157801
5.	छत्तीसगढ़	10028.49	44914	11278.10	46542	9682.75	50311
6.	गोवा	121.98	735	149.41	592	248.89	1489
7.	गुजरात	6326.54	45189	7338.78	41728	9682.95	46131
8.	हरियाणा	5399.06	19891	5908.58	20639	7383.09	14392
9.	हिमाचल प्रदेश	2166.05	7764	3601.08	11863	4281.73	12284
10.	जम्मू और कश्मीर	2435.36	6818	2296.00	6990	1396.30	5644
11.	झारखण्ड	8858.61	77168	10275.30	83103	13650.16	116670
12.	कर्नाटक	15447.10	95409	23319.88	99950	20693.91	96470
13.	केरल	6536.41	39683	8259.44	73784	10809.22	47426
14.	मध्य प्रदेश	26557.71	73091	27136.30	99200	30259.17	106481
15.	महाराष्ट्र	21599.63	119344	26368.24	154647	29862.06	159026
16.	मणिपुर	155.70	3144	209.50	3640	500.40	3362
17.	मेघालय	186.96	3419	146.52	2195	226.15	5211
18.	मिजोरम	87.93	5830	179.85	8748	149.85	8159
19.	नागालैंड	32.97	2259	88.74	3205	162.49	3884

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उड़ीसा	17738.54	87171	20992.06	126206	28887.23	131334
21.	पंजाब	3156.56	15402	2695.71	13109	4278.23	14504
22.	राजस्थान	13605.95	50351	13937.77	58495	20602.66	62094
23.	सिक्किम	203.35	1718	243.75	1689	248.42	1463
24.	तमिलनाडु	14510.03	152907	13534.36	113097	30996.18	107486
25.	त्रिपुरा	1473.83	13672	3518.25	23847	4387.56	30959
26.	उत्तर प्रदेश	55552.52	292105	81559.66	319568	94447.18	345408
27.	उत्तरांचल	3140.45	13482	4428.09	18044	5536.06	18590
28.	पश्चिम बंगाल	4310.56	60736	6192.86	99905	22579.81	63092
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	195	8.25	243	16.07	587
30.	दमन और दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0	4.20	24	0.00	
32.	लक्षद्वीप	41.47	177	0.00	0	0.00	0
33.	पुदुचेरी	174.57	1087	204.52	1257	367.10	3103
	कुल	276030.80	1699295	353006.96	1861875	444702.64	2085177

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक जोन

15. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में मंजूर की गई तथा प्रचालित विशेष आर्थिक जोनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में और ज्यादा विशेष आर्थिक जोनों को स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विलंब, यदि कोई है, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पूर्व उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित नोएडा एस.ई.जेड. और मुरादाबाद एस.ई.जेड. के अतिरिक्त कुल 34 एस.ई.जेडों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 17 एस.ई.जेड. अधिसूचित किए गए हैं। कुल 8 एस.ई.जेड. पहले से निर्यात कर रहे हैं। इन एस.ई.जेडों के संबंध में क्षेत्र, अवस्थिति आदि सहित और अधिक ब्यौरे वेबसाइट www.sezindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) एस.ई.जेड. नियमावली, 2006 के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों, जो राज्य सरकार द्वारा संस्तुत हों, पर एस.ई.जेड. अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ तत्काल कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों हेतु छात्रावास योजना

16. श्री एस. पक्कीरप्पा:

श्रीमती जे. शांता:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों हेतु छात्रावास योजना हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय अंश की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) कर्नाटक सरकार से चालू वित्त वर्ष के दौरान (जुलाई, 2010 तक) "बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना" और "अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छात्रावास स्कीम" की स्कीमों के तहत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बायो-डीजल कार्यक्रम

17. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शुरू किए गए बायो-डीजल कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने परियोजना पर कुछ शर्त लगाने की कोई सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके पश्चात् कितनी प्रगति हुई;

(घ) क्या सरकार ने खाद्य सुरक्षा तथा कृषि भूमि पर बायो-डीजल संयंत्रों के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) बायो-ईंधन पर एक राष्ट्रीय नीति, जिसमें आरंभ में बायो-ईथनॉल और बायो-डीजल शामिल किया गया था, की घोषणा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2009 में की गई थी। इस नीति का उद्देश्य खेती उत्पादन में त्वरित विकास और संवर्धन करना एवं परिवहन तथा स्थायी प्रयोगों में इस्तेमाल के लिए पेट्रोल और डीजल के स्थान पर अधिक से अधिक बायो-ईंधन का प्रयोग करना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मार्च, 2010 में 5 राज्यों (तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा राजस्थान) को जटरोफा के चयनित उन्नत आनुवंशिकी की उपयुक्तता तथा उत्पादकता के अध्ययन के लिए 20-20 है. की प्रदर्शन परियोजना स्वीकृत की है। राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नोवोड) ने अभी तक सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी संगठनों के जरिए सरकारी तथा संस्थागत जगीन पर क्रमश: 13132 है. तथा 2219 है. क्षेत्र पर बायो-ईंधन के स्रोतों के रूप में जटरोफा तथा कारंज का मॉडल पौधरोपण आरंभ किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी तक बायो-डीजल कार्यक्रम आरंभ नहीं किया है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय बायो-ईंधन नीति के अनुसार अवक्रमित या बंजरभूमि, जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, पर केवल अखाद्य फीड-स्टॉक का उत्पादन किया जाएगा, इस प्रकार ईंधन बनाम खाद्य सुरक्षा के संभावित विवाद से बचा जा सकेगा।

[अनुवाद]

बीड़ी श्रमिकों हेतु कल्याण योजना

18. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत देश के

बीड़ी श्रमिकों के कल्याण आयुक्त के पास प्राप्त, अनुमोदित, अस्वीकृत तथा लंबित प्रस्तावों/मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों/मामलों की तुलना में राज्य-वार, वर्ष-वार तथा योजना-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा जारी की गई;

(ग) इन प्रस्तावों/मामलों के लंबित रहने तथा अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित प्रस्तावों/मामलों को यथासंभव जल्द से जल्द निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) देश में बीड़ी श्रमिकों हेतु कल्याण आयुक्त के पास विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त, अनुमोदित, अस्वीकृत और लंबित प्रस्तावों/मामलों की पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष की क्षेत्र/राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। अस्वीकरण मुख्यत: निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन अपूर्ण होने के कारण हुए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि लंबित मामले शीघ्रातिशीघ्र निपट जाएं और ऐसे मामलों का नियमित रूप से अनुशीलन किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत बजट अनुमान और वास्तविक व्यय (निर्मुक्त निधि)

(हजार रुपए)

क्षेत्र	कवर किए गए राज्य	स्वास्थ्य		शिक्षा		मनोरंजन		आवास	
		बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय
मुख्यालय		0	0	0	0	0	0	1090000	1090000
अजमेर	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	21845	17595	26790	27977	645	536	-	-
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	32925	32747	36125	33610	0	0	-	-
बंगलौर	केरल और कर्नाटक	76908	66138	200000	219432	20	0	-	-
भुवनेश्वर	उड़ीसा	24510	23477	32649	35437	600	314	-	-
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु	70656	62167	250500	260158	60	0	-	-
जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	48751	44243	44050	48017	0	0	-	-
कर्मा	बिहार और झारखण्ड	36168	33119	16720	19217	245	188	-	-
कोलकाता	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र	79939	43348	113450	124143	250	199	-	-
नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	25252	24155	65025	65900	25	45	-	-
कुल		416954	346989	785309	833891	1845	1282	1090000	1090000

वर्ष 2008-09 के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत बजट अनुमान और वास्तविक व्यय (निर्मुक्त निधि)

(हजार रुपए)

क्षेत्र	कवर किए गए राज्य	स्वास्थ्य		शिक्षा		मनोरंजन		आवास	
		बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय
मुख्यालय		0	0	0	0	0	0	731500	707100
अजमेर	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	21080	24361	26300	27179	610	778	-	-
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	43155	31484	60150	17844	0	0	-	-
बंगलौर	केरल और कर्नाटक	79833	91571	355500	307608	20	0	-	-
भुवनेश्वर	उड़ीसा	30960	36424	26630	39431	600	504	-	-
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु	73555	86719	270500	300467	20	0	-	-
जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	56200	66247	68400	26604	0	0	-	-
कर्मा	बिहार और झारखण्ड	39654	44496	19250	17394	311	297	-	-
कोलकाता	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र	82985	77134	174230	223203	270	194	-	-
नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	26615	32099	65025	64055	55	52	-	-
कुल		454037	490535	1065985	1023785	1886	1825	731500	707100

वर्ष 2009-10 के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत बजट अनुमान और वास्तविक व्यय (निर्मुक्त निधि)

(हजार रुपए)

क्षेत्र	कवर किए गए राज्य	स्वास्थ्य		शिक्षा		मनोरंजन		आवास	
		बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्यालय		0	0	0	0	0	0	590784	593426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अजमेर	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	28214	31987	29450	25727	1073	999	-	8620
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	66555	50240	38150	20763	0	-	-	13740
बंगलौर	केरल और कर्नाटक	116816	122442	245500	326947	20	-	-	22200
भुवनेश्वर	उड़ीसा	44110	50658	43120	36455	350	503	-	84640
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु	108920	99315	238990	387522	20	-	-	84320
जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	66600	91245	42400	21398	50	40	-	151640
कर्मा	बिहार और झारखण्ड	56625	60738	24050	20069	335	344	-	39260
कोलकाता	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र	150092	73273	217945	403557	280	203	-	183380
नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	35761	39706	75525	69312	70	54	-	5626
कुल		673693	619604	955130	1311750	2198	2143	590784	593426

वर्ष 2010-11 के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत बजट अनुमान और वास्तविक व्यय (निर्मुक्त निधि)

(हजार रुपए)

क्षेत्र	कवर किए गए राज्य	स्वास्थ्य		शिक्षा		मनोरंजन		आवास	
		बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्यालय		-		-		-		720283	68775
अजमेर	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	30413	9009	28825	109	1013	244	-	-
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर	66974	12137	48150	9	-	-	-	
बंगलौर	केरल और कर्नाटक	118043	29405	261846	729	19	-	-	
भुवनेश्वर	उड़ीसा	40780	12219	43150	262	600	162	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु	112830	24375	340900	23921	-	-	-	
जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	99480	21916	56075	800	100	27	-	
कर्मा	बिहार और झारखण्ड	63185	16041	24100	4	455	2	-	
कोलकाता	पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र	154949	16128	246450	0	330	13	-	
नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	38940	13066	75550	149	70	16	-	
कुल		739194	155196	1352376	25983	2588	464	720283	68775

वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
योजना का नाम	प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कवर किए गए राज्य									
	राजस्थान, गुजरात	उत्तर प्रदेश	कर्नाटक, केरल	उड़ीसा	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	बिहार, झारखंड	पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य	महाराष्ट्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समूह बीमा योजना										
समूह बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए कामगार	40000	363139		152810	90000	20513	9566	375333		1051361
स्वास्थ्य										
औषधालयों/अस्पताल में उपचारित मरीज	398082	326480	617817	354756	1059981	305583	303288	419936	203063	3988986
तपेदिक रोगियों का घर पर ही उपचार	1		7	5		160	16	493	6	688
अंतिम संस्कार हेतु वित्तीय सहायता	229	187	38	34		350		363	141	1342
कैंसर का उपचार	5	2	65	1	2	36		21	12	144
चश्मों की खरीद	795	1387	79	2	7	2506		72	235	5083
कुष्ठ रोग का इलाज										0
प्रसूति प्रसुविधा	299	301	3275	351	371	361		4093	429	9480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
परिवार कल्याण आप्रेशन	10	1	15	2	7	15			63	113
हृदय रोगों का इलाज	1		53	2	11	106		4	1	178
गुर्दा रोगों का इलाज	1		23			7				31
छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज			13	3					9	25
विधवा/विधुर की पुत्री का वैवाहिक खर्च	34	165	7	4		119		20	63	412
स्त्री रोगों का इलाज		1				4		13		18
अपेन्डकटोमी का इलाज								5		5
शिक्षा										
छात्रवृत्ति हेतु अनुदान	24023	26168	180895	31610	138596	42440	9431	117683	57812	628658
पुस्तक/वर्दी की आपूर्ति	10840	4000	41873	21492		11279	92744	16066	18267	216561
मनोरंजन										
होली डे होम, आने वाले कामगार				1217				508		1725
आवास	175	504	1854	1552	6950	3704	1188	13515	9327	38322

वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
योजना का नाम	प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कवर किए गए राज्य									
	राजस्थान, गुजरात	उत्तर प्रदेश	कर्नाटक, केरल	उड़ीसा	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	बिहार, झारखंड	पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य	महाराष्ट्र,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समूह बीमा योजना										
समूह बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए कामगार	40000	374515		115540	90000		15655	429444	15000	1080154
स्वास्थ्य										
औषधालयों/अस्पताल में उपचारित मरीज	430183	225774	554474	36885	810054	541	141641	336039	478043	322716	3881814
तपेदिक रोगियों का घर पर ही उपचार	10	11		12	29	280	42	410	5	799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंतिम संस्कार हेतु वित्तीय सहायता	191	295	20	94	1	829	7	355	67	1859
कैंसर का उपचार	4	1	68	4	2	65		46	7	197
चश्मों की खरीद	648	1784	128	2	12	435	53	152	107	3321
कुष्ठ रोग का इलाज	1							1		2
प्रसूति प्रसुविधा	375	349	1197	432	238	499	45	2025	785	5945
परिवार कल्याण आप्रेशन	32		31	31	4	24		30	61	213
हृदय रोगों का इलाज	6		54	2	6	128		8	8	212
गुर्दा रोगों का इलाज	3	1	14			8			2	28
छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज		2	17	8				9	7	43
विधवा/विधुर की पुत्री का वैवाहिक खर्च	44	209	6	7	1	256		34	62	619
स्त्री रोगों का इलाज						5				5
शिक्षा										
छात्रवृत्ति हेतु अनुदान	22425	19091	243065	35792	153711	40115	12375	208286	49365	758255
पुस्तक/वर्दी की आपूर्ति	10882	4800	82374	16445		11177	12960	19207	20458	178303
मनोरंजन										
होली डे होम, आने वाले कामगार				3631				702		4333
आवास	945	537	635	1748	9397	1950	1769	5078	1339	23398

वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (अनंतिम)

	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
योजना का नाम	प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कवर किए गए राज्य									
	राजस्थान, गुजरात	उत्तर प्रदेश	कर्नाटक, केरल	उड़ीसा	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	बिहार, झारखंड	पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य	महाराष्ट्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समूह बीमा योजना										
समूह बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए कामगार	40000	338882		115540	90000		6931	429444	15000	1035797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
स्वास्थ्य										
औषधालयों/अस्पताल में उपचारित मरीज	362337	223673	575921	263890	897408	330544	254237	414246	253593	3675949
तपेदिक रोगियों का घर पर ही उपचार	-	113	422	12	13	144	14	509	5	697
अंतिम संस्कार हेतु वित्तीय सहायता	5	3	126	2	-	45	-	39	3	223
कैंसर का उपचार	-	-	-	-	-	1	-			1
चश्मों की खरीद	287	804	232	4	33	1152	121	140	374	3147
कुष्ठ रोग का इलाज	288	330	2983	492	380	273	39	1852	914	7551
प्रसूति प्रसुविधा	25	2	214	12	10	3		282	192	740
परिवार कल्याण आप्रेशन	9	2	102	2	1	47		4	5	172
हृदय रोगों का इलाज	3	2	26	-	-	3			1	35
गुर्दा रोगों का इलाज	171	257	9	148	2	600	42	427	189	1845
छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज	7	-	4	16	2	-		11	1	41
विधवा/विधुर की पुत्री का वैवाहिक खर्च	48	298	3	4	2	187	6	30	81	659
स्त्री रोगों का इलाज						1				1
शिक्षा										
छात्रवृत्ति हेतु अनुदान	20512	13689	218913	30191	416716	16565	14507	378077	512628	1621798
पुस्तक/वर्दी की आपूर्ति	7237	2600	74670	17297	-	6918	4000	12217	19148	144087
मनोरंजन										
होली डे होम, आने वाले कामगार				1491				569		2060
आवास	271	322	273	2530	4164	6448	1204	2383	-	17595

वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (जून, 2010 तक) (अनंतिम)

	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
योजना का नाम	प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कवर किए गए राज्य									
	राजस्थान, गुजरात	उत्तर प्रदेश	कर्नाटक, केरल	उड़ीसा	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	बिहार, झारखंड	पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य	महाराष्ट्र,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समूह बीमा योजना										
समूह बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए कामगार	40000	338882		115540	90000		6931	429444	15000	1035797
स्वास्थ्य										
औषधालयों/अस्पताल में उपचारित मरीज	88130	61931	133426	54664	175990	86814	46786	112054	51011	810806
तपेदिक रोगियों का घर पर ही उपचार					2	18	7	64	1	92
अंतिम संस्कार हेतु वित्तीय सहायता		3	8	2		5		5	3	26
कैंसर का उपचार										
चश्मों की खरीद	55	51		1		19	14	89	175	404
कुष्ठ रोग का इलाज	64	69	491	93	38	91	109	461	237	1653
प्रसूति प्रसुविधा	10		6	2		8		181		207
परिवार कल्याण आप्रेशन		1	2	1		9		1		14
हृदय रोगों का इलाज						-				
गुर्दा रोगों का इलाज	74	56	1	45	1	203	15	276	45	716
छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज				7				1		8
विधवा/विधुर की पुत्री का वैवाहिक खर्च	6	86		1	2	59			49	203
स्त्री रोगों का इलाज										
शिक्षा										
छात्रवृत्ति हेतु अनुदान				238	1257	707				2202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पुस्तक/वर्दी की आपूर्ति						358				358
मनोरंजन										
होली डे होम, आने वाले कामगार										
आवास										

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विवाहित आवास परियोजना

19. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विवाहित आवास परियोजना (एम.ए.पी.) के अंतर्गत मध्य प्रदेश में विभिन्न छावनियों में कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया;

(ख) परियोजना के कार्यान्वयन को देखते हुए इन छावनियों में अवसंरचना में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए;

(ग) क्या राज्य के कुछ छावनी क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विवाहित आवास परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में विभिन्न छावनियों में निर्माण की गई आवासीय इकाइयों की संख्या इस प्रकार है:

(क)	ग्वालियर वायु सेना	- 549 आवासीय इकाईयां
(ख)	भोपाल	- 1502 आवासीय इकाईयां
(ग)	झांसी	- 1988 आवासीय इकाईयां
	कुल	**- 4039 आवासीय इकाईयां**

(ख) विवाहित आवास परियोजना अवसंरचना से संबद्ध अनुषंगी कार्यों के लिए वार्षिक मुख्य निर्माण कार्य योजना में विशेष रूप से अधिकतम 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ) छावनी क्षेत्रों में ऐसे किसी अवैध वाणिज्यिक गतिविधि की रिपोर्ट नहीं मिली है जिससे विवाहित आवास परियोजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई हो।

[अनुवाद]

आई.टी. तथा आई.टी.ई.एस. विशेष आर्थिक जोन परियोजनाएं

20. श्री के.सी. वेणुगोपाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों से आई.टी. तथा आई.टी.ई.एस. परियोजनाओं में नए विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एस.ई.जेड. नियमावली, 2006 के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों, जो राज्य सरकार द्वारा संस्तुत हों, पर एस.ई.जेड. अनुमोदन बोर्ड (बी.ओ.ए.) के विचारार्थ तत्काल कार्यवाही की जाती है। आई.टी./आई.टी.ई.एस./इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर क्षेत्र के लिए कुल 349 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 221 एस.ई.जेड. अधिसूचित किए गए हैं। कुल 69 एस.ई.जेड. पहले से निर्यात कर रहे हैं।

हाल ही में केरल सरकार से आई.टी./आई.टी.ई.एस. एस.ई.जेडों की स्थापना हेतु प्राप्त निम्नलिखित प्रस्तावों को बी.ओ.ए. द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

क्र.सं.	विकासकर्ता	अवस्थिति
1.	केरल स्टेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	कोझिकोड जिला
2.	इन्फोपार्क लि.	एर्णाकुलम जिला

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत आबंटन

21. श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि कुछ राज्यों में इनके लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा में प्रत्येक ग्रामीण परिवारों के लिए मांग के आधार पर अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। इस अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि कुल खर्च की कम से कम 60 प्रतिशत राशि अकुशल मजदूरों को मजदूरी के भुगतान के लिए खर्च की जानी है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मजदूरी पर किया गया खर्च 2006-07 के दौरान 66 प्रतिशत, 2007-08 के दौरान 68 प्रतिशत, 2008-09 के दौरान 67 प्रतिशत और 2009-10 के दौरान 68 प्रतिशत था।

(ग) श्रमिकों के लिए मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों/डाकघरों में खोले गए मजदूरों के खातों के जरिए मजदूरी के भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है। वित्तीय सेवाओं और बैंकों/डाकघरों की पहुंच के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए ग्रामीण ए.टी.एम., हस्तचालित उपकरण, स्मार्ट कार्ड, बायोमीट्रिक तथा बिजनेस कॉरस्पौंडेंट मॉडल शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक आबादी को ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभ

22. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे एस.जी.एस.वाई. और आई.ओ.वाई. के अधीन 15 प्रतिशत लाभ गरीबी रेखा से नीचे रह रही अल्पसंख्यक आबादी को देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनजातीय क्षेत्र सहित हिमाचल प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी कुल आबादी का 1.94 प्रतिशत है;

(ग) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 20-08-2008 के प्रत्रांक द्वारा केन्द्र सरकार से यह सीमा 15 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय के दो कार्यक्रम यथा - 1. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) और (ii) इंदिरा आवास योजना को गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 15 प्रतिशत संसाधन निर्धारित करने के लिए निर्धारित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बी.पी.एल. अल्पसंख्यक समुदाय के अनुपात के आधार पर राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। देश के सभी राज्यों में एस.जी.एस.वाई. के लिए राज्य-वार और आई.ए.वाई. के लिए वित्तीय लक्ष्य को प्रधान मंत्री के 15वीं सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आबादी 4.53 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिनांक 14-1-2009 के अपने पत्र के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखा है कि 15 प्रतिशत संसाधन और

आई.ए.वाई. के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे अल्पसंख्यकों की संख्या और गरीबी के अनुसार जिलों के बीच लक्ष्य आबंटित करें। राज्य को यह भी सलाह दी गई कि यदि सभी पात्र बी.पी.एल. अल्पसंख्यक परिवारों को आई.ए.वाई. मकान मिल गए हों तो इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए ताकि राज्य के लक्ष्य को कुछ अन्य राज्य को अंतरित किया जा सके।

[अनुवाद]

कापार्ट के गैर-सरकारी सदस्यों की क्षेत्रीय समिति का गठन

23. श्री आधि शंकर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) के गैर-सरकारी सदस्यों की क्षेत्रीय समिति का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो विचारार्थ विषय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्षेत्रीय समिति का गठन कब तक किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी सदस्यों की क्षेत्रीय समिति के गठन का क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य-निष्पादन और कार्यकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत एक वर्ष के लिए अहमदाबाद और हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के लंबित प्रस्ताव क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) जी, नहीं। कपार्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसाइटी है। इसके नियमों के अनुसार कपार्ट की कार्यकारी समिति द्वारा कपार्ट की क्षेत्रीय समिति का गठन किया जाता है। क्षेत्रीय समिति के कार्यकाल सहित कार्यों/विचारार्थ मुद्दों का निर्धारण भी इसकी कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है।

(च) पिछले एक वर्ष के लिए अहमदाबाद तथा हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित प्रस्तावों की संख्या क्रमश: 60 तथा 94 है। प्रस्तावों के लंबित रहने की वजह मुख्यतय: यह है कि संगठन के कामकाज की समीक्षा करने तथा नई रूपरेखा तैयार करने के लिए कपार्ट की कार्यकारी समिति के निर्णय के फलस्वरूप पिछले एक वर्ष में क्षेत्रीय समितियों की बैठकें आयोजित नहीं की जा रही हैं।

[हिन्दी]

गांवों को समीपस्थ मुख्य सड़क से जोड़ना

24. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपर्क विहीन ग्रामीण गांवों को समीपस्थ मुख्य सड़क या शहर से जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक स्कीम के अंतर्गत नई सड़कों एवं आवश्यक संपर्क बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो राजस्थान सहित सभी राज्यों को इस योजना के अंतर्गत कब तक सम्मिलित किये जाने की संभावना हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत नई सड़कें बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई अलग मिसिंग लिंक योजना नहीं बनाई गई है।

तथापि, चूंकि राज्यों के लिए कोर नेटवर्क को अंतिम रूप देने से पहले चरण-I एवं II कार्य स्वीकृत किए गए थे इसलिए कुछ सड़कों के छूट जाने की संभावना हो सकती थी। साथ ही, चरण में सड़क का प्रस्ताव करते समय जमीन उपलब्ध न होने की वजह से कुछ सड़कें छूट गई होंगी। उन मामलों में राज्यों ने मिसिंग लिंक के अंतर्गत ऐसी सड़कों का प्रस्ताव किया है। जिन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वे हैं : आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम और उड़ीसा।

(ख) मिसिंग लिंक के अंतर्गत प्राप्त एवं स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	1297	161.61
2.	बिहार	1184	532.21
3.	कर्नाटक	152	26.19
4.	मध्य प्रदेश	1085	322.99
5.	मिजोरम	182	22.28
6.	उड़ीसा	255	73.37

(ग) राजस्थान सहित किसी राज्य से मिसिंग लिंक के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां

25. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें और अधिक शक्ति एवं निधियां देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस संबंध में पंचायत के प्रमुखों से कितने अनुरोध राज्य-वार प्राप्त हुये हैं;

(ग) क्या सरकार के पास संविधान के 73वें (संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243छ के अनुसार 29 विषयों को पंचायत को आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वित्त आयोगों ने पंचायतों को अत्यधिक निधियों का आवंटन करने की सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 243छ के अनुसार राज्य पंचायतों को ऐसी शक्तियां व प्राधिकार प्रदान करेंगे जो स्व-सरकार की संस्थाओं के तौर पर उन्हें कार्य करने एवं संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों समेत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं के नियोजन व कार्यान्वयन में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। पंचायतों को शक्तियों के अंतरण की मात्रा के मामले में राज्यों में भिन्नता है। चूंकि राज्य पंचायतों को शक्तियां अंतरित करने में सक्षम हैं। इसलिए ये मुद्दे राज्य द्वारा देखे व निर्णित किए जाते हैं।

(ङ) और (च) 13वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए बढ़ी हुई निधि की सिफारिश की है, जैसा कि संलग्न विवरण में उल्लिखित है।

(छ) और (ज) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार स्थानीय सरकार राज्य का विषय है। हालांकि, पंचायती राज के लिए एक भी राष्ट्रीय नीति नहीं है तथापि, पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई-दिसम्बर, 2004 के बीच आहूत राज्य के प्रभारी पंचायती राज मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलनों एवं राज्यों के साथ बैठकों, कार्यशालाओं आदि में किए गए विचार-विमर्श के जरिए नीति संबंधी मामलों पर विचार किया था। पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न योजनाएं यथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आर.जी.एस.वाई.), पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम (पी.ई.ए.आई.एस.) एवं पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पी.एम.ई.एस.वाई.एस.ए.) कार्यान्वित करता है। इन स्कीमों के ब्यौरे पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट http://panchayat.gov.in पर उपलब्ध हैं।

विवरण

ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 12वें वित्त आयोग और 13वें वित्त आयोग के राज्य-वार आबंटन

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	12वां वित्त आयोग अनुदान (2005-10)	13वां वित्त आयोग अनुदान (2010-2015)		
			आधारभूत अनुदान	कार्य निष्पादन अनुदान	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1587	3417.31	1809.27	5226.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	68	179.07	94.77	273.84
3.	असम	526	1031.56	546.11	1577.68
4.	बिहार	1624	3239.59	1715.23	4954.82
5.	छत्तीसगढ़	615	1092.42	578.42	1670.84
6.	गोवा	18	59.01	31.24	90.25
7.	गुजरात	931	1525.44	807.65	2333.09
8.	हरियाणा	388	710.66	376.23	1086.89
9.	हिमाचल प्रदेश	147	364.41	192.93	557.34
10.	जम्मू और कश्मीर	281	600.49	317.92	918.41
11.	झारखंड	482	991.66	524.95	1516.61
12.	कर्नाटक	888	2945.29	1559.25	4504.54
13.	केरल	985	1274.89	675.04	1949.92
14.	मध्य प्रदेश	1663	2689.89	1424.14	4114.03
15.	महाराष्ट्र	1983	3595.47	1903.51	5498.98
16.	मणिपुर	46	143.23	75.84	219.07
17.	मेघालय	50	204.67	108.42	313.09
18.	मिजोरम	20	131.80	69.79	201.59
19.	नागालैंड	40	199.53	105.64	305.18
20.	उड़ीसा	803	1694.18	896.98	2591.16

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	324	735.56	389.43	1124.98
22.	राजस्थान	1230	2575.24	1363.40	3938.64
23.	सिक्किम	13	120.61	63.90	184.51
24.	तमिलनाडु	870	2016.32	1067.48	3083.81
25.	त्रिपुरा	57	191.66	101.50	293.16
26.	उत्तर प्रदेश	2928	6399.61	3388.26	9787.87
27.	उत्तराखंड	162	386.34	204.51	590.85
28.	पश्चिम बंगाल	1271	2709.72	1434.58	4144.30
	कुल	20000	41225.62	21826.38	63052.00

नोट: (I) निष्पादन अनुदान घटक वर्ष 2011-12 से लागू होगा और इसके लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित कुछ शर्तें राज्यों द्वारा पूरी की जानी होंगी। (II) तेरहवें वित्त आयोग की राशियों का अनुमान पूर्वानुमानित विभाज्य पुल की प्रतिस्तता पर आधारित है और संबंधित वर्ष में वास्तविक विभाज्य पुल के आधार पर समायोजनीय होगा।

रक्षा उपकरणों का आयात

26. श्री पी. कुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक रक्षा उपकरणों का अन्य देशों से आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन देशों के साथ सौदे को अंतिम रूप दिया गया तथा किस प्रकार के उपकरण का आयात किया गया;

(ग) क्या आयात किए गए कुछ उपकरण दोषपूर्ण एवं अविश्वसनीय पाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) इन उपकरणों का देश में ही विनिर्माण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से रक्षा उवस्करों की अधिप्राप्ति करती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है जो प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, खतरे की अवधारणा तथा उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। जब संक्रियात्मक आधार पर क्षमता अंतरालों को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर मदों की अधिप्राप्ति की जानी आवश्यक हो जाती है और सामान्यत: जब ऐसे उपस्कर को एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त न किया जा सकता हो तब आयात विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है।

सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति हेतु कई संविदाएं की गई हैं। वर्तमान में जिन प्रमुख देशों से आयात किया जा रहा है उनमें रूस, संयुक्त राज्य अमरीका, यू.के., फ्रांस, जर्मनी तथा इजराइल शामिल हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए संविदाओं में आवश्यक प्रावधान शामिल किए गए हैं कि जब रक्षा उपस्करों की सुपुर्दगियां प्राप्त की जाएं तो वे दोषमुक्त अवस्था में हो।

संविदाओं में बाद में पाए जाने वाले दोषों/विफलताओं के प्रति रक्षोपाय शामिल हैं।

सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण के

संवर्धन हेतु विभिन्न नीतिगत प्रयास किए हैं। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में स्वदेशी अनुसंधान, डिजाइन, विकास तथा प्रणालियों के उत्पादन के लिए "बनाओ" श्रेणी की व्यवस्था की गई है। इसमें उच्च प्रौद्योगिकी जटिल प्रणालियां शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय उद्योग की साळोदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 01 नवंबर, 2009 से रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 में संशोधन करके 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' नामक एक नई श्रेणी शामिल की गई है।

चीन द्वारा आयात शुल्क में छूट

27. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में चीन द्वारा बांग्लादेश और नेपाल के निर्यातकों पर कोई शुल्क न लगाने से भारतीय निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो चीन के इस कदम के कारण प्रभावित निर्यातकों की सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा घरेलू निर्यातकों की सहायता हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वाणिज्य विभाग ने बांग्लादेश तथा नेपाल के निर्यातकों को चीन द्वारा हाल में दिए गए शून्य शुल्क व्यवहार के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. टॉवर की स्थापना

28. श्री के.डी. देशमुख: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश के नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के टॉवरों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में योजनागत जी.एस.एम. बी.टी.एस. का सार

क्र.सं.	एस.एस.ए.	जिला	योजनागत जी.एस.एम. बी.टी.एस. की संख्या		
			यू.एस.ओ.	गैर यू.एस.ओ.	जोड़
1.	बालाघाट	बालाघाट	0	29	29
2.	मंडला	डिंडोरी	2	9	11
3.	मंडला	मंडला	2	9	11
4.	सिवनी	सिवनी	0	25	25
	कुल जोड़		4	72	76

विवरण-II

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनागत जी.एस.एम. बी.टी.एस. स्थलों की सूची

क्र.सं.	एस.एसए.	जिला	अवस्थिति	अवस्थिति का प्रकार
1.	बालाघाट	बालाघाट	मंडला	गैर यूएसओ
2.	बालाघाट	बालाघाट	भंडारबोडी बीएलजी	गैर यूएसओ
3.	बालाघाट	बालाघाट	गर्रा	गैर यूएसओ
4.	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट लोकल-1/बस स्टेण्ड	गैर यूएसओ
5.	बालाघाट	बालाघाट	बेहर	गैर यूएसओ
6.	बालाघाट	बालाघाट	बहेरभाटा बीएलजी	गैर यूएसओ
7.	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट लोकल-3	गैर यूएसओ
8.	बालाघाट	बालाघाट	आग्री बीएलजी	गैर यूएसओ
9.	बालाघाट	बालाघाट	मेढकी बीएलजी	गैर यूएसओ
10.	बालाघाट	बालाघाट	लालपुर	गैर यूएसओ
11.	बालाघाट	बालाघाट	लाडसा बीएलजी	गैर यूएसओ
12.	बालाघाट	बालाघाट	कुम्हारी	गैर यूएसओ
13.	बालाघाट	बालाघाट	मोहगांवखुर्द बीएलजी	गैर यूएसओ
14.	बालाघाट	बालाघाट	मोहगांव धपेरा बीएलजी	गैर यूएसओ
15.	बालाघाट	बालाघाट	डोगरमाली बीएलजी	गैर यूएसओ
16.	बालाघाट	बालाघाट	मनेरी बीएलजी	गैर यूएसओ
17.	बालाघाट	बालाघाट	वारासेवनी 2	गैर यूएसओ
18.	बालाघाट	बालाघाट	जाराह मोहगांव	गैर यूएसओ
19.	बालाघाट	बालाघाट	भोरगढ़ बीएलजी	गैर यूएसओ
20.	बालाघाट	बालाघाट	बुडबुडा बीएलजी	गैर यूएसओ
21.	बालाघाट	बालाघाट	मक्की बीएलजी	गैर यूएसओ
22.	बालाघाट	बालाघाट	परस्तोला बीएलजी	गैर यूएसओ
23.	बालाघाट	बालाघाट	कोलवाडा बीएलजी	गैर यूएसओ
24.	बालाघाट	बालाघाट	करंजा बीएलजी	गैर यूएसओ

क्र.सं.	एस.एसए.	जिला	अवस्थिति	अवस्थिति का प्रकार
25.	बालाघाट	बालाघाट	मुर्री	गैर यूएसओ
26.	बालाघाट	बालाघाट	कनकी बीएलजी	गैर यूएसओ
27.	बालाघाट	बालाघाट	बामहनी बीएलजी	गैर यूएसओ
28.	बालाघाट	बालाघाट	निज्जी बीएलजी	गैर यूएसओ
29.	बालाघाट	बालाघाट	मालजखंड	गैर यूएसओ
30.	मंडला	डिंडोरी	शाहापुरा	गैर यूएसओ
31.	मंडला	डिंडोरी	मानिकपुर एमएलए (शाहपुरा)	गैर यूएसओ
32.	मंडला	डिंडोरी	बिझोली (मल) एमएलए	गैर यूएसओ
33.	मंडला	डिंडोरी	करंजिया	गैर यूएसओ
34.	मंडला	डिंडोरी	शाहपुर एमडीएल	गैर यूएसओ
35.	मंडला	डिंडोरी	बिछिया एमएलए	गैर यूएसओ
36.	मंडला	डिंडोरी	माणिकपुर एमएलए (डिंडोरी)	गैर यूएसओ
37.	मंडला	डिंडोरी	रूसारयत एमडीएल	गैर यूएसओ
38.	मंडला	डिंडोरी	बंकीमल	यूएसओ
39.	मंडला	डिंडोरी	भानपुर आरवाईटी	यूएसओ
40.	मंडला	डिंडोरी	डिंडोरी	गैर यूएसओ
41.	मंडला	मंडला	नारायणगंज	गैर यूएसओ
42.	मंडला	मंडला	ओराय एमएलए	गैर यूएसओ
43.	मंडला	मंडला	बामनीबंजर	गैर यूएसओ
44.	मंडला	मंडला	डियोडरा एमएलए	गैर यूएसओ
45.	मंडला	मंडला	भावल एमडीएल	गैर यूएसओ
46.	मंडला	मंडला	निवास	गैर यूएसओ
47.	मंडला	मंडला	मंडला-1 केलवर्डस	गैर यूएसओ
48.	मंडला	मंडला	मंडला-2	गैर यूएसओ
49.	मंडला	मंडला	माधोपुर	यूएसओ
50.	मंडला	मंडला	करंजियामल डीओटी	यूएसओ

क्र.सं.	एस.एसए.	जिला	अवस्थिति	अवस्थिति का प्रकार
51.	मंडला	मंडला	मनेरी (मेधी) डीओटी	यूएसओ
52.	सिवनी	सिवनी	खापबाजार एसईओ	गैर यूएसओ
53.	सिवनी	सिवनी	बोरीकलां एसएनआई	गैर यूएसओ
54.	सिवनी	सिवनी	रूखद	गैर यूएसओ
55.	सिवनी	सिवनी	परसिया	गैर यूएसओ
56.	सिवनी	सिवनी	सिवनी-2 एसपी बंगला	गैर यूएसओ
57.	सिवनी	सिवनी	सिवनी-3 बुधवारी	गैर यूएसओ
58.	सिवनी	सिवनी	भूमा एसएनआई	गैर यूएसओ
59.	सिवनी	सिवनी	छपरा	गैर यूएसओ
60.	सिवनी	सिवनी	बारघाट-2	गैर यूएसओ
61.	सिवनी	सिवनी	घनसोर-2	गैर यूएसओ
62.	सिवनी	सिवनी	भिलाई एसएनआई	गैर यूएसओ
63.	सिवनी	सिवनी	भीमगढ़ एसएनआई	गैर यूएसओ
64.	सिवनी	सिवनी	मालरा एसएनआई	गैर यूएसओ
65.	सिवनी	सिवनी	सिवनी-1 भैरवगंज	गैर यूएसओ
66.	सिवनी	सिवनी	धारणा एसएनआई	गैर यूएसओ
67.	सिवनी	सिवनी	आरी एसएनआई	गैर यूएसओ
68.	सिवनी	सिवनी	सिहोरा	गैर यूएसओ
69.	सिवनी	सिवनी	सरेखा एसएनआई	गैर यूएसओ
70.	सिवनी	सिवनी	डूडीवाड़ा	गैर यूएसओ
71.	सिवनी	सिवनी	बंडोल एसएनआई	गैर यूएसओ
72.	सिवनी	सिवनी	चक्कीखमरिया	गैर यूएसओ
73.	सिवनी	सिवनी	अहिरवाड़ा एसएनआई	गैर यूएसओ
74.	सिवनी	सिवनी	सनवारा	गैर यूएसओ
75.	सिवनी	सिवनी	साल्हेखुर्द	गैर यूएसओ
76.	सिवनी	सिवनी	नागनडियोरी एसईओ	गैर यूएसओ

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

29. श्री अर्जुन मुंडा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को 74 प्रतिशत तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए अन्य विकल्प खोजने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) मई, 2001 से रक्षा उद्योग क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित भारतीय निजी क्षेत्र को 100 प्रतिशत तक भागीदारी की अनुमति दी गई है। अब तक, विभिन्न रक्षा मदों के विनिर्माण के लिए बहुत सी निजी क्षेत्र की कंपनियों को 144 औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

पंचायत हेतु समयबद्ध चुनाव

30. श्री पी.के. बिजू: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में समयबद्ध पंचायत चुनाव कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) से (ग) संविधान यह अधिदेशित करता है कि जहां कहीं भी संविधान का भाग IX लागू होता है, पंचायत चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष पर राज्य निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के तहत कराए जाएं। संविधान राज्य विधायिका को चुनाव संबंधी कानून बनाने का भी अधिकार देता है। झारखंड, जहां मुकदमेबाजी के चलते चुनाव नहीं हुए हैं व जम्मू एवं कश्मीर जिसमें पंचायतों के संबंध में अपना ही विधान है, को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में पंचायत चुनाव नियमित रूप से कराए जाते हैं।

नौसेना की तैनाती

31. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षद्वीप समूह सहित विभिन्न स्थानों पर कुल कितने नौसेना कार्मिक तैनात हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार लक्षद्वीप समूह में किसी सैन्य डिटैचमेन्ट या बटालियन की तैनाती करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) द्वीपीय क्षेत्र सहित देश के विभिन्न स्थानों पर तट रक्षक सहित सशस्त्र सेनाओं की तैनाती सुरक्षा परिवेश और संक्रियात्मक आवश्यकताओं की पुनरीक्षा के आधार पर की जाती है और यह एक सतत् प्रक्रिया है। आगे और जानकारी देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में वांछनीय नहीं होगा।

अंतर्देशीय जल परिवहन

32. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया से पटना या वाराणसी होकर गंगा पर अंतर्देशीय जल परिवहन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) से (ग) गंगा नदी के इलाहाबाद-हल्दिया जलखंड (1620 कि.मी.) को वर्ष, 1986 में देश के पहले राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया था और पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ाने के मद्देनजर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना से संबंधित नौवहन और नौचालन विकसित करता है। इस प्रक्रिया में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इस जलमार्ग के विभिन्न जलखंडों में एक वर्ष में लगभग 330 दिन के लिए अपेक्षित नौचालन डुबाव मुहैया करवाता है। कुछ क्षेत्रों में स्थिर तथा प्लवमान टर्मिनलों को भी विकसित

कर दिया गया है और त्रिवेणी-वाराणसी जलखंड (1187 कि.मी.) में रात के समय नौचालन सुविधा सहित नौचालन सुविधाएं मुहैया करवा दी गई हैं, जबकि इस जलमार्ग की समूची लम्बाई में दिन के समय नौचालन सहायताओं का रख-रखाव किया जा रहा है।

समय-समय पर हल्दिया/कोलकाता तथा पटना, वाराणसी-इलाहाबाद इत्यादि और विलोमतः के बीच विभिन्न सामानों का परिवहन पहले से ही किया जाता है। इसके अलावा, भा.अं.ज.प्रा. के कुछ कार्गो जलयानों को एक प्रदर्शनी कार्गो यात्रा के रूप में स्टोन चिप्स इत्यादि जैसे कार्गो का नियमित रूप से परिवहन भी किया जाता है। सितम्बर, 2009 से मार्च, 2010 तक अंतर्देशीय जलयानों ने विदेशी पर्यटकों को लाने-ले-जाने के लिए कोलकाता और गाजीपुर के बीच नियमित यात्राएं की थी।

[हिन्दी]

खराब होने वाली वस्तुओं का आयात

33. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2009-10 के दौरान देश में खराब होने वाली वस्तुओं का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन आयातों का घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन देशों के नाम का ब्यौरा क्या है जिनके साथ इन खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि की गई है;

(च) क्या सरकार घरेलू उत्पादकों को ध्यान में रखकर चालू वर्ष के दौरान इन आयातों में कमी करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) वर्ष 2009-10 के दौरान शीघ्र खराब होने वाली प्रमुख वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) से (छ) सरकार देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों पर सतत आधार पर निगरानी रखती है और वित्तीय तथा समग्र आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यकता आधारित उपाय किए जाते हैं। आयातों के कारण उठने वाली किसी भी घरेलू चिंता का समाधान टैरिफ तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार, रक्षोपाय करार तथा डब्ल्यू.टी.ओ. के सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी करार के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही द्वारा किया जाता है। वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्रीय पूल स्टॉक के लिए सरकारी खाते से चावल तथा गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया है।

जिन देशों से खाद्यान्न के आयात में वृद्धि हुई है उनसे संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 की अवधि के लिए आई.टी.सी. (एच.एस.) के अध्याय 02, 03, 04, 07, 08, 10 और 11 के अंतर्गत शीघ्र खराब होने वाली मदों का आयात

अध्याय	विवरण	मूल्य (लाख रु. में)
02	मांस तथा खाद्य मांस के छिछड़े	535
03	मछली और क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य समुद्री अकशेरूकी	19688
04	दुग्ध उत्पाद; पक्षियों के अण्डे; प्राकृतिक शहद, पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट अथवा शामिल नहीं हैं	33233
07	खाद्य वनस्पतियां और चुनिंदा मूल एवं कन्द	1065330
08	खाद्य फल एवं गिरी; नींबूवंशीय फल अथवा खरबूजे के छिलके	592287
10	अनाज	30860
11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इन्यूलिन; गेहूं का लासा	12672

टिप्पणी: ये आंकड़े अनंतिम तथा परिवर्तन के अध्यधीन हैं।

(स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस. कोलकाता)

विवरण-II

वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए खाद्यान्न का देश-वार आयात

मूल्य (लाख रु.)

क्र.सं.	देश	2008-09	2009-10#
1	2	3	4
1.	ऑस्ट्रेलिया	3595	26034
2.	अर्जेण्टीना	2182	5908
3.	थाइलैंड	717	3610
4.	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	220	1225
5.	यू.एस.ए.	569	850
6.	यूक्रेन	*	687
7.	फ्रांस	323	558
8.	नेपाल	321	443
9.	रूस	5	417
10.	यू.के.	345	377
11.	श्रीलंका	277	331
12.	अविनिर्दिष्ट	4	99
13.	ऑस्ट्रिया	2	90
14.	सऊदी अरब	35	50
15.	जापान	35	41
16.	संयुक्त अरब अमीरात	17	38
17.	ताइवान	18	32
18.	न्यूजीलैंड	27	30
19.	कोरिया गणराज्य	0.05	12
20.	फिलिपींस	*	7
21.	आयरलैण्ड	*	6
22.	मिस्र अरब गणराज्य	*	6
23.	पाकिस्तान	*	5
24.	मेक्सिको	*	0.5
25.	फिनलैण्ड	*	0.35
26.	दक्षिण अफ्रीका	*	0.14
27.	जाम्बिया	*	0.02

* वर्ष 2008-09 के दौरान किसी आयात की सूचना नहीं मिली है।

वर्ष 2009-10 के लिए आंकड़े अनंतिम तथा परिवर्तन के अध्यधीन हैं।

(स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस. कोलकाता)

[अनुवाद]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मूल्यांकन

34. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक देश में राज्य-वार कुल कितने श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.जी.एम.) के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने के लिए परिवार मुख्य इकाई है। विगत चार वर्षों के दौरान

अधिनियम के अंतर्गत रोजगार मुहैया कराए गए परिवारों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) मंत्रालय निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों में सभी राज्यों में मनरेगा के कार्य निष्पादन की तिमाही आधार पर नियमित निगरानी तथा समीक्षा करता है। समय-समय पर राज्य विशिष्ट समीक्षा भी की जाती हैं। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य तथा राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता और प्रतिष्ठित नागरिक भी मनरेगा के कार्यनिष्पादन की जांच करने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के प्रभाव का मूल्यांकन एवं जांच करने के लिए आई.आई.टी., आई.आई.एम., सामाजिक सेवा संस्थाओं और कृषि विश्व विद्यालयों सहित पेशेवर संस्थाओं द्वारा भी अनेक अध्ययन किए गए हैं।

(घ) और (ङ) महात्मा गांधी नरेगा की धारा 20 (1) के अनुसार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि नामक एक निधि की नामक एक निधि की स्थापना की है। सरकार ने राष्ट्रीय निधि को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि नियम, 2006 बनाए तथा अधिसूचित किए है।

विवरण

मनरेगा : वास्तविक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य का नाम	रोजगार मुहैया कराए गए परिवारों की संख्या (लाख में)			
		वित्त वर्ष 2006-07	वित्त वर्ष 2007-08	वित्त वर्ष 2008-08	वित्त वर्ष 2009-10 (जनवरी, 10 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	21.61	48.04	57.00	61.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.17	0.04	0.81	0.68
3.	असम	7.92	14.03	18.77	21.37
4.	बिहार	16.89	38.60	38.22	41.27
5.	छत्तीसगढ़	12.57	22.85	22.70	20.26
6.	गुजरात	2.26	2.91	8.51	16.12
7.	हरियाणा	0.51	0.71	1.63	1.56
8.	हिमाचल प्रदेश	0.64	2.71	4.46	4.97
9.	जम्मू और कश्मीर	1.21	1.17	1.99	3.37
10.	झारखंड	13.94	16.80	15.76	17.03
11.	कर्नाटक	5.45	5.50	8.96	35.35
12.	केरल	0.99	1.85	6.92	9.31
13.	मध्य प्रदेश	28.66	43.47	52.08	47.22
14.	महाराष्ट्र	3.53	4.75	9.06	5.92

1	2	3	4	5	6
15.	मणिपुर	0.19	1.13	3.81	4.19
16.	मेघालय	0.97	1.06	2.24	3.00
17.	मिजोरम	0.51	0.89	1.73	1.80
18.	नागालैंड	0.28	1.15	2.97	3.20
19.	उड़ीसा	13.94	10.97	11.99	13.94
20.	पंजाब	0.32	0.50	1.47	2.70
21.	राजस्थान	11.75	21.70	63.73	64.68
22.	सिक्किम	0.04	0.20	0.52	0.54
23.	तमिलनाडु	6.83	12.35	33.46	43.73
24.	त्रिपुरा	0.74	4.24	5.49	5.76
25.	उत्तर प्रदेश	25.73	40.96	43.36	54.80
26.	उत्तरांचल	1.34	1.89	2.99	5.22
27.	पश्चिम बंगाल	30.84	38.43	30.26	34.80
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			0.06	0.20
29.	दादरा व नगर हवेली			0.02	0.04
30.	दमन व दीव			0.00	0.00
31.	गोवा			0.00	0.07
32.	लक्षद्वीप			0.03	0.05
33.	पांडिचेरी			0.12	0.40
34.	चंडीगढ़			0.00	0.00
	कुल	209.84	338.89	451.13	525.17

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं को मजदूरी

35. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री पी. लिंगम:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के लिए बेहतर मजूदरी सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाया गया है या उठाये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत समान मजदूरी प्रारंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पुरुष एवं महिला श्रमिकों को एक समान मजदूरी दी जाती है। अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 34 में यह प्रावधान किया गया है कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक रोजगार के मामले में केवल लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। दिनांक 14-2-2008 की अधिसूचना के जरिए अधिनियम की अनुसूची I के पैरा 8 में एक नया पैरा समाविष्ट करते हुए संशोधन किया गया है जो कि निम्नानुसार है:

> "8-क. समूह में कार्य करने वाले महिला एवं पुरुष श्रमिकों द्वारा किया गया औसत कार्य कार्य आधारित दरों की अनुसूची निर्धारित करने का आधार होगा ताकि दरों की अनुसूची में लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव न हो।"

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना

36. **श्री हरीश चौधरी:**
श्री घनश्याम अनुरागी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार को देश की सरकारी एवं निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में लगे कामगारों की विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित/संशोधित न्यूनतम मजदूरी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों के प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। इस अधिनियम का प्रवर्तन दो स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन को केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.) के रूप में पदनामित मुख्य श्रमायुक्त (के.) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, जबकि राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन मशीनरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। ये निरीक्षण अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं तथा मजदूरी का भुगतान न करने अथवा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के किसी मामले का पता लगने पर नियोक्ताओं को कम भुगतान की गई मजदूरी का भुगतान करने का परामर्श देते हैं। अनुपालन न करने के मामले में चूककर्ता नियोक्ताओं के खिलाफ शास्ति उपबंध लगाये जाते हैं।

उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर राज्य क्षेत्र में विगत तीन वर्षों अर्थात् 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन संबंधी जानकारी संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई है।

विवरण-I

2006-07 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन संबंधित ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किए गए निरीक्षण	अनियमितताएं		दावे		अभियोजन मामले			दी गई प्रतिपूर्ति राशि (000 रुपये में)	जुर्माने की राशि (000 रुपये में)	
			पाई गई	दूर की गई	दर्ज किए गए	निपटाए गए	लंबित	दर्ज	निर्णित		लगाया गया	वसूला गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	88957	12389	10458	19952	14847	661	389	394	5683	67	51
2.	अरुणाचल प्रदेश	187	10	6	1	शून्य	4	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	9632	6067	5020	59	21	24	58	19	908	18	14
4.	बिहार	278336	54700	51253	20763	19177	1152	122	35	11738	696	-
5.	छत्तीसगढ़*	5214	2678	782	367	337	9394	1222	919	1335	234	300
6.	गोवा	582	2319	513	5	-	13	20	10	-	6	-
7.	गुजरात	99966	19592	19444	1	69	2210	208	380	-	132	-
8.	हरियाणा	2320	389	45	218	277	990	93	155	2090	70	-
9.	हिमाचल प्रदेश	1331	469	358	शून्य	26	142	55	शून्य	शून्य	34	शून्य
10.	झारखण्ड	69460	9882	9212	1514	1337	1274	25	7	4474	11	10
11.	कर्नाटक	35171	12474	9371	2126	1335	621	526	389	14522	337	-
12.	केरल	28744	48962	22085	117	42	523	808	794	544	532	532
13.	मध्य प्रदेश	29483	2845	1458	643	414	8711	1387	485	162	314	314
14.	महाराष्ट्र	64714	54739	45748	3	-	1402	156	90	1677	59	-
15.	मणिपुर	319	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मेघालय	425	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	नागालैंड	20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	उड़ीसा	26787	23910	12414	269	27	9144	770	551	शून्य	105	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	पंजाब	14851	2833	2469	181	278	2563	589	326	130	181	-
21.	राजस्थान	8393	195	42	229	216	864	123	217	5798	68	68
22.	तमिलनाडु	94483	1154	91	1996	1298	4627	713	638	18479	221	221
23.	त्रिपुरा	6803	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तराखण्ड	3238	1337	663	335	255	105	508	351	2888	168	157
25.	उत्तर प्रदेश	16990	12836	5208	3639	2933	8906	1066	883	96861	188	-
26.	पश्चिम बंगाल	25467	7004	6753	-	-	708	73	68	-	33	33
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	243	972	972	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	चंडीगढ़	277	196	-	123	86	94	84	132	97	111	-
29.	दमन और दीव	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	दिल्ली	8575	7002	6333	451	513	11382	1060	612	1373	459	252
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट: जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, दादरा एवं नगर हवेली एवं पुडुचेरी से सूचना अभी आनी है।

*कलैण्डर वर्ष 2006 से संबंधित है।

विवरण-II

2007-08 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन संबंधित ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किए गए निरीक्षण	अनियमितताएं		दावे		अभियोजन मामले			दी गई प्रतिपूर्ति राशि (000 रुपये में)	जुर्माने की राशि (000 रुपये में)	
			पाई गई	दूर की गई	दर्ज किए गए	निपटाए गए	लंबित	दर्ज	निर्णित		लगाया गया	वसूला गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	77683	17829	12505	27071	23051	1057	328	458	152	86	83
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	37905	16464	4936	476	247	307	148	66	570	शून्य	शून्य
4.	बिहार	217682	44534	41225	18134	14596	1160	85	25	14282	541	-
5.	छत्तीसगढ़*	5380	2159	605	146	95	9579	1245	866	1280	0.1	753
6.	दिल्ली	8992	6279	6086	481	452	1432	993	210	2106	334	211
7.	गोवा*	1195	7172	6159	6	6	1	6	5	-	28	-
8.	गुजरात	140381	119143	81790	-	81	49763	6146	4015	5586	3268	172
9.	हरियाणा	2433	531	531	238	262	1092	189	76	4160	44	-
10.	हिमाचल प्रदेश	2595	2595	2217	2	1	31	378	347	2	284	-
11.	जम्मू एवं कश्मीर	2041	330	227	3	-	447	105	135	-	0.3	0.3
12.	झारखण्ड	80839	9237	8971	1364	1623	898	17	44	7802	6	0
13.	कर्नाटक	27482	9638	8291	1085	659	685	1368	578	13198	783	738
14.	केरल	29160	60850	19634	179	90	537	807	847	992	866	866
15.	मध्य प्रदेश	22831	1629	158	627	993	5337	1471	719	278	156	156
16.	महाराष्ट्र	87459	79921	68386	-	-	6079	317	1162	-	495	-
17.	मणिपुर	595	30	18	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	मेघालय	384	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	नागालैंड	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	उड़ीसा	23962	18903	11538	197	-	9674	675	145	शून्य	39	-
22.	पंजाब	15301	1295	1188	88	120	306	317	202	479	86	-
23.	राजस्थान	9527	307	112	385	282	770	197	137	5275	52	-
24.	सिक्किम	7003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	105906	746	98	644	1134	7969	616	295	39349	176	122
26.	त्रिपुरा	5989	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	उत्तराखण्ड	3804	1136	374	251	295	107	233	243	5904	90	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	उत्तर प्रदेश	37022	19227	842	4996	4716	7494	1225	909	2690000	247	-
29.	पश्चिम बंगाल	16188	3838	3715	-	-	713	61	51	-	22	-
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	272	1088	1088	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	चंडीगढ़	222	145	-	47	164	201	55	73	13	53	-
32.	दादरा और नगर हवेली	28	7	7	1	1	-	2	-	14	-	-
33.	दमन और दीव*	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पुडुचेरी	9225	185	185	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	0.7	0.7

*कलैण्डर वर्ष 2007 से संबंधित है।

विवरण-III

2008-09 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन संबंधित ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किए गए निरीक्षण	अनियमितताएं		दावे		अभियोजन मामले			दी गई प्रतिपूर्ति राशि (000 रुपये में)	जुर्माने की राशि (000 रुपये में)	
			पाई गई	दूर की गई	दर्ज किए गए	निपटाए गए	लंबित	दर्ज	निर्णित		लगाया गया	वसूला गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	असम	15485	7207	5699	92	66	24	44	33	128	शून्य	शून्य
2.	छत्तीसगढ़*	5438	2127	770	93	125	10107	1361	337	-	8964	-
3.	गोवा*	2012	5866	328	6	10	56	11	25	-	21	2
4.	गुजरात	99263	17941	17825	26	2	1743	274	278	-	118	118
5.	हरियाणा	2305	793	793	329	286	1123	282	188	17780	1366	-
6.	हिमाचल प्रदेश	2310	1363	867	21	101	257	210	शून्य	शून्य	135	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	कर्नाटक	13555	10027	8523	1313	968	926	1116	415	10829	1372	-
8.	केरल	32146	67780	23139	137	117	497	1191	998	5045	1068	1068
9.	महाराष्ट्र	57994	62106	43868	16	-	4725	375	303	8514	267	3
10.	मणिपुर	985	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	नागालैंड	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	तमिलनाडु	79798	520	324	683	625	4323	661	286	20663	223	176
14.	त्रिपुरा	1746	37	37	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	उत्तराखण्ड	3653	1158	585	112	93	167	401	281	2038	57	57
16.	उत्तर प्रदेश	53581	26805	1324	5563	5143	7809	2147	4579	1398000	509	-
17.	पश्चिम बंगाल	13749	5237	3941	-	-	716	253	40	-	28	-
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह*	168	672	672	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	चंडीगढ़	248	145	7	9	31	724	-	25	-	-	-
20.	दादरा और नगर हवेली	30	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	पुडुचेरी	10894	220	195	शून्य	शून्य	2	2	2	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप से सूचना अभी आनी है।

*कलैण्डर वर्ष 2008 से संबंधित है।

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ द्वारा पेटेन्ट प्रोटेक्शन में वृद्धि करना

37. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपियन यूनियन (ई.यू.) एजेन्सी फॉर फन्डामेन्टल राइट्स अगले पांच वर्षों तक पेटेन्ट प्रोटेक्शन में वृद्धि करने हेतु दवाओं के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा देश में कौन-कौन सी जेनेरिक दवाएं बनती है;

(ग) क्या ये सभी उपाय पेटेन्ट का दायरा बढ़ाने तथा टी.आर.आई.पी.एस. के अंतर्गत स्वीकृत सामान्य समयावधि पहले ही बीत जाने के बावजूद एकाधिकार बनाये रखने के प्रयत्न के रूप में है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रयासों को निष्फल करने हेतु इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) यूरोपियन यूनियन एजेन्सी फॉर फन्डामेंटल राइट्स से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कामगारों हेतु रोजगार के अवसर

38. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

श्रीमती रमा देवी:

श्री एल. राजगोपाल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत पांच वर्षों में 570 मिलियन व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में पांच वर्षों के बाद संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या का अलग-अलग कोई आंकलन किया है; और

(घ) इस संबंध में संगठित और असंगठित क्षेत्र में अधिकतम संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले दस शीर्षस्थ औद्योगिक क्षेत्रों के नाम क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय वाद-विवाद सृजन के लिए 1 जुलाई, 2010 को 'रोजगार पर लोगों के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट' प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में 2009-10 से 2014-15 तक पांच वर्षों के दौरान उभरते परिदृश्य को समझाने के लिए कुछ मुख्य श्रम रोजगार बाजार संकेत प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अनुमान संकेत करते हैं कि लगभग 9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि के साथ रोजगार में 2.5 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने योग्य है बशर्ते 1993-94 तथा 2004-05 के बीच अनुभव किया गया 0.29 का औसत रोजगार लचीलापन जारी रहे। 2009-10 के लिए अनुमानित 506 मिलियन की तुलना में 2014-15 में रोजगार 572 मिलियन होने का आकलन किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उत्पादन में उच्च वृद्धि, नये प्रतिष्ठानों के सृजन तथा नये रोजगार अवसरों (प्रत्यक्ष के साथ-साथ अप्रत्यक्ष) के सृजन की संभावना वाले औद्योगिक क्षेत्र हैं : आटोमोटिव, खाद्य उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, मूल धातु, गैर-धातु खनिज उत्पाद, प्लास्टिक और प्लास्टिक संसाधन उद्योग, चमड़ा, रबड़ तथा रबड़ उत्पाद, लकड़ी तथा बांस उत्पाद, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, हथकरघा व खादी तथा ग्रामीण उद्योग।

रक्षा कार्मिकों का कल्याण

39. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा कार्मिकों और पेंशन-भोगियों के कल्याण की जांच करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों से लाभान्वित कार्मिकों की संख्या क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (ग) "समान रैंक समान पेंशन एवं अन्य संबंधित मसलों" के मुद्दे पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। मुद्दों के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात तथा मांग की भावना को देखते हुए सशस्त्र बलों के पेंशनधारियों के पेंशन संबंधी लाभों में ठोस सुधार करने के लिए अनेक सिफारिशें की गई हैं जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इनका विवरण निम्नानुसार है:

(i) 1-1-2006 से अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए वर्गीकरण भत्ता शामिल करना

(ii) 1-1-2006 से, पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्ष की सम्बद्धता को हटाना।

(iii) लेफ्टिनेंट जनरल के लिए एक अलग वेतनमान निर्धारित करने के बाद उनकी पेंशन में संशोधन करना।

(iv) 10-10-1997 के पहले और बाद के अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के पेंशनधारियों की पेंशन में समानता लाना।

(v) मंत्रिसमूह 2006 के अवार्ड के आधार पर अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की पेंशन में और संशोधन करना।

(vi) 1-1-2006 से पहले के निशक्तता/युद्ध घायल पेंशनधारियों के लिए निशक्तता/युद्ध घायल पेंशन की प्रतिशतता को व्यापक बनाना।

(vii) श्रेणी 'ङ' के निशक्तता पेंशनधारियों के मामले में पेंशन के युद्ध घायल तत्व पर रोक को हटाना।

उपर्युक्त को कार्यान्वित करने के संबंध में सरकार के आदेश 30-10-09, 19-01-10, 20-01-10 और 08-03-10 को जारी किए जा चुके हैं।

(घ) इन सिफारिशों से लगभग 12 लाख पेंशनधारियों को लाभ हो रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पुनर्वास नीति

40. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत, सिंचाई, खनन, स्टील परियोजनाओं सहित विकास परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन से स्थानीय लोग विस्थापित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दस वर्षों के दौरान इन विकास परियोजनाओं के कारण कितने लोग विस्थापित हुए;

(ग) क्या सरकार ने परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों (पी.ए.पी.) के लाभ के लिए कोई राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) जी, हां। कतिपय मामलों में विद्युत, सिंचाई, खनन और स्टील परियोजनाओं सहित विकास परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन से स्थानीय लोग विस्थापित होते हैं।

(ख) यह विभाग विकासात्मक परियोजनाओं के कारण विगत दस वर्षों के दौरान विस्थापित हुए व्यक्तियों का रिकार्ड नहीं रख रहा है क्योंकि भूमि अर्जन मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग ने विस्थापन को कम से कम करने और जहां तक संभव हो, विस्थापन न करने अथवा न्यूनतम विस्थापन करने संबंधी विकल्पों को बढ़ावा देने, पर्याप्त पुनर्वास पैकेज तथा विस्थापित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रक्रिया के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2007 (एन.आर.आर.पी.-2007) तैयार की है, जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 को प्रकाशित किया गया था।

(घ) एन.आर.आर.पी.-2007 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- इस नीति में अनैच्छिक विस्थापन के सभी मामले शामिल किए गए हैं;
- मैदानी/जनजातीय, पहाड़ी, अनुसूचित क्षेत्रों आदि में 400/200 या इससे अधिक परिवारों के विस्थापन के मामलों में होता है, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) शुरू किया गया है;
- 200 से अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों के विस्थापन के मामले में जनजातीय विकास योजना तैयार करना;
- ग्राम सभाओं के साथ परामर्श करने अथवा जन-सुनवाइयों को अनिवार्य बनाया जाना;
- विस्थापन से पूर्व पुनर्वास का सिद्धांत;
- यदि संभव हो, तो मुआवजे के रूप में भूमि के बदले भूमि;
- दक्षता विकास सहायता तथा परियोजना कार्यों में रोजगार में प्राथमिकता (प्रति एकल परिवार एक व्यक्ति);
- भूमि/रोजगार के बदले में पुनर्वास अनुदान;
- परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहीं कम्पनियों में प्रभावित परिवारों के लिए शेयरों का विकल्प;

- भूमिहीनों सहित सभी प्रभावित परिवारों को आवास का लाभ;
- विकलांग, निःसहाय, अनाथ, विधवा, अविवाहित लड़कियों आदि जैसे कमजोर व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन;
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संयोजित मौद्रिक लाभ; आवधिक अंतरालों पर इनमें उपयुक्त रूप से संशोधन भी करना;
- पुनर्स्थापना क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तथा सुख-साधन उपलब्ध कराना;
- परियोजना प्राधिकारियों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के क्षेत्रों का विकास;
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक की अध्यक्षता में प्रत्येक परियोजना के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति;
- शिकायत निवारण हेतु ऑमबड्समैन;
- बाहरी पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग।

[हिन्दी]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कें

41. श्री जगदानंद सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन सड़कों को, जो आगे विकास के लिए ठीक नहीं पाई गई हैं, को घटिया घोषित करने का प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों को 'यू' ग्रेड के अंतर्गत घोषित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त 'यू' ग्रेड सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां।

(ख) सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता तंत्र बनाया गया है। प्रथम स्तर अंतर्निहित गुणवत्ता नियंत्रण है तथा द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर स्वतंत्र निगरानी है। ये दो स्तरें राज्यों की जिम्मेवारी हैं। तृतीय स्तर की व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र के रूप में की गई है। इस स्तर के तहत स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं को यादृच्छिक आधार पर चुनी गई सड़कों का निरीक्षण करने के लिए लगाया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) 01 अप्रैल, 2009 के बाद राष्ट्र स्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा किए गए निरीक्षणों में यदि कार्य के पूरा हो जाने पर उसे राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता द्वारा 'संतोषजनक' श्रेणी दी जाती है तथा यदि कार्य में पाई गई खामियां सुधार के योग्य नहीं पाई जाती हैं तो उन कार्य को सुधार के अयोग्य कार्य माना जाता है। यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कार्यों में सुधार के अयोग्य खामियां हैं तो संबंधित राज्यों को भविष्य में कार्यक्रम के लिए रिलीज की जाने वाली निधियों की तुलना में कार्यों पर किए गए अलग-से रखी जाएंगी। अप्रैल से सितंबर, 2009 के दौरान राष्ट्र स्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर अब तक 15 राज्यों के 16 कार्यों को सुधार के अयोग्य खामियां वाले कार्यों के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे कर लिए गए 9 प्रतिशत कार्यों तथा चल रहे 15 प्रतिशत कार्यों को वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता द्वारा किए गए निरीक्षणों में 'संतोषजनक' पाया गया है। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(छ) यदि किसी कार्य की गुणवतता 'असंतोषजनक' श्रेणी की पाई जाती है, तो कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि ठेकेदार निर्धारित समयावधि के अंदर सामग्री को बदले अथवा कार्यकुशलता में सुधार (जैसा भी

मामला हो) लाए तथा ऐसे मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजे। की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निगरानी की जाती है तथा राज्यों से यह अपेक्षित है कि वे इन मामलों में उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

विवरण

वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान राज्यवार श्रेणीकरण का सार

क्र.सं.	राज्य	कुल निरीक्षण	श्रेणीकरण							
			पूरे कर लिए गए कार्य				चल रहे कार्य			
			कुल	एस	यू	यू %	कुल	एस	यू	यू %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	696	203	198	5	2%	493	418	75	15%
2.	अरुणाचल प्रदेश	157	31	27	4	13%	126	107	19	15%
3.	असम	731	52	48	4	8%	679	580	99	15%
4.	बिहार	219	5	3	2	40%	214	111	103	48%
5.	बिहार (एनईए)	312	46	43	3	7%	266	230	36	14%
6.	छत्तीसगढ़	674	146	103	43	29%	528	383	145	27%
7.	गुजरात	370	143	130	13	9%	227	182	45	20%
8.	गोवा	0	0	0	0		0	0	0	
9.	हरियाणा	251	69	68	1	1%	182	176	6	3%
10.	हिमाचल प्रदेश	375	96	93	3	3%	279	259	20	7%
11.	जम्मू और कश्मीर	248	23	23	0	0%	225	202	23	10%
12.	झारखंड	318	45	44	1	2%	273	224	49	18%
13.	कर्नाटक	617	67	59	8	12%	550	483	67	12%
14.	केरल	311	49	43	6	12%	262	180	82	31%
15.	मध्य प्रदेश	1344	149	139	10	7%	1195	1090	105	9%
16.	महाराष्ट्र	1303	98	73	25	26%	1205	1037	168	14%
17.	मणिपुर	102	8	6	2	25%	94	65	29	31%
18.	मेघालय	65	9	7	2	22%	56	45	11	20%
19.	मिजोरम	83	10	10	0	0%	73	56	17	23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	नागालैंड	73	4	2	2	50%	69	49	20	29%
21.	उड़ीसा	1119	139	136	3	2%	980	821	159	16%
22.	पंजाब	488	101	97	4	4%	387	378	9	2%
23.	राजस्थान	887	290	270	20	7%	597	538	59	10%
24.	सिक्किम	129	6	6	0	0%	123	101	22	18%
25.	तमिलनाडु	584	150	125	25	17%	434	296	138	32%
26.	त्रिपुरा	114	12	12	0	0%	102	88	14	14%%
27.	उत्तर प्रदेश	1520	375	359	16	4%	1145	1010	135	12%
28.	उत्तराखंड	187	15	14	1	7%	172	135	37	22%
29.	पश्चिम बंगाल	608	71	64	7	10%	537	499	38	7%
	कुल	13885	2412	2202	210	9%	11473	9743	1730	15%

निरीक्षण किए गए कुल कार्य - 13885

संतोषजनक पाए गए कुल कार्य - 11945

किराए के भवनों में डाकघर

42. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी भवनों की संख्या और किराए के भवनों में चल रहे डाकघरों की संख्या राज्यवार क्या है;

(ख) क्या किराए के भवनों में चल रहे डाक-घरों द्वारा सरकारी भवनों के लिए कोई निवेदन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) देश में सरकारी भवनों और किराए के भवनों से चलाए जा रहे डाकघरों की संख्या के संबंध में राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) किराए के भवनों से चलाए जा रहे डाकघरों द्वारा सरकारी परिसरों के लिए किए गए अनुरोधों का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है।

विवरण

देश में सरकारी भवनों और किराए के भवनों से चलाए जा रहे डाकघरों की संख्या के संबंध में राज्यवार जानकारी (31-03-2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	सरकारी भवनों से चलाए जा रहे डाकघरों की संख्या	किराए के भवनों में चलाए जा रहे डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	305	2015
2.	असम	159	465
3.	बिहार	180	823

1	2	3	4
4.	छत्तीसगढ़	40	296
5.	दिल्ली	126	215
6.	गुजरात	249	1094
7.	हरियाणा	75	356
8.	हिमाचल प्रदेश	75	394
9.	जम्मू और कश्मीर	56	196
10.	झारखण्ड	54	329
11.	कर्नाटक	365	1416
12.	केरल	246	1214
13.	मध्य प्रदेश	197	762
14.	महाराष्ट्र	336	1733
15.	गोवा	16	93
16.	अरुणाचल प्रदेश	20	10
17.	त्रिपुरा	21	53
18.	मेघालय	19	35
19.	मणिपुर	07	42
20.	नागालैंड	10	25
21.	मिजोरम	12	28
22.	उड़ीसा	142	956
23.	पंजाब	119	547
24.	राजस्थान	294	962
25.	तमिलनाडु	269	2319
26.	उत्तराखण्ड	50	296
27.	उत्तर प्रदेश	354	2531
28.	पश्चिम बंगाल	160	1162
29.	सिक्किम	60	203
	सकल योग	4016	20570

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. की समीक्षा

43. डॉ. भोला सिंह:

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के लाभ के आकलन के लिए हाल में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से विद्यमान 100 कार्य दिन की सीमा को बढ़ाकर 200 कार्य दिन करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कमजोर वर्गों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित श्रमिक को भुगतान कार्य की स्वीकृत दरों के अनुरूप किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और योजना के आरम्भ में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आई.आई.टी., आई.आई.एम., सामाजिक सेवा संस्थाओं तथा कृषि विश्वविद्यालयों सहित पेशेवर संस्थाओं द्वारा अनेक अध्ययन किए गए हैं। अब तक किए गए अध्ययनों से निम्नलिखित बातें सामने आई हैं:-

(i) मजदूरी तथा गरीबी पर प्रभाव : रोजगार के अवसर तथा मजदूरी दर बढ़ी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर, महात्मा गांधी नरेगा के तहत दी गई औसत मजदूरी वर्ष 2007-08 में 75 रु. से बढ़कर 2009-10 में 91 रु. हो गई है।

(ii) आय तथा क्रयशक्ति पर प्रभाव : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों तथा मजदूरी दर में वृद्धि होने से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ी है।

प्रति परिवार आय वर्ष 2006-07 में 2795 रु. से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 1350 रु. से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 4060 रु. हो गई है। आय में वृद्धि होने से ग्रामीण परिवारों की खाद्यान्न, अन्य आवश्यक सुविधाएं खरीदने तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने की क्षमता बढ़ी है।

(iii) प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव : वर्ष 2009-10 में शुरू किए 46.01 लाख कार्यों में से अधिकांश (68%) कार्य जल संरक्षण से संबंधित थे। महात्मा गांधी नरेगा के तहत भारी संख्या में जल संरक्षण तथा सूखा रोधन कार्य किए जाने के परिणाम स्वरूप सूखे तथा शुष्क क्षेत्रों में जल का स्तर बढ़ा है।

(iv) आपदा के समय पलायन पर प्रभाव : आपदा के समय होने वाले पलायन में कमी आई है। पूरे परिवार के पलायन करने के स्थान पर केवल पुरुष सदस्य ही काम की तलाश में जाते हैं और महिलाएं बच्चों के साथ गांवों में ही रहती हैं तथा महात्मा गांधी नरेगा में काम करती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। मंत्रालय को नरेगा के अंतर्गत गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 200 दिन करने का एक प्रस्ताव राजस्थान के मुख्य मंत्री से मिला था। एक दूसरा प्रस्ताव तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से मिला था जिसमें सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गारंटीयुक्त रोजगार के दिनों की संख्या को बढ़ाकर 200 दिन किए जाने का अनुरोध किया गया है। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, संसद सदस्य (राज्य सभा) ने भी एक पत्र भेजा था जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के दिनों की संख्या को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

प्रस्तावों पर मंत्रालय में विचार किया गया। राष्ट्रीय स्तरीय पर प्राप्त किए गए रोजगार की औसत संख्या वर्ष 2006-07 में 43 दिन, 2007-08 में 42 दिन, 2008-09 में 48 दिन तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक 43 दिन थी। इसके अलावा, नरेगा का प्राथमिक उद्देश्य मांग किए जाने पर ग्रामीण परिवारों को पूरक मजदूरी रोजगार मुहैया कराना है। इसे इस तरह से संचालित किया जाना चाहिए कि रोजगार के अन्य अवसर भी लोगों को मिल सकें तथा देश के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए निधियां गृह मंत्रालय द्वारा सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. से मुहैया कराई जाती हैं ताकि रोजगार सृजित किए जा सकें तथा अन्य उपाय किए जा सकें। इसे ध्यान में रखते हुए अधिनियम के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार मौजूदा 100 दिनों के रोजगार की गारंटी को जारी रखना वांछनीय है।

(ङ) जी, हां। महात्मा गांधी नरेगा के तहत अपंग व्यक्तियों सहित कामगारों को मजदूरी का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई दरों की अनुसूची के अनुसार किया जाता है। कामगार के काम की माप की जाती है तथा तदनुसार भुगतान किया जाता है।

(च) महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार देने के लिए परिवार मुख्य इकाई है। तथापि, अपंग व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े व्यक्तियों की संख्या के मामले में रखे जाते हैं। विगत चार वर्षों के दौरान अधिसूचित मजदूरी दर, परिवारों की संख्या तथा रोजगार उपलब्ध कराए गए अपंग व्यक्तियों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	2006-07			2007-08			2008-09		
		अधिसूचित मजदूरी (रु./दिन)	रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की सं.	अपंग लाभार्थियों की सं.	अधिसूचित मजदूरी (रु./दिन)	रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की सं.	अपंग लाभार्थियों की सं.	अधिसूचित मजदूरी (रु./दिन)	रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की सं.	अपंग लाभार्थियों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	80	2161395	23096	80	4803892	46967	80	5699557	61496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	55-57	16926	10	65-67	4490	0	65-67	80714	0
3.	असम	66	792270	995	76.35	1402888	2865	79.6	1877393	2945
4.	बिहार	68	1688899	2231	77	3859630	89502	89	3822484	16537
5.	छत्तीसगढ़	62.63	1256737	8873	62.63	2284963	8722	75	2270415	6477
6.	गुजरात	50	226269	9	50	290691	16	100	850691	239
7.	हरियाणा	99.21	50765	2	135	70869	4	141.02	162932	3966
8.	हिमाचल प्रदेश	75	63514	14999	75	271099	4079	100	445713	2196
9.	जम्मू और कश्मीर	70	121328	209	70	116800	274	70	199166	248
10.	झारखंड	76.68	1394108	71	76.68	1679868	53844	92	1576348	11431
11.	कर्नाटक	69	545185	1000	74	549994	75	82	896212	1308
12.	केरल	125	99107	34	125	185392	717	125	692015	1072
13.	मध्य प्रदेश	63	2866349	24822	85	4346916	30684	91	5207665	16344
14.	महाराष्ट्र	47	353024	549	66-72	474695	129	66-72	906297	422
15.	मणिपुर	72.4	18568	0	81.4	112549	40	81.4	381109	111
16.	मेघालय	70	96627	343	70	106042	212	70	224263	341
17.	मिजोरम	91	50998	5000	91	88940	839	110	172775	996
18.	नागालैंड	66	27884	980	100	115331	3280	100	296689	628
19.	उड़ीसा	55	1394169	803	70	1096711	0	70	1199006	3318
20.	पंजाब	93-105	31648	0	93-106	49690	1	93-105	147336	78
21.	राजस्थान	73	1175172	0	73	2170460	15268	100	6373093	18362
22.	सिक्किम	85	4107	0	85	19664	17	100	52006	45
23.	तमिलनाडु	80	683481	601	80	1234818	2195	80	3345648	4009
24.	त्रिपुरा	60	74335	1477	60	423724	3351	85	549022	2199
25.	उत्तर प्रदेश	58	2573245	14691	58	4096408	21309	100	4336466	16666
26.	उत्तरांचल	73	134312	448	73	189263	249	100	298741	412
27.	पश्चिम बंगाल	69.43	3083757	45158	69.43	3843335	52059	75	3025854	32763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह							130-139	5975	20
29.	दादरा और नगर हवेली							108.02	1919	2
30.	दमन और दीव							102	NR	NR
31.	गोवा							110	NR	NR
32.	लक्षद्वीप							115	3024	73
33.	पांडिचेरी							80	12264	68
34.	चंडीगढ़							140	NR	NR
	कुल	20984179	146401	33889122	336698			45112792	204772	

क्र. सं.	राज्य	2009-10			2010-11 (मई, 10 तक)		
		अधिसूचित मजदूरी (रु./दिन)	रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की सं.	अपंग लाभार्थियों की सं.	अधिसूचित मजदूरी (रु./दिन)	रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की सं.	अपंग लाभार्थियों की सं.
1	2	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	100	6158498	68256	100	2E+06	23110
2.	अरुणाचल प्रदेश	80	68157	18	80	NR	NR
3.	असम	100	2137270	1989	100	60754	241
4.	बिहार	100	4127330	34161	100	230	0
5.	छत्तीसगढ़	100	2025845	11221	100	1E+06	10517
6.	गुजरात	100	1612280	10926	100	286964	9918
7.	हरियाणा	141.02	156406	74	141.02	17171	18
8.	हिमाचल प्रदेश	100	497336	1791	100	18931	77
9.	जम्मू और कश्मीर	100	337356	1037	100	453	1
10.	झारखंड	99	1702599	5515	99	613573	2064
11.	कर्नाटक	100	3535351	11220	100	49699	319

1	2	12	13	14	15	16	17
12.	केरल	125	931221	2533	125	153476	368
13.	मध्य प्रदेश	100	4722409	8665	100	621232	5203
14.	महाराष्ट्र	66-72	591547	2186	100	34222	1142
15.	मणिपुर	81.4	418564	513	81.4	NR	NR
16.	मेघालय	100	300482	518	100	4448	0
17.	मिजोरम	110	180140	232	110	NR	NR
18.	नागालैंड	100	319723	172	100	20677	4
19.	उड़ीसा	90	1394118	4003	90	622893	2062
20.	पंजाब	100	270492	113	100	41124	34
21.	राजस्थान	100	6467764	11576	100	1E+06	581
22.	सिक्किम	100	54156	164	100	2722	1
23.	तमिलनाडु	100	4373257	9381	100	496562	617
24.	त्रिपुरा	100	576001	13878	100	140926	1566
25.	उत्तर प्रदेश	100	5480434	47523	100	551250	951
26.	उत्तरांचल	100	522304	505	100	3773	6
27.	पश्चिम बंगाल	100	3479915	51591	100	1E+06	18423
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	130-140	20337	85	130-140	NR	NR
29.	दादरा और नगर हवेली	108.2	3741	0	108.2	NR	NR
30.	दमन और दीव	102	NR	NR	102	NR	NR
31.	गोवा	110	6604	3	110	2016	0
32.	लक्षद्वीप	115	5192	0	115	NR	NR
33.	पांडिचेरी	80	40377	8	100	187	0
34.	चंडीगढ़	140	NR	NR	140	NR	NR
	कुल		52517201	299857		9999949	77223

वायु-सेना में स्क्वाड्रन की संख्या

44. श्री हर्ष वर्धन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारतीय वायु सेना में कितने स्क्वाड्रन हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश की सुरक्षा के मुद्देनजर वायु सेना में स्क्वाड्रन की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार स्वीकृत किए गए स्क्वाड्रनों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्क्वाड्रन की संख्या कभी भी इनकी स्वीकृत संख्या तक पहुंची है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इनकी घटती संख्या से देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) सरकार सुरक्षा परिवेश की नियमित रूप से पुनरीक्षा करती है और तदनुसार युद्धक क्षमता में वृद्धि करने के लिए समुचित उपस्कर शामिल किए जाने तथा गुणता एवं मात्रा की दृष्टि से रक्षा तैयारी में सुधार लाने का निर्णय लेती है। इस संबंध में ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता संबंधी कार्य दल

45. श्री वैजयंत पांडा:

श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान योजनाविधि के शेष दो वर्षों में रणनीतिक योजनाएं तैयार करने के लिए पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता संबंधी दो उच्चस्तरीय कार्य दलों का गठन करने का है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत ढांचे से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास को रोका जा सकेगा तथा शहरी अवसंरचना पर दबाव कम होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बाजार तथा कृषि उत्पादन एवं अन्य संबद्ध सुविधाएं सुकर होंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) से (ङ) जी, हां। इस विभाग में दो कार्यदलों का गठन किया है, एक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा दूसरा स्वच्छता के लिए, जिसमें शहरी विकास, जल संसाधन, पंचायती राज के प्रतिनिधि तथा जल तथा स्वच्छता के क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। ये कार्यसमूह ग्रामीण जल तथा स्वच्छता योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कार्यनीति योजनाएं तैयार करने में विभाग की सहायता करेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगा जिससे पलायन, जीवन की गुणवत्ता इत्यादि पर प्रभाव पड़ेगा।

जी.एस.एम. ऑपरेटरों पर बकाया राशि

46. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री संजय धोत्रे:

श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार जी.एस.एम. ऑपरेटरों पर ब्याज सहित कुल बकाया राशि कितनी है;

(ख) इन आपरेटरों के नाम क्या है तथा आपरेटर वार कितनी राशि वसूल की जानी है एवं वसूल की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार राशि का भुगतान नहीं करने वाले चूककर्ता जी.एस.एम. आपरेटरों पर शास्ति लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार जी.एस.एम. प्रचालकों पर ब्याज सहित कुल बकाया राशि 451.75 करोड़ रु. है।

(ख) प्रचालक-वार बकाया लाइसेंस शुल्क का ब्यौरा

संलग्न विवरण-I में दिया गया है और बकाया स्पेक्ट्रम प्रभारों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) लाइसेंस करार के अनुसार शास्ति लगाई जाती है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

दिनांक 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार जी.एस.एम. प्रचालकों के संबंध में देय बकाया लाइसेंस शुल्क

क्र. सं.	प्रचालक का नाम	दिनांक 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि (करोड़ रु. में)
1.	बीपीएल मोबाइल कम्युनिकेशन लि.	29.00
2.	रिलायंस कम्युनिकेशन लि. *	48.54
3.	एयरसेल लि.	0.44
4.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	0.50
5.	बीएसएनएल	94.44
6.	एमटीएनएल	0.73
7.	भारती एयरटेल	17.66
8.	डिशनेट वायरलैस	13.91
	कुल	205.22

*इसमें गैर-जी.एस.एम. सेवाओं पर देय बकाया राशि भी शामिल है।

विवरण-II

दिनांक 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार जी.एस.एम. प्रचालकों के संबंध में बकाया स्पेक्ट्रम प्रभार

क्र. सं.	प्रचालक का नाम	दिनांक 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार देय बकाया राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	भारती एयरटेल लिमिटेड	135.11
2.	वोडाफोन	71.77
3.	एमटीएनएल	16.49
4.	बीपीएल सेल्यूलर लिमिटेड	10.83
5.	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	7.07
6.	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	4.03
7.	एयरसेल सेल्यूलर	0.9
8.	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	0.15
9.	एटिसलाट डीबी	0.11
10.	यूनिटेक	0.06
	कुल	246.52

[हिन्दी]

एल.सी.ए. तेजस

47. श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री राजैया सिरिसिल्ला:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्का लड़ाकू विमान (एल.सी.ए.) तेजस अभी तक प्रचालित नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) को भारतीय वायु सेना से ऐसे 20 विमानों की आपूर्ति का आदेश प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या एच.ए.एल. को अन्य देशों में भी इन विमानों की आपूर्ति के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) एक विकास परियोजना होने के नाते इसमें कई नई प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को शामिल करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक संक्रियात्मक स्वीकृति के लिए निर्धारित तारीख दिसंबर, 2010 है।

(ग) जी, हां।

(घ) 20 विमानों की आपूर्ति 2011-12 से प्रारंभ करने की योजना है और इसके 2013-14 तक पूरा होने की संभावना है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

[अनुवाद]

दूरसंचार प्रौद्योगिकी का प्रतिष्ठापन

48. चौधरी लाल सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) का विचार एक निजी दूरसंचार कंपनी के माध्यम से नई दूरसंचार प्रौद्योगिकी अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी की खरीद के पूर्व इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए कोई प्रदर्शन/परीक्षण किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के माध्यम से चुनी गई प्राइवेट और/अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के माध्यम से उत्तरोत्तर रूप से नई प्रौद्योगिकियों को अपना रहा है।

नेटवर्क में शामिल की गई कुछ नई प्रौद्योगिकियां इस प्रकार हैं:-

(i) जी.एस.एम. मोबाइल 2जी

(ii) जी.एस.एम. मोबाइल 3जी

(iii) वायरलाइन (डी.एस.एल.) ब्रॉडबैंड

(iv) वाइमेक्स

(v) सी.डी.एम.ए. डब्ल्यू.एल.एल.

(vi) ई.वी.डी.ओ.

(vii) आई.पी.टी.ए.एक्स.

(viii) डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल (डी.एस.पी.टी.)

(ix) एम.एल.एल.एन.

(x) एफ.टी.टी.एच./जी.पी.ओ.एन./जी.ई.पी.ओ.एन. इत्यादि

अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बी.एस.एन.एल. इस मामले के संबंध में निर्धारित की गई प्रक्रिया विधियों के अनुसार अपने नेटवर्क में उत्तरोत्तर रूप से नई प्रौद्योगिकियों को शामिल कर रहा है।

(ग) इस प्रकार की प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने के लिए यथा-उल्लिखित विनिर्देशों के आधार पर इन्हें प्राप्त किया जाता है और दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र (टी.ई.सी.) प्रासंगिक जी.आर. जारी करता है। इसके अतिरिक्त उपस्करों की आपूर्ति करने से पहले फैक्टरी साइट पर गुणवत्ता सुनिश्चय (क्यूए) जांच की जाती हैं। साइट पर उपस्कर की संस्थापना के उपरांत इसको बी.एस.एन.एल. नेटवर्क में शामिल करने से पहले स्वीकृति जांच (ए.टी.) भी की जाती है। चूंकि वाइमेक्स उपस्कर, नई प्रौद्योगिकी है इसलिए नेटवर्क में इसको शामिल करने से पहले अवधारणा प्रयोग जांच का सत्यापन भी किया गया था।

(घ) और (ङ) बी.एस.एन.एल. नेटवर्क में इन प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक शामिल किया गया है।

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य नियंत्रण

49. श्री जोस के. मणि: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार को आयात शुल्कों को हटाकर, मूल्य बैंड निर्धारित कर तथा इस जिन्स के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ के मूल्य नियंत्रण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित प्राकृतिक रबड़ (एन.आर.) की मात्रा एवं मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	आयातित एनआर की मात्रा (टन)	एनआर के आयात का मूल्य (करोड़ रु.)	एनआर के आयात का मूल्य (मि. अम. डॉ.)
2007-08	86394	788.9	195.8
2008-09	77762	937.2	203.9
2009-10 (अनंतिम)	176756	1602.1	337.3

(ख) और (ग) जी हां। सरकार को रबड़ उपभोक्ता औद्योगिक संगठनों/एसोसिएशनों की ओर से प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क में कमी करने, एक कीमत बैण्ड का निर्धारण करने तथा रबड़ में वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हाल ही में, इन एसोसिएशनों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं पर दिल्ली के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों के हित को ध्यान में रखते हुए इन अभ्यावेदकों की सुनवाई करने और मुद्दों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

एशियाई और विश्व बैंक की सहायता से परियोजनाएं

50. श्री महेश्वर हजारी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एशियन बैंक तथा विश्व बैंक की सहायता से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) तथा भारत निर्माण योजना के अंतर्गत बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में चल रही सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार सहित इन राज्यों में सड़कों का निर्माण कब से किया जा रहा है; और

(ग) इन परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) वर्ष 2004-05 से असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा प. बंगाल में एशियाई विकास बैंक की सहायता से और हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक की सहायता से शुरू की गई सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	स्वीकृत सड़क कार्यों की सं.	जून, 2010 तक पूरे किए गए सड़क कार्यों की सं. (असम के संबंध में मई, 10 तक)
असम	609	177
छत्तीसगढ़	1,198	1,113
मध्य प्रदेश	1,758	1,153
उड़ीसा	1,301	529
प. बंगाल	368	203
कुल	5,234	3,175

विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	स्वीकृत सड़क कार्यों की सं.	जून, 2010 तक पूरे किए गए सड़क कार्यों की सं.
हिमाचल प्रदेश	240	159
झारखंड	26	26
राजस्थान	1,456	1,392
उत्तर प्रदेश	1,075	804
कुल	2,797	2,381

हीरा व्यवसाय केन्द्र

51. श्री मनसुखभाई डी वसावा:

श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यवसाय केन्द्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत को अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार केन्द्र बनाने के प्रयास के रूप में विदेश व्यापार नीति (2009-14) में हीरा बाजार (बाजारों) की स्थापना किए जाने का प्रावधान है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

छावनी क्षेत्रों में वाहन प्रयोक्ता शुल्क

52. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छावनी बोर्डों को छावनी क्षेत्रों के अन्दर राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगाने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आगरा तथा पुणे छावनी बोर्ड वाहन प्रयोक्ता शुल्क लगा रहे हैं जिनका उपयोग छावनियों के विकास के लिए किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 67 (ङ) के अनुसार, छावनी बोर्ड को छावनी में प्रवेश करने वाले वाहनों पर, चाहे वे छावनी के किसी भी प्रकार के मार्ग से गुजरें, लाइसेंस शुल्क लगाने की अनुमति है। छावनी बोर्ड इस अधिनियम की धारा 66 के प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाने के सामान्य अधिकार के तहत भी 'वाहन प्रवेश कर' लगा सकते हैं।

(ग) और (घ) आगरा छावनी बोर्ड में वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर लाइसेंस शुल्क लगा रहा है। पुणे छावनी बोर्ड छावनी क्षेत्र में वाहन प्रवेश कर लगा रहा है। एकत्र की गई राशि को छावनी निधि में जमा कराया जाता है जिसमें से छावनी के विकास सहित बोर्डों के बजटीय व्यय पर पैसा खर्च किया जाता है।

[हिन्दी]

परती तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए सर्वेक्षण

53. श्री घनश्याम अनुरागी:

श्री कमल किशोर 'कमांडो':

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कुल कितनी परती तथा बंजर भूमि है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में परती तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है अथवा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) परती तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(छ) उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य बनाई गई बंजर भूमि के क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.) हैदराबाद द्वारा तैयार किए गए "भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस-2005" के अनुसार देश में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल अनुमानत: 55.269 मि. है. है। इसमें 12.117 मि. है. अकृष्य ऊसर/चट्टानी/सीधी ढलान वाला/बर्फ आच्छादित क्षेत्र है। बंजरभूमि तथा ऊसर भूमि का राज्य-वार क्षेत्रफल संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भूमि संसाधन विभाग तीन कार्यक्रमों नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वर्ष 1995-96 से वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। 26-02-2009 से इन तीनों कार्यक्रमों को समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया गया है। भूमि आधारित मुख्य कार्यकलाप मृदा तथा नमी संरक्षण कार्य, जल एकत्रण, वनीकरण, चरागाह विकास तथा बागवानी हैं। उत्तर प्रदेश में आई.डब्ल्यू.डी.पी., डी.पी.ए.पी. तथा आई.डब्ल्यू.एम.पी. कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कार्यक्रम	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत की गई परियोजनाओं का क्षेत्र (मि.है.)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
आईडब्ल्यूडीपी	130	0.86	446.34
डीपीएपी	1777	0.89	452.90
आईडब्ल्यूएमपी	98	0.49	587.29

(च) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

कार्यक्रम	उपलब्ध करायी गई केन्द्रीय सहायता (केरोड़ रुपये में)		
	2007-08	2008-09	2009-10
आईडब्ल्यूडीपी	55.82	70.58	46.38
डीपीएपी	49.40	39.72	25.11
आईडब्ल्यूएमपी*	-	-	22.68

*आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता वर्ष 2009-10 से ही जारी की जा रही है।

(छ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में उपलब्ध बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल 5.51 लाख है. है।

विवरण

बंजरभूमि का राज्य-वार वितरण
(क्षेत्र मिलियन है. में)

क्र. सं.	राज्य	शामिल किए गए जिलों में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल	कुल ऊसर भूमि (ऊसर/चट्टानी/ सीधी ढलान वाला/बर्फ आच्छादित क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4.527	0.316
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.818	1.099
3.	असम	1.403	0.000
4.	बिहार	0.544	0.022
5.	छत्तीसगढ़	0.758	0.041
6.	गोवा	0.053	0.006
7.	गुजरात	2.038	0.017
8.	हरियाणा	0.327	0.009
9.	हिमाचल प्रदेश	2.834	1.825
10.	जम्मू और कश्मीर	7.020	5.996
11.	झारखंड	1.117	0.045
12.	कर्नाटक	1.354	0.143
13.	केरल	0.179	0.021
14.	मध्य प्रदेश	5.713	0.086
15.	महाराष्ट्र	4.928	0.321
16.	मणिपुर	1.317	0.000
17.	मेघालय	0.341	0.006

1	2	3	4
18.	मिजोरम	0.447	0.000
19.	नागालैण्ड	0.371	0.001
20.	उड़ीसा	1.895	0.082
21.	पंजाब	0.117	0.000
22.	राजस्थान	10.145	0.525
23.	सिक्किम	0.381	0.306
24.	त्रिपुरा	0.132	0.000
25.	तमिलनाडु	1.730	0.136
26.	उत्तरांचल	1.610	1.061
27.	उत्तर प्रदेश	1.698	0.039
28.	पश्चिम बंगाल	0.440	0.018
29.	संघ राज्य क्षेत्र	0.031	0.005
	योग	55.269	12.117

स्रोत: भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, भारत सरकार हैदराबाद।

मसालों का निर्यात

54. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में वर्ष-वार तथा देश-वार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के मसालों का निर्यात किया गया;

(ख) मसालों के निर्यात के संबंध में विश्व में भारत के स्थान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मसालों के निर्यात में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) वैश्विक मसाला व्यापार में मात्रा के रूप में 48 प्रतिशत और मूल्य के रूप में 45 प्रतिशत के हिस्से के साथ भारत विश्व का अग्रणी मसाला निर्यातक देश है। वैश्विक खाद्य पदार्थ बाजार में भारत को उच्च मूल्य वाले मसालों और मसाला उत्पादों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाने के उद्देश्य से मसाला बोर्ड विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है जिनमें मसाला प्रसंस्करण में उच्च तकनीक वाली प्रक्रियाओं को अपनाना, प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रिया का उन्नयन, इनहाउस गुणवत्ता नियंत्रण की स्थापना/उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन और प्रयोगशाला कार्मिकों को प्रशिक्षण, उत्पाद अनुसंधान एवं मसाला पार्कों का विकास शामिल है। निर्यात संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारत से मसालों का प्रमुख देश-वार निर्यात

प्रमुख देश	2007-08		2008-09 (अ.)		2009-10 (अ.)		2010-11 (अप्रैल-जून)	
	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अमेरिका	52795.9	86717.0	49425.3	112441.5	47310.3	87265.3	12399.55	23817.58
मलेशिया	62402.3	35884.1	56082.4	36172.1	64163.3	45120.1	20647.44	14509.96
चीन	7715.0	34661.3	6064.4	33768.1	8910.2	42519.8	3487.19	8426.51
यूएई	37748.4	18049.5	53205.1	33803.3	54904.4	35470.7	13112.47	8434.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
यूके	17326.7	18984.9	19357.7	24164.8	22519.8	29944.5	6734.14	8907.27
श्रीलंका	37692.8	16025.5	45458.0	22626.0	42364.0	23690.3	9949.14	5190.89
बांग्लादेश	44099.0	18642.9	13992.3	6376.9	48077.4	23577.3	8188.35	3020.00
जर्मनी	7064.4	21725.9	6698.5	20533.0	6614.0	20871.2	1714.18	5214.92
सऊदी अरब	9329.7	7300.9	14196.0	13716.6	14917.7	20146.8	3390.34	3069.14
सिंगापुर	11461.9	22701.9	9418.1	21914.1	7726.1	17090.7	1782.21	3912.75
जापान	6727.7	12660.3	6991.3	14369.6	6982.9	14383.4	1547.45	3725.29
ब्राजील	3812.3	6768.8	3646.0	7047.3	6698.9	11697.9	963.02	1761.90
नीदरलैंड्स	5846.5	9085.9	5448.3	11356.5	5059.1	10470.4	1495.75	2643.57
दक्षिण अफ्रीका	9266.1	6553.4	9439.1	7962.9	10728.8	9972.9	2573.83	2744.38
मिस्र (एआरई)	7991.4	4264.3	17631.9	11501.6	13171.3	9538.9	4852.68	2919.73
अन्य	122970	123523.7	153465.8	152271.3	142601.8	154290	55892.72	55085.8
कुल	444250.1	443550.0	470520.1	530025.5	502750.0	556050.1	148730.45	153384.46

[अनुवाद]

ए.डी.आई.पी. के अंतर्गत सहायता

55. श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहायक साधनों एवं उपकरणों की खरीद/लगाए जाने के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता की योजना (ए.डी.आई.पी.) के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ए.डी.आई.पी. योजना के अंतर्गत अभी तक कितने नि:शक्त व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(घ) योजना का लाभ उठाने के लिए नि:शक्त व्यक्तियों में जागरुकता के सृजन के लिए आयोजित किए गए कैंपों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में योजना के वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों को वितरित किए गए कृत्रिम अंग तथा उपकरणों का राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मौजूद तंत्र क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) इस योजना का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक

सहायक यंत्र एवं उपकरण प्राप्त करने में जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है ताकि इससे उनके विकलांगता के प्रभाव को कम किया जा सके और उनके शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देकर उनकी आर्थिक क्षमताओं में वृद्धि की जा सके।

(ख) पात्र जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों/उपकरणों का वितरण करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता-अनुदान जारी किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले विकलांग व्यक्ति निम्नानुसार हैं-

वर्ष	निर्मुक्त धनराशि (करोड़ रु.)	लाभार्थियों की सं. (लाख में)
2007-08	49.08	2.24
2008-09	60.22	2.10
2009-10	67.35	2.00 (अनुमानित)

(घ) इस योजना के अंतर्गत वितरण तथा जागरुकता बढ़ाने के लिए संयुक्त कैंप आयोजित किए जाते हैं।

(ङ)

वर्ष	निर्मुक्त धनराशि (करोड़ रु.)	लाभार्थियों की सं. (लाख में)
2007-08	49.08	2.24
2008-09	60.22	2.10
2009-10	67.35	2.00 (अनुमानित)
2010-11	शून्य	उपलब्ध नहीं

(च) कार्यान्वयन एजेंसियों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(छ) संस्तुत करने वाले प्राधिकरण से विशेष कार्यान्वयन एजेंसी की निरीक्षण रिपोर्ट तथा लाभार्थियों की नमूना-जांच प्राप्त होने के पश्चात् इस योजना के अंतर्गत अनुदान जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सात राष्ट्रीय संस्थानों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निरीक्षण करने का निदेश दिया गया है। इस मंत्रालय के अधिकारियों को भी आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन एजेंसियों का निरीक्षण करने का कार्य सौंपा जाता है।

[हिन्दी]

बंधुआ मजदूरों संबंधी एन.एच.आर.सी. के निदेश

56. श्री अंजन कुमार एम. यादव: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार कुल कितने पुरुष एवं महिला बंधुआ मजदूर है;

(ख) क्या राज्यों द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) भारत का संविधान अनुच्छेद 23 (1) के अंतर्गत "भिखारी" और इसी तरह की अन्य बलकृत मजदूरी का निषेध करता है और यह व्यवस्था की गई है कि उक्त निषेध का उल्लंघन किया जाना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन), अध्यादेश जिसे बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, के अंतर्गत कानून द्वारा 25 अक्तूबर, 1975 से पूरे देश में बंधुआ मजदूर प्रणाली को बंद कर दिया गया था। इस अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों के पास है।

2. बंधुआ श्रमिकों संबंधी आंकड़े लिंग-वार नहीं रखे जाते हैं। केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम के अंतर्गत 31-3-2010 तक पहचाने गए, मुक्त कराए गए और पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य का नाम	बंधुआ श्रमिकों की संख्या	
	पहचाने गए और मुक्त कराए गए	पुनर्वासित
1	2	3
आंध्र प्रदेश	37988	31534

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	3,526	2992
बिहार	14,615	13797
छत्तीसगढ़	124	124
गुजरात	64	64
हरियाणा	591	89
झारखण्ड	196	196
कर्नाटक	63,437	57185
केरल	823	710
मध्य प्रदेश	13,317	12,392
महाराष्ट्र	1,404	1,325
उड़ीसा	50,029	46901
पंजाब	69	69
राजस्थान	7488	6331
तमिलनाडु	65,573	65,573
उत्तर प्रदेश	28,946	28,946
उत्तराखण्ड	5	5
पश्चिम बंगाल	267	267
कुल	2,88,462	2,68,500

3. सर्वोच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि बंधुआ श्रमिकों के मुद्दे के हल के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) को शामिल किया जाए। इस न्यायालय ने बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के बारे में राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन हेतु समय-समय पर निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित संपर्क के माध्यम से बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के उपबंध क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की मानीटरिंग/ पुनरीक्षा कर रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से जून 2007 में दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला सहित 28 सुग्राही बनाने वाली कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

[अनुवाद]

रैडिएशन मानिटर पोर्टल्स को लगाया जाना

57. श्री उदय सिंह: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी प्रमुख एवं गैर-प्रमुख पत्तनों का रैडिएशन मानिटर पोर्टल्स (आर.एम.पी.) लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न कंपनियों से आयात किए जा रहे इस्पात जंक को पत्तनों पर समुचित रूप से स्कैन नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रैडिएशन सामग्री आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पत्तनों पर आर.एम.पी. लगाए जाने से खतरनाक अपशिष्ट सामग्री के प्रवेश पर कितनी रोक लगने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार का प्रस्ताव है कि उन पत्तनों के माध्यम से रेडियो एक्टिव सामानों के तस्करी को रोकने के उद्देश्य के साथ 2012 तक सभी महापत्तनों में रेडिएशन मॉनिटरिंग पोर्टल्स (आर.एम.पी.) लगा दिया जाएगा।

(ग) और (घ) वर्तमान में आयातित इस्पात जंक सीमा शुल्क विभाग द्वारा जाकर जांचा गया है, इनके पास कार्गो आयात निर्यात जांच करने की शक्ति है।

(ङ) रेडिएशन मॉनिटरिंग पोर्टल्स केवल रेडियो एक्टिव जोखिम के तस्करी को रोकने में सहायक होगा।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग

58. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री राम सुन्दर दास:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-2010 के दौरान इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें से कितनी प्रतिशत राशि अनुसूचित जातियों (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के परिवारों के लिए खर्च की गई;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ निर्धारित राशि में से 60 प्रतिशत से कम राशि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के लिए व्यय की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) आई.ए.वाई. दिशानिर्देशों के अनुसार, कुल आबंटित निधियों के कम से कम 60 प्रतिशत का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोग किया जाना चाहिए तथा अन्य वर्गों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी जिले में किसी वर्ग विशेष को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है, तब दिशा-निर्देशों में दी गई प्राथमिकता के अनुसार अन्य वर्गों के लिए आबंटन का उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2009-10 के दौरान 13291.05 करोड़ रुपए के कुल उपयोग में से 7606.19 करोड़ रुपए (57.23 प्रतिशत) का उपयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया है। उपयोग की गई कुल निधियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2009-10 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों के कुल उपयोग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त रूप से उपयोग की गई निधियों तथा कुल उपयोग की गई निधियों में से इसकी प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निधियों का कुल उपयोग	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोग की गई निधियां	कुल उपयोग की गई निधियों में से प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	130796.29	83006.05	63.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	2401.38	2390.74	99.56
3.	असम	86355.23	49283.72	57.07
4.	बिहार	299594.41	162489.30	54.24
5.	छत्तीसगढ़	32204.97	21977.97	68.24
6.	गोवा	543.14	119.94	22.08
7.	गुजरात	56795.96	29897.34	52.64
8.	हरियाणा	8453.32	4851.98	57.40
9.	हिमाचल प्रदेश	3055.84	1657.16	54.23

1	2	3	4	5
10.	जम्मू और कश्मीर	5968.31	2757.79	46.21
11.	झारखण्ड	35997.79	22917.36	63.66
12.	कर्नाटक	53634.35	27113.39	50.55
13.	केरल	21256.92	11475.40	53.98
14.	मध्य प्रदेश	33954.03	20760.49	61.14
15.	महाराष्ट्र	128589.14	66634.67	51.82
16.	मणिपुर	1542.89	990.29	64.18
17.	मेघालय	3854.48	3755.15	97.42
18.	मिजोरम	1422.31	1422.31	100.00
19.	नगालैंड	3038.92	3038.92	100.00
20.	उड़ीसा	76884.11	47192.30	61.38
21.	पंजाब	7782.73	6101.92	78.40
22.	राजस्थान	29866.62	18558.51	62.14
23.	सिक्किम	781.01	267.87	34.30
24.	तमिलनाडु	44487.29	26629.48	59.86
25.	त्रिपुरा	3818.96	2504.02	65.57
26.	उत्तराखंड	158769.94	91966.39	57.92
27.	उत्तर प्रदेश	7828.18	3155.97	40.32
28.	पश्चिम बंगाल	89164.28	47630.46	53.42
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	167.30	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	56.72	56.72	100.00
33.	पांडिचेरी	38.30	15.30	39.95
	कुल	1329105.12	760618.91	57.23

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संसाधनों का उपयोग

59. श्री राजैया सिरिसिल्ला:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री पी. बलराम:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज निकायों को उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि कमियों को दूर किया जा सके तथा कार्य के दायरे का विस्तार हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) से (ग) जी हां, पंचायती राज संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होता है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो ताकि संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। यह व्यवस्था सभी राज्यों पर लागू होती है।

स्पेक्ट्रम शुल्क वापस लिया जाना

60. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री पी. लिंगम:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से सरकारी स्वामित्व वाली दो दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा भुगतान किए गए स्पेक्ट्रम शुल्क को लौटाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक दूरसंचार कंपनी द्वारा सरकार को स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा अत्यधिक सामाजिक, ग्रामीण एवं सरकारी दायित्वों को निभाए जाने के मद्देनजर, इस मंत्रालय ने माननीय वित्त मंत्री जी से सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के अनुरोध पर विचार करने और 3जी और बी.डब्ल्यू.ए. स्पैक्ट्रम हेतु दिए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है।

(ग) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा भुगतान की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) माननीय वित्त मंत्री जी से उत्तर मिलने की प्रतीक्षा है।

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा 3जी प्रभार के रूप में भुगतान की गई राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	दूरसंचार कंपनी का नाम	भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	10186.58
2.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	6564.00

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा बी.डब्ल्यू.पी. स्पैक्ट्रम प्रभार के रूप में भुगतान की गई राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	दूरसंचार कंपनी का नाम	भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	8313.8
2.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	4533.97

गैर-बासमती चावल का निर्यात

61. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में बांग्लादेश तथा मालदीव को भारी मात्रा में गैर-बासमती चावल का निर्यात किया गया; और

(घ) यदि हां, तो विद्यमान प्रतिबंध के विपरीत चावल निर्यात किए जाने का औचित्य क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार ने घरेलू खपत हेतु चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए दिनांक 15-10-2007 की अधिसूचना सं. 38(आर.ई. - 2008)/ 2004-09 के द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था।

(ग) और (घ) दिनांक 01-04-09 से 31-03-2010 तक बांग्लादेश को निर्यात किए गए गैर-बासमती चावल की मात्रा 65 मीट्रिक टन तथा मालदीव को निर्यात की गई मात्रा 22,656 मीट्रिक टन है। मालदीव को निर्यात करने की अनुमति भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच किए गए द्विपक्षीय करार के तहत दिनांक 23-10-2007 की अधिसूचना सं. 42 (आर.ई. - 2007)/2004-09 के अनुसार दी गई थी जिसके द्वारा मालदीव को किए जाने वाले चावल के निर्यात को सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से छूट प्रदान की गई थी। ई.जी.ओ.एम. द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के मद्देनजर बांग्लादेश को निर्यात की अनुमति प्रदान की गई थी।

रक्षा खरीद प्रक्रिया

62. श्री वरुण गांधी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खरीद तथा देशीयकरण प्रक्रिया तेज करने के लिए एक एकीकृत संगठन के गठन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगने का है जो विशिष्ट गुणात्मक अपेक्षाओं वाले कुछ उपकरण की पेशकश करते हुए सूचना हेतु अनुरोध (आर.एफ.आई.) का उत्तर देने के पश्चात् फील्ड परीक्षण चरण में उपकरण उपलब्ध नहीं करा पाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड की सहायता के लिए 2002 में रक्षा विभाग, वित्त प्रभाग और सेना मुख्यालयों से अधिकारियों का एक एकीकृत ढांचा स्थापित करते हुए रक्षा मंत्रालय में एक पूर्ण अधिग्रहण विंग का गठन किया गया था। पूंजीगत प्रकृति के अधिग्रहण से संबंधित सभी मामलों पर कार्रवाई अधिग्रहण विंग द्वारा की जाती है।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2008 (संशोधन 2009) के प्रावधानों के अनुसार अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावित उपस्कर के लिए व्यापक आधार पर सेना गुणात्मक आवश्यकताएं (एस.क्यू.आर.) तैयार करने के लिए जानकारियों प्राप्त करने के वास्ते और साथ ही उन अन्य तत्वों जिनको उपस्करों की लागत, अनुरक्षण/उत्पाद सहायता में समाहित किया जाना हो तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी पहलुओं के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए सूचना हेतु अनुदेश जारी किया जाता है। आवश्यकता की स्वीकार्यता, वर्गीकरण और मात्रा संबंधी निर्णय ले लिए जाने के बाद चयनित विक्रेताओं को प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया जाता है ताकि वे अधिग्रहण की सम्पूर्ण आवश्यकताओं पर विचार करते हुए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें। वे विक्रेता/फर्में जो तकनीकी रूप से अनुकूल हों, कि 'बिना लागत बिना प्रतिबद्धता' आधार पर फील्ड मूल्यांकन के लिए बुलाया जाता है। यदि प्रारम्भिक परीक्षणों में उपस्कर का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तब विक्रेता/उपस्कर पर उसके बाद विचार नहीं किया जाएगा।

घुसपैठ में वृद्धि

63. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में प्राप्त समाचार के अनुसार विगत छह महीनों में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों में कितने घुसपैठिए पकड़े/मार दिए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटी में बलों के आकार में कमी करने के अपने निर्णय की समीक्षा करने तथा अधिक बलों की तैनाती द्वारा उग्रवाद विरोधी उपायों को सुदृढ़ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) वर्ष 2009 में, जम्मू-कश्मीर में 485 आतंकवादियों ने घुसपैठ का प्रयास किया था। वर्ष 2010 में, जनवरी से जून तक कुल मिलाकर 255 आतंकवादियों ने घुसपैठ का प्रयास किया था।

(ख) पिछले छह महीनों के दौरान (जनवरी से जून, 2010 तक) कुल मिलाकर 59 घुसपैठिए जम्मू-कश्मीर में मारे गए।

(ग) और (घ) जम्मू-कश्मीर में सेना का बल स्तर राज्य में सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करता है जिसकी लगातार मानीटरी की जाती है।

बहुद्देशीय बर्थ का विकास

64. श्री प्रदीप माझी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पारादीप पत्तन सहित विभिन्न प्रमुख पत्तनों पर कंटेनरों सहित स्वच्छ कार्गो की संभलाई हेतु बहुद्देशीय बर्थ का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख पत्तन-वार ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) उक्त बहुद्देशीय बर्थ के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इसके पूरा होने के बाद पारादीप पत्तन सहित सभी प्रमुख पत्तनों के कार्याकरण का किस सीमा तक सुधार होगा?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी, हां। पारादीप पत्तन न्यास 387.71 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के आधार पर कंटेनरों सहित स्वच्छ कार्गो संभालने के लिए एक बहुउद्देशीय घाट विकसित कर रहा है।

(ग) इस बहुउद्देशीय घाट के सितम्बर, 2013 तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) इस परियोजना के पूरा हो जाने से, पारादीप पत्तन की क्षमता 5 एम.टी.पी.ए. तक बढ़ जाएगी।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाना

65. श्री अधीर चौधरी:
श्री सी.आर. पाटील:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि यदि कोई है, आबंटित की गई है;

(ग) उक्त योजना के कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार आम आदमी को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए देश में पंचायती राज को और सुदृढ़ करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) पंचायती राज मंत्रालय ग्राम पंचायतों समेत पंचायतों को सशक्त बनाने एवं उनका विकास करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करता है:

1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)
2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आर.जी.एस.वाई.)
3. पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पी.ई.ए.आई.एस.)
4. पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पी.एम.ई.वाई.एस.ए.)
5. ग्रामीण व्यवसाय केंद्र (आर.बी.एच.)
6. ई-पंचायतों पर मिशन परियोजना
7. कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन
8. मीडिया, प्रचार एवं समर्थन

(ख) इन योजनाओं का विवरण इस मंत्रालय के वेबसाइट http://panchayat.gov.in पर देखा जा सकता है। चालू वर्ष में इन योजनाओं के लिए आबंटित निधि (बी.ई.) निम्नवत् है:

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	योजना का नाम	आबंटित निधि
1.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)	5050.00
2.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आर.जी.एस.वाई.)	43.00
3.	पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पी.ई.ए.आई.एस.)	9.00
4.	पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पी.एम.ई.वाई.एस.ए.)	2.70
5.	ग्रामीण व्यवसाय केंद्र (आर.बी.एच.)	1.80
6.	ई-पंचायतों पर मिशन परियोजना	21.60
7.	कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन	2.70
8.	मीडिया, प्रचार एवं समर्थन	7.20

(ख) ये निरंतर चलने वाली योजनाएं हैं।

(घ) और (ङ) आम जन को त्वरित न्याय दिलाने के लिए न्याय पंचायत बिल सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

तूतीकोरिन पत्तन पर संभलाई क्षमता

66. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तूतीकोरिन पत्तन पर नियत घाटों, बर्थों और खाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन घाटों, बर्थों और खाड़ियों में लदाई तथा उतराई के लिए किस प्रकार की सामग्रियों की संभलाई की जाती है; और

(ग) तूतीकोरिन पत्तन में इस समय नैमित्तिक ठेके तथा दैनिक मजदूरी सहित कितने कामगार/श्रमिक कार्य कर रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) तूतीकोरिन पत्तन न्यास में लगाए गए व्हार्फों, घाटों और बेज तथा संभाले जाने वाली सामग्रियों की किस्मों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	नाम	किस्म	वास्तविक गहराई (मीटर)	क्वे की लंबाई (मीटर)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	घाट सं. I	अलांग साईड	9.30	168	ब्रेक बल्क कार्गो जैसे कि निर्माण सामग्री, टिंबर लॉग, ग्रेनाईट पत्थर, सीमेंट, चीनी, लौह तथा स्टील सामग्री, नमक तथा अन्य तरल कार्गो आदि।
2.	घाट सं. II	अलांग साईड	9.30	168	-वही-
3.	घाट सं. III	अलांग साईड	10.70	192	ड्राई बल्क कार्गो जैसे कि औद्योगिक कोयला, केक, उर्वरक, उर्वरक कच्चा माल, तांबा कान्सेन्ट्रेट, चीनी (कच्ची), बल्क में जिप्सम, इन्मेनाईट रेत और गार्नेट रेत आदि
4.	घाट सं. IV	अलांग साईड	10.70	192	-वही-
5.	घाट सं. V	अलांग साईड	8.60	168	-वही-

1	2	3	4	5	6
6.	घाट सं. VI	अलांग साईड	9.30	168	ब्रेक बल्क कार्गो जैसे कि निर्माण सामग्री, टिंबर लॉग, ग्रेनाईट पत्थर, सीमेंट, चीनी, लौह तथा स्टील सामग्री, नमक तथा अन्य तरल कार्गो आदि।
7.	घाट सं. VII	अलांग साईड	10.90	370	इस घाट को मैसर्स पीएसए सिकल लि. को 15-7-1998 से बीओटी आधार पर कंटेनर जलयानों की संभलाई हेतु सौंप दिया गया था।
8.	घाट सं. VIII	अलांग साईड	10.90	345.5	खुला (ब्रेक बल्क/ड्राई बल्क)
9.	उथले डुबाव वाला घाट	अलांग साईड	5.85	140 110	खुला (ब्रेक बल्क/ड्राई बल्क)
10.	फिंगर जेटी	अलांग साईड	4.50	121	मैरीन वर्कशॉप कॉपलैक्स
11.	तेल जेटी	जेटी	10.70	228	मैरीन अनलोडिंग आर्म्स उपलब्ध करवाई गई
12.	कोयला जेटी-I	जेटी	10.90	185	थर्मल कोयले की आपूर्ति के लिए तट प्राप्ति हॉप्पर उपलब्ध करवाए गए
13.	कोयला जेटी-II	जेटी	10.90	210	थर्मल कोयले की आपूर्ति के लिए तट प्राप्ति हॉप्पर उपलब्ध करवाए गए

(ग) तूतीकोरिन किसी अस्थाई अथवा दैनिक मजदूरी वाले कामगारों को काम पर नहीं लगाता है। अस्थाई और ठेके पर कामगारों की आवश्यकता कार्गो संभलाई प्रचालनों के अलावा अन्य कार्यों के लिए होती है और उन्हें स्टीवडोर्स द्वारा जरूरत के अनुसार लाया जाता है और काम पर लगाए गए कामगारों की संख्या मांग के आधार पर अलग-अलग होती है। प्रत्यक्ष कार्गो संभलाई प्रचालनों के अलावा अन्य कार्यों पर लगाए गए अस्थाई एवं निजी कामगारों की एक औसत संख्या लगभग 300 कामगार प्रतिदिन है। 1 जुलाई, 2010 की स्थिति के अनुसार तूतीकोरिन पत्तन न्यास और श्रम पूल में कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	श्रेणी	वास्तविक संख्या (1-7-2010 के अनुसार)		
		तूतीकोरिन पत्तन न्यास	कार्गो की संभलाई नहीं करने वाले कामगारों की संख्या	कार्गो की संभालाई करने वाले कामगारों की संख्या
1.	वर्ग I	83	3	-
2.	वर्ग II	40	1	-
3.	वर्ग III	661	36	309
4.	वर्ग IV	345	7	659
	अस्थाई एवं ठेके पर श्रमिक	-	-	-
	जोड़	1129	47	968

[हिन्दी]

ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन हेतु भूमि सुधार

67. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य से भूमि सुधार का उपाय किया गया था;

(ख) यदि, हां तो इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने इसका कार्य शुरू किए जाने तथा उपलब्धियों के संबंध में असंतोष व्यक्त किया है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) से (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं. 18 के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन अनन्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भूमि सुधारों के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकारी और समन्वयकारी स्वरूप की ही है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों और राजस्व सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। निर्धारित सीमा से अधिक भूमि के वितरण सहित भूमि सुधार कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के समय-समय पर अनुरोध किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य-वार वितरित की गई निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

तथापि, इस विषय पर उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श किया गया है। इस विषय के संबंध में व्यापक सिफारिशें प्राप्त करने के लिए दो उच्च स्तरीय निकाय गठित किए गए थे।

(i) ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति है।

(ii) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद्"।

समिति तथा परिषद् के संघटन, विचारार्थ-विषय आदि को 9 जनवरी, 2008 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित 'राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद' के विचारार्थ तथा निदेश हेतु समिति की सिफारिशों को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा इनकी जांच की जा रही है। परिषद् समिति की सिफारिशों के आधार पर भूमि सुधारों के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकता है तथा नीतिगत सिफारिशें कर सकता है।

इस विभाग को योजना आयोग से, उनके द्वारा व्यक्त की गई नाराजगी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिसम्बर, 2009 तक अलग-अलग लाभार्थियों को वितरित किया गया क्षेत्र (एकड़ में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	597367
2.	असम	545875
3.	बिहार	353358
4.	छत्तीसगढ़	60681
5.	गुजरात	161670
6.	हरियाणा	101166
7.	हिमाचल प्रदेश	6167
8.	जम्मू और कश्मीर	0
9.	झारखंड	860

1	2	3
10.	कर्नाटक	125180
11.	केरल	69931
12.	मध्य प्रदेश	134202
13.	महाराष्ट्र	634158
14.	मणिपुर	1682
15.	उड़ीसा	159656
16.	पंजाब	98688
17.	राजस्थान	457082
18.	तमिलनाडु	190062
19.	त्रिपुरा	1599
20.	उत्तर प्रदेश	262858
21.	प. बंगाल	1039857
22.	दादरा और नगर हवेली	0
23.	दिल्ली	394
24.	पुदुचेरी	1070
	भूमि का योग एकड़ में	5003563

[अनुवाद]

गैर-परम्परागत निर्यात बाजार

68. श्री अम्बिका बनर्जी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-परम्परागत निर्यात बाजार देशों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय निर्यात वस्तुओं को बढ़ावा तथा निर्यात क्षेत्र को नया आयात देने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति में फोकस बाजार स्कीम तथा बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम के अंतर्गत गैर परम्परागत निर्यात बाजारों को अभिज्ञात किया है। इन बाजारों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार देश के तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम पर सतत रूप से कड़ी निगरानी रखती है तथा वित्तीय और समग्र आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यकता आधारित उपाय किए जाते हैं। भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने तथा निर्यात क्षेत्र को नया आयात प्रदान कराने के लिए समय-समय पर उठाए गए आवश्यक कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

1. फोकस बाजार स्कीम (एफ.एम.एस.):

विदेश व्यापार नीति में एफ.एम.एस. के अंतर्गत बावन (52) अफ्रीकी देशों, इकतीस (31) लैटिन अमरीकी देशों, दस (10) स्वतंत्र राज्यों - केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्यों के राष्ट्रकुल, पांच (05) पूर्वी यूरोपीय देशों, ग्यारह (11), एशिया-ओसीनिया ब्लॉक के देशों तथा एक (01) आसियान देश को सभी उत्पादों के निर्यात पर लाभ के लिए अधिसूचित किया गया है (एफ.टी.पी. के पैरा 3.14.3 में वर्णित उत्पादों/मदों की कुछेक अपात्र श्रेणियों को छोड़कर)

2. बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एम.एल.एफ.पी.एस.)

विदेश व्यापार नीति में एम.एल.एफ.पी.एस. के अंतर्गत अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, लैटिन अमरीका, में अनेक गैर परम्परागत निर्यात बाजारों, मध्य एशिया में अल्जीरिया, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ब्राजील, मैक्सिको, उक्रेन, कंबोडिया, वियतनाम, कतर, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, बांग्लादेश, फिलीपीन्स, सऊदी अरब, ईरान, कोरिया गणराज्य तथा चीन को चुनिन्दा उत्पादों के निर्यात पर लाभ के लिए अधिसूचित किया गया है।

इन देशों के ब्यौरे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं

तथा वेबसाइट http://dgft.gov.in में देखे तथा डाउनलोड किए जा सकते हैं।

विवरण-II

उद्योग एवं निर्यातकों को सहायता देने हेतु (बजट 2009-2010 तथा 2010-2011 और विदेश व्यापार नीति 2009-2014 तथा उसके बाद जनवरी/मार्च 2010 में की गई घोषणाओं सहित) सरकार/आर.बी.आई. द्वारा उठाए गए कदम

(क) सरकार द्वारा किए गए उपाय:

(1) निर्यात हेतु निम्नलिखित श्रम गहन क्षेत्रों के लिए दिनांक 30-09-2009 तक प्रदत्त 2 प्रतिशत की ब्याज छूट सुविधा की अवधि बढ़ाकर 31-03-2010 कर दी गई है:

वस्त्र (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, कालीन, चर्म, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा एस.एम.ई; (बजट 2010-11 में यह सुविधा, हथकरघा, हस्तशिल्प, कालीन और एस.एम.ई. हेतु 31-03-2011 तक बढ़ा दी गई है)

(2) विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वी.के.जी.यू.वाई.) में हस्तशिल्प मदों आदि हेतु 350 करोड़ रु. की अतिरिक्ति निधि (दिसंबर, 2008 में) उपलब्ध कराई गई;

(3) बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम का विस्तार कर दिनांक 01-04-2009 से 30-09-2009 तक निर्यात हेतु उसमें साइकिल के पुर्जों; मोटर कारों तथा मोटर साइकिलों, वस्त्र एवं परिधान सहायक सामग्री, ऑटो के पुर्जों आदि को शामिल किया गया।

(4) एफ.टी.पी. 2009-2014 में बाजार एवं उत्पाद विविधीकरण के लिए अधिक सहायता लागू की गयी है:-

- फोकस बाजार स्कीम (एफ.एम.एस.) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया गया;
- फोकस उत्पाद स्कीम (एफ.पी.एस.) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन 1.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया गया;
- फोकस बाजार स्कीम के अंतर्गत 26 नए बाजार जोड़े गए। इनमें लैटिन अमरिका में 16 तथा एशिया-ओसिनिया में 10 नए बाजार शामिल हैं;
- विभिन्न क्षेत्रों के बड़ी संख्या में उत्पादों (8 अंकीय स्तर पर 527 नए उत्पाद तथा 82 नए हस्तशिल्प उत्पाद) को एफ.पी.एस. के अंतर्गत लाभ हेतु शामिल किया गया;
- 13 नए देशों (अल्जीरिया, मिस्त्र, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ब्राजील, मैक्सिको, यूक्रेन, वियतनाम, कम्बोडिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड) को निर्यात के लिए 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकृत 1500 उत्पादों को शामिल करके बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एम.एल.एफ.पी.एस.) में अत्यधिक विस्तार किया गया;
- अन्य उत्पादों के साथ-साथ ऑटो संघटक, मोटर कार, साइकिल तथा उसके पुर्जों एवं परिधानों जैसे कुछेक मौजूदा उत्पादों के लिए अतिरिक्त नए बाजारों को निर्यात हेतु बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम के लाभ प्रदान किए गए;
- "पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों" के निर्यात और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मूल के कुछेक उत्पादों के निर्यात हेतु फोकस उत्पाद स्कीम के लाभ प्रदान किए गए;
- परियोजना निर्यात तथा कई विनिर्मित वस्तुओं की एफ.पी.एस. तथा एम.एल.एफ.पी.एस. में शामिल किया गया;

(5) वस्तु खेत्र-वार निष्पादन विश्लेषण के आधार पर जनवरी/मार्च, 2010 में बाजार एवं उत्पाद विविधीकरण हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई:

जनवरी, 2010 में की गई घोषणाएं:

(i) 8 अंकीय स्तर पर एफ.पी.एस. के अंतर्गत 112 नए उत्पाद जोड़े गए जो सभी बाजारों को हुए निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से लाभ के पात्र होंगे; प्रमुख क्षेत्रों में इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रबड़,

रसायन, प्लास्टिक, कार्टन बॉक्स तथा एग पाउडर शामिल हैं;

(ii) सभी बाजारों को हुए निर्यातों के संबंध में विशेष एफ.पी.एस. के अंतर्गत 8 अंकीय स्तर पर 113 नए उत्पादों को निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से अधिक लाभ प्रदान किए गए; प्रमुख क्षेत्रों में हाथ के औजार, कृषि एवं बागवानी मशीनों के पुर्जे, सिलाई मशीनें एवं उनके पुर्जे, द्रव पम्प, नट, बोल्ट, वॉशर, स्क्रू, स्टेपलर तथा सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एवं वेल्डिंग मशीनों के पुर्जे शामिल हैं।

(iii) एम.एल.एफ.पी.एस. में 8 अंकीय स्तर पर 1837 नए उत्पाद शामिल किए गए जो विनिर्दिष्ट बाजारों को हुए निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से लाभ के पात्र होंगे; प्रमुख क्षेत्रों में मशीनी औजार, खुदाई उपकरण, ट्रांसमिशन टावर, विद्युतीय एवं ऊर्जा उपकरण, स्टील ट्यूब, पाइप तथा गैल्वेनाइज्ड शीट, कम्प्रेसर, लौह एवं इस्पात संरचनाएं, ऑटो संघटक, तिपहिया वाहन तथा कपास से बुने फैब्रिक शामिल हैं (छह महीने की सीमित अवधि हेतु लाभ प्रदान करने के लिए रसायन को शामिल किया गया है)।

(iv) दो नए प्रमुख बाजार अर्थात चीन और जापान को एम.एल.एफ.पी.एस. में शामिल किया गया है;

(v) विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वी.के.जी.यू.वाई.) में तिलहन तथा गौण नारियल उत्पादों का शामिल किया गया है;

(vi) फोकस बाजार स्कीम (एफ.एम.एस.) में तिमोर लेस्ट को शामिल किया गया है;

मार्च 2010 में की गई घोषणाएं:

(i) बाजार संबंधी फोकस उत्पाद स्कीम (एम.एल.पी.पी.एस.) के तहत 8 अंकीय स्तर पर 200 से अधिक नए उत्पादों को जोड़ा गया जो 15 विनिर्दिष्ट बाजारों को निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से लाभ के पात्र होंगे।

इनमें से

I. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से 8 अंकीय स्तर पर 128 उत्पाद। प्रमुख मदों में रंगीन टीवी सेट, डेस्कटॉप तथा नोटबुक, ऑडिया सिस्टम्स तथा सब सिस्टम्स, वायर्ड सेवाओं हेतु टेलीफोन सेट्स, डाटा केबल, लैन केबल्स, प्रिंटेड सर्किट्स, सेमी-कंडक्टर डिवाइस इत्यादि शामिल हैं।

II. 8 अंकीय स्तर पर इंजीनियरी क्षेत्र हेतु 34 उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया। प्रमुख मदों में से कुछेक एल्यूमीनियम कंडक्टर, खाली एल.पी.जी. सिलेंडर, बाइसिकल के शीशे तथा डायनमो लाइटिंग सेट आदि हैं।

III. कृषि रसायन तथा कीटनाशक क्षेत्र से 39 उत्पाद।

(ii) ईयू तथा अमरीका को निर्यात हेतु 8 अंकीय स्तर पर परिधान एवं सिलेसिलाए वस्त्र क्षेत्र से लगभग 300 उत्पादों को 6 महीने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

(6) माने गए निर्यातों पर सी.एस.टी./अंतिम उत्पाद शुल्क/शुल्क प्रतिअदायगी के बकाया दावों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई गई।

(7) निर्यातक अनुकूल एवं लोकप्रिय शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीम अर्थात शुल्क हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.) स्कीम की अवधि को 31 दिसम्बर, 2010 तक बढ़ा दिया गया है;

(8) जिन मदों पर नवम्बर, 2008 में डी.ई.पी.बी. दरें कम की गयी थीं, उन समस्त मदों पर भूतलक्षी प्रभाव से डी.ई.पी.बी. दरों को बहाल किया गया और वर्ष 2007 से डी.ई.पी.बी. दरों में 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि को जारी रखा गया;

(9) दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से कुछेक मदों पर शुल्क प्रतिअदायगी की उच्चतर दरें बहाल की गईं; सभी मदों के लिए उत्पाद टैरिफ में और कुछेक मदों के लिए सीमाशुल्क टैरिफ में कमी के बावजूद शुल्क प्रतिअदायगी दरों को उसी

स्तर पर बहाल रखा गया; पहली बार बेशकीमती धातु आभूषण मदों के लिए शुल्क प्रतिअदायगी दरों की घोषणा की गई;

(10) बैंक वसूली प्रमाण-पत्र (बी.आर.सी.) की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अनंतिम रूप से डी.ई.पी.बी. तथा मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीमों की अनुमति;

(11) अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत संरचना शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात दायित्व की अवधि को 24 महीने से बढ़ाकर 36 महीने किया गया;

(12) हमारे निर्यात क्षेत्र के प्रौद्योगिकीय उन्नयन में सहायता करने के लिए कुछेक क्षेत्रों हेतु शून्य शुल्क पर ई.पी.सी.जी. स्कीम की शुरुआत की गई है। यह स्कीम दिनांक 31-3-2011 तक प्रचालनरत होगी;

(13) निर्यातों में वृद्धि करने और प्रौद्योगिकीय उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए दर्जाधारकों को पूंजीगत वस्तुओं की खरीद हेतु कुछेक क्षेत्रों के पूर्ववर्ती निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क ऋण पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह सुविधा दिनांक 31-3-2011 तक उपलब्ध रहेगी;

(14) आर.बी.आई. द्वारा निर्यात आय प्राप्ति को विशेष रूप से बट्टे-खाते डालने तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों से प्रमाण-पत्र की शर्त पर निर्यातकों को प्रदत्त प्रोत्साहनों को वसूल न करने की सुविधा;

(15) निर्यातकों के लिए सौदा लागत को कम करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं जैसे सभी प्रोत्साहन स्कीमों पर आवेदन शुल्क की समाप्ति; शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमों हेतु आवेदन शुल्क में कटौती; सीमाशुल्क विभाग, डी.जी.एफ.टी., बैंकों, पत्तनों, एयरलाइनों आदि सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए समय बद्ध तरीके से ई-व्यापार परियोजना को कार्यान्वित करने संबंधी लक्ष्य, अग्रिम प्राधिकार तथा ई.पी.सी.जी. स्कीमों जैसी शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमों को ई-वाणिज्य तंत्र में शामिल किया गया है;

(16) प्रत्येक वर्ष विश्वभर में आयोजित किए जाने वाले छह या उससे अधिक "मेड इन इंडिया" शो के जरिए ब्रांड इंडिया का संवर्धन;

(17) ई.सी.जी.सी. को 350 करोड़ रु. तक समर्थन गारंटी उपलब्ध कराई गई ताकि वह दुर्गम बाजारों/ उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटियां प्रदान कर सके। ई.सी.जी.सी. अब अपने दायरे में विस्तार करने में सक्षम है;

(18) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टी.यू.एफ.) के अंतर्गत वस्त्र इकाइयों के पिछले दावों का निपटान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय को अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई;

(19) एम.डी.ए. तथा एम.ए.आई. स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं;

(20) निम्नलिखित रोजगारन्मुख क्षेत्रों के लिए मौजूदा शुल्क मुक्त आयात हकदारी के भीतर अतिरिक्त मदों की अनुमति दी गई है:

(i) खेल सामान क्षेत्र हेतु अतिरिक्त मदें

(ii) चर्म परिधानों तथा फुटवियर और वस्त्र मदों के लिए अतिरिक्त मदें।

(21) वेतनेतर लाभकर (एफ.बी.टी.) समाप्त कर दिया गया है।

(22) धारा 10क और 10ख (एस.टी.पी.आई. तथा ई.ओ.यू. स्कीमों के लिए क्रमशः सनसैट खंड) को वित्त वर्ष 2010-2011 के लिए लागू किया गया है। "निर्धारिती की तुलना में इकाई" के करधान लाभ से संबंधित धारा 10कक में विसंगति हटा दी गई है।

(23) वाणिज्यिक नमूनों के शुल्क मुक्त आयात पर मूल्य सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष किया (बजट घोषणा, 2010-11)

(24) निर्यातों पर सेवाकर वापसी से संबंधित कुछेक लम्बित मुद्दों का निपटान किया गया। कुछ मुद्दे हैं:-

(i) निर्यातों से जुड़ी सेवाओं पर सेवाकर से छूटः

(क) किसी सी.एफ.एस. या आई.सी.डी. से पत्तन या विमानपत्तन तक सड़क द्वारा निर्यात वस्तुओं की ढुलाई से संबंधित सेवाकर और हटाए जाने के स्थान से किसी आई.सी.डी., सी.एफ.एस., पत्तन या विमानपत्तन तक सड़क द्वारा सीधे निर्यात वस्तुओं की ढुलाई से संबंधित सेवा पर;

(ख) विदेशी एजेन्ट की कमीशन सेवा द्वारा प्रदत्त सेवाएं।

(ii) वापसी का दावा निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 0.25 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में वापसी की अनुमति देकर और अन्य मामलों में सनदी लेखाकार के सत्यापन द्वारा सेवाकर वापसी की प्रक्रिया सरल बना दी गई है।

(iii) दावा दायर करने की अवधि निर्यात की तारीख से बढ़ाकर एक वर्ष (छः महीने की तुलना में) कर दी गई है।

(25) निर्यातकों के लिए विलंब में कमी करने हेतु अनेक प्रक्रियागत मुद्दों के फास्ट ट्रैक समाधान हेतु वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें राजस्व एवं वाणिज्य विभाग के सचिव शामिल हैं। तदनुसार कई मुद्दों का समाधान किया गया;

(26) संबंधित बैंकों द्वारा निर्यातकों को डॉलर ऋण उपलब्ध न कराने से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है;

(27) व्यापार उपचार साधनों के जरिए अपने अधिकारों का लाभ उठाने में भारतीय उद्योग एवं निर्यातकों विशेष रूप से एम.एस.एम.ई. को सहायता प्रदान करने के लिए व्यापार उपचार उपाय निदेशालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(28) पेट्रोलियम उत्पाद एवं अन्य उत्पादों जिनके संबंध में वर्तमान दर 4 प्रतिशत से कम थी, को छोड़कर सभी उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क में 4 प्रतिशत की समान दर से कमी की गयी। चर्म आदि जैसे कुछेक उत्पादों हेतु उत्पाद शुल्क में आगे और 2 प्रतिशत की कमी की गई;

(29) अतिलघु एवं लघु उद्यमों के लिए ऋणों पर ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवर 50 प्रतिशत के गारंटी कवर के साथ दोगुना कर 1 करोड़ रु. किया गया। ऋण गारंटी निधि न्यास द्वारा प्रदत्त गारंटी कवर को 5 लाख रु. तक की ऋण सुविधा हेतु बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया गया। ऐसे सम्पार्श्विक मुक्त ऋणों हेतु अवरुद्ध अवधि में कमी की गयी।

(30) समायोजन सहायता स्कीम जिसे सभी विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अर्थात वस्त्र (हस्तशिल्प एवं हथकरघा सहित), रत्न एवं आभूषण, चर्म, इंजीनियरी उत्पाद, कालीन परियोजना वस्तुएं, ऑटो संघटक तथा रसायनों के एम.एस.एम.ई. तथा गैर एम.एस.एम.ई. निर्यातकों को 95 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 5 प्रतिशत का संवर्धित अतिरिक्त कवरेज प्रदान करने के लिए ई.सी.जी.सी. द्वारा दिसम्बर, 2008 में शुरू किया गया था, को मार्च, 2010 तक जारी रखा जाएगा;

(31) निर्यात वित्त जिसे बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई. निर्यातकों को प्रदान किया जाता है, हेतु ई.सी.जी.सी. द्वारा बीमा जोखिम कवर जिसे 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया गया था, को 31-03-2010 तक बढ़ाया गया है।

(32) विशेष रूप से चीन से पाटित/सस्ते आयातों से घरेलू विनिर्माण उद्योग की रक्षा करने के लिए आटोफोर्ज्ड संघटक, एच.आर. कॉयल, कार्बन ब्लैक, पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न (पी.एफ.वाई.) तथा रेडियल टायरों (बस एवं ट्रक) पर आयात प्रतिबंध लगाए गए हैं; जिन्हें बाद में पी.एफ.वाई., एच.आर. कॉयल एवं कार्बन ब्लैक के लिए हटा लिया गया।

(33) पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में वृहद हथकरघा समूहों और राजस्थान में विद्युतकरघा समूह और श्रीनगर और मिर्जापुर में नए वृहद कालीन समूहों को अनुमोदित किया गया;

(34) हस्तशिल्प हेतु जयपुर, श्रीनगर तथा अनन्तनाग को; चर्म उत्पादों हेतु कानपुर, देवास तथा अम्बुर को और बागवानी उत्पादों के लिए मलीहाबाद को "निर्यात उत्कृष्टता के शहर" के रूप मान्यता प्रदान की गई है;

(35) अपरिष्कृत/अनगढ़ मूगों पर 5 प्रतिशत का मूल सीमाशुल्क समाप्त कर दिया गया;

(36) नियमित निगरानी तंत्र:

(क) सरकार के उच्चतम स्तर पर स्थिति की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि अपेक्षानुसार आगे और सुधारात्मक उपाय तुरंत किए जा सकें। इस संबंध में सरकार ने निम्नलिखित दो उच्चस्तरीय समितियां गठित की हैं जो नियमित आधार पर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रही हैं:-

(i) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ दल जिसमें वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उपाध्यक्ष (योजना आयोग), भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शामिल हैं;

(ii) वर्तमान वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय संकट के संबंध में व्यापार एवं उद्योग जगत तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करने तथा शीर्षस्थ दल के लिए कार्यवाही की सिफारिश करने हेतु नियमित रूप से बैठक करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की समिति जिसमें वित्त सचिव, वाणिज्य सचिव, सचिव (डी.आई.पी.पी.), सचिव (योजना आयोग) शामिल हैं।

(ख) एम.एस.एम.ई. के ऋण संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु राज्यस्तरीय बैंककार समिति की मासिक बैठक की बैठकों की प्रगति पर एम.एस.एम.ई. विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी की जाएगी।

ख. आर.बी.आई. द्वारा किए गए उपाय:

I. निम्नलिखित के द्वारा नकद प्रवाह में वृद्धि करने के लिए बैंकों की नकदी में वृद्धि:

(i) सी.आर.आर., एस.एल.आर., रेपो दर तथा प्रति रेपो दर में कमी (अक्तू. 08 से सी.आर.आर. को 9 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत (तत्पश्चात चरणों में वृद्धि की गई और अत: दिनांक 24-04-10 से 6 प्रतिशत है), एस.एल.आर. को 25 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत, (जिसे अक्तूबर, 09 में 25 प्रतिशत पर बहाल किया गया), रेपो दर को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 4.75 प्रतिशत (अब परिवर्तित कर 5 प्रतिशत किया गया) और प्रति रेपो दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत (अब परिवर्तित कर 3.5 प्रतिशत किया गया) किया गया)

(ii) रुपए या डॉलर में लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात ऋण प्रदान करने के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि हेतु एक्जिम बैंक को पुनर्वित्त सुविधा।

(iii) निर्यातों, अति लघु एवं लघु उद्यमों, म्युचुअल फंड तथा एन.बी.एफ.सी. को वित्त प्रदान करने के प्रयोजनार्थ बैंकों हेतु एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा स्थापित की गई है। उपबंधात्मक अपेक्षाओं में कमी की गई है। वाणिज्यिक बैंकों हेतु निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा को बढ़ा कर बकाया रुपया निर्यात ऋण का 50 प्रतिशत किया गया है (अब 27-10-2009 को 15 प्रतिशत पर बहाल किया गया)।

II. विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) की नकदी में वृद्धि

(i) घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा (अम. डा.) की बिक्री जारी रखने के संबंध में आर.बी.आई. का आश्वासन।

(ii) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर को फरवरी, 2010 में एल.आई.बी.ओ.आर.+350 आधार बिन्दु से घटाकर एल.आई.बी.ओ.आर.+200 आधार बिंदु किया गया है।

III. ऋण शर्तों को सरल बनाना:

(i) लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण की अवधि को बढ़ाकर प्रत्येक के लिए 90 दिन करना;

(ii) गैर-दर्जाधारक निर्यातकों हेतु निर्यात आय की समयावधि को दर्जाधारकों के समतुल्य बनाते हुए बढ़ाकर 12 माह करना। यह सुविधा जो पहले 03-06-2009 तक के लिए उपलब्ध थी, इसमें और एक वर्ष के लिए विस्तार किया गया है।

(iii) आर.बी.आई. द्वारा घोषित उपायों के उपरांत

पी.एस.यू. बैंकों द्वारा निर्यात इकाइयों हेतु गारंटियों पर मार्जिन मनी में कमी की गई।

मसाला बोर्ड का कार्य निष्पादन

69. श्रीमती जे शांता: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों तथा परिव्यय के उपयोग के संदर्भ में मसाला बोर्ड के गंभीर अल्प कार्यनिष्पादन का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बोर्ड के अल्प कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त अल्प कार्यनिष्पादन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) मसाला बोर्ड ने 10वीं योजना के दौरान लक्ष्यों तथा परिव्यय के उपयोग के रूप में कोई गंभीर अल्प कार्य निष्पादन नहीं किया है। मसाला बोर्ड को अपनी योजना स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु 10वीं योजना के दौरान 137 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसका पूर्ण उपयोग किया गया था। इसके अलावा, 10वीं योजना में मसाला बोर्ड के लिए आवंटन बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इसका उपयोग संतोषजनक है।

पोस्को द्वारा रक्षित पत्तनों का उपयोग

70. श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी (पोस्को) को उड़ीसा में पारादीप पत्तन के निकट दो रक्षित पत्तनों के उपयोग का अनन्याधिकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पहल के पारादीप पत्तन पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के संबंध में कोई आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) से (घ) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने पारादीप पत्तन के समीप पी.ओ.एस.सी. को दो रक्षित पत्तनों के प्रयोग का अनन्य अधिकार नहीं दिया है। फिर भी वर्ष, 2006 की अवधि के दौरान जटाधर मुहॉन जगत सिंह पुर में एक रक्षित पत्तन के लगाने के लिए उड़ीसा सरकार ने पी.ओ.एस.सी.ओ. इंडिया लिमिटेड को सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। पी.ओ.एस.सी.ओ. इंडिया लिमिटेड ने परियोजना के लिए डी.पी.आर. प्रस्तुत नहीं किया गया।

वियतनाम और म्यांमार के साथ मुक्त व्यापार समझौता

71. श्री पी. लिंगम:
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वियतनाम और म्यांमार के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन देशों के साथ किए गए व्यापार की मात्रा तथा इसके मूल्य से संबंधित ब्यौरा क्या है और व्यापार की मुख्य वस्तुएं क्या हैं; और

(घ) उक्त मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से इन देशों के साथ व्यापार में होने वाली वृद्धि के संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि वियतनाम और म्यांमार दिनांक 13-08-2009 को हस्ताक्षरित आसियान-भारत वस्तु व्यापार करार का हिस्सा हैं।

(ग) विएतनाम तथा म्यांमार के साथ व्यापार की मात्रा एवं मूल्य के मदवार ब्यौरे http://commerce.nic.in/eidb/default.asp पर उपलब्ध हैं।

(घ) आसियान-भारत वस्तु व्यापार करार में आसियान सदस्य देशों (ब्रुनेई, दारूस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पी.डी.आर., मलेशिया, म्यांमार, फिलिपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड तथा वियतनाम) तथा भारत द्वारा प्रदान की गई

टैरिफ रियायतें शामिल हैं जिनसे भारत एवं आसियान के बीच व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है।

आदेशों का पालन न करना

72. श्री एस. अलागिरी:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरणों/श्रम न्यायालयों के अवार्ड/आदेश को लागू नहीं करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के अंतर्गत राज्य-वार कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन के मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार और वर्ष-वार कितने कर्मचारियों/संगठनों को दंडित किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के अवार्ड को क्रियान्वित न करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र (राज्य-वार) में आने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के अंतर्गत स्वीकृत किए गए अभियोजनों की संख्या से संबंधित सूचना निम्नानुसार दी गई है।

राज्य	2007	2008	2009	2010 (जनवरी से जून, 2010)
1	2	3	4	5
दिल्ली	5	3	-	-
राजस्थान	4	-	1	-
असम	1	-	1	-
बिहार	14	15	6	3
महाराष्ट्र	3	3	-	-
कर्नाटक	4	-	-	-
उड़ीसा	1	3	2	8
तमिलनाडु	2	-	-	-
उत्तर प्रदेश	1	-	-	-
गुजरात	-	1	4	-
पश्चिम बंगाल	-	1	1	-
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	-	1	1	-
उत्तराखण्ड	-	-	2	-

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

ठेका मजदूरों को लाभ

73. श्रीमती मीना सिंह:
श्री राधामोहन सिंह:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ठेका आधार पर कामगार लेने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ख) क्या राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 लागू किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ठेकेदारों द्वारा ठेका कामगारों/श्रमिकों को प्रदत्त वेतन, भत्ते और अन्य लाभ उक्त अधिनियम के उल्लिखित नियमों के अनुसार हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कदम उठाया गए हैं;

(च) क्या सरकार ने इस मामले की आवधिक जांच कराई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) कामगारों को नियोजक की आवश्यकता के अनुसार ठेका आधार पर किराए पर लिया जाता है। कामगारों को कार्य की अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अत्यधिक कुशल श्रेणी में किराए पर लिया जा सकता है। प्रतिष्ठानों द्वारा स्वयं को प्रधान नियोजक के रूप में पंजीकृत कराना होता है तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों का पालन करना होता है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 को केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में क्रियान्वित किया जा रहा है तथा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में राज्य सरकारें क्रियान्वयन प्राधिकरण हैं।

(ग) से (च) ठेकेदारों द्वारा ठेका कामगारों/श्रमिकों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिकांशत: वेतन और भत्ता तथा अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के दाण्डिक उपबंधों के अंतर्गत अभियोजन चलाने, लाइसेंसों को निरस्त करने आदि जैसी समुचित कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र में, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.) को इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किए गए निरीक्षकों, लाइसेंसिंग अधिकारियों, पंजीकरण अधिकारियों तथा अपीलीय प्राधिकारियों के माध्यम से इस अधिनियम के उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों को प्रवर्तित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

(छ) पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रवर्तन और चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रवर्तन और चूककर्त्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नवत है:-

वर्ष	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	चलाए गए अभियोजनों की संख्या	सिद्धिदोषों की संख्या
2006-07	5365	77422	2648	887
2007-08	6843	104401	3675	1228
2008-09	6925	94162	7573	733
2009-10 (अ)	4357	52086	2401	775

नए ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

74. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरानी योजनाओं की तुलना में नए ग्रामीण पेयजल योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य कम धनराशि आबंटन के कारण पूरा नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार का विचार इस अंतर को कम करने के लिए इसकी पद्धति की समीक्षा तथा नियमों में परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) पुरानी योजनाओं की तुलना में कम निधियों के आबंटन के परिणामस्वरूप अपूर्ण रह गई नई ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों के बारे में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. का विनिवेश

75. श्री एम.बी. राजेश: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के विकास तथा विस्तार के प्रयोजन हेतु इसके विनिवेश का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कर्मचारी संघों से चर्चा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) सरकार बी.एस.एन.एल. में अपनी इक्विटी शेयरधारिता के कुछ भाग का जनता को विक्रय करने के लिए प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है जिसके निम्नलिखित कारण हैं:-

- इससे बी.एस.एन.एल. के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे, यदि अपेक्षित हो, नई इक्विटी पूंजी सृजित करने के लिए पूंजी बाजार तक अभिगम्यता उपलब्ध हो जाएगी।

(ग) और (घ) बी.एस.एन.एल. ने विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी संघों के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है। कर्मचारियों की आशंका को समाप्त करने के लिए बी.एस.एन.एल. मौखिक रूप से तथा साथ ही लिखित पत्र-व्यवहार के माध्यम से विनिवेश के लाभों के बारे में कर्मचारियों से बातचीत कर रहा है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

76. श्री के.सी. सिंह बाबा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तराखंड राज्य सरकार को विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक वर्ष आबंटित धनराशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से जमा कराया है; और

(ग) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को आबंटित धनराशि के उपयोग तथा अनुपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से अनेक योजनाएं अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम/संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यान्वित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान आबंटन आधारित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय रिलीज, उत्तर प्रदेश द्वारा उपयोग की गई राशि तथा डी.आर.डी.ए./राज्य सरकार के पास अव्ययित राशि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राज्य सरकारों/डी.आर.डी.ए. एजेंसियों को केन्द्रीय रिलीजें प्रत्येक कार्यक्रम के वित्तीय दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती हैं तथा रिलीजें संबंधित डी.आर.डी.ए./राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त निधियों के उपयोग प्रमाण-पत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात की जाती हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान आबंटन आधारित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय रिलीज, उत्तर प्रदेश द्वारा उपयोग की गई राशि तथा डी.आर.डी.ए./राज्य सरकार के पास अव्ययित राशि के राज्य-वार विवरण

(लाख रु.)

क्र. सं.	योजना का नाम	2007-08			2008-09			2009-10		
		केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	अव्ययित राशि	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	अव्ययित राशि	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	अव्ययित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	एसजीएसवाई	1618.59	2004.98	290.74	1914.26	2305.16	568.04	2069.31	2735.58	574.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	आईएवाई	2394.68	3654.45	443.65	4856.73	4242.68	3238.40	5044.95	7828.18	2206.91**
3.	पीएमजीएसवाई	7874.00	9973.00	*	11666.00	15279.00	*	16595.00	17257.00	*
4.	एआरडब्ल्यूएसपी	8930.00	11414.00	1228.00	8587.00	6109.00	3706.00	12490.00	6383.00	9813.00

नोट : उपयोग तथा अव्ययित राशि कुल उपलब्ध निधियों जिसमें केन्द्रीय रिलीज + राज्य रिलीज + पिछले वर्ष का अथशेष + विविध प्राप्तियां शामिल हैं, में से है।

* नहीं रखे जाते हैं।

** दर्शाई गई राशि संचयी अव्ययित राशि है।

टू जी और थ्री जी स्पैक्ट्रम की नीलामी

77. श्री अर्जुनराम मेघवाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टू जी और थ्री जी स्पैक्ट्रम की नीलामी से प्राप्त धनराशि में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने टू जी स्पैक्ट्रम की नीलामी के संबंध में संचार भवन पर छापे मारे थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच की अद्यतन स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, नहीं। अभी तक देश में 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की गई है। देश में पहली बार हाल ही में 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई है।

(ग) और (घ) निजी कंपनियों को यू.ए.एस. लाइसेंस प्रदान करने में अनियमितता बरतने के आरोप के मद्देनजर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 22-10-2009 को दूरसंचार विभाग के कुछ कार्यालयों की तलाशी ली और यू.ए.एस. लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम से संबंधित नीति/इनके आबंटन से संबंधित कुछ फाइलों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अभी इस मामले की जांच कर रहा है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

78. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री प्रेमचंद गुड्डू:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के पास इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के उपयोग की निगरानी तथा दुरुपयोग का पता लगाने के लिए क्या तंत्र उपलब्ध हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान धनराशि के दुरुपयोग आदि जैसी अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए गैर-सरकारी संगठनों के राज्यवार क्या नाम हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) मंत्रालय से इसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित परियोजनाओं के लिए मंत्रालय द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के उपयोग की निगरानी राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाणपत्रों, लेखा-परीक्षित विवरणों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रीय संस्थानों तथा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार निरीक्षण भी किए जाते हैं। मंत्रालय उसके द्वारा क्रियान्वित योजनाओं तथा परियोजनाओं का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से भी कराता है। गैर-सरकारी संगठन द्वारा निधियों का दुर्विनियोजन प्रमाणित होने पर मंत्रालय गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में डालने (ब्लैक लिस्ट करने) के लिए कार्रवाई करता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में अब तक तीन गैर-सरकारी संगठन अनियमितताओं में शामिल पाए गए हैं। इन गैर-सरकारी संगठनों के नाम तथा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य	गैर-सरकारी संगठन का नाम	की गई कार्रवाई
1.	महाराष्ट्र	ओम् हरि बहु-उद्देशीय शिक्षण संस्था, कनेरी/ पंधेरी, तालुका - लखानी जिला भंडारा	काली सूची में डाला गया।
2.	उत्तर प्रदेश	किसान महिला ग्रामोद्योग संस्था, हरिओध नगर, जिला आजमगढ़	काली सूची में डाला गया।
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	संत साईंनाथ मॉडर्न पब्लिक शिक्षा समिति, सुन्दर नगरी, दिल्ली	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	301	240	206	25
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	3	2	0
4.	असम	59	53	45	7
5.	बिहार	45	40	20	4
6.	चंडीगढ़	3	0	2	0
7.	छत्तीसगढ़	21	19	11	3
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	72	67	36	15
11.	गोवा	4	3	3	0
12.	गुजरात	44	35	34	3
13.	हरियाणा	67	43	38	4
14.	हिमाचल प्रदेश	10	12	6	1

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
15.	जम्मू और कश्मीर	9	11	3	2
16.	झारखंड	11	6	1	0
17.	कर्नाटक	176	136	114	11
18.	केरल	60	65	57	15
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	88	62	36	10
21.	महाराष्ट्र	150	132	108	19
22.	मणिपुर	86	86	60	3
23.	मेघालय	11	6	6	0
24.	मिजोरम	16	14	7	0
25.	नागालैंड	8	5	3	0
26.	उड़ीसा	158	130	125	19
27.	पुडुचेरी	3	2	1	0
28.	पंजाब	39	31	20	2
29.	राजस्थान	115	89	56	15
30.	सिक्किम	2	2	1	0
31.	तमिलनाडु	147	117	102	10
32.	त्रिपुरा	6	4	5	1
33.	उत्तर प्रदेश	182	166	104	21
34.	उत्तराखंड	20	22	10	4
35.	पश्चिम बंगाल	115	99	77	7
	कुल	2032	1701	1299	201

सुरक्षा संबंधी जानकारी की हैकिंग

79. श्री एल. राजगोपाल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हैकरों से निपटने का है जिन्होंने हाल ही में कथित रूप से भारतीय रक्षा नेटवर्क से महत्वपूर्ण सुरक्षा डाटा चुरा लिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त हैकरों से निपटने के लिए

राष्ट्रीय साइबर एजेंसियों के साथ समन्वय करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई साइबर सुरक्षा नीति है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) मंक स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स, टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा के अनुसंधानकर्त्ताओं के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई भारतीय रक्षा नेटवर्कों के हैकिंग की रिपोर्ट का व्यापक विश्लेषण किया गया था। यह पता लगाया गया था कि हैकरों द्वारा कुछ इंटरनेट अभिमुख कम्प्यूटरों के साथ छेड़-छाड़ की गई थी जिनमें कोई संवेदनशील रक्षा आंकड़े नहीं थे।

(ख) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भावी संगठनों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है ताकि किसी अप्रिय घटना का समुचित प्रत्युत्तर दिया जा सके।

(ग) और (घ) एक नोडल एजेंसी नामतः रक्षा सूचना आश्वासन और अनुसंधान एजेंसी (डी.आई.ए.आर.ए.) जिसे तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के सभी साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु प्राधिकृत किया गया है, का कम्प्यूटर आपातकालीन प्रत्युत्तर दल भारत (सी.ई.आर.टी-इन) और राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसंधान संगठन (एन.टी.आर.ओ.) जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निकट समन्वय बना रहता है।

(ङ) और (च) सभी स्तरों पर विशिष्ट साइबर सुरक्षा नीतियां तैयार की गई हैं। सेना मुख्यालयों के पास एक सूचना सुरक्षा नीति है और उनके नेटवर्कों की दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है।

नारियल का निर्यात

80. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए नारियल की मात्रा तथा मूल्य का देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) नारियल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित नारियल की मात्रा एवं मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2007-08	1671.46	5.40
2008-09	13578.00	55.80
2009-10 (अप्रैल-दिसम्बर, 2009)	17397.02	72.12

प्रमुख आयातक देश बांग्लादेश, नेपाल तथा यू.ए.ई. हैं।

(ख) सरकार, आमतौर पर सीधे तथा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कृषि निर्यात का संवर्धन करती आ रही है। निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार अवसंरचना विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार विकास हेतु विभिन्न प्रोत्साहन तथा संवर्धन, पैकेजिंग, प्रचार, सूचना के प्रसार इत्यादि के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। गत तीन वर्षों के दौरान नारियल के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि (मात्रा एवं मूल्य में) हुई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास अदावाकृत धनराशि

81. श्री एम.के. राघवन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के पास वर्तमान में राज्य-वार कितनी धनराशि अदावाकृत/बेकार पड़ी हुई है;

(ख) इस संबंध में खातों तथा खाता धारकों के संबंध में केन्द्रीय डाटाबेस शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसके अनेक खाते हो जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को और अधिक कर्मचारी उन्मुख बनाने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार असंचालित खातों (अदावाकृत राशि) का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सदस्यों का आंकड़ा आधार केन्द्रीय रूप में नहीं रखा जाता तथा इसे मूल रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रखा जाता है। तथापि, मुख्यालय स्तर पर भी आंकड़ा आधार तक सदस्य की शीघ्र पहुंच के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 'कम्प्यूटरीकरण परियोजना' में, सदस्यों के आंकड़ा आधार को रखने के लिए एक केन्द्रीय निक्षेपागार की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी हां, कतिपय सदस्यों के मामले में अनेक खातों के लिए यह एक कारण है।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सदस्य क्षेत्र हेतु सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। दावों के निपटान के लिए राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एन.ई.एफ.टी.), लघु संदेश सेवा (एस.एम.एस.), ई.पी.एफ. आई.जी.एम.एस. (इंटरनेट आधारित शिकायत तंत्र प्रणाली) का प्रारम्भ किया जाना तथा अंतरण संबंधी मामलों के प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया जाना इस दिशा में उठाए गए कदमों के कुछ उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 'कम्प्यूटरीकरण परियोजना' अंशदाताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए और अधिक साधन उपलब्ध कराएगा।

विवरण

2008-09 के लिए वार्षिक खातों के अनुसार ई.पी.एफ.ओ. के क्षेत्र-वार असंचालित खाते

क्र.सं.	क्षेत्र	31-03-2009 को अधिशेष (रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश - हैदराबाद	5,960,442,298.84
2.	आंध्र प्रदेश - गुंटूर	2,349,819,190.00
3.	बिहार	640,455.03
4.	छत्तीसगढ़	1,547,757,920.50
5.	दिल्ली - उत्तर	36,612,348.55
6.	दिल्ली - दक्षिण	29,973,933.04
7.	गोवा	180,369,271.00
8.	गुजरात - अहमदाबाद	20,144,984,69
9.	गुजरात - बड़ौदा	6,137,088.62
10.	हरियाणा	31,674,066.60
11.	हिमाचल प्रदेश	1,005,117,000.00
12.	झारखंड	503,214.65
13.	कर्नाटक - बंगलौर	31,901,486.00
14.	कर्नाटक - मंगलौर	362,000.00
15.	केरल	1,757,689.00
16.	मध्य प्रदेश	1,344,460,643.00
17.	महाराष्ट्र - I (बांद्रा)	78,957,978.49
18.	महाराष्ट्र - II (ठाणे)	-
19.	महाराष्ट्र - नागपुर	3,139,926,215.80
20.	महाराष्ट्र - पुणे	17,754,414,135.67
21.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	4,241,478.53
22.	उड़ीसा	2,925,876.08
23.	पंजाब - चंडीगढ़	44,649,373.00
24.	पंजाब - लुधियाना	81,505,706.37
25.	राजस्थान	11,549,049.14
26.	तमिलनाडु - चैन्ने	4,405,128,663.58
27.	तमिलनाडु - कोयंबटूर	782,335,401.74
28.	तमिलनाडु - मदुरै	1,994,091,617.80
29.	उत्तराखंड	39,179,693.43

1	2	3
30.	उत्तर प्रदेश	12,736,558,898.13
31.	पश्चिम बंगाल - कोलकाता	4,286,103,228.49
32.	पश्चिम बंगाल - जलपाईगुड़ी	1,016,060,035.83
	कुल	58,925,300,941.60

टिप्पण : 31-03-2009 को क्षेत्रों की संख्या 32 थी।

कामकाजी व्यक्तियों की वार्षिक आय

82. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों विशेषतः कृषि, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में लगे व्यक्तियों के प्रतिशत तथा संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में किसी व्यक्ति की राज्य-वार तथा वर्ष-वार औसत वार्षिक आय कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की वार्षिक आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2004-05 के दौरान किया गया था। विगत दो सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार, देश में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में लगे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 1999-2000 के दौरान क्रमशः 237.6 मिलियन (59.9%), 69.2 मिलियन (17.4%) तथा 90.3 मिलियन (22.7%) की तुलना में 2004-05 के दौरान 268.6 मिलियन (58.5%), 83.1 मिलियन (18.1%) तथा 107.4 मिलियन (23.4%) थी। कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में लगे व्यक्तियों का राज्य-वार प्रतिशत संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2008-09 के दौरान चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद 37490 रु. था। वर्ष हेतु चालू कीमतों पर राज्य-वार प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों हेतु पृथक रूप से प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद पर राज्य-वार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। वर्तमान में संकेन्द्रण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की रहन-सहन दशाओं में सुधार लाने के लिए उनकी आय में वृद्धि के लिए तीव्र गति से उत्पादक रोजगार पर है। भारत सरकार विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.); स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) का भी कार्यान्वयन कर रही है। चालू वर्ष हेतु वित्तीय आवंटन प्रमुख योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है जैसे एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. हेतु 39100 करोड़ रु., जो कि 144 प्रतिशत की वृद्धि है तथा "भारत निर्माण" हेतु 45 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इन बढ़े हुए आबंटनों से रोजगार स्तरों में वृद्धि होने का अनुमान है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों की आय में सुधार होगा।

विवरण-I

2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों में लगे व्यक्तियों का राज्य-वार प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	व्यक्ति (ग्रामीण)			व्यक्ति (शहरी)		
		कृषि	उद्योग	सेवा	कृषि	उद्योग	सेवा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	71.8	13.2	15.0	10.0	30.0	60.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	81.9	5.3	12.7	11.1	11.9	77.0
3.	असम	74.3	6.0	19.7	4.8	19.3	75.9
4.	बिहार	77.9	8.4	13.6	20.5	19.0	60.7
5.	छत्तीसगढ़	86.2	7.3	6.6	13.3	27.9	58.8
6.	दिल्ली	7.2	28.2	64.6	0.1	31.9	67.8
7.	गोवा	35.3	16.0	48.8	4.8	34.8	60.5
8.	गुजरात	77.3	11.4	11.4	6.2	45.3	48.5
9.	हरियाणा	64.1	17.8	18.0	11.2	34.2	54.6
10.	हिमाचल प्रदेश	69.6	16.2	14.1	8.5	37.3	54.0
11.	जम्मू और कश्मीर	63.9	18.3	17.7	14.1	37.6	48.2
12.	झारखंड	70.0	19.6	10.4	11.8	33.1	55.1
13.	कर्नाटक	81.0	8.7	10.2	8.2	32.5	59.2
14.	केरल	42.0	25.8	32.2	15.7	29.2	55.3
15.	मध्य प्रदेश	82.5	9.4	8.1	12.1	29.9	57.9
16.	महाराष्ट्र	80.0	8.9	11.2	6.8	34.3	59.0
17.	मणिपुर	69.3	12.2	18.4	28.3	19.2	52.6
18.	मेघालय	81.8	7.6	10.7	2.0	12.7	85.3
19.	मिजोरम	87.4	1.9	10.7	36.1	10.4	53.5
20.	नागालैंड	79.3	4.2	16.6	12.9	11.4	75.7
21.	उड़ीसा	69.0	17.5	13.6	13.9	26.6	59.4
22.	पंजाब	66.9	17.0	16.0	5.9	34.6	59.6
23.	राजस्थान	72.9	16.8	10.3	13.9	35.2	50.7
24.	सिक्किम	60.5	12.4	26.9	0.2	19.9	80.1
25.	तमिलनाडु	65.4	20.1	14.7	8.3	38.9	52.8
26.	त्रिपुरा	43.2	16.5	40.3	4.1	14.7	81.3
27.	उत्तराखंड	78.4	9.7	11.9	12.0	23.5	64.4

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	उत्तर प्रदेश	72.8	14.5	12.8	10.5	36.4	53.3
29.	पश्चिम बंगाल	62.7	17.7	19.5	2.8	35.3	61.9
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45.4	19.4	35.1	2.6	23.7	73.7
31.	चंडीगढ़	7.0	43.6	49.2	0.4	21.2	78.4
32.	दादरा और नगर हवेली	48.3	30.6	21.1	6.0	34.3	59.6
33.	दमन और दीव	39.4	29.5	31.0	17.6	24.9	57.4
34.	लक्षद्वीप	39.3	42.9	17.8	26.5	21.5	52.0
35.	पुडुचेरी	58.6	23.5	17.7	8.7	38.7	52.4
	अखिल भारत	72.7	13.7	13.6	8.8	34.1	57.2

विवरण-II

2008-09 हेतु चालू कीमतों पर राज्य-वार प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2008-09
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	39597
2.	अरुणाचल प्रदेश	27392*
3.	असम	23308
4.	बिहार	12643
5.	झारखंड	21465
6.	गोवा	105582*
7.	गुजरात	45773*
8.	हरियाणा	67891
9.	हिमाचल प्रदेश	40134*
10.	जम्मू और कश्मीर	24214*
11.	कर्नाटक	40998
12.	केरल	41814*
13.	मध्य प्रदेश	18051*
14.	छत्तीसगढ़	29621
15.	महाराष्ट्र	47051*
16.	मणिपुर	21062
17.	मेघालय	26636*
18.	मिजोरम	29576
19.	नागालैंड	21083**
20.	उड़ीसा	26507
21.	पंजाब	50558
22.	राजस्थान	24257
23.	सिक्किम	37553

1	2	3
24.	तमिलनाडु	45058
25.	त्रिपुरा	27777@
26.	उत्तर प्रदेश	18214
27.	उत्तराखंड	36520
28.	पश्चिम बंगाल	31722*
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	42561@
30.	चंडीगढ़	119240
31.	दिल्ली	78690*
32.	पुडुचेरी	84625
	अखिल भारत प्रति व्यक्ति	37490

*वर्ष 2007-08 से संबंधित हैं

** वर्ष 2005-06 हेतु

@ वर्ष 2006-07 हेतु

अपतटीय कंटेनर टर्मिनल परियोजना

83. डॉ. संदीप गणेश नाईक: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अपतटीय कंटेनर टर्मिनल परियोजना के निर्माण में लगभग दो वर्ष का विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) वैश्विक आर्थिक मंदी के चलते चुने गए गैर सरकारी प्रचालकों द्वारा वित्तीय समाप्ति के बारे में विलम्ब कर देने से मुम्बई पत्तन न्यास में अपतट कंटेनर टर्मिनल परियोजना में लगभग 17 महीने तक की देरी हो गई है। प्रचालक द्वारा इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ई.पी.सी.) ठेकेदार की नियुक्ति में विलम्ब करने तथा मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा ड्रेजिंग के ठेके को सौंपे जाने में देरी करना भी इस परियोजना के विलम्ब का कारण हैं।

(ग) इस परियोजना के संबंध में कार्य पहले से ही अप्रैल, 2009 से आरंभ हो गया है।

वल्लारपदम अंतरराष्ट्रीय ट्रांशिपमेन्ट कंटेनर टर्मिनल

84. श्री के.पी. धनपालन: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में प्रस्तावित वल्लारपदम अंतरराष्ट्रीय ट्रांशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त टर्मिनल के शुरू होने की प्रस्तावित तिथि क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के कारण कारोबार तथा अर्थव्यवस्था में होने वाली संभावित वृद्धि और केरल की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) केरल में वल्लारपदम अंतरराष्ट्रीय यानांतरण कंटेनर टर्मिनल का आज की तारीख तक 95 प्रतिशत वास्तविक कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) टर्मिनल के पहले चरण को कार्य शुरू किए जाने के लिए अक्तूबर, 2010 तक तैयार होने की आशा है।

(ग) और (घ) इस टर्मिनल को कंटेनर फ्रेट स्टेशन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो के परिवहन, संभार-तंत्र और भण्डारण केन्द्रों इत्यादि जैसी संबद्ध उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिए आरंभ करना है। श्रमिकों के प्रोत्साहक उद्योगों के होने के नाते, इन उद्योगों से राज्य में अत्यधिक रोजगार संभावनाएं सृजित होने की उम्मीद है।

जल गुणवत्ता निगरानी और सतर्कता कार्यक्रम

85. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और सतर्कता कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी पंचायतों की सहायता की गई तथा कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम के अनुसार आसानी से उपयोग किए जाने वाले रासायनिक क्षेत्र जांच किटों/जैविक वायल/स्ट्रिप का उपयोग कर पेयजल गुणवत्ता जांच के लिए राज्य ग्राम पंचायत स्तर पर 5 व्यक्तियों, ब्लॉक स्तर पर 5 व्यक्तियों, जिला स्तर पर 4 व्यक्तियों और राज्य स्तर पर 2 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक रासायनिक क्षेत्र जांच किट उपलब्ध कराई जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई निधि, पंचायतों को उपलब्ध कराए गए किटों की सं. और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-I से IV में दी गई है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम का वित्तपोषण विशिष्ट आबंटन द्वारा किया गया। जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम को दिनांक 1-4-2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) में मिला दिया गया और दिनांक 1-4-2009 से उपर्युक्त क्रियाकलाप के लिए निधियां आबंटित करने की शक्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्यायोजित की गई है।

विवरण-I

वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम संबंधी प्रगति (दिनांक 21-7-2010 की स्थिति के अनुसार ऑन-लाइन आई.एम.आई.एस. में राज्यों द्वारा यथा सूचित)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रिलीज की गई निधियां लाख रु. में	प्रशिक्षित व्यक्ति				उपलब्ध कराए गए रासायनिक किट	उपलब्ध कराया गया जैविक किट
			जिला स्तर पर	ब्लॉक स्तर पर	ग्राम पंचायत स्तर पर	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	706.21	118	2672	11616	14406	6248	129536
2.	बिहार	752.02	0	1824	6429	8253	1816	84290
3.	छत्तीसगढ़	304.56	400	5840	0	6240	4368	306
4.	गोवा	6.56	0	0	0	0	22	0
5.	गुजरात	390.69	183	1218	29381	30782	4875	139380
6.	हरियाणा	220.61	0	84	410	494	17180	15732
7.	हिमाचल प्रदेश	102.37	0	0	325	325	183	10
8.	जम्मू और कश्मीर	85.07	0	0	0	0	1315	0
9.	झारखण्ड	277.04	88	572	5	665	838	13480
10.	कर्नाटक	276.59	0	65	15	80	1355	0
11.	केरल	88.31	394	0	0	394	10	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	मध्य प्रदेश	701.15	128	1643	85820	87591	6077	392303
13.	महाराष्ट्र	806.09	137	1316	8874	10327	4438	248558
14.	उड़ीसा	288.91	30	0	0	30	2694	200
15.	पंजाब	290.33	0	458	1101	1559	1154	1795
16.	राजस्थान	349.11	0	967	0	967	282	0
17.	तमिलनाडु	478.11	10	0	50349	50359	7268	6940496
18.	उत्तर प्रदेश	1035.99	451	0	20	471	5353	288206
19.	उत्तराखंड	251.99	0	333	604	937	153	1
20.	पश्चिम बंगाल	467.36	40	421	77	538	0	0
21.	अरुणाचल प्रदेश	28.91	0	55	875	930	215	0
22.	असम	154.88	129	777	5276	6182	815	28210
23.	मणिपुर	5.19	0	30	0	30	7	0
24.	मेघालय	30.45	0	0	24	24	188	0
25.	मिजोरम	5.06	1	15	0	16	116	2855
26.	नागालैंड	1.98	0	0	0	0	0	0
27.	सिक्किम	5.33	0	0	1270	1270	61	80
28.	त्रिपुरा	70.09	0	25	0	25	12	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0.41	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1.78	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0.63	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	11.85	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0.39	130	0	0	130	13	0
	कुल	81,96.02	2,239	18,315	2,02,471	2,23,025	67,056	82,85,438

विवरण-II

वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम संबंधी प्रगति (दिनांक 21-7-2010 की स्थिति के अनुसार ऑन-लाइन आई.एम.आई.एस. में राज्यों द्वारा यथा सूचित)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रिलीज की गई निधियां लाख रु. में	प्रशिक्षित व्यक्ति				उपलब्ध कराए गए रासायनिक किट	उपलब्ध कराया गया जैविक किट
			जिला स्तर पर	ब्लॉक स्तर पर	ग्राम पंचायत स्तर पर	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	161.77	0	189	67524	67713	9091	416086
2.	बिहार	0	0	621	16173	16794	6359	794083
3.	छत्तीसगढ़	0	0	0	596	596	1331	6261
4.	गोवा	0	0	0	0	0	22	0
5.	गुजरात	106.08	205	3992	20643	24840	6428	756732
6.	हरियाणा	0	20	726	11742	12488	18828	123675
7.	हिमाचल प्रदेश	0	48	0	3584	3632	217	1180
8.	जम्मू और कश्मीर	0	450	3030	4546	8026	1611	298
9.	झारखण्ड	0	0	603	2406	3009	1560	116616
10.	कर्नाटक	0	0	0	6541	6541	3927	4932
11.	केरल	0	0	0	0	0	11	0
12.	मध्य प्रदेश	242.69	0	76	18850	18926	17713	1633889
13.	महाराष्ट्र	0	77	1717	46868	48662	28534	1383307
14.	उड़ीसा	0	60	549	3716	4325	4067	49189
15.	पंजाब	0	114	206	24219	24539	5781	35646
16.	राजस्थान	0	0	621	3913	4534	1427	49220
17.	तमिलनाडु	171.38	0	0	1836	1836	26405	4557869
18.	उत्तर प्रदेश	0	165	23966	1600	25731	2626	19746
19.	उत्तराखंड	0	0	1497	10171	11668	331	806
20.	पश्चिम बंगाल	0	53	407	81680	82140	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	3034	3034	244	3100
22.	असम	0	0	139	5373	5512	2425	135353
23.	मणिपुर	0	0	0	0	0	10	3
24.	मेघालय	0	62	177	1870	2109	410	26640
25.	मिजोरम	0	0	0	0	0	85	0
26.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
27.	सिक्किम	0	39	115	6620	6774	225	2776
28.	त्रिपुरा	0	0	155	2042	2197	12	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	428	428	33	8750
	कुल	681.92	1,293	38,786	3,45,975	3,86,054	1,39,713	1,01,26,157

विवरण-III

वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम संबंधी प्रगति (दिनांक 21-7-2010 की स्थिति के अनुसार ऑन-लाइन आई.एम.आई.एस. में राज्यों द्वारा यथा सूचित)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रशिक्षित व्यक्ति				उपलब्ध कराए गए रासायनिक किट	उपलब्ध कराया गया जैविक किट
		जिला स्तर पर	ब्लॉक स्तर पर	ग्राम पंचायत स्तर पर	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	12378	12378	5777	126300
2.	बिहार	0	18	9203	9221	3461	317293
3.	छत्तीसगढ़	0	1	7762	7763	328	0

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गोवा	0	0	0	0	22	0
5.	गुजरात	18	2413	82	2613	312	1100
6.	हरियाणा	0	0	1183	1183	17108	31859
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1229	1229	372	3760
8.	जम्मू और कश्मीर	866	9612	6290	16769	2633	1316
9.	झारखण्ड	0	188	12721	12909	1141	80803
10.	कर्नाटक	0	219	34235	34454	2976	34
11.	केरल	0	0	0	0	10	0
12.	मध्य प्रदेश	0	5	4023	4028	777	169635
13.	महाराष्ट्र	0	0	2253	2253	1064	0
14.	उड़ीसा	96	22	7607	7725	2735	1248
15.	पंजाब	522	0	23442	23964	4591	41271
16.	राजस्थान	0	0	0	0	970	14440
17.	तमिलनाडु	0	0	0	0	5512	1028562
18.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	2472	200
19.	उत्तराखंड	0	179	7148	7327	559	757
20.	पश्चिम बंगाल	123	500	30245	30868	0	0
21.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	311	10000
22.	असम	0	0	192	192	870	5578
23.	मणिपुर	0	0	571	571	128	122
24.	मेघालय	0	0	462	462	309	14520
25.	मिजोरम	0	0	0	0	78	0
26.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
27.	सिक्किम	0	0	0	0	56	0
28.	त्रिपुरा	0	20	0	20	13	100
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	13	0
	कुल	1,625	13,178	1,61,026	1,75,829	54,598	18,48,898

विवरण-IV

वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम संबंधी प्रगति (दिनांक 21-7-2010 की स्थिति के अनुसार ऑन-लाइन आई.एम.आई.एस. में राज्यों द्वारा यथा सूचित)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रशिक्षण की स्थिति				उपलब्ध कराए गए रासायनिक किट	उपलब्ध कराया गया जैविक किट
		प्रशिक्षित	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित	प्रशिक्षित ग्राम रोजगार कामगार	प्रशिक्षु		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	4512	0
2.	बिहार	0	0	0	0	1166	0
3.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	325	0
4.	गोवा	0	0	0	0	53	155
5.	गुजरात	0	0	0	0	301	0
6.	हरियाणा	0	0	382	382	16901	1172
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	150	0
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	1315	0
9.	झारखण्ड	0	0	0	0	563	0
10.	कर्नाटक	0	0	0	0	1489	49
11.	केरल	0	0	0	0	10	0

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	767	0
13.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	1064	0
14.	उड़ीसा	0	0	401	401	2691	0
15.	पंजाब	181	0	3040	3221	898	5020
16.	राजस्थान	0	6	215	221	327	420
17.	तमिलनाडु	0	0	0	0	5560	966104
18.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	2470	0
19.	उत्तराखंड	0	50	5134	5184	157	11
20.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
21.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	215	0
22.	असम	0	0	0	0	854	7546
23.	मणिपुर	0	0	0	0	7	0
24.	मेघालय	0	0	0	0	188	0
25.	मिजोरम	0	0	0	0	78	0
26.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
27.	सिक्किम	0	0	0	0	56	0
28.	त्रिपुरा	0	0	0	0	12	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	13	0
	कुल	181	56	9,172	9,409	42,144	9,80,477

गोलाबारूद का परीक्षण

86. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुध विनिर्माणियों द्वारा मध्यम दूरी की क्षमता वाले गोलाबारूद के परीक्षण हेतु किसी उपकरण का विनिर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ आयातित उपकरण की तुलना में इसकी विनिर्माण लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक दूरी की क्षमता वाले गोलाबारूद के परीक्षण हेतु उपकरण का विनिर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां। गुणता आश्वासन महानिदेशालय और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की मांग को पूरा करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा मध्यम श्रेणी की क्षमता के गोलाबारूद के नियमित परीक्षण के लिए उपकरणों का विनिर्माण किया जाता है और उनकी आपूर्ति की जाती है।

(ख) आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा विनिर्मित स्वदेशी मदों की विनिर्माण लागत के साथ-साथ उनका ब्यौरा निम्नलिखितानुसार है:-

क्र. सं.	मद	वर्ष, 2009-10 के लिए मद का इकाई मूल्य (रुपए लाख में)
1	2	3
1.	120 मि.मी. एम.बी.टी. अर्जुन स्येयर बैरल	41.38
2.	105 मि.मी. आई.एफ.जी. नालमुख ब्रेक	3.57
3.	81 मि.मी. मोर्टार ई-1	14.37
4.	51 मि.मी. मोर्टार उपस्कर	0.97
5.	84 मि.मी. आर.एन. एम.के.-II	5.15
6.	23 मि.मी. प्रेसर बैरल	3.36
7.	23 मि.मी. गति बैरल	3.32
8.	40 मि.मी. ए/70 बैरल	5.18
9.	ओ.आर.डी. 105/37 2ए-आई.एफ.एल.-104जी.ए.	40.50

आयातित उपकरण की लागत का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। सूचना एकत्र की जाएगी और सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) और (घ) जी, हां, आयुध निर्माणी बोर्ड के कुछ उच्च श्रेणी की क्षमता के गोलाबारूद के लिए परीक्षण उपकरण के विनिर्माण का विकास कार्य शुरू किया है। आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा वर्तमान में 76/62 एस.आर.जी.एम. और ए.के.-100 (दोनों नौसेना के लिए) के लिए परीक्षण उपकरणों का विकास किया जा रहा है।

शहरी क्षेत्रों हेतु रोजगार योजना

87. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) की तर्ज पर एक शहरी रोजगार गारंटी योजना आरम्भ करने तथा न्यूनतम पारिश्रमिक को सांविधिक रूप प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी नहीं। एम.जी.एन.आर.ई.जी.एम. की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना आरंभ करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत उपयुक्त सरकारों द्वारा अनुसूचित रोजगारों हेतु निर्धारित/संशोधित न्यूनतम वेतन के भुगतान का प्रावधान पहले से विद्यमान है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रक्षा उत्पादन नीति

88. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री सी.आर. पाटील:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों से रक्षा उपकरणों के आयात पर से निर्भरता कम करने के उद्देश्य से एक नई रक्षा उत्पादन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई नीति के अंतर्गत निजी फर्मों को रक्षा उपकरणों के विकास एवं उत्पादन में शामिल किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुरक्षोपाय किए जाने की संभावना है; और

(ङ) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) आयुध निर्माणियों तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य रक्षा उपक्रमों के पुनर्गठन/सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सरकार रक्षा उपस्करों की हमारी आवश्यकता के निर्माण के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों, को शामिल करके स्वदेशी क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु रक्षा उत्पादन नीति तैयार कर रही है।

(ङ) (i) सरकार ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के कार्य-संचालन की पुनरीक्षा करने के लिए डॉ. पी. रामा राव की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र पुनरीक्षा समिति गठित की थी। स्वतंत्र पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विभिन्न संबंधितों के प्रत्युत्तरों तथा सुझावों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें लागू करने की कार्रवाई की जा रही है।

(ii) आयुध निर्माणी बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के कार्य-निष्पादन तथा दक्षता में सुधार लाने के लिए उनका आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

वस्तुओं का निर्यात

89. श्री सी.आर. पाटील:
श्रीमती दीपादास मुंशी:
श्री महाबल मिश्रा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हीरों, हस्त निर्मित तैयार कांच की मालाओं, कृत्रिम आभूषणों तथा फुटबाल के देश-वार निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बेहतर प्रौद्योगिकी के कारण इस क्षेत्र में चीन भारत से आगे है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कांच की मालाएं बनाने में लगी बड़ी जनसंख्या बेरोजगार हो गई है तथा शहरों की ओर पलायन कर रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई.पी.सी.एच.) तथा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड से नई प्रौद्योगिकी का आयात कर उसे शिल्पकारों को नि:शुल्क अथवा राजसहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराने के लिए कहने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सूरत से वस्त्र तथा हीरों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान हीरों, हस्तनिर्मित तैयार कांच की मालाओं, कृत्रिम आभूषणों तथा फुटबॉल के निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मिलियन अम.डा.)

मद	2007-08	2008-09	2009-10 (अप्रैल-दिसम्बर)
1	2	3	4
तराशे तथा अन्यथा गढ़े गए परंतु माऊंट अथवा सैट न किए गए हीरे (औद्योगिक हीरे से इतर) (एच.एस. कोड 71023910)	13,664.39	15,199.32	11,378.18

1	2	3	4
गैर औद्योगिक हीरे अनगढ़/केवल आरी से चीरे गए अथवा ब्रूटेड (एच.एस. कोड 71023100)	524.00	632.84	293.61
कृत्रिम माला कृत्रिम मोती बेशकीमती तथा कीमती नगीने (एच.एस. कोड 70181020)	19.79	17.39	16.18
फुटबॉल (एच.एस. कोड 95066210)	9.46	21.55	10.73

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस.

पिछले तीन वर्षों के दौरान हीरों, हस्तनिर्मित तैयार कांच की मालाओं, कृत्रिम आभूषणों एवं फुटबॉल के निर्यातों का देश वार ब्यौरा विभाग की वेबसाइट www.commerce.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख) विश्व में अनेक वर्षों से हीरों की तराशी और पॉलिशिंग क्षेत्र पर भारत का वर्चस्व बना हुआ है। तथापि इस क्षेत्र में अब चीन भी एक प्रमुख देश के रूप में उभर रहा है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) हीरों और आभूषणों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए सरकार ने विदेश व्यापार नीति (एफ.टी.पी.) 2009-14 में अनेक उपायों की घोषणा की है, जिनमें अन्य बातों के साथ सूरत (गुजरात) को निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में मान्यता प्रदान करना शामिल है। जहां तक वस्त्रों का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डी.आर.डी.ओ. का पुनर्गठन

90. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) के पुनर्गठन के संबंध में पी. रामा राव समिति की रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने डी.आर.डी.ओ. की विभिन्न प्रयोगशालाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या समिति ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी की सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(छ) डी.आर.डी.ओ. की गोपनीयता तथा सुरक्षा का किस प्रकार से संरक्षण किया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने डॉ. पी. रामा राव समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) से (छ) जी, हां, समिति ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रखते हुए एक पारदर्शी प्रकिया के जरिए उद्योग भागीदार (सार्वजनिक अथवा निजी) का चयन करने तथा विलम्ब से बचने के लिए विकास में उनकी शीघ्र भागीदारी करने की सिफारिश की है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में जाति को सम्मिलित करने हेतु मानदण्ड

91. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में किसी जाति विशेष को सम्मिलित करने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में जाति को सम्मिलित करने संबंधी मानदण्ड में परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड निम्नानुसार हैं-

अनुसूचित जातियां

अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा के परिणामस्वरूप होने वाला अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित जनजातियां

आदिम विशेषताएं, पृथक संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय से संपर्क में संकोच तथा पिछड़ेपन के लक्षण।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों की स्थापना

92. श्री बदरूद्दीन अजमल:
श्री नरहरि महतो:
श्री मनोहर तिरकी:
श्री अंजन कुमार एम. यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश सहित राज्यों में स्थापित किए गए उद्योगों तथा निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों में निवेश सरकारी निजी भागीदारी (पीःपी.पी.) पद्धति के अंतर्गत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस निवेश की क्या स्थिति है तथा कितने लोगों को रोजगार मिला है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैश्विक मंदी के कारण कितने लोग बेरोजगार हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) आंध्र प्रदेश, असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रस्तावित निवेश से स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उद्योगों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

विवरण

आंध्र प्रदेश, असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2009 तक की अवधि के निवेश आशयों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

अनुसूचित उद्योग का नाम	आंध्र प्रदेश		असम		पश्चिम बंगाल	
	प्रस्तावित संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)	प्रस्तावित संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)	प्रस्तावित संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7
धातुकर्मी उद्योग	206	53554	14	254	259	82325
ईंधन	10	237	2	801	11	4802
प्राइम मूवर और अन्य विद्युत जनरेटर	6	481	0	0	8	336
विद्युत उपकरण	123	150953	7	269	57	27891
दूरसंचार	8	75	0	0	7	85

1	2	3	4	5	6	7
परिवहन उद्योग	9	341	3	74	15	1910
औद्योगिक मशीनरी	3	163	0	0	7	968
मशीन उपकरण	1	66	0	0	0	0
कृषि मशीनरी	0	0	1	46	1	35
विविध, यांत्रिक और अन्य उद्योग	34	5504	6	254	32	887
वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	1	10	0	0	1	12
औद्योगिक उपकरण	1	0	0	0	0	0
वैज्ञानिक उपकरण	2	31	0	0	1	1
उर्वरक	13	346	0	0	1	13
रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	74	6253	6	5410	49	59961
औषध और भेषज	53	1429	1	61	8	99
वस्त्र	113	7273	1	19	37	657
कागज उत्पादों सहित कागज और लुगदी	15	538	2	442	9	327
चीनी	18	1785	0	0	0	0
किण्वन उद्योग	29	1447	3	578	4	189
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	38	1217	8	378	33	984
वनस्पति तेल और वनस्पति	30	973	2	67	30	1347
साबुन, कॉसमेटिक और टॉयलेटरीज	2	27	1	33	1	13
रबड़ की वस्तुएं	3	586	1	104	1	0
कांच	9	2123	0	0	1	101
सिरेमिक्स	11	297	1	103	4	695
सीमेंट और जिप्सम	93	25001	19	1595	21	2678
इमारती लकड़ी उद्योग	1	104	1	7	0	0
रक्षा उद्योग	32	285	0	0	0	0
विविध उद्योग	32	346	1	0	3	44
अन्य	150	36824	23	1034	54	16991
कुल	1120	298269	103	11529	655	203351

नोट: निवेश आशय औद्योगिक उद्यमियों के दायर ज्ञापन और प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस/जारी आशय पत्रों के संबंध में हैं।

एयर शो के दौरान विमान दुर्घटनाएं

93. श्री नरहरि महतो:

श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2009 से 30 जून, 2010 के बीच एयर शो के दौरान वायुसेना तथा नौसेना के विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं;

(ख) क्या मार्च 2010 में हैदराबाद एयर शो के दौरान विमान दुर्घटना के कारणों सहित इन विमान दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है;

(ग) उक्त दुर्घटनाओं की जांच का क्या परिणाम निकला;

(घ) इन दुर्घटनाओं के कारण सरकार को कितना वित्तीय घाटा हुआ तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) जनवरी, 2009 से 30 जून, 2010 तक की अवधि के बीच 3-3-2010 को एक हवाई प्रदर्शन के दौरान एक दुर्घटना हुई जिसमें भारतीय नौसेना का किरण एम.के.-II विमान शामिल था। प्रत्येक विमान दुर्घटना की एक जांच-अदालत द्वारा जांच करवाई जाती है और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तद्नुसार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। एक रक्षा विमान की वित्तीय हानि हुई। सिविल सम्पत्ति के नुकसान और दुर्घटना/मृत्यु के लिए उस समय मौजूद अनुदेशों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाती है।

[हिन्दी]

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी योजनाएं

94. श्री राजू शेट्टी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग लोगों तथा मंदबुद्धि बच्चों के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं तथा पुनर्वास कार्यक्रम आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा उक्त पुनर्वास कार्यक्रम हेतु योजना-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(i) **दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.):-** इस योजना के अंतर्गत, विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ, विकलांगों के लिए विशेष स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, हॉफ-वे होम्स, समुदाय आधारित पुनर्वास केन्द्रों, विकलांगों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्रों और कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास आदि जैसी परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ii) **सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडिप):-** इस योजना के अंतर्गत, जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण वितरित किए जाते हैं, जिनमें मानसिक विकलांग बच्चे भी शामिल हैं।

(iii) **राष्ट्रीय संस्थान:-** यह मंत्रालय सात स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता प्रदान करता है जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं और उनको पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के समग्र उद्देश्य के साथ जनशक्ति विकास करते हैं।

(iv) **राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम:** स्व-नियोजन के लिए आय-सृजक कार्यकलाप शुरू करने हेतु विकलांग व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करता है।

(v) **नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन संबंधी योजना (एस.आई.पी.डी.ए.):-** इस योजना के अंतर्गत, जिला विकलांगता पुनर्वास

केन्द्र, क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने, सार्वजनिक भवनों में बाधामुक्त वातावरण तैयार करने, जागरुकता-सृजन आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(vi) **विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन की योजना:-** अप्रैल, 2008 में आरम्भ की गई इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार, निजी क्षेत्र में 1-4-2008 या इसके बाद नियोजित 25000 रुपए मासिक वेतन वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन वर्षों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) और कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) के लिए नियोक्ता अंशदान प्रदान करती है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित सभी योजनाएं, केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं हैं। अतः राज्य-वार निधि आवंटित नहीं की जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत बजट आवंटन इस प्रकार है:-

योजना/कार्यक्रम	बजट आवंटन (करोड़ रुपए)
एडिप	328
डी.डी.आर.एस.	336
विकलांग व्यक्तियों का नियोजन	38
एन.एच.एफ.डी.सी.	75
राष्ट्रीय संस्थान	207
एस.आई.पी.डी.ए.	158

[अनुवाद]

युद्ध के आधिकारिक अभिलेख

95. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1971 में, पाकिस्तान से युद्ध जिसके कारण बंग्लादेश स्वतंत्र हुआ, से संबंधित अधिकांश आधिकारिक अभिलेख नष्ट हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध 1971 युद्ध से संबंधित कोई आधिकारिक अभिलेख नष्ट नहीं किए गए हैं।

लैंडलाइन टेलीफोन उपभोक्ता

96. श्री संजय धोत्रे:

श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में लैंडलाइन प्रयोक्ताओं की तुलना में मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं की संख्या में राज्य-वार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) इसके कारण निम्नलिखित हैं:-

(i) मोबाइल सेवाओं का तीव्र विस्तार और मोबाइल कनेक्शनों में भारी वृद्धि।

(ii) ज्यादा सुविधा और सस्ती कॉल दर और इसके परिणामस्वरूप लैंडलाइन फोनों की अपेक्षा अधिक सुविधायुक्त मोबाइल फोनों की ओर लोगों का आकर्षित होना।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के मोबाइल का उपयोग करने वालों की संख्या नीचे दी गई है:-

...की स्थिति के अनुसार	मोबाइल उपयोग करने वालों की संख्या (मिलियन में)
1	2
31-3-2008	10.13
31-3-2009	14.16
31-3-2010	20.15
30-6-2010	21.26

(ङ) सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में बी.एस.एन.एल. में मोबाइल फोन और लैंडलाइन फोन उपयोग करने वालों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (30-6-2010 तक)	
		लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल	लैंडलाइन	मोबाइल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-21.40	22.76	-22.13	39.55	-7.06	60.04	-3.20	11.49
2.	आंध्र प्रदेश	-11.36	21.34	-9.48	40.58	-5.33	34.20	-1.84	5.19
3.	असम	-14.35	40.24	-18.43	6.47	-12.33	18.83	-1.98	3.26
4.	बिहार	-1.35	41.19	-0.97	81.10	-0.22	61.78	-0.16	2.54
5.	छत्तीसगढ़	-6.26	56.47	-10.97	34.80	-11.30	21.07	-2.38	5.03
6.	गुजरात	-9.17	85.39	-9.39	15.59	-3.23	23.45	-0.95	3.60
7.	हरियाणा	-7.78	27.87	-9.06	33.36	-6.23	51.48	-7.13	3.58
8.	हिमाचल प्रदेश	-9.34	10.09	-9.20	44.25	-6.01	48.75	-1.74	3.11
9.	जम्मू और कश्मीर	-12.18	3.00	-7.59	1.73	-3.25	4.90	-2.43	6.11
10.	झारखंड	-0.63	9.57	-6.68	34.18	-1.00	60.39	-2.18	4.44
11.	कर्नाटक	-6.56	0.51	-6.10	29.55	-3.31	50.15	-1.53	9.25
12.	केरल	-1.22	10.30	-3.42	16.73	-3.41	42.88	-2.48	4.40
13.	मध्य प्रदेश	-5.75	46.56	-8.16	33.57	-7.64	39.28	-2.70	7.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	महाराष्ट्र	-8.95	42.05	-12.96	13.67	-10.56	22.78	-3.34	4.63
15.	पूर्वोत्तर-1	0.63	49.83	-2.19	11.54	-3.93	42.19	-2.20	6.39
16.	पूर्वोत्तर-2	-14.75	49.50	-1.69	-0.13	-0.76	41.13	-0.01	9.10
17.	उड़ीसा	-0.51	32.22	-16.46	40.07	-5.76	62.21	-1.86	9.75
18.	पंजाब	-10.27	70.87	-5.64	45.60	-4.68	26.98	-1.83	3.91
19.	राजस्थान	-5.59	10.07	-5.29	28.76	-4.51	41.00	-2.38	5.87
20.	तमिलनाडु	-9.55	15.92	-10.94	28.25	-7.60	39.54	-1.80	5.47
21.	उत्तरांचल	-6.18	26.61	-7.34	19.84	-5.30	31.60	-1.89	7.01
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	-3.61	50.36	-3.52	33.43	0.46	36.07	-0.64	6.66
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	-7.06	57.78	4.95	18.26	1.50	33.80	-33.70	6.09
24.	प. बंगाल	-7.60	29.44	-7.98	31.23	-14.06	18.25	-2.65	3.25
25.	कोलकाता	0.00	64.60	0.00	49.69	-7.53	17.33	-1.37	5.49
26.	चेन्नै	0.06	18.92	0.15	14.90	-0.42	16.29	-1.21	3.97
	कुल जोड़	-6.48	32.01	-6.99	29.00	-5.17	35.52	-3.21	5.42

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी

97. श्री अर्जुन राय: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस एजेंसी की संरचना किस प्रकार की है;

(ग) एजेंसी द्वारा अब तक किए गए कार्यों तथा दौरा किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एजेंसी द्वारा पायी गई खामियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी के लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी का गठन नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टूना मछली का निर्यात

98. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम को टूना मछली के दोहन तथा निर्यात केन्द्र के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) टूना मछली के दोहन हेतु मछुआरों को प्रोत्साहित

करने तथा उनके निर्यात हेतु विपणन सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में निर्यात संभाव्यता वाली समुद्री मछली की एक अन्य किस्म की पहचान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) विशाखापत्तनम को ट्यूना दोहन और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ट्यूना एक प्रवासी मछली है और यह भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटों पर पाई जाती है। भारत में समुद्री ट्यूना हेतु मात्स्यिकी विकासशील चरण में है और सरकार ने ट्यूना के दोहन और निर्यात केंद्र के रूप में देश के किसी विशिष्ट क्षेत्र को अभिज्ञात नहीं किया है।

(घ) मछुआरों को हमारे ट्यूना संसाधनों का दोहन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के माध्यम से मत्स्यन जलपोतों को ट्यूना लांग लाइनरों में परिवर्तित करने के लिए सब्सिडी, नए ट्यूना लांग लाइनरों के निर्माण हेतु ब्याज सब्सिडी, मत्स्यन जलपोतों पर इंसुलेटेड/रेफ्रिजरेटेड फिश होल्ड/प्रशीतित समुद्री जल प्रणाली तथा बर्फ तैयार करने वाली मशीनरी की संस्थापना हेतु सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

एम्पीडा एक विदेशी विशेषज्ञ की सहायता से ट्यूना हेतु मोनोफिलामेन्ट लांग लाइन फिशिंग तथा जलपोत पर प्रहस्तन में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है और गत तीन वर्षों के दौरान 318 मछुआरों को प्रशिक्षण प्रदान कर चुका है। एम्पीडा ने कोचीन में दो शीतित ट्यूना पैकिंग सुविधाओं के निर्माण में भी सहायता दी है।

जहां तक निर्यात हेतु विपणन सहायता का संबंध है, एम्पीडा जापान स्थित अपने कार्यालय से प्राप्त साशिमी ग्रेड की ट्यूना की कीमत संबंधी नवीनतम जानकारी निर्यातकों को प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, एम्पीडा विभिन्न विदेशी बाजारों में समुद्री उत्पादों की प्रचलित कीमतों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक साप्ताहिक बुलेटिन "प्राइम" भी प्रकाशित करता है।

(ङ) और (च) जी हां, आंध्र प्रदेश से फिन फिश, क्रस्टेशियन्स तथा सिफैलोपोड्स प्रजाति के समुद्री खाद्य उत्पादों की लगभग 70 किस्मों का निर्यात किया जाता है। स्नैपर्स, पर्चेस, सेल फिश तथा सार्डीन्स के मामले में निर्यातों में आगे और वृद्धि होने की संभावना मौजूद है।

[हिन्दी]

मोबाइल टॉवरों हेतु जेनरेटर का प्रयोग

99. डॉ. संजय जायसवाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) की मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु मोबाइल टॉवरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले जेनरेटरों की जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जेनरेटरों के न चलने के कारण सामान्यत: मोबाइल टॉवर कार्य नहीं कर पाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा की गई खरीद डीजल जेनरेटर सेटों के लिए यथा-लागू मानक मानदंडों और विनिर्देशों अर्थात केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों इत्यादि के अनुरूप है। स्वीकृति के लिए बी.एस.एन.एल. के निरीक्षण सर्किल द्वारा इनकी जांच की जा रही है। देश में बी.एस.एन.एल. मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु, बी.एस.एन.एल. मोबाइल टॉवरों के लिए उपयोग किये जाने वाले जेनरेटरों की नियमित रूप से तिमाही आधार पर अथवा संबंधित डीजल जेनरेटर सेट के 250 घंटे चलने के बाद, इनमें से जो भी पहले हो, के आधार पर सर्विस कराता है।

(ग) जी, नहीं। बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) को

बिजली आपूर्ति बनाये रखने के लिए बी.एस.एन.एल. टॉवरों के बैटरी बैकअप की पर्याप्त क्षमता है। इसके अतिरिक्त, डीजल जेनरेटर भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनकी नियमित तौर पर जांच की जाती है और बिजली न होने के समय पर संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रचालित किये जाते हैं। समय-समय पर जब भी आवश्यकता होती है खराब जेनरेटरों की मरम्मत की जाती है और इनके स्थान पर नए जेनरेटर भी लगाए जाते हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रमिकों में असंतोष

100. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में श्रम शक्ति एवं श्रम क्षमता निर्माण की क्या स्थिति है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में मजदूरों में असंतोष बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा वर्षवार ऐसे कितने विवाद प्रकाश में आए; और

(घ) श्रमिकों/कामगारों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार की प्रमुख नीतियां एवं कार्यक्रम क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय कौशल विकास नीति तैयार की है यह विद्यमान श्रम बल सहित विभिन्न अवस्थाओं वाले ऐसे युवाओं को कवर करती है जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल प्राप्त करने/अपने कौशलों का उन्नयन करने में समर्थ होंगे। इस संबंध में कौशल विकास पहल योजना एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जहां विद्यमान कामगार भी अपने कौशलों का उन्नयन कर सकते हैं।

(ख) और (ग) श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विवादों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। यह स्पष्ट है कि उक्त अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज नहीं की गई। औद्योगिक अशांति के मुख्य कारण मजदूरी और भत्तों, बोनस, कार्मिक मामलों, छंटनी, छुट्टी तथा कार्य घंटों और अनुशासनहीनता तथा हिंसा जैसे मुद्दों पर कामगारों और प्रबंधन के बीच औद्योगिक विवाद हैं।

(घ) श्रमिकों कामगारों की समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य को एक ओर विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियमन तथा क्रियान्वयन तथा दूसरी और श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। विधायी उपायों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बीड़ी, कोयला खानों से इत्तर और सिनेमा कामगारों हेतु कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था के लिए कल्याण निधियों की स्थापना की है। इन निधियों का प्रयोग इन कामगारों को अपने बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं, मकानों के निर्माण आदि के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 में भी निर्माण कामगारों के लिए कल्याणकारी/सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कल्याण बोर्ड/निधि की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, असंगठित क्षेत्र को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास शामिल हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विवादों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007	2008 (अनंतिम)	2009 (अनंतिम)	2010 (अनंतिम) (जनवरी से मई तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	9	15	23	8
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
असम	6	16	2	-
बिहार	4	3	2	2
छत्तीसगढ़	7	5	12	1
गोवा	-	-	-	-
गुजरात	32	32	22	12
हरियाणा	7	2	9	11
हिमाचल प्रदेश	5	9	14	1
जम्मू और कश्मीर	-	-	-	..
झारखण्ड	-	1	..	..
कर्नाटक	13	13	11	1
केरल	9	40	47	1
मध्य प्रदेश	-	5	1	-
महाराष्ट्र	1	4	2	1
मणिपुर	-	-	-	-
मेघालय	-	-	-	-
मिजोरम	-	-	-	..
नागालैण्ड	-	-	-	..
उड़ीसा	7	-	-	-
पंजाब	3	5	1	-
राजस्थान	13	11	17	5

1	2	3	4	5
सिक्किम	-	-	-	..
तमिलनाडु	84	90	41	9
त्रिपुरा	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	4	16	3	1
उत्तराखण्ड	14	2	3	..
पश्चिम बंगाल	169	153	147	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-
चंडीगढ़	1	-	-	-
दादरा और नगर हवेली	-	-	-	..
दिल्ली	1	1	-	-
दमन और दीव	-	-	-	..
लक्षद्वीप	-	-	..	..
पुडुचेरी	-	-	-	-
कुल	389	423	357	56

- = शून्य .. = उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

सीमापार से घुसपैठ

101. श्री राकेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संज्ञान लिया है कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को सीमा पार कराने के लिए जानबूझकर गोलीबारी करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेना इस प्रकार की घुसपैठ को रोकने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) घुसपैठ की घटनाओं को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए सेना ने जम्मू तथा कश्मीर में नियंत्रण रेखा क्षेत्र के साथ के क्षेत्र में एक कारगर घुसपैठ-विरोधी रणनीति अपनाई है। नए सिरे से सैन्य टुकड़ियों की तैनाती, टोही एवं निगरानी उपकरणों के कारगर इस्तेमाल, तथा नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाने से घुसपैठ कर अंदर आने/बाहर जाने का प्रयास कर रहे आतंकवादियों की पहचान करने तथा उन्हें बीच में रोकने की क्षमता में वृद्धि हुई है। घुसपैठ के तौर-तरीकों पर लगातार निगरानी रखी जाती है और घुसपैठ को न्यूनतम करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। सेना का घुसपैठ विरोधी रुख आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयासों का प्रभावी निवारण उपाय है।

[अनुवाद]

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कर्नाटक द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना

102. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत केंद्र सरकार को मैसूर, मंगलौर, दावणगेरे, बेलगाम, गुलबर्गा तथा टुमकुर जिलों में विशेष परियोजना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक के छह जिलों में ए.पी.ई.सी. ग्रामीण विकास तथा श्रम कल्याण फाउंडेशन अपेरल हाऊस, गुड़गांव, हरियाणा की सहायता से ए.टी.डी.सी. केंद्र आरम्भ किए जाएंगे;

(ग) क्या परियोजना की कुल लागत 487.96 लाख रुपए है, जबकि केंद्र से 367.97 लाख रुपए की सहायता मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना हेतु केंद्र का हिस्सा कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक के 6 जिलों (मैसूर, मंगलौर, दावणगेरे, बेलगाम, गुलबर्गा तथा टुमकुर) में 3 ए.टी.डी.सी. केन्द्रों की स्थापना के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 603.13 लाख रु. की कुल परियोजना लागत वाली एक विशेष परियोजना को सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित कर दिया है। इसमें 452.35 लाख रुपये केन्द्रीय अंश हैं। परियोजना के अनुमोदित किए जाने तथा राज्य सरकार और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा संकलित किए जाने के समय निधियों की रिलीज के लिए निर्धारित पूर्वापेक्षित निबंधन एवं शर्तें पूरी होने पर केन्द्रीय अंश की 113.09 लाख रुपये की पहली किस्त राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को रिलीज कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति की सूची में तारखान समुदाय को सम्मिलित किया जाना

103. श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के तारखान समुदाय को अनुसूचित जाति (एस.सी.) का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों की सूची में तरखान समुदाय को शामिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के दिनांक 17-02-2010 के प्रस्ताव पर अनुमोदित क्रियाविधि के अनुसरण में कार्रवाई की गई है तथा इसे भारत के महापंजीयक को भेजा गया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में एयरबेस की स्थापना

104. श्री मिलिंद देवरा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना द्वारा तमिलनाडु के सुलूर में प्रायद्वीप क्षेत्र में लड़ाकू जेट विमानों के स्क्वाड्रन वाली अपने प्रथम फाइटर एयर बेस की स्थापना किए जाने की संभावना हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस एयरबेस हेतु इस स्थान का चयन करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) देश में किसी स्थान विशेष पर वायुसेना के एयरबेस को स्थापित करने का निर्णय सेना की संक्रियात्मक तथा रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार लिया जाता है और इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

एयरोस्पेस यूनिट

105. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

श्री राजैया सिरिसिल्ला:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.) का विचार बंगलौर में एक एयरोस्पेस यूनिट की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस यूनिट में किस प्रकार के उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा;

(घ) क्या अन्य स्थानों पर भी ऐसी यूनिटों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को देवनहली, बेंगलुरू स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) एयरोस्पेस तकनीकी उद्यान में 25 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

(ग) यहां निम्नलिखित उपस्करों के विनिर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है:-

- भू-सहायक उपस्कर (जी.एस.ई.) एवं भू-संचालन उपस्कर (जी.एच.ई.)
- एयरोस्पेस उपकरणों की मशीनिंग
- एयरोस्पेस आवश्यकताओं के लिए औजारों का निर्माण
- विमान के ढांचों की उप-असेम्बली
- रक्षा ऑफसेट से संबंधित कार्य।

(घ) और (ङ) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मैसूर में स्थापित अपने संयंत्र में एयरोस्पेस से संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए भी सुविधाएं स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

विशेष कृषि और ग्राम औद्योगिक योजना

106. श्री प्रहलाद जोशी:

श्री गणेश सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक "विशेष कृषि और ग्राम औद्योगिक योजना"; चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातकों द्वारा उक्त योजना के दुरुपयोग के कोई दृष्टांत प्रकाश में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने कृषि एवं वन उत्पादों तथा ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से विदेश व्यापार नीति में विशेष कृषि ग्रामोद्योग योजना नामक एक स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) निर्यातकों द्वारा इस स्कीम के दुरुपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया है।

विवरण

1. विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वी.के.जी.यू.वाई): विदेश व्यापार नीति 2009-14 में वी.के.जी.यू.वाई. का उद्देश्य निम्नलिखित के निर्यातों का संवर्धन करना है:-

(i) कृषि उत्पाद एवं उनके मूल्यवर्धित उत्पाद;

(ii) लघु वन उत्पाद एवं उनके मूल्यवर्धित संघटक;

(iii) ग्रामोद्योग उत्पाद;

(iv) वन आधारित उत्पाद; एवं

(v) समय-समय पर यथा अधिसूचित अन्य उत्पाद।

क्रियाविधि पुस्तिका (खण्ड-I) के परिशिष्ट 37क में

उल्लिखित स्कीम के अन्तर्गत अधिसूचित सभी उत्पादों के निर्यातों पर निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से शुल्क ऋण स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन की पात्रता है। तथापि निर्यातक द्वारा 1 प्रतिशत से उच्चतर दर पर प्रतिअदायगी और/अथवा विशिष्ट डी.ई.पी.बी. दर (विविध श्रेणी से इतर) और/अथवा अग्रिम प्राधिकार अथवा विनिष्टियों के शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार का लाभ उठाए जाने के मामले में 3 प्रतिशत की घटी हुई दर पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। परिशिष्ट 37क की तालिका-2 में शामिल फूलों, फलों, सब्जियों आदि जैसे विशेष वी.के.जी.यू.वाई. उत्पादों के निर्यातों को यथास्थिति 5 प्रतिशत अथवा 3 प्रतिशत के अलावा 2 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रोत्साहन की पात्रता है।

क्रियाविधि पुस्तिका के परिशिष्ट 37क के अन्तर्गत अधिसूचित उत्पादों का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे वेबसाइट http://dgft.gov.in पर देखा/डाऊनलोड किया जा सकता है।

2. कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन स्क्रिप: वी.के.जी.यू.वाई. के अन्तर्गत, आई.टी.सी. एच.एस. अध्याय-1 से 24 में शामिल उत्पादों का निर्यात करने वाले सभी दर्जा धारकों (जिनके दर्जे की मान्यता चालू वर्ष के दौरान है) को किसी वर्ष विशेष के दौरान किए गए निर्यातों पर विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.13.4 के अनुसार कृषि निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर (विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.13.2 के अन्तर्गत पात्र वी.के.जी.यू.वाई. लाभों सहित) शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। स्क्रिप पर निम्नलिखित पूंजीगत वस्तुओं/उपस्करों के आयात की अनुमति होगी:-

(i) कोल्ड स्टोरेज यूनिटें [नियंत्रित वातावरण (सी.ए.) तथा परिवर्तित वातावरण (एम.ए.) स्टोर सहित]; प्रीकूलिंग यूनिटें एवं प्याज हेतु मदर स्टोरेज यूनिटें आदि;

(ii) पैक हाऊस (प्रहस्तन, ग्रेडिंग, छंटाई तथा पैकिंग आदि से संबंधित सुविधाओं आदि सहित);

(iii) रीफर वाहन/कंटेनर; और

(iv) परिशिष्ट 37च में यथा अधिसूचित ऐसी अन्य पूंजीगत वस्तुएं/उपस्कर।

आयातित पूंजीगत वस्तुओं/उपस्करों का उपयोग कृषि उत्पादों के भण्डारण, पैकिंग आदि [जैसा कि उपर्युक्त (ii) में उल्लेख है] और परिवहन हेतु किया जाएगा। यह अतिरिक्त लाभ वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन होगा; अतः अहस्तांतरणीय है। तथापि, कोल्ड चेन उपकरण के आयात हेतु यह प्रोत्साहन स्क्रिप दर्जा धारकों के बीच मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगी।

[अनुवाद]

सफाई कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति

107. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने साफ-सफाई के पेशे से जुड़े अभिभावकों की संतानों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति देने के लिए वर्ष 2009-10 में 118.42 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के इस अनुरोध पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार से खर्च न की गई राशि के संबंध में स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय सहायता जारी (रिलीज) करने के संबंध में सभी शर्तें पूरी होने के बाद ही स्कीम के तहत राज्य सरकारों को धनराशियां जारी की जाती हैं।

[हिन्दी]

पंचायत भवनों का निर्माण

108. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी पंचायतों के पंचायत भवन नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पंचायत भवनों के निर्माण के लिए तात्कालिक कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान पंचायतों के लिए कितनी धनराशि जारी की गई और उक्त पंचायत भवनों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ङ) निर्मित पंचायत भवनों की मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं; और

(च) आगामी तीन वर्षों के दौरान पंचायतों के लिए क्या योजनाएं कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) मंत्रालय ने देश में पंचायत भवन रहित पंचायतों की संख्या 73571 आंकी है।

(ख) और (ग) पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत प्राथमिकता के तौर पर प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (बी.एन.आर.जी.एस.के.) का निर्माण संसाधन केंद्र के रूप में करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जहां कहीं ग्राम पंचायत भवन नहीं है उन पंचायतों में ग्राम पंचायत का कार्यालय बी.एन.आर.जी.एस.के. में होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत भवन का निर्माण पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आर.जी.एस.वाई.) एवं वित्त आयोग अनुदान के संसाधनों के उपयोग से किया जा सकता है।

(घ) वर्ष 2006-07 में बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम की शुरुआत से इस कार्यक्रम के विकास अनुदान घटक के तहत 9,931.88 करोड़ रुपए पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय एवं सामुदायिक केंद्र, सड़कें इत्यादि बनाने सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए संस्वीकृत किए जा चुके हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने भी आर.जी.एस.वाई. के तहत पंचायत भवनों के निर्माण व उन्नयन के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान 36.65 करोड़ रुपए संस्वीकृत किये हैं।

(ङ) बी.आर.जी.एफ. के अंतर्गत विकास अनुदान का उपयोग पंचायत भवनों की मरम्मत व रख-रखाव के लिए भी किया जा सकता है, परन्तु ऐसी गतिविधियों को पंचायत के अपने संसाधनों से निधियित किया जाना बेहतर होगा।

(च) अभी मंत्रालय के पास पंचायतों के लिए कोई नई योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव नहीं है।

नशामुक्ति केन्द्र

109. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में खोले गए नशामुक्ति केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में नए नशामुक्ति केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) मद्यपान और नशीले पदार्थ (ड्रग) दुरुपयोग निवारण हेतु सहायता की योजना के तहत, नशा-मुक्ति केन्द्रों की स्थापना और इनके रखरखाव के लिए पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए नशा-मुक्ति केन्द्रों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) नई परियोजनाओं की स्वीकृति एक जारी प्रक्रिया है। चूंकि योजना को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, अत: स्वीकृति हेतु स्थान या जगह की पहले से ही पहचान नहीं की जाती। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के द्वारा सहायता अनुदान समिति की सिफारिशों के साथ समय-समय पर पात्र संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की योजना के मानकों और संगत दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालय में संवीक्षा की जाती है और इन पर विचार किया जाता है।

(घ) उक्त अवधि के दौरान योजना हेतु बजट आबंटन इस प्रकार हैं-

वर्ष	करोड़ रुपए
2007-08	35.00
2008-09	35.00
2009-10	35.00
2010-11	41.00

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आन्ध्र प्रदेश	0	0	2	-
अरुणाचल प्रदेश	1	-	-	-
छत्तीसगढ़	1	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	1	-	-	-
कर्नाटक	2	-	-	-
केरल	1	-	-	-
मध्य प्रदेश	3	-	-	-
महाराष्ट्र	1	-	1	-
मेघालय	1	-	-	-
उड़ीसा	2	-	-	-
राजस्थान	6	-	-	-
तमिलनाडु	2	-	-	-
उत्तर प्रदेश	1	-	-	-
पश्चिम बंगाल	2	1	-	-

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अधिसूचना रद्द करना

110. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ डेवलपर्स ने सरकार से स्वयं उनके द्वारा विकसित किए गए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार के लिए इसके क्या राजस्व निहितार्थ हैं;

(घ) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्रों के डेवलपर्स को विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अधिसूचना रद्द करने के कारण हुए राजस्व घाटे के बदले में कोई प्रतिभूति अथवा दंड अदा करना होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुमोदन बोर्ड ने 18 एस.ई.जेडों के संबंध में विकासकर्ताओं द्वारा अधिसूचना रद्द करने के अनुरोधों को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया है कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यह पुष्टि कर दी जाती है कि उनके द्वारा उठाए गए सभी राजकोषीय लाभ वापस कर दिए गए हैं।

अधिसूचना रद्द करने के अनुरोध का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक मंदी बताया गया है।

(घ) और (ङ) विकासकर्ताओं द्वारा राजकोषीय लाभ वापस किए जाने की शर्त पर अधिसूचना रद्द करने की अनुमति प्रदान की गई है।

ई.पी.एफ. पेंशनधारियों को नि:शुल्क चिकित्सा परिचर्या

111. श्री रामकिशुन:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी पेंशन योजना (ई.पी.एस.) 1995 के अंतर्गत शामिल सभी पेंशनधारियों की पुरानी बीमारियों और शल्यक्रिया के लिए नि:शुल्क चिकित्सा/विशेष परिचर्या उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई.पी.एस. 1995 के अंतर्गत पेंशन के संराशीकरण के लिए मौजूदा मापदंड क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के अनुरूप ऐसे मापदंड की समीक्षा करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

(च) क्या सरकार ने सेवा अवधि के दौरान ई.एस.आई. सुविधाएं प्राप्त कर चुके कर्मचारियों के लिए निःशुल्क कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) चिकित्सा सुविधाएं शुरू की हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिश रावत): (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) आदिनांक कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ई.पी.एस. 1995) के अंतर्गत पेंशन के संराशीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

(च) जी, नहीं। तथापि, जो बीमित व्यक्ति 5 वर्ष से अनधिक अवधि तक बीमित रहने के पश्चात अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं वे कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 61 के अंतर्गत अग्रिम में एक वर्ष के लिए अदा किए गए 10/- रुपये प्रतिमाह के अंशदान की अदायगी पर स्वयं के लिए तथा पत्नी/पति के लिए चिकित्सा लाभ के हकदार हैं।

(छ) उपर्युक्त (च) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

साफ्टवेयर निर्यात

112. श्री सी. वेणुगोपाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश से कितने मूल्य के साफ्टवेयर का निर्यात किया गया है;

(ख) देश से साफ्टवेयर निर्यात में प्रमुख रूप से भागीदारी करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान साफ्टवेयर निर्यात के संबंध में कोई व्यापक आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश से सॉफ्टवेयर निर्यात के मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	सॉफ्टवेयर निर्यात का मूल्य बिलियन अत.डॉलर में
2006-07	31.2
2007-08	40.4
2008-09	47.1
2009-10	49.1 (अनंतिम)

स्रोत: नेस्कॉम

(ख) देश भर में आई.टी./आई.टी.ई.एस. उद्योग के सघनता स्तर के बारे में नस्कॉम द्वारा वर्ष 2008 में एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन में पाया गया कि इस क्षेत्र में निर्यातों में शीर्षस्थ 7 स्थानों का हिस्सा 90 प्रतिशत है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

शहर	राज्य	राजस्व का लगभग % हिस्सा
बंगलौर	कर्नाटक	36
एन.सी.आर.	नई दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश	17
मुम्बई-पुणे	महाराष्ट्र	15
चेन्नई	तमिलनाडु	15
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	14
अन्य	उपर्युक्त राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य	3

(स्रोत: नेस्कॉम)

(ग) और (घ) देश में आई.टी., आई.टी.ई.एस. तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन विनिर्माण उद्योग की वृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहन देने के उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत सरकार ने अगस्त 2009 में एक कार्यबल का गठन किया था। कार्यबल की रिपोर्ट में भारत में आई.टी., आई.टी.ई.एस. तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने के उपायों का सुझाव दिया गया है और देश में सॉफ्टवेयर के

निर्यातों में वृद्धि हेतु कार्यनीति की रूपरेखा तैयार की गई है।

देश से सॉफ्टवेयर का निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज घोषित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रोत्साहन शामिल हैं:-

1. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ई.सी.जी.सी.) को दुर्गम बाजारों/उत्पादों के निर्यात हेतु निर्यातकों को गारंटियां प्रदान करने में समर्थ बनाने हेतु उसे 350 करोड़ रुपए तक की सरकारी बैक अप गारंटी।

2. निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों हेतु 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन।

3. शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम (डी.ई.पी.बी.) दरों को नवम्बर, 2008 से पूर्व प्रचलित दरों पर बहाल करना और डी.ई.पी.बी. स्कीम को दिनांक 31-10-2010 तक बढ़ाना।

4. अंतिम उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर की पूर्ण वापसी हेतु 1100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि प्रदान करना।

5. विदेशी एजेंट के कमीशनों पर निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 10 प्रतिशत तक सेवाकर की वापसी और शुल्क प्रतिअदायगी स्कीम के अंतर्गत लाभ उठाते समय उत्पादन सेवाओं पर सेवाकर की वापसी। जिस अधिसूचना द्वारा डी.ई.पी.बी. दरों में कमी की गई थी, उसे जनवरी, 2009 से वापस ले लिया गया था।

6. आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अन्तर्गत निर्यात लाभों से संबंधित कटौती हेतु "सन सेट" खण्डों को आगे और एक वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2010-11 तक बढ़ाया जा रहा है।

7. निर्यातकों द्वारा अपने कर्मचारियों को कतिपय वेतनेत्तर लाभों के मूल्य पर वेतनेत्तर लाभ कर को समाप्त किया जाना है।

[हिन्दी]

गणतंत्र दिवस समारोह

113. श्री जयप्रकाश अग्रवाल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गणतंत्र दिवस समारोह को अधिक आकर्षक और शानदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितना व्यय होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सरकार प्रतिवर्ष समारोह, सैन्य तथा संस्कृति संबंधी बेहतरीन तत्वों को प्रस्तुत करते हुए गणतंत्र दिवस परेड को और अधिक आकर्षक तथा शानदार बनाने का प्रयास करती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अनेक एजेंसियों का योगदान शामिल होता है।

(ग) राष्ट्रीय समारोहों की व्यवस्था करने में विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय अनेक भागीदार/कार्य निष्पादक संगठनों/एजेंसियों के द्वारा अपने ही बजट आबंटन से वहन किया जाता है तथा इसे एक लेखा शीर्ष के अंतर्गत संकलित अथवा प्रदर्शित नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

शिक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पंचायतें

114. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायतों को शिक्षा के लिए नोडल एजेंसी बनाने के संबंध में राज्य सरकारों को सलाह देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों से अभी तक क्या प्रतिक्रिया मिली है; और

(ग) इस संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 243छ के अनुसार, राज्यों द्वारा पंचायतों को ऐसे अधिकार और शक्तियां दिया जाना अपेक्षित है जो उन्हें स्वशासी संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु सक्षम बनाने और ग्यारहवीं अनुसूची में लिखे मामलों सहित आर्थिक विकास और न्याय संबंधी मामलों के बारे में योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जरूरी हों। पंचायतों को समुचित हस्तांतरण किए जाने के बारे में पंचायती राज मंत्रालय ने क्रमश: दिनांक 19-1-2009, 9-4-2009, 23-10-2009 और

1-12-2009 को परामर्श पत्र जारी किये हैं (जो पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट http://panchayat.gov.in पर उपलब्ध हैं)

यद्यपि हस्तांतरण की मात्रा राज्य-दर-राज्य भिन्न होती है, तथापि सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत पंचायती राज संस्थाओं को भूमिकाएं सौंपने के लिए राज्यों ने कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है - ग्राम पंचायत के सरपंचों को ग्रामीण शिक्षा समिति और स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिका देना तथा पंचायतों के तीनों स्तरों को प्राथमिक शिक्षा की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि का काम सौंपना। साक्षर भारत मिशन के दिशानिर्देशों में ग्राम पंचायतें और समितियां क्रियान्वयनकारी एजेंसियां है।

[हिन्दी]

आई.आई.यू.एस. के अंतर्गत अनुदान जारी करना

115. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में एक अंतर्देशीय कंटनेर डिपो की स्थापना के लिए अनुदान जारी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो धनराशि को जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक जारी कर दिया जाएगा;

(ग) क्या केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना 2003 के अंतर्गत राज्यों को कुछ अनुदान जारी नहीं किए जाते; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजसहायता धनराशि को जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.) के अंतर्गत एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित स्टेट कंपोनेंट ऑफ असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर डवलपिंग एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एलायड एक्टीविटीज (ए.एस.आई.डी.ई.) स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कमेटी (एस.एल.ई.पी.सी.) द्वारा बाड्डी में एक आई.सी.डी. स्थापित करने हेतु स्थल विकास के लिए एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के तहत अनुमोदित कुल लागत और सहायता 275.39 लाख रुपए है। इस परियोजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी को निधि जारी करना एस.एल.ई.पी.सी. के अधिकार क्षेत्र में है।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्य केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2003 के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के तहत, इस विभाग द्वारा निधियों की उपलब्धता के अनुसार पात्र औद्योगिक इकाइयों को राजसहायता के रूप में संवितरण हेतु संबंधित नोडल एजेंसियों को अनुदान जारी किया जाता है।

[अनुवाद]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत गुजरात में सड़क उन्नयन

116. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात अपने ग्रामों के लिए 98 प्रतिशत सड़क संपर्क स्थापित कर चुका है और अब गुजरात की प्राथमिकता मौजूदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत 2202 कि.मी. लंबी ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत लगभग 70 प्रतिशत कवरेज के साथ गुजरात राज्य के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें से 82 प्रतिशत सड़क संपर्क हासिल कर लिया गया है।

(ख) से (घ) भारत निर्माण के अंतर्गत 1000 आबादी तथा इससे अधिक आबादी वाली सभी बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया करने के उद्देश्य से तथा संसाधनों की उपलब्धता

सहित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस समय सिर्फ निम्नलिखित श्रेणियों के प्रस्तावों को पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत स्वीकृति दिए जाने पर विचार जा रहा है:-

(i) भारत निर्माण के चरण-I के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार नई संपर्कता कवरेज का शेष भाग।

(ii) विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक की सहायता से शुरू की जाने वाली परियोजनाएं।

(iii) निर्धारित किए गए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 33 जिलों में नई बसावट संपर्कता।

(iv) सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए घोषित विशेष सड़क संपर्क पैकेज।

गुजरात राज्य ने 2202 कि.मी. सड़क का उन्नयन करने का प्रस्ताव जून, 2009 में भेजा था। राज्य द्वारा भेजे गए प्रस्ताव उपर्युक्त श्रेणी के अनुरूप नहीं थे, तदनुसार प्रस्ताव राज्य को लौटा दिए गए थे।

ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं की निगरानी

117. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि और विकास को गति देने के लिए परियोजनाओं की उचित निगरानी आज की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो निर्धनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं पर कितनी वार्षिक धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए इन परियोजनाओं की निगरानी हेतु कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सीधे लाभ मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से अनेक योजनाएं अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित कर रहा है। ग्रामीण गरीबों के लिए मंत्रालय की अन्य योजनाएं हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम/संपूर्ण स्वच्छता अभियान इन योजनाओं के लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों सहित सभी ग्रामीण आबादी के लिए हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान एस.जी.एस.वाई. तथा आई.ए.वाई. के अंतर्गत 16068.19 करोड़ रु. खर्च हुए हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, राज्य/जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति और राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्ता के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों की कार्यान्वयन तथा प्रभाव की निगरानी करने की व्यापक प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को पांच सूत्रीय प्रणाली अपनाने की सलाह दी गई है जिसमें (i) योजनाओं के बारे में जानकारी देना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जनभागीदारी, (iv) जवाबदेही, सामाजिक लेखा परीक्षा तथा (v) सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता एवं निगरानी शामिल हैं।

औद्योगिक आपदाओं से संबंधित कानून

118. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औद्योगिक आपदाओं से संबंधित कानून को सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक तैयार की गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में लोगों, विशेषज्ञों और राज्यों के क्या विचार हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं। महोदया। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई.सी.बी. मानदंडों में छूट

119. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) के दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीकर्ताओं को नीलामी के बंद होने

के पांच दिनों के भीतर बोली राशि का पच्चीस प्रतिशत अदा करने और दस दिनों के भीतर शेष धनराशि अदा करने की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या नीलामी के दिवस और भुगतान के दिवस के बीच अल्प अवधि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में 3जी बोलियों के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) में छूट दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह बोलीकर्ताओं के लिए किस हद तक सहायक होगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं। 3जी और बी.डब्ल्यू.ए. स्पैक्ट्रम की नीलामी हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा 25 फरवरी, 2010 को प्रकाशित आवेदन आमंत्रण नोटिस के अनुसार सफल बोली राशि का भुगतान संगत नीलामी के बंद होने के 10 कलेन्डर दिनों के अन्दर जमा किया जाना था।

(ख) से (घ) जी, हां। इसमें निहित राशि बड़ी है और उसे सीमित समयावधि में सृजित किया जाना है इसलिए बोलीदाता को बाह्य वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) को सृजित करने में कठिनाई हो सकती है। अतएव, यह निर्णय किया गया है कि स्पैक्ट्रम आवंटन के शुल्क को सफल बोलीदाताओं द्वारा रुपया संसाधनों से पूरा किया जाए जिसे निम्नलिखित के मद्देनजर दीर्घकालीन बाह्य वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) से पुनःवित्तपोषित किया जाना है:-

(i) सरकार को अंतिम किस्त के भुगतान की तारीख से 12 माह के अन्दर बाह्य वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) को सृजित किया जाना चाहिए।

(ii) प्राधिकृत डीलरों को धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करनी चाहिए।

(iii) घरेलू बैंकों को कोई गारंटी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) की अन्य शर्तों जैसे पात्र ऋणधारक, मान्यताप्राप्त ऋणदाता, सभी अन्तःलागतें, औसत परिपक्वता आदि का अनुपालन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

विमान की खरीद

120. श्री अर्जुन मुंडा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका से 126 बहु-उपयोगी लड़ाकू विमान खरीदने के लिए कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस संबंध में किन-किन देशों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और लागत संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका से मध्यम बहु भूमिका वाले युद्धक विमानों की अधिप्राप्ति के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम बहु भूमिका वाले युद्धक विमानों की अधिप्राप्ति के लिए जारी किए गए प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर में मै. रोसोबोरोनेक्सपोर्ट रूस, मै. दासोल्ट एवियेशन फ्रांस, मै. ई.ए.डी.एस. जर्मनी, मै. साब स्वीडन, मै. लौकहीड मार्टिन यू.एस.ए. तथा मै. बोइंग यू.एस.ए. से तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्तावों को खोला नहीं गया है।

[अनुवाद]

वृद्धों, महिलाओं और शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों के लिए पेंशन योजना

121. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामों में वृद्धों, महिलाओं और शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने भी ऐसी श्रेणियों के लोगों के कल्याण के लिए समान प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिलने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) भारत सरकार ने वृद्धों, विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अंतर्गत तीन पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को 200 रु. प्रति माह प्रति लाभार्थी की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा राज्यों से समान अंशदान देने का अनुरोध किया गया है। पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

(i) नवम्बर, 2007 में शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) में 65 वर्ष तथा अधिक के बी.पी.एल. व्यक्तियों को पेंशन का प्रावधान है।

(ii) फरवरी, 2009 में शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा लाभ योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) में 40-64 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाली बी.पी.एल. विधवाओं की पेंशन का प्रावधान है।

(iii) फरवरी, 2009 में शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आई.जी.एन.डी.पी.एस.) में गंभीर अथवा कई विकलांगताओं से पीड़ित बी.पी.एल. व्यक्तियों को पेंशन का प्रावधान है।

(ग) और (घ) सामाजिक सुरक्षा भारत के संविधान के अंतर्गत एक समवर्ती विषय है तथा राज्यों के पास अलग-अलग पात्रता शर्तों वाली इसी प्रकार की स्वयं की योजनाएं हैं।

(ङ) आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत संभावित रूप से कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या 169 लाख है, आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. के अंतर्गत यह संख्या 45 लाख तथा आई.जी.एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत यह संख्या 15 लाख है।

आई.टी. क्षेत्र पर रिपोर्ट

122. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एसोसिएशन ऑफ साफ्टवेयर एंड सर्विसिज कंपनीज (नैसकॉम) द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह तथ्य उजागर हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पचहत्तर प्रतिशत इंजीनियरिंग छात्रों को देश में रोजगार नहीं मिल पा रहा है/बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में नैसकॉम द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए एक कार्यसमूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समूहों की प्रमुख सिफारिशें कया है; और

(ङ) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ङ) नैसकॉम ने सूचित किया है कि "सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा में स्थानों के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के नियोजन की वर्तमान औसत दर 25 प्रतिशत है। इससे यह संकेत मिलता है कि (नौकरियों के लिए) इंजीनियरी के 25 प्रतिशत आवेदक नौकरियों के योग्य बनाने के लिए और आगे प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। किन्तु, यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि शेष 75 प्रतिशत आवेदक रोजगार के प्रयोजन से अन्यत्र (अन्य औद्योगिक क्षेत्र में) उपयुक्त नहीं हैं।"

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के नियोजन में वृद्धि करने की दृष्टि से भारत में विभिन्न स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पाठ्यसामग्री, प्रशिक्षण परामर्शदाता और क्वालिटी शिक्षक वर्ग तथा कुशलता प्राप्त स्नातक तैयार करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर एक कार्यदल का गठन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार प्रौद्योगिकी (आई.ई.सी.टी.) और इससे संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए आर्थिक अनुमानों के अनुसार यथोचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने के लिए दीर्घावधि मानव संसाधन नीतियां तथा उपयुक्त दृष्टिकोण तैयार करना है। इस

कार्यदल में सदस्य के रूप में नैसकॉम का एक प्रतिनिधि है। कार्यदल की सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय नैसकॉम का दृष्टिकोण शामिल किया जाता है।

कार्यदल ने आई.ई.सी.टी. के क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 10 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए कुशलता विकास प्रयासों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर विचार किया है एवं सिफारिश की है। यह कुशलता विकास पर राष्ट्रीय नीति का एक भाग है, जिसमें 10 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए विशिष्ट है।

पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड

123. श्रीमती जयाप्रदा:

श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए गठित दो वेतन बोर्डों ने अपनी रिपोर्ट/सिफारिशें सरकार को दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इन बोर्डों का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन बोर्डों के स्थान पर किसी अधिकरण की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (छ) दो वेतन बोर्ड, एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तथा दूसरा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए, निर्धारित अवधि अर्थात् 23 मई, 2010 तक अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं कर सके।

सरकार ने रिपोर्टों को अंतिम रूप देने तथा प्रस्तुत करने के लिए अधिसूचना संख्या सां.आ. 1304 (अ.) तथा सां.आ. 1305 (अ.) दिनांक 2 जून, 2010 द्वारा वेतन बोर्डों के कार्यकाल को 31 दिसम्बर, 2010 तक के लिए बढ़ा दिया है।

नियोजित महिलाओं की स्थिति

124. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेरोजगार महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और अधिकतर महिलाएं कृषि जैसे कम उत्पादकता वाले कार्यों में नियोजित हैं तथा उन्हें कम वेतन मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा नियोजित महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2004-05 के दौरान आयोजित किया गया था। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार सामान्य स्थिति आधार पर देश में अनुमानित महिला बेरोजगारी 1993-94 में 1.87 मिलियन से बढ़कर 1999-2000 में 2.14 मिलियन तथा 2004-05 में और बढ़कर 3.97 मिलियन हो गयी, जिससे 1993-94 से 1999-00 के दौरान 2.27 प्रतिशत तथा 1999-00 से 2004-05 की अवधि के दौरान 13.16 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि परिलक्षित होती है। 2004-05 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं तथा कुल कार्य बल का प्रतिशत भाग तथा विभिन्न क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान निम्न प्रकार से है:

क्षेत्र	कार्यबल में % अंश		सकल घरेलू उत्पाद में % अंश
	महिलाएं	कुल	कुल
कृषि	72.4	58.5	8.9
उद्योग	13.9	18.1	28.0
सेवाएं	13.7	23.4	53.1
योग	100.0	100.0	100.0

(ग) भारत सरकार पुरुषों तथा महिलाओं - दोनों के लिए विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.); स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस. आर.वाई.), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एम.जी.एन. आर.ई.जी.एस.) तथा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को समर्थन (एस.टी.ई.पी.) हैं। एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत 2009-10 के दौरान रोजगार के 282.83 करोड़ जन-दिवसों का सृजन किया गया तथा सृजित रोजगार के कुल जन-दिवसों का 48.6 प्रतिशत महिलाओं के पक्ष में गया। ग्यारहवीं योजना के लिए निगरानी लायक लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभार्थियों में से कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएं तथा बालिकाएं हों।

[हिन्दी]

डाक सेवाएं

125. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग कोरियर सेवाओं के संबंध में निजी सेवा प्रदाताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में डाकघरों के कार्यकरण की कोई समीक्षा शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त चुनौतियों का सामना करने और देश में डाक सेवाओं में सुधार करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) डाक विभाग, भारत के लोगों को डाक वितरण, लघु बचत, बीमा एवं रिटेल के क्षेत्रों में कई सेवाएं प्रदान करता है। डाक वितरण सहित इन क्षेत्रों में अन्य निजी सेवा प्रदाताओं की मौजूदगी डाक विभाग के लिए प्रतिस्पर्धा का स्रोत है। यह प्रतिस्पर्धा डाक विभाग को विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने का अवसर तथा प्रेरणा प्रदान करती है, ताकि ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके, और व्यवसाय में वृद्धि की जा सके।

ग्राहकों की त्वरित एवं समयबद्ध एक्सप्रेस मेल सेवा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डाक विभाग ने डाक वितरण के क्षेत्र में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की है। देश में विगत वर्षों में बुक की गई स्पीड पोस्ट मदों के परियात में हुई निरंतर वृद्धि से स्पष्ट है कि स्पीड पोस्ट सेवा इस प्रतिस्पर्धा का सामना करने एवं ग्राहकों का विश्वास जीतने में समर्थ रही है। स्पीड पोस्ट परियात में वर्ष 2009-10 में 14 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) डाक विभाग, डाकघरों के कार्यकरण की डिवीजन, क्षेत्रीय एवं सर्किल आदि विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर नियमित आधार पर समीक्षा करता है। इस कार्य के लिए बनाई गई विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से समीक्षाएं की जाती हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ डाकघरों के आवधिक निरीक्षण एवं औचक दौरे तथा विभिन्न निर्धारित रिपोर्टों एवं विवरणों के माध्यम से प्रचालनों की जांच इत्यादि शामिल हैं। इन समीक्षाओं के परिणामों के आधार पर डाकघरों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु उचित कदम उठाए जाते हैं।

(ङ) से (छ) जी हां। डाक विभाग ने चुनौतियों का सामना करने तथा देश में डाक सेवाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कार्यनीति बनाई है और इस संबंध में अनेक कदम उठाए हैं। चालू पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, डाक नेटवर्क तक पहुंच, डाक प्रचालन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण आदि क्षेत्रों में अनेक स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अलावा, डाक विभाग द्वारा इस संबंध में किए गए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:-

- स्पीड पोस्ट मदों के लिए "स्पीड नेट" नामक वेब आधारित ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली की शुरुआत।

- 50 ग्राम तक की स्पीड पोस्ट वस्तुओं के लिए एक भारत एक दर की शुरुआत।
- स्थानीय स्पीड पोस्ट प्रभारों में कमी।
- स्पीडनेट के माध्यम से देश भर के सभी 1301 राष्ट्रीय एवं राज्य स्पीड पोस्ट केंद्रों की वेब आधारित कनेक्टिविटी।
- अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट मदों की ट्रेसिंग के लिए मुंबई, चेन्नै, कोलकाता एवं दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय डाक प्रणाली सॉफ्टवेयर लगाना।
- प्रचालनों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रमुख स्पीड पोस्ट केंद्रों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन।
- आम आदमी से संबंधित डाकघर में एक स्पष्ट, ठोस एवं उल्लेखनीय परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट ऐरो की शुरुआत। इस परियोजना का लक्ष्य, डाकघरों के प्रमुख प्रचालनों में सुधार लाने के साथ-साथ आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करना है। इस परियोजना के अंतर्गत देश भर के 1000 डाकघर कवर किए जा चुके हैं।

विवरण

योजना स्कीमों का विवरण

स्कीम I : डाक नेटवर्क को सुलभ बनाना

इस स्कीम का उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व, ग्राहक संतुष्टि तथा आत्म-निर्भरता की दिशा में बढ़ने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए डाक नेटवर्क की पहुंच का विस्तार करना है। इस प्रयोजन के लिए नियत दूरी, जनसंख्या एवं आय के मानदंडों के आधार पर डाकघर खोले जाते हैं। ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए शाखा डाकघर, विभागीय डाकघर एवं फ्रैंचाइजी आउटलेट खोले जा रहे हैं।

स्कीम II : डाक प्रचालन

इस स्कीम का उद्देश्य बिजनेस मेल सेग्मेंट पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के विभिन्न सैग्मेंटों की उभरती हुई जरूरतों को ध्यान में रखते कर डाक प्रचालनों को आगे और सुचारू बनाना है।

स्कीम III : बैंकिंग एवं धन अंतरण प्रचालन

इस स्कीम का उद्देश्य बैंकिंग एवं धन अंतरण प्रचालनों के क्षेत्र में विद्यमान व्यापक ग्राहक आधार एवं भारतीय डाक की संभावनाओं का पूरी तरह उपयोग करना है। "कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग एवं कोर बैंकिंग सेवाएं" क्रियान्वित की जा रही हैं।

स्कीम IV : बीमा प्रचालन

इस स्कीम का उद्देश्य बाजार के सम्भावित विकास एवं ग्राहक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी एवं कौशल उन्नयन पर जोर देकर बीमा सेक्टर की सम्भावनाओं का पूरी तरह दोहन करना है। इस स्कीम के अंतर्गत जिन-जिन प्रमुख कार्यकलापों की योजना बनाई गई हैं उनमें बीमा साफ्टवेयर का विकास करना तथा डाक जीवन बीमा (पी.एल.आई.) एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर.पी.एल.आई.) कार्यकलापों का कम्प्यूटरीकरण करना शामिल है ताकि प्रचालनों को ऑन लाइन किया जा सके तथा कर्मचारियों को मार्केटिंग में एवं बीमाकंन में प्रशिक्षित किया जा सके।

स्कीम V : फिलैटली प्रचालन

इस स्कीम का उद्देश्य भारतीय डाक के फिलैटलिक कार्यकलापों को बिजनेस परिपाटी के अनुरूप पुनर्व्यवस्थित करके फिलैटली की राजस्व अर्जन सम्भावनाओं का उपयोग करना और विभाग के राजस्व में योगदान करना है। इसमें डाक-टिकट संग्राहकों का आधार बढ़ाने की अपार सम्भावना को ध्यान में रखते हुए फिलैटली प्रदर्शनियों सहित गहन प्रचारात्मक कार्यकलाप आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा इसमें फिलैटली ब्यूरो को आधुनिकीकृत करने, फिलैटली के लिए बिजनेस वेबसाइट चालू करने और जन-साधारण की सहज सुलभता के लिए राष्ट्रीय डाक-टिकट संग्रहालय को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्कीम VI : सम्पदा प्रबंधन

इस स्कीम का उद्देश्य वाणिज्यिक स्थानों में स्थित सम्पत्तियों से राजस्व कमाने पर बल देते हुए भवनों का निर्माण करके डाक सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाकर सार्वभौमिक सेवा दायित्व की पूर्ति करना है जिससे कि कारगर डाक प्रचालनों के लिए अनिवार्य इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा सके।

स्कीम VII : प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण

इस स्कीम का उद्देश्य सेवाओं में असाधारण दक्षता लाने एवं उनका और अधिक विस्तार करने तथा समूची

सेवाओं का कायापलट करने को ध्यान में रखते हुए सभी प्रचालनों एवं सहायक क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का समावेश करके सम्पूर्ण डाक नेटवर्क का बाधारहित एकीकरण करना है। इस स्कीम में प्रौद्योगिकी के व्यापक स्तर पर उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, डाटा केन्द्रों की स्थापना एवं सभी डाकघरों की नेटवर्किंग करने और इस तरह, सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत ग्राहकों को सभी प्रकार की डाक सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

स्कीम VIII : सामग्री प्रबंधन

इस स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उन्नयन एवं अनिवार्य उपस्करों की व्यवस्था करके एक प्रभावी सामग्री प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना स्कीम के अंतर्गत पेशेवर सामग्री प्रबंधन के लिए अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपस्कर मुहैया कराने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि डाक भंडार डिपो और डाकघर, प्रचालक कार्यालयों में प्रयुक्त प्रपत्रों, तथा डाक प्रणाली के सुचारू कार्य-संचालन के लिए अनिवार्य उपस्करों सहित काफी बड़ी मात्रा में स्टेशनरी हैंडल करते हैं।

स्कीम IX : मानव संसाधन प्रबंधन

इस स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकीय प्रणालियों एवं उपयोग में कौशल-प्राप्त सुप्रशिक्षित ऐसे मैनपावर के रूप में डाक विभाग के लिए बहुमूल्य पूंजी का सृजन करना है जिसमें ग्राहक संतुष्टि पर पूर्ण फोकस दिखता हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि सम्पूर्ण मानव संसाधन विकास पर और अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने एवं विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, इस योजना स्कीम का उद्देश्य ग्राहकों को सेवाएं डिलीवर करने, नई प्रौद्योगिकी का समावेशन करने, बैंकिंग एवं बीमा सेक्टरों, मार्केटिंग एवं कानूनी मामलों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए पर्याप्त कौशल विकसित करना है।

स्कीम X : मार्केटिंग, अनुसंधान एवं उत्पाद विकास

इस स्कीम का उद्देश्य डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं जैसे स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट और लॉजिस्टिक्स पोस्ट के संबंध में मार्केटिंग, अनुसंधान एवं उत्पाद विकास पहलों को सपोर्ट करना है। इसमें सभी डाक उत्पादों एवं सेवाओं के ब्रांड विकास, व्यावसायिक विस्तार एवं मार्केटिंग की योजना भी बनाई गई है।

स्कीम XI : गुणवत्ता प्रबंधन

जैसा कि ग्राहकों द्वारा अनुभव किया गया है, इस स्कीम का उद्देश्य है गुणवत्ता में सुधार लाकर प्रचालनात्मक तथा वाणिज्यिक कार्यनीतियों को अर्थपूर्ण बनाना। इस योजना स्कीम के माध्यम से विभाग, दसवीं योजना में की गई पहलों को अग्रेनीत करने, और उनमें बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव करते हुए एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना चाहता है जो कि सेवा की गुणवत्ता को माप सके, उसकी निगरानी कर सके, और उसमें सुधार ला सके, ताकि वह विभाग द्वारा कार्यान्वित सभी कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करने में समर्थ हो सके। यह प्रस्ताव है कि डाकघरों में नागरिक घोषणा-पत्र के कार्यान्वयन के लिए डाक सहायकों/डाकियों को, और सेवोत्तम परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया जाए।

स्कीम XII : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के लिए सहायता

इस स्कीम की शुरुआत 2008-09 के दौरान योजना आयोग द्वारा की गई थी और इसे 2009-10 के दौरान भी जारी रखा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए डाकघर बचत बैंक के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने हेतु सहायता के रूप में निधि उपलब्ध कराई जा रही है। इस स्कीम का अनुमानित लाभ तथा आर्थिक प्रभाव वित्तीय समावेशन तथा मनरेगा कर्मकारों को समय पर तथा उचित रूप से मजदूरी का भुगतान करना है। चूंकि डाक विभाग का नेटवर्क इतना व्यापक है, इसलिए यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए संपूर्ण सेवा/समाधान प्रदान करने हेतु एक उपयुक्त एजेंसी साबित होगी।

[अनुवाद]

पेंशन में संशोधन

126. श्री एम.बी. राजेश: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) में संविलीन हुए और 1 जनवरी, 2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) के कर्मचारियों की भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधन की तर्ज पर पेंशन में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)

के इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) मौजूदा नियमों में इस तरह के संशोधन के लिए स्पष्ट रूप से कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रस्ताव जांच के प्रारंभिक दौर में है।

महिलाओं को स्थायी कमीशन

127. श्री इन्दर सिंह नामधारी:
श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री रुद्रमाधव राय:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में स्थायी कमीशन नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ग) सरकार ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के संबंध में कोई अंतिम नीति निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे कुल कितनी अल्प सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सरकार ने दिनांक 26 सितंबर, 2008 के आदेश के अनुसार अल्पकालीन सेवा कमीशन (महिला) अधिकारियों को जज एडवोकेट जनरल (जे.ए.जी.) विभाग, सेना के सेना शिक्षा कोर तथा नौसेना एवं वायुसेना की उनकी समकक्ष शाखाओं/कैडरों, वायुसेना की लेखा शाखा तथा नौसेना के नेवल कन्स्ट्रक्टर में शामिल करने के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से स्थायी कमीशन दिया जाना अनुमोदित कर दिया है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 12-3-2010 के आदेश में वायुसेना और थलसेना की अल्पकालीन सेवा कमीशन (महिला) अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने के संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। इस आदेश को भारतीय वायुसेना में लागू करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, भारतीय वायुसेना की 43 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र है। सेना के संदर्भ में मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में आरक्षण

128. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र में स्थानीय व्यक्तियों/बेरोजगार युवाओं को रोजगार में आरक्षण मुहैया कराने हेतु कोई नीति लागू करने/तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय निजी क्षेत्र में स्थानीय व्यक्तियों/बेरोजगार युवाओं को रोजगार में आरक्षण मुहैया कराने हेतु किसी नीति को लागू करने/तैयार करने का प्रस्ताव नहीं करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु बिहार को आबंटित धनराशि

129. श्री हुक्मदेव नारायण यादव:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** सड़क निर्माण के बारे में 7 दिसम्बर, 2009 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2807 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान गांवों को चरणबद्ध रूप से सड़कों से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत बिहार

के लिए कितनी धनराशि नियत की गई और वास्तव में मुहैया कराई गई और कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण बिहार में कई सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में बिहार सरकार से अनुस्मारक प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बिहार में डीजल पर लगाए गए उपकर से आवंटित धनराशि, रिलीज की गई निधियों तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	आवंटित निधियां (करोड़ रु. में)	रिलीज की गई निधियां (करोड़ रु. में)	निर्मित सड़कें (कि.मी. में)
2007-08	337.00	733	1,665.35
2008-09	337.00	1,065	2,532.20
2009-10	287.81	1,751	2,843.27
2010-11	118.24	603 (15-7-2010 तक)	345.62 (मई, 2010 तक)

(ख) से (ङ) पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज निधियों की जरूरतों, उपयोग क्षमता को ध्यान में रखते हुए तथा पी.एम.जी. एस.वाई. कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। चालू वर्ष (2010-11) के दौरान बिहार में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत चल रही ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को 310 करोड़ रु. और केन्द्रीय एजेंसियों को 293 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं। बिहार में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियां रिलीज करने की दृष्टि से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, राज्य सरकार और केन्द्रीय एजेंसियों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर ही निधियां रिलीज की जाती हैं।

बाल मजदूर

130. श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री मनोहर तिरकी:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री अम्बिका बनर्जी:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्री महाबल मिश्रा:
श्री रामकिशुन:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में खतरनाक प्रक्रमों और पेशों में कार्यरत बाल श्रमिकों की राज्य-वार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के लागू होने तथा किसी भी रूप में बाल मजदूरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे अन्य उपायों के बावजूद देश में बाल श्रम की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश भर में उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) बाल मजदूरी को पूर्णतया समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने बाल श्रमिकों की पहचान की गयी, बचाए गए और उनका पुनर्वास किया गया; और

(च) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितने व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया और दोषसिद्ध साबित किया गया तथा ऐसे व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) 2001 की जनगणना के अनुसार बड़े जोखिमकारी व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में 5-14 आयु वर्ग के बच्चों को बड़ी संख्या में नियोजित करने वालों की सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है। तथापि, राज्य-वार आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की कुल संख्या 1.26 करोड़ थी। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनेक कल्याणकारी उपायों के साथ-साथ अधिनियम के उपबंधों के सख्ती से प्रवर्तन के कारण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) ने 2004-05 के दौरान देश में बाल श्रमिकों की संख्या का आकलन 0.89 करोड़ किया है। सरकार सभी रूपों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, बाल श्रम एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है, जिसके लिए लम्बे समय तक सतत प्रयास की जरूरत है। समस्या की प्रवृत्ति तथा परिमाण देखते हुए सरकार इसके लिए क्रमवार दृष्टिकोण का अनुपालन करेगी है जिसमें सर्व प्रथम जोखिमकारी व्यवस्थाओं/प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को कवर करना है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को 16 व्यवसायों तथा 65 प्रक्रियाओं में प्रतिषिद्ध किया गया है। सरकार कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) कार्यान्वित कर रही है। योजना के तहत कार्य से हटाए गए बच्चों का नामांकन विशेष स्कूलों में कराया जाता है, जहां उन्हें ब्रीजिंग शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा, पोषणाहार तथा स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान पहचान किए गए, मुक्त कराए गए तथा पुनर्वासित किए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(छ) राज्य/संघ राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के लिए समुचित सरकार हैं, उपलब्ध सूचना के अनुसार 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान शुरू किए गए अभियोजनों तथा सिद्धदोषों की संख्या विवरण-III के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

क्र. सं.	व्यवसाय/प्रक्रियाओं के नाम	नियोजित बच्चों की संख्या
1.	घरेलू कामगार	185505
2.	ढाबा/रेस्तरां/होटल/मोटल	70934
3.	अगरबती, धूप एवं डिटर्जेंट बनाना	13583
4.	पान, बीड़ी एवं सिगरेट	252574
5.	कताई/बुनाई	128984
6.	निर्माण क्षेत्र	208833
7.	ईंट भट्टे/टाइल्स	84972
8.	रत्न कटाई/आभूषण	37489
9.	कालीन बनाना	32647
10.	आटो वर्कशॉप, वाहन मरम्मत	49893
11.	सिरामिक	18894
12.	अन्य	135162
	कुल	1219470*

*ये आंकड़े संकेतात्मक हैं क्योंकि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में जोखिमकारी व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं की सूची जनगणना आंकड़ों के व्यवसाय वर्गीकरण से पूरी तरह मेल नहीं खाती।

विवरण-II

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्य धारा में लाए गए बच्चों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार विवरण

राज्यों का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
आन्ध्र प्रदेश	41,841	11,369	9,939	13,689

राज्यों का नाम	2006-07	2007-08	2008-9	2009-10
बिहार	1,151	लागू नहीं	लागू नहीं	1893
छत्तीसगढ़	1436	899	961	36
झारखण्ड	90	लागू नहीं	लागू नहीं	1,977
कर्नाटक	2079	2801	1538	1622
मध्य प्रदेश	3329	लागू नहीं	100	5000
महाराष्ट्र	600	146	126	1800
उड़ीसा	5793	2425	2876	10585
राजस्थान	982	लागू नहीं	4094	1000
तमिलनाडु	10151	8432	2929	1641
उत्तर प्रदेश	2705	5911	19897	14087
पश्चिम बंगाल	1456	120	1458	6500
पंजाब	1203	460	428	241

विवरण-III

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभियोजन			सिद्धदोष		
		2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	0	0		0	0	
2.	आंध्र प्रदेश	9128	3104	386	0	116	135
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	0	0	0	0	0
4.	असम	0	0	0	0	1	0
5.	बिहार	284			0		
6.	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	0	8	7	0	2	
7.	छत्तीसगढ़	19			0		
8.	दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	0			0		

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	दमन एवं द्वीप संघ राज्य क्षेत्र	0	0		0		
10.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	187	274		29	8	
11.	गोवा						
12.	गुजरात	270	233	328	270	36	11
13.	हरियाणा	0	2510		3	308	
14.	हिमाचल प्रदेश	0	3	0	0	1	0
15.	जम्मू और कश्मीर	60	61	41	1	11	25
16.	झारखण्ड	4			0		
17.	कर्नाटक	3235	473	121	170	0	17
18.	केरल	1	1		0	3	
19.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	0			0	0	
20.	मध्य प्रदेश	150	58	25	5	14	7
21.	महाराष्ट्र	54	23		7	0	
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0		0	0	
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0			0		
26.	उड़ीसा	73	145	22	0	2	
27.	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	0	0		0	0	
28.	पंजाब	129	176		23	46	
29.	राजस्थान	22	26	9	26	15	2
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	603	218		434	295	
32.	त्रिपुरा	0	0		0	0	
33.	उत्तर प्रदेश	117	548		19	46	

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	उत्तराखण्ड	0		6	0	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	7	2		0	0	0
	कुल	14346	7863	945	987	904	197

[अनुवाद]

आवासों की कमी

131. श्री पूर्णमासी राम: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार ग्रामीण आवासों की भारी कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार कुल आवास की आवश्यकता की तुलना में आवासों की कितनी कमी है; और

(घ) बिहार में आवासों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) 2001 की जनगणना के आधार पर, भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 42.10 लाख आवासों की कमी थी। बिहार में जिला-वार ग्रामीण आवासों की कमी को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 2001-02 से चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2010-11 तक राज्य को 49.12 लाख मकानों के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य दिया गया था जिसमें से 31.40 लाख मकानों का निर्माण किया गया है।

(घ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, आवासीय कमी को 75 प्रतिशत तथा गरीबी अनुपात को 25 प्रतिशत वेटेज देते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती हैं। यह एक निरंतर चलते रहने वाली आवंटन आधारित योजना है और निधियों की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

विवरण

बिहार राज्य में जिलावार ग्रामीण आवासों की कमी को दर्शाने वाला विवरण (2001 की जनगणना के अनुसार)

क्र. सं.	जिलों के नाम	ग्रामीण आवास की कमी
1	2	3
1.	अररिया	300953
2.	अरवल	4371
3.	औरंगाबाद	14387
4.	बांका	17413
5.	बेगुसराय	80369
6.	भभुआ	6986
7.	भागलपुर	65636
8.	भोजपुर	36158
9.	बक्सर	22166
10.	पू. चम्पारण	283488
11.	प. चम्पारण	264138
12.	दरभंगा	166186
13.	गया	26174
14.	गोपालगंज	128827
15.	जमुई	13714
16.	जहानाबाद	6643
17.	कटिहार	200722

1	2	3
18.	खगड़िया	79323
19.	किशनगंज	123742
20.	लक्खीसराय	10118
21.	मधेपुरा	185739
22.	मधुबनी	316153
23.	मुंगेर	21975
24.	मुजफ्फरपुर	283867
25.	नालन्दा	13870
26.	नबादा	8709
27.	पटना	34088
28.	पूर्णिया	334967
29.	रोहतास	17233
30.	सहरसा	153697
31.	समस्तीपुर	161645
32.	सारन	99638
33.	शेखपुरा	2416
34.	शिवहर	69187
35.	सीतामढ़ी	200736
36.	सीवान	91676
37.	सुपौल	232910
38.	वैशाली	129973
	कुल	4210293

कच्चे घरों को आपदा प्रतिरोधी संरचना में बदलना

132. श्री गजानन ध. बाबर:

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री एम. राजामोहन रेड्डी:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोई ग्रामीण आवास नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ग्रामीण आवास क्षेत्र में सरकार की भूमिका केवल इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) तक ही सीमित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के सभी कच्चे घरों को भविष्य में आई.ए.वाई. के अंतर्गत टिकाऊ आपदा प्रतिरोधी संरचना में बदलने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) सरकार एक राष्ट्रीय ग्रामीण आवास एवं पर्यावास नीति बनाने पर विचार कर रही है। इस प्रयोजनार्थ, राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद "राष्ट्रीय ग्रामीण आवास एवं पर्यावास नीति" का एक मसौदा तैयार किया गया है तथा मंत्रिमंडल नोट के साथ उसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परिचालित कर दिया गया है। इस नीति का लक्ष्य सभी को पर्याप्त तथा सस्ता मकान मुहैया कराना तथा पंचायतीराज के ढांचे के भीतर सरकारी सहायता को बढ़ाकर, सामुदायिक भागीदारी, स्व-सहायता एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर स्थायी तथा समावेशी पर्यावास के विकास में मदद करना है। इस समय इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत आवासीय इकाइयां बनाने के लिए ग्रामीण परिवारों को मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 45,000 रु. तथा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 48,500 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है तथा आई.ए.वाई. को केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के साथ मिला दिया गया है। आई.ए.वाई. लाभार्थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, जनश्री तथा आम आदमी बीमा योजना के तहत उपलब्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा

रियायती ब्याज दर पर विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(ङ) और (च) 11वीं योजना दस्तावेज में योजना ने निगरानी योग्य 27 सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों में से एक लक्ष्य सभी को 2012 तक आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराना तथा वर्ष 2016-17 तक सभी गरीबों को कवर करने के लिए ग्रामीण गरीबों हेतु मकान बनाने की गति निर्धारित करना है।

राष्ट्रीय अभिकल्प नीति

133. श्री मनोहर तिरकी:

श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अभिकल्प नीति के अंतर्गत अभिकल्प कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता सहित देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान, अहमदाबाद की तर्ज पर राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान (एन.आई.डी.) की स्थापना की परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या उक्त संस्थानों की स्थापना के लिए किसी निजी भागीदारी की परिकल्पना भी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। कोलकाता में एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एन.आई.डी.) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इन संस्थानों की स्थापना करने के लिए अपने-अपने राज्यों में भूमि आवंटित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) सरकारी-निजी भागीदारी भी एक विकल्प है, जिसके बारे में इन संस्थानों की स्थापना करने के लिए विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

134. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हड़ताल/बंद तथा तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार और झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस प्रकार की बाधाओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा कर्मियों पर राज्य सरकार की नीतियां लागू होती हैं। हड़ताल/बंद, यदि कोई हो तो, जैसे मामले राज्य सरकारों द्वारा निपटाए जाने होते हैं और इसके बारे में केन्द्र सरकार को सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है। अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले तकनीकी स्टाफ की कमी के मामले की जानकारी मंत्रालय को दी गई है।

महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में तकनीकी कर्मियों की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने ग्रामीण परिवारों की प्रति 6000 व्यक्तियों की आबादी के लिए 2 इंजीनियर तैनात करने की मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में ग्रामीण परिवारों की प्रति 3000 व्यक्तियों की आबादी के लिए 2 इंजीनियर तैनात किए जा सकते हैं। ऐसे इंजीनियरों की तैनाती पर होने वाले खर्च का वहन अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय घटक, जिसे 1-4-2009 से 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है, से किया जाना है और इसका वहन पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

3जी स्पैक्ट्रम तथा ब्रॉडबैंड वायरलैस सेवाओं की नीलामी

135. श्री चंद्रकांत खैरे:

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

श्री सुरेश अंगड़ी:

श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

श्री गोपीनाथ मुंडे:

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

श्री अब्दुल रहमान:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 3जी स्पैक्ट्रम तथा ब्राडबैण्ड वायरलेस एक्सेस (बी.डब्ल्यू.ए.) सेवाओं के लिए हाल ही में निविदाएं आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नीलामी में बोली लगाने वालों के नाम क्या हैं;

(ग) नीलामी की प्रक्रिया से अर्जित कुल राजस्व का मदवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नीलामी प्रक्रिया में सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों ने भी हिस्सा लिया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने किस प्रकार भागीदारी की तथा इस संबंध में उनका क्या योगदान है; और

(च) देश में 3जी स्पैक्ट्रम के उपयोग में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 2.1 गीगाहर्टज फ्रीक्वेंसी बैंड में बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. (17 दूरसंचार सर्किलों में 4 ब्लॉक तथा 5 दूरसंचार सर्किलों में 5 ब्लॉक) सहित 2X5 मेगाहर्टज के 4 ब्लॉकों तथा सभी दूरसंचार सर्किलों में 2.3 तथा 2.5 गीगाहर्टज फ्रीक्वेंसी बैंडों में बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. सहित 20 मेगाहर्टज के 3 ब्लॉकों की नीलामी की है। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के नाम विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) नीलामी प्रक्रिया से अर्जित कुल राजस्व 3जी सेवाओं से 67,718.95 करोड़ रु. तथा बी.डब्ल्यू.ए. सेवाओं से 38,542.11 करोड़ रु. है। इस राशि में एम.टी.एन.एल./ बी.एस.एन.एल. का हिस्सा शामिल है।

(घ) और (ङ) नीलामी प्रक्रिया में सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों ने भाग नहीं लिया। सरकार ने एम.टी.एन.एल. के लिए दिल्ली तथा मुम्बई में 3जी सेवाओं के लिए 2X5 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम के एक ब्लॉक तथा बी.डब्ल्यू.ए. सेवाओं के लिए 20 मेगाहर्टज स्पैक्ट्रम के एक ब्लॉक और बी.एस.एन.एल. के लिए शेष सेवा क्षेत्रों में 3जी सेवाओं के निमित्त 2X5 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम के एक ब्लॉक तथा बी.डब्ल्यू.ए. सेवाओं हेतु 20 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम के एक ब्लॉक का आवंटन इस शर्त के साथ किया है कि उन्हें उनको आवंटित स्पेक्ट्रम के संबंध में संबंधित सेवा क्षेत्रों में 3जी/बी.डब्ल्यू.ए. की नीलामी में प्राप्त सफल बोली के मूल्य के समान मूल्य का भुगतान करना होगा। बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है।

(च) तीसरी पीढ़ी (3जी) की प्रणालियों के तहत मोबाइल सेल्यूलर संचार के विकास के अगले चरण को दर्शाया गया है। 2जी प्रणालियां वॉयस संचार पर केन्द्रित होती हैं, जबकि 3जी प्रणालियों के तहत बढ़े हुए डाटा संचार में सहायता मिलती है, न्यूनतम 144 के.बी.पी.एस. की अधिक तेज डाटा, मोबाइल इंटरनेट अभिगम, मनोरंजन तथा ट्रिपल प्ले अभिसरित संचार सेवाओं की सुविधा प्राप्त होती है और इसके अंतर्गत 2जी प्रणालियों की तुलना में अधिक क्षमता तथा स्पेक्ट्रम संबंधी दक्षता होती है। इसलिए 3जी सेवाओं की शुरुआत से देश में टेलीघनत्व को बढ़ाने और 3जी प्रचालन से सरकारी राजस्व में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होगी।

विवरण

3जी नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के नाम

1. एयरसेल लिमिटेड
2. भारती एयरटेल लिमिटेड
3. एटिसलाट डी.बी. टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड
4. आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड
5. रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
6. एस. टेल प्राइवेट लिमिटेड
7. टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड

8. विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड

9. वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लिमिटेड

बी.डब्ल्यू.ए. की नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के नाम

1. एयरसेल लिमिटेड

2. ऑगेरे (मॉरिशस) लिमिटेड

3. भारती एयरटेल लिमिटेड

4. आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड

5. इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रा. लिमिटेड

6. क्वालकम इनकॉरपोरेटेड

7. रिलायंस वाईमैक्स लिमिटेड

8. स्पाइस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रा. लिमिटेड

9. टाटा कम्युनिकेशंस इंटरनेट सर्विसेज लिमिटेड

10. टिकोना डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड

11. वोडाफोन एस्सार लिमिटेड

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

136. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या राष्ट्रीय आय में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान में 1991 से अब तक नाममात्र की ही वृद्धि दर्शायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) शेयरधारकों से विचार प्राप्त करने तथा जानकारीयुक्त निर्णय लेने में सरकार को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति पर एक परिचर्चा दस्तावेज वेबसाइट पर डाल दिया गया है। उक्त अवधारणा विचार विमर्श के बिल्कुल शुरुआती चरण में है। अत: क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान में 1991-92 में 14.4 प्रतिशत से 2009-10 में 16.1 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। 1991-92 तथा 2009-10 के बीच स्थिर मूल्यों पर विनिर्माण का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान दर्शाने वाली तालिका विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

विनिर्माण

विनिर्माण क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद (डी.जी.पी.) तथा कुल सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत हिस्सा

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कुल जी.डी.पी.	विनिर्माण से जी.डी.पी.	कुल जी.डी.पी. में विनिर्माण के हिस्से का प्रतिशत
	1999-2000 पर	1999-2000 पर	1999-2000 पर
	मूल्य	मूल्य	मूल्य
1	2	3	4
1991-92	1099072	158094	14.4

1	2	3	4
1992-93	1158025	162979	14.1
1993-94	1223816	176982	14.5
1994-95	1302076	196133	15.1
1995-96	1396974	226458	16.2
1996-97	1508378	247975	16.4
1997-98	1573263	248101	15.8
1998-99	1678410	255872	15.2
1999-00	1786526	264114	14.8
2000-01	1864300	284571	15.3
2001-02	1972605	291803	14.8
2002-03	2048287	311685	15.2
2003-04	2222759	332363	15.0
		मूल्यों (2004-05) पर	
2004-05	2967599	453225	15.3
2005-06	3249130	496540	15.5
2006-07	3564627	5707765	16.0
2007-08(क्यू)	3893457	629446	16.2
2008-09(आर)	4154973	649635	15.6
2009-10	4464081	719975	16.1

स्रोत : सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

बाल उत्पीड़न

137. श्री एस. सेम्मलई: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में बाल उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में बाल हितैषी न्यायालयों की स्थापना सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) देश में बाल उत्पीड़न की घटनाओं संबंधी कोई पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर आंकड़े एकत्र करता है। देश में वर्ष 2006, 2007 और 2008 में बच्चों के विरुद्ध अपराधों के तहत क्रमशः कुल 18967, 20410 और 22500 मामले दर्ज किए गए थे, जिनसे अपराधों में बढ़ोतरी का रूझान प्रदर्शित होता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

138. श्री हरीश चौधरी:

श्री अर्जुन राय:

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) अपने प्रारंभ होने के बाद अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एस.जी.एस.वाई. से लाभान्वित होने वाले परिवारों/समूहों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल, 1999 से चल रही है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण बी.पी.एल. आबादी के लिए स्वरोजगार के सभी पहलू शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य आयसर्जक परिसम्पत्तियों के सृजन के जरिए आय में स्थायी आधार पर उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 3820588 स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं और 14323812 स्वरोजगारियों को बैंक ऋण और सब्सिडी की सहायता दी गई थी। 22983.32 करोड़ रु. का ऋण जुटाया गया था, 11071.91 करोड़ रु. की सब्सिडी वितरित की गई थी। 1999 के दौरान प्रति व्यक्ति निवेश 17113 करोड़ रु. तथा 2009-10 में 31817 करोड़ रु. था। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्यवार सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के तहत सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या

(संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (मई, 2010 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	263615	188837	295568	301
2.	अरुणाचल प्रदेश	1599	774	1496	76
3.	असम	100261	142728	164752	5870
4.	बिहार	100159	127226	157801	9834
5.	छत्तीसगढ़	44914	46542	50311	313
6.	गोवा	735	592	1489	28
7.	गुजरात	45189	41728	46131	3743
8.	हरियाणा	19891	20639	24392	943
9.	हिमाचल प्रदेश	7764	11863	12284	135

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू और कश्मीर	6818	6990	5644	29
11.	झारखण्ड	77168	83103	116670	9254
12.	कर्नाटक	95409	99950	96470	858
13.	केरल	39683	43784	47426	154
14.	मध्य प्रदेश	73091	99200	106481	34612
15.	महाराष्ट्र	119344	154647	159026	5952
16.	मणिपुर	3144	3640	3362	148
17.	मेघालय	3419	2195	5211	1996
18.	मिजोरम	5830	8748	8159	226
19.	नागालैंड	2259	3205	3884	0
20.	उड़ीसा	87171	126206	131334	84
21.	पंजाब	15402	13109	14504	1925
22.	राजस्थान	50351	58495	62094	2763
23.	सिक्किम	1718	1689	1463	280
24.	तमिलनाडु	142907	113097	107486	4620
25.	त्रिपुरा	13672	23847	30959	100
26.	उत्तर प्रदेश	292105	319568	345408	24569
27.	उत्तरांचल	13482	18044	18590	461
28.	पश्चिम बंगाल	60736	99905	63092	8571
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	195	243	587	0
30.	दमन और दीव	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	24		
32.	लक्षद्वीप	177	0	0	0
33.	पुदुचेरी	1087	1257	3103	0
	कुल	1699295	1961875	2085177	117845

बी.एस.एन.एल. केन्द्रों में अनियमितताएं

139. श्री संजय सिंह चौहान:

श्री नीरज शेखर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अवैध रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कालों को रद्द किए जाने के कारण भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) को वित्तीय क्षति होने के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने मामले सामने आए हैं;

(घ) क्या इस प्रकार के मामलों में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता की बात केन्द्र सरकार की जानकारी में आयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एस.ई.जेड. परियोजनाओं का कार्यनिष्पादन

140. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

श्री दिनेश चन्द्र यादव:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वीकृत तथा प्रस्तावित निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई.पी.जेड.), विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.), विदेश व्यापार क्षेत्र (एफ.टी.जेड.) तथा कृषि निर्यात क्षेत्र (ए.ई.जेड.) का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन एस.ई.जेड. में अब तक किए गए निवेश तथा सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राप्त लक्ष्यों के संदर्भ में इन एस.ई.जेड. के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बड़ी संख्या में एस.ई.जेड. परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन सेज (एस.ई.जेड.) के कार्यनिष्पादन का पता लगाने के लिए कराए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पूर्व स्थापित केन्द्र सरकार के सात एस.ई.जेडों तथा राज्य/निजी क्षेत्र के 12 एस.ई.जेडों के अतिरिक्त 576 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 358 एस.ई.जेडों को अधिसूचित किया जा चुका है। कुल 114 एस.ई.जेड. पहले से ही निर्यात कर रहे हैं। एस.ई.जेडों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाली तालिका संलग्न विवरण में दी गई है। इन एस.ई.जेडों के संबंध में क्षेत्र, अवस्थिति आदि सहित और अधिक ब्यौरे वेबसाइट www.sezindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) दिनांक 30 जून, 2010 की स्थिति के अनुसार एस.ई.जेडों में, 1,66,526 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 5,50,323 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है।

(ग) वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान एस.ई.जेडों से 2,20,711.39 करोड़ रुपए के कुल वास्तविक निर्यात हुए हैं जिनमें पिछले वित्त वर्ष में हुए निर्यातों की तुलना में 121.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही के दौरान 58685.46 करोड़ रुपए तक के निर्यात हुए हैं जिसमें पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में हुए निर्यातों की तुलना में 68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इन विशेष आर्थिक जोनों के लिए 5 वर्षों की अवधि में सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एन.एफ.ई.) आय प्राप्त करना अनिवार्य है और ऐसा न कर पाने पर उन पर जुर्माना लगाया जाता है। तथापि एस.ई.जेडों के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) से (च) एस.ई.जेड. नियमावली 2006 के नियम 6 के अनुसार अनुमोदन की वैधता तीन वर्ष की अवधि की होती है जिसके भीतर विकासकर्ता को अनुमोदित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु कारगर कदम उठाने होते हैं। विकासकर्ता से प्राप्त अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड वैधता अवधि को बढ़ा सकता है।

विवरण

अनुमोदित विशेष आर्थिक जोनों का राज्यवार वितरण

राज्य	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक अनुमोदन	अधिसूचित एसईजेड	प्रचालनरत एसईजेड
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	106	4	73	22
चंडीगढ़	2	0	2	1
छत्तीसगढ़	2	2	0	0
दिल्ली	3	0	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	4	0	2	0
गोवा	7	0	3	0
गुजरात	47	13	30	11
हरियाणा	45	17	32	3
हिमाचल प्रदेश	0	3	0	0
झारखंड	1	0	1	0
कर्नाटक	51	10	31	18
केरल	28	0	16	7
मध्य प्रदेश	14	7	6	1
महाराष्ट्र	108	39	61	15
नागालैंड	2	0	1	0
उड़ीसा	10	3	5	1
पुडुचेरी	1	1	0	0
पंजाब	8	7	2	0
राजस्थान	8	11	7	3
तमिलनाडु	70	19	57	21
उत्तर प्रदेश	34	5	17	6
उत्तराखंड	3	0	2	0
पश्चिम बंगाल	22	14	10	5
कुल योग	576	155	358	114

वैश्विक मंदी के कारण बेरोजगारी

141. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण राज्य-वार और क्षेत्र-वार कुल कितने लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी;

(ख) क्या सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों को दिया गया प्रोत्साहन पैकेज कामगारों को रोजगार सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावशाली सिद्ध हुआ है और उद्योगों को इससे लाभ मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, वर्ष-वार और क्षेत्र-वार कितने कामगारों को नौकरी गंवानी पड़ी तथा उनमें से कितने कामगारों को रोजगार सुरक्षा दी जा सकेगी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा चुनिंदा क्षेत्रों अर्थात् वस्त्र, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण, आई.टी./बी.पी.ओ., हथकरघा/बिजली करघा आदि में कराए गए तिमाही त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार यह देखा गया कि तिमाही अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 के दौरान रोजगार में 4.91 लाख की कमी आई, जनवरी-मार्च, 2009 के दौरान 2.76 लाख की वृद्धि हुई, पुन: अप्रैल-जून, 2009 में 1.31 लाख की कमी आई, जुलाई-सितम्बर, 2009 में 4.97 लाख की वृद्धि हुई, अक्तूबर-दिसम्बर, 2009 में 6.38 लाख की वृद्धि हुई तथा जनवरी-

मार्च, 2010 के दौरान 0.61 लाख की वृद्धि हुई। इस प्रकार चुनिंदा क्षेत्रों में अक्तूबर, 2008 से मार्च, 2010 के दौरान कुल अनुमानित रोजगार में 8.5 लाख का निवल इजाफा हुआ। तिमाही सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित रोजगार में क्षेत्र-वार परिवर्तन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने तीन उत्प्रेरक पैकेज के साथ-साथ कई वित्तीय एवं आर्थिक उपाय किए है जिनमें 'राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना' का कार्यान्वयन जिसके तहत रोजगार छूटने के मामले में बीमित कामगार एवं उसका परिवार एक वर्ष की मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि प्राप्त करने तथा चिकित्सा लाभ पाने का हकदार है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, कौशल उन्नयन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन उपायों से आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा कामगारों के हितों की रक्षा में काफी सफलता मिली है।

विवरण

छः तिमाहियों के सर्वेक्षण परिणामों के आधार पर अनुमानित रोजगार में क्षेत्र-वार परिवर्तन

(लाख रुपये)

क्र. सं.	उद्योग/समूह	के दौरान रोजगार में परिवर्तन					
		सितम्बर, 2008 के बाद से दिसम्बर, 2008 तक	दिसम्बर, 2008 के बाद मार्च, 2009 तक	मार्च, 2009 के बाद जून, 2009 तक	जून, 2009 के बाद सितम्बर, 2009 तक	सितम्बर, 2009 के बाद दिसम्बर, 2009 तक	दिसम्बर, 2009 के बाद मार्च, 2010 तक
1.	खनन	-0.11	एनसी	एनसी	एनसी	एनसी	एनसी
2.	कपड़ा	-1.72	2.08	-1.54	3.18	0.16	-1.19
3.	चमड़ा	एनसी	-0.33	0.07	-0.08	0.09	0.00
4.	धातु	-1.06	-0.29	-0.01	0.65	0.23	0.04
5.	ऑटोमोबाइल	-0.83	0.02	0.23	0.24	0.06	0.29
6.	रत्न और जवाहरात	-0.99	0.33	-0.20	0.58	0.07	0.24
7.	परिवहन	-0.96	-0.04	-0.01	0.00	-0.02	-0.02
8.	आईटी/बीपीओ	0.76	0.92	-0.34	0.26	5.70	1.29
9.	हथरघा/विद्युत करघा	एनसी	0.07	0.49	0.15	0.09	-0.05
	कुल	-4.91	2.76	-1.31	4.97	6.38	0.61

एनसी - कवर नहीं

[अनुवाद]

ई.एस.आई. अस्पताल/औषधालय

142. श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अस्पताल/

औषधालय नहीं हैं उक्त कितने अस्पताल/औषधालय खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या ये सभी अस्पताल और औषधालय आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी/उपकरण से सुसज्जित हैं और इसके पास अपने उपभोक्ताओं को चिकित्सा उपचार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ सहित विशेषज्ञ, चिकित्सा और नर्सें उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) वर्तमान में देश में चल रहे कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना सिर्फ उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाता है न कि कवर न किए गए क्षेत्रों में।

(ग) से (ङ) सभी कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों एवं औषधालयों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उपकरणों के लिए निर्धारित मानकों तथा मानदंडों की अपेक्षानुसार उपकरण प्रदान किए गए हैं। विशेषज्ञों, डॉक्टरों, नर्सों के साथ-साथ मेडिकल तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ भी निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, स्टाफ संबंधी रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने भी अस्पतालों एवं औषधालयों के उन्नयन के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

1. सभी कराबी अस्पतालों में अस्पताल विकास समितियों का गठन किया गया है और उन्हें समुचित प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि चिकित्सा देख-रेख सुविधाओं में सुधार लाने के लिए आवश्यक निर्णय लिए जा सकें।

2. डायग्नॉस्टिक तथा क्लीनिकल सेवाओं के लिए अस्पतालों को आधुनिक उपकरण प्रदान करते हुए उनका आधुनिकीकरण तथा उन्नयन किया गया है। अस्पतालों के लिए उपकरणों की शीघ्र मंजूरी देने, कराबी निगम के राज्य स्तर पर वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्तों/राज्य चिकित्सा आयुक्तों को 15 लाख रुपये तक प्रति इकाई संस्वीकृत करने के साथ-साथ राज्य द्वारा चलाए जा रहे कराबी अस्पतालों एवं औषधालयों में उपकरणों की उपलब्धता के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

3. कराबी निगम ने अस्पतालों तथा औषधालयों के सामान्य कार्यचालन हेतु स्टाफ तथा उपकरणों के लिए मानक तथा मानदंड तैयार किए हैं।

4. उन कराबी अस्पतालों में जहां विशेषज्ञों/विशिष्ट विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण मूलभूत सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा सका है, वहां कराबी निगम ने राज्य सरकारों द्वारा रिक्तियों को भरे जाने तक पार्ट-टाईम विशेषज्ञ और पार्ट-टाईम विशिष्ट विशेषज्ञ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

विवरण

अस्पतालों एवं औषधालयों की अवसंरचना

क्र. सं.	राज्य का नाम	चलाये जा रहे अस्पतालों की संख्या		चलाये जा रहे औषाधलयों की संख्या	
		राज्य सरकार द्वारा	कराबी निगम द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	कराबी निगम द्वारा
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10	01	135	-
2.	असम	-	01	27	-

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	02	01	19	-
4.	चण्डीगढ़ प्रशासन	-	01	02	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	12	-
6.	दिल्ली	-	4	-	51
7.	गोवा	1	-	09	-
8.	गुजरात	10	02	98	-
9.	हरियाणा	05	01	57	-
10.	हिमाचल प्रदेश	01	-	10	-
11.	जम्मू और कश्मीर	-	01	08	-
12.	झारखण्ड	01	02	25	-
13.	कर्नाटक	08	01	114	-
14.	केरल	09	04	137	-
15.	मध्य प्रदेश	06	01	42	-
16.	महाराष्ट्र	13	01	72	-
17.	मेघालय	-	-	02	-
18.	उड़ीसा	05	01	49	-
19.	पुदुचेरी	01	-	15	-
20.	पंजाब	07	01	70	-
21.	राजस्थान	04	01	72	-
22.	तमिलनाडु	08	01	190	-
23.	उत्तर प्रदेश	15	01	126	04
24.	उत्तराखंड	-	-	12	-
25.	पश्चिम बंगाल	13	01	39	-
	कुल	119	27	1342	55

[हिन्दी]

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

143. श्री जगदानंद सिंह: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन मिटाने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.) के अन्तर्गत धनराशि मुहैया करायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष

के दौरान जारी और उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले चार वर्षों के दौरान राज्यों को संस्वीकृत बजट के अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कई राज्य संस्वीकृत धनराशि को समय से उपयोग कर पाने में असफल रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) जी हां, वर्ष 2006-07 से पंचायती राज मंत्रालय राज्यों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) के तहत विकास में क्षेत्रीय असंतुलन मिटाने के लिए निधियां जारी कर रहा है।

(ख) बी.आर.जी.एफ. के तहत संस्वीकृत व उपयोग में लायी गयी निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बी.आर.जी.एफ. के तहत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर धन दिया जाता है, इन प्रस्तावों में जिला नियोजन समितियों द्वारा विधिवत समेकित तथा राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजनाएं, उपयोग प्रमाण पत्र (यू.सी.) तथा पूर्व में निर्गत राशि के उपयोग की प्रगति रिपोर्टें शामिल होती हैं। उचित समय पर प्रस्ताव नहीं पेश किये जाने के कारण 27 राज्यों में से कोई भी राज्य वर्ष 2006-07 से संस्वीकृत बजट के अनुसार अपनी पूरी राशि के लिए दावा नहीं कर सका है।

(ङ) और (च) दिनांक 31-03-2009 तक संस्वीकृत सभी निधियों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होना शेष है। असम, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय एवं उत्तराखंड को निर्मुक्त की गयी निधि के बड़े भाग के लिए उपयोग सूचित किया जाना शेष है।

(छ) पंचायती राज मंत्रालय क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बी.आर.जी.एफ. के अतिरिक्त किसी अन्य स्कीम को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव नहीं करता है।

विवरण

बी.आर.जी.एफ. अनुदान : वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 के दौरान निर्मुक्त एवं उपयोग में लायी गयी निधियों की राज्य-वार स्थिति (दिनांक 22-07-2010 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 तक		वर्ष 2010-11*
		निर्मुक्त राशि	सूचित उपयोग	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	922.65	844.56	209.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.74	9.83	0.00
3.	असम	169.24	51.61	0.00
4.	बिहार	1478.72	1095.58	51.83
5.	छत्तीसगढ़	646.43	520.36	24.34
6.	गुजरात	102.64	5.50	0.00

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	70.60	63.56	4.60
8.	हिमाचल प्रदेश	78.48	49.91	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	49.78	10.01	0.00
10.	झारखंड	520.45	197.21	0.00
11.	कर्नाटक	197.74	142.44	31.49
12.	केरल	47.39	16.30	0.00
13.	मध्य प्रदेश	1042.51	709.88	0.00
14.	महाराष्ट्र	257.99	169.73	129.57
15.	मणिपुर	76.99	47.26	0.00
16.	मेघालय	61.01	24.26	0.00
17.	मिजोरम	42.45	37.21	11.33
18.	नागालैंड	108.24	77.75	0.00
19.	उड़ीसा	733.33	623.23	120.90
20.	पंजाब	15.08	11.82	11.82
21.	राजस्थान	625.82	455.57	46.76
22.	सिक्किम	24.26	17.67	0.00
23.	तमिलनाडु	175.60	140.93	0.00
24.	त्रिपुरा	20.36	7.68	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	1146.91	1056.57	408.53
26.	उत्तराखंड	9.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	532.92	430.96	101.98
	कुल	9182.23	6817.39	1152.27

*मात्र दिनांक 31-03-2010 तक निर्मुक्ति हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होना शेष है।

बी.पी.एल. परिवारों का उत्थान

144. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) की संख्या कितनी है;

(ख) बी.पी.एल. श्रेणी के लोगों के उत्थान हेतु तैयार की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के लागू किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे परिवारों की संख्या में कितनी कमी/वृद्धि हुई है;

(घ) क्या राज्य सरकारों को बी.पी.एल. सूची को संशोधित करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों के निर्धारण के लिए बी.पी.एल. जनगणना कराने के लिए प्रक्रियाविधि एवं दिशा-निर्देश के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। ऐसी अंतिम जनगणना वर्ष 2002 में कराई गई थी। 27 राज्यों ने बी.पी.एल. जनगणना 2002 के आधार पर बी.पी.एल. सूची को अंतिम रूप दे दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5.51 करोड़ परिवारों को बी.पी.एल. के रूप में निर्धारित किया है।

(ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) बी.पी.एल. श्रेणी के लोगों के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मुख्य कार्यक्रम है। एस.जी.एस.वाई. एक व्यापक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को स्वसहायता समूहों में संगठित किया जा रहा है, उनके क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और बैंक ऋण एवं सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे ऐसे आर्थिक क्रियाकलाप शुरू कर सकें जो स्थायी आधार पर आय सृजित कर सकें। ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना जैसी योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत मकानों के निर्माण/उन्नयन के लिए ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों (बी.पी.एल.) के लाभ के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन. ओ.ए.पी.एस.) कार्यान्वित कर रहा है। योजना के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट www.rural.nic.in पर प्रकाशित किये जाते हैं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने सभी कार्यक्रमों और विशिष्ट कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन कराता रहा है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों के लिए ही प्रमुख स्वरोजगार योजना है जो आय सृजन क्रियाकलापों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन एवं रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2002-03 में देश के विभिन्न भागों में स्थित स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों के जरिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि राष्ट्रीय स्तर पर 37.24 प्रतिशत व्यक्तिगत स्वरोजगारी और 15.09 प्रतिशत स्वसहायता समूह के स्वरोजगारी एस.जी.एस.वाई. की सहायता (सब्सिडी एवं बैंक ऋण) से गरीबी रेखा से ऊपर आए।

(घ) और (ङ) बी.पी.एल. सूची को संशोधित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

[अनुवाद]

डाकघरों का आधुनिकीकरण

145. श्री उमाशंकर सिंह:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी ग्रामीण डाकघरों को इस योजना के अन्तर्गत पहले ही से शामिल कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के सभी डाकघरों को इस योजना के अन्तर्गत कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) जी, हां। प्रोजेक्ट ऐरो की शुरुआत, डाकघरों के आधुनिकीकरण तथा "आम आदमी" से संबंधित डाकघर प्रचालनों में एक स्पष्ट, ठोस एवं उल्लेखनीय परिवर्तन लाने के उद्देश्य से की गई है। इस परियोजना में, 'प्रमुख कार्यक्षेत्रों' में सेवा का उन्नयन करते

हुए, सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाकर तथा 'लुक एण्ड फील' में सुधार लाते हुए, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के डाकघरों का उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य सभी कर्मचारियों एवं डाकघर के ग्राहकों के लिए एक प्रेरक एवं ग्राहकोनुकूल कार्य परिवेश सृजित करना, सुरक्षित कनैक्टिविटी के माध्यम से आई.टी. समर्थित सेवाएं प्रदान करना, डाक वितरण, इलैक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल दोनों प्रकार के धन प्रेषण तथा डाक बचत योजनाओं जैसे प्रमुख व्यवसाय क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाना है। संकल्पना आधार पर इसकी शुरुआत चरण-I में 50 डाकघरों में की गई थी। चरण-I के सफलता-पूर्वक पूरा होने के पश्चात् चरण-II में ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के 450 डाकघरों, और चरण-III में 500 डाकघरों में इसे कार्यान्वित किया गया था। चालू वित्त वर्ष में देश भर के 500 और डाकघरों में प्रोजेक्ट ऐरो का विस्तार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट ऐरो का उद्देश्य डाकघर के प्रमुख प्रचालनों के साथ-साथ उस वातावरण में भी आमूल सुधार लाना है जिसमें डाक संबंधी लेन-देन का कार्य होता है। इस पहल के प्रति आम जनता एवं विभाग के कर्मियों की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक रही है। प्रोजेक्ट ऐरो की पहल ने भारतीय डाक का कायापलट कर दिया है और वर्ष 2008-09 के लिए इसने लोक प्रशासन में प्रधान मंत्री जी का उत्कृष्टता अवार्ड भी प्राप्त किया है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्रधान डाकघरों एवं प्रमुख उप डाकघरों को चरणबद्ध रूप से प्रोजेक्ट ऐरो के अंतर्गत कवर किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) बजट की कमी के कारण प्रत्येक वित्त वर्ष में देश भर के लगभग 500 डाकघरों का ही आधुनिकीकरण एवं उन्नयन किया जा रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह बताया जाना संभव नहीं है कि देश के सभी डाकघरों को इस परियोजना के अंतर्गत कब तक कवर किया जाएगा।

सतर्कता तथा निगरानी समिति को शक्तियां

146. श्री आधि शंकर:

श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केन्द्र सरकार के निदेश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु राज्य तथा जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संबंधित राज्य को सतर्कता एवं निगरानी समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को क्या दर्जा दिया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य तथा जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों को कुछ और शक्तियां प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा सहित प्रत्येक राज्य की राज्यस्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों द्वारा क्या रिपोर्ट दी गयी है तथा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा सहित प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को इन समितियों द्वारा कितनी बैठकों का आयोजन किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) 15वीं लोकसभा के गठन के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित करने के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष नामित कर दिए हैं तथा राज्य/जिला प्राधिकरणों को राज्य/जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित करने को कहा गया था। अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय समितियां तथा 352 जिलों में जिला स्तरीय समितियां गठित कर ली गई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राज्य स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति को ग्रामीण विकास संबंधी सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करनी होती है। समिति से संबंधित दिशा-निर्देशों में गैर-सरकारी सदस्यों की स्थिति अलग से नहीं दर्शायी गई है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गोवा राज्यों में समितियों सहित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों ने विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं दी

है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित की गई बैठकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

गठित की गई राज्य तथा जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां

क्र. सं.	राज्य का नाम	गठित की गई राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति	गठित की गई जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	हां	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	हां	8
3.	असम	हां	15
4.	बिहार	हां	9
5.	छत्तीसगढ़	हां	14
6.	गोवा	हां	2
7.	गुजरात	हां	12
8.	हरियाणा	हां	9
9.	हिमाचल प्रदेश	हां	11
10.	जम्मू और कश्मीर		22
11.	झारखंड		21
12.	कर्नाटक	हां	3
13.	केरल	हां	10
14.	नध्य प्रदेश		31
15.	महाराष्ट्र	हां	17
16.	मणिपुर		
17.	मेघालय	हां	
18.	मिजोरम	हां	8
19.	नगालैंड	हां	10
20.	उड़ीसा	हां	5
21.	पंजाब		8
22.	राजस्थान		25
23.	सिक्किम	हां	
24.	तमिलनाडु	हां	15
25.	त्रिपुरा		3
26.	उत्तराखंड	हां	7
27.	उत्तर प्रदेश	हां	51
28.	पश्चिम बंगाल	हां	18
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	हां	2
30.	दादरा और नगर हवेली		1
31.	दमन और दीव	हां	
32.	लक्षद्वीप	हां	1
33.	पुडुचेरी		1
	कुल	24	352

विवरण-II

वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-2010 के दौरान आयोजित की गई राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकें

क्र. सं.	राज्य का नाम	आयोजित की गई बैठकें		
		2007-08	2008-09	2009-2010
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	1

1	2	3	4	5
3.	असम	1	1	
4.	बिहार	1	3	
5.	छत्तीसगढ़	2	1	
6.	गोवा	1	1	
7.	गुजरात		1	
8.	हरियाणा			
9.	हिमाचल प्रदेश		1	
10.	जम्मू और कश्मीर	1		
11.	झारखण्ड	1	1	
12.	कर्नाटक	1	2	1
13.	केरल	1	1	
14.	मध्य प्रदेश	3	1	1
15.	महाराष्ट्र	1		
16.	मणिपुर	1		
17.	मेघालय	1	1	
18.	मिजोरम	2		1
19.	नागालैंड	1		1
20.	उड़ीसा	3	1	1
21.	पंजाब	1	1	
22.	राजस्थान	3	1	
23.	सिक्किम		2	1
24.	तमिलनाडु	2	2	1
25.	त्रिपुरा	2	1	
26.	उत्तराखंड		1	1
27.	उत्तर प्रदेश		3	
28.	पश्चिम बंगाल	1	3	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		1	
30.	दादरा और नगर हवेली			
31.	दमन और दीव		1	1
32.	लक्षद्वीप	1	1	
33.	पुडुचेरी		2	
	कुल	34	36	11

दूरसंचार उपस्करों की खरीद

147. श्री मधु गौड यास्खी:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग 3जी स्पेक्ट्रम उपकरणों को चीन से इतर विक्रेताओं से उपस्कर खरीदने के लिए सुरक्षा मंजूरी दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) ऐसी कितनी दूरसंचार कंपनियां हैं जो वर्तमान में चीन के विक्रेताओं द्वारा निर्मित उपस्कर पर 2जी नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) दूरसंचार कंपनियों को सभी नेटवर्कों में चीन के उपस्करों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस करार में सुरक्षा संबंधी कारणों की वजह से दिसंबर, 2009 को संशोधन करते हुए यह शर्त रखी गई है कि लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारक दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता हेतु उपस्कर/सॉफ्टवेयर के प्रापण/उन्नयन के लिए अंतिम क्रयादेश देने से पूर्व मूल उपस्कर

विनिर्माताओं सहित उपस्कर (उपस्करों), आपूर्तिकर्ताओं तथा विनिर्माताओं के साथ उपस्करों का ब्यौरा देते हुए इस सुरक्षा संबंधी अनुमोदन के लिए आवेदन देगा तथा इसमें इन लाइसेंसधारकों के फ्रेंचाइजी, एजेंटों या व्यक्ति के ऐसे कोई कार्यकलाप भी शामिल होंगे। यदि लाइसेंसदाता से तीस कार्य दिवस के भीतर इस संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि प्रापण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें सभी प्रकार के दूरसंचार उपस्कर (2जी या 3जी अथवा लैंडलाइन) का प्रापण शामिल हैं।

(ग) दूरसंचार कंपनी अपनी तकनीकी एवं व्यावसायिक योजना की अपेक्षाओं तथा विभिन्न देशों के विक्रेताओं से विभिन्न उपस्करों की उपलब्धता के अनुसार उपस्करों का क्रय तथा अपने नेटवर्क का निर्माण करती रही है। लगभग सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों ने चीनी विक्रेताओं से कतिपय नेटवर्क उपस्करों का प्रापण किया है।

(घ) सरकार दूरसंचार परीक्षण एवं सुरक्षा प्रमाणन केंद्र की प्रस्तावित स्कीम के क्रियान्वयन की दिशा में कार्य कर रही है ताकि दूरसंचार नेटवर्कों के सुरक्षा संबंधी खतरों की आशंका को कम करते हुए, दूरसंचार सेवा प्रदाता किसी भी देश के विक्रेताओं से उपस्करों का प्रापण कर सकें।

आई.आई.एफ.टी. एवं एन.आई.डी. के विस्तार केन्द्र

148. श्री वैजयंत पांडा:

श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा राज्य में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के विस्तार केन्द्र खोलने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों की स्थापना करने की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा जैसे सबसे पिछले राज्यों तथा देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र सरकार की मदद की जरूरत है ताकि ऐसे अल्प विकसित क्षेत्र के लोगों की दशा में सुधार किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से भुवनेश्वर में एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एन.आई.डी.) की स्थापना करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि उड़ीसा में आई.आई.एफ.टी. अथवा एन.आई.डी. का मुक्त विस्तार केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार की सभी सामाजिक-आर्थिक स्कीमों का कार्यान्वयन उड़ीसा में भी किया जा रहा है। केन्द्रीय स्कीमों में, देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

ग्रामीण पी.एल.आई. योजना के अन्तर्गत लक्ष्य

149. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेवाएं बेहतर बनाने के लिए विशेषकर डाक विभाग की वित्तीय सेवाओं में मूल्य वर्द्धित नई सेवाओं की पेशकश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान डाक विभाग द्वारा चलाई गयी ग्रामीण डाक जीवन बीमा और अन्य बीमा योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार निर्धारित किए गए लक्ष्य और हासिल की गयी उपलब्धियां क्या हैं;

(ङ) क्या देश में बैंकों की तुलना में उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने में एवं पारंपरिक जमा योजनाओं में आकर्षक लाभ उपलब्ध कराने में भी डाक विभाग असफल रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) डाक घरों के कार्यकारण को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ग) डाक विभाग, प्रौद्योगिकीय उन्नयन करके और मौजूदा सेवाओं में अभिनव पहलों का समावेशन करके अपनी सेवाओं को और अधिक बेहतर करने में निरंतर लगा हुआ है। हाल ही में शुरू की गई मूल्यवर्धित सेवाओं में नई पेंशन स्कीम के लिए प्वाइंट्स ऑफ प्रजेन्स का विस्तार करना, अंतर्राष्ट्रीय धन-प्रेषण और तत्काल मनीआर्डर सेवाएं शुरू करना शामिल है।

(घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2007-08, 2008-09, 2009-10 और चालू वर्ष के दौरान डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा में नियत लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV पर दिया गया है।

(ङ) से (च) विभाग, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करने की कोशिश करता है। सरकार ने लघु बचत स्कीमों को और अधिक आकर्षक एवं निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें डाकघर मासिक आय खाता (पी.ओ.एम.आई.ए.) स्कीम के अंतर्गत की गई जमा पर 5 प्रतिशत की दर से बोनस का दिया जाना, 5-वर्षीय डाकघर सावधि जमा खाता एवं वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अंतर्गत किए गए निवेश पर भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C का लाभ दिया जाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति पेंशन स्कीम के लाभार्थियों के लिए "शून्य जमा/ शून्य शेष" खाते खोले जाना शामिल है।

(छ) डाकघरों के कामकाज में सुधार लाने के लिए सरकार ने डाक प्रचालनों में प्रौद्योगिकी का समावेश किया है। सरकार ने प्रोजेक्ट ऐरो की भी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है - चुनिंदा डाकघरों में स्टॉफ और ग्राहकों दोनों के लिए अभिप्रेरक एवं अनुकूल कार्य-परिवेश का सृजन करना।

विवरण-I

सर्किलवार लक्ष्य एवं उपलब्धि (2007-08)

क्र. सं.	सर्किल	बीमित धनराशि (करोड़ रु. में)				प्रीमियम से आय (करोड़ रु. में)				*पालिसियों की संख्या			
		डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा		डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा		डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	असम	100	66.76	100	50.7	28.48	23.46	7.98	13.10	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	350	418.95	2000	2523.61	97.88	100.34	171.92	154.12	-	-	-	-
3.	सेना डाक सेवा	1300	1344.69	0	0	335.98	362.92	0	0	-	-	-	-
4.	बिहार	150	89.14	1000	1225.41	38.46	26.47	73.67	60.25	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	75	43.32	200	101.13	5.40	6.33	20.67	12.34	-	-	-	-
6.	दिल्ली	500	155.95	100	8.83	57.36	60.02	2.50	0.36	-	-	-	-
7.	गुजरात	600	426.30	1000	336.33	187.77	186.14	46.13	107.45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	हरियाणा	250	60.39	350	354.33	50.89	53.20	21.90	28.54	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	125	70.60	150	111.51	27.10	18.40	9.25	13.91	-	-	-	-
10.	झारखण्ड	140	167.92	250	340.68	11.47	12.40	12.36	17.09	-	-	-	-
11.	जम्मू और कश्मीर	85	65.42	110	50.04	13.75	18.70	7.62	10.94	-	-	-	-
12.	कर्नाटक	500	412.12	600	975.35	130.26	99.54	39.13	52.95	-	-	-	-
13.	केरल	140	150.20	350	370.97	28.48	29.18	35.84	50.85	-	-	-	-
14.	महाराष्ट्र	650	604.89	2200	1989.08	172.05	157.67	194.43	94.17	-	-	-	-
15.	मध्य प्रदेश	280	74.63	500	88.30	55.58	26.73	44.90	33.12	-	-	-	-
16.	उत्तर-पूर्व	65	31.91	75	17.91	14.53	9.82	3.07	2.58	-	-	-	-
17.	उड़ीसा	125	103.43	300	428.89	42.85	42.58	26.83	59.19	-	-	-	-
18.	पंजाब	200	71.68	300	219.27	24.63	38.31	19.67	47.71	-	-	-	-
19.	राजस्थान	220	220.01	400	428.35	53.80	57.23	28.96	43.10	-	-	-	-
20.	तमिलनाडु	550	501.40	2000	2174.89	162.29	179.63	126.68	204.57	-	-	-	-
21.	उत्तर प्रदेश	450	524.28	1500	1722.35	74.97	63.16	90.65	60.24	-	-	-	-
22.	उत्तराखण्ड	150	69.07	350	203.31	11.25	8.36	20.69	27.19	-	-	-	-
23.	पश्चिम बंगाल	350	293.66	750	456.89	63.90	9.82	63.56	65.57	-	-	-	-
	कुल	7355	5966.72	14585	14178.13	1689.13	1590.41	1068.41	1159.74	-	-	-	-

*पालिसियों की संख्या के लिए लक्ष्य नहीं दिए गए थे।

विवरण-II

सर्किलवार लक्ष्य एवं उपलब्धि (2008-09)

क्र. सं.	सर्किल	बीमित धनराशि (करोड़ रु. में)				प्रीमियम से आय (करोड़ रु. में)			
		डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा		डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	350	453.26	2000	2300.51	113.11	109.51	169	138.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	100	101.20	100	121.75	28.30	25.02	15.48	10.61
3.	बिहार	150	127.68	1000	1258.83	37.89	3.76	43.98	12.52
4.	छत्तीसगढ़	75	52.86	200	101.92	7.65	8.67	14.42	14.16
5.	दिल्ली	500	325.99	100	4.45	72.10	63.85	1.37	0.73
6.	गुजरात	600	495.26	1000	404.52	213.51	0	143.29	0
7.	हरियाणा	250	99.25	350	223.78	62.03	54.24	35.06	30.28
8.	हिमाचल प्रदेश	125	90.39	150	141.95	21.24	22.93	15.60	20.25
9.	जम्मू और कश्मीर	85	53.27	110	129.64	20.31	22.13	12.64	12.21
10.	झारखण्ड	140	264.51	250	435.50	10.59	13.08	11.32	12.65
11.	कर्नाटक	500	599.47	600	690.88	112.33	130.10	60.04	80.16
12.	केरल	140	250.64	350	403.80	30.97	37.77	54.77	69.58
13.	महाराष्ट्र	650	669.21	2200	1866.24	194.55	166.50	119.59	63.89
14.	मध्य प्रदेश	280	96.79	500	82.16	31.95	35.24	40.07	38.35
15.	उत्तर-पूर्व	65	42.60	75	16.35	11.28	13.72	3.57	4.38
16.	उड़ीसा	125	147.19	300	437.39	46.28	35.24	65.20	58.09
17.	पंजाब	200	99.65	300	327.85	58.24	23.02	61.21	18.19
18.	राजस्थान	220	317.52	400	414.59	49.08	75.88	47.97	46.30
19.	तमिलनाडु	550	752.58	2000	1582.11	184.19	69.28	214.45	214.19
20.	उत्तर प्रदेश	450	493.54	1500	1653.13	46.05	63.76	53.77	64.62
21.	उत्तराखण्ड	150	96.46	350	238.03	10.32	12.79	31.84	32.35
22.	पश्चिम बंगाल	350	412.11	750	242.05	105.87	118.26	76.60	69.97
23.	सेना डाक सेवा	1300	2112.80	0	0	362.74	387.70	0	0
	कुल	7355	8154.23	14585	13077.43	1830.58	1492.46	1291.24	1011.56

क्र.सं.	सर्किल	*पालिसियों की संख्या			
		डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	35000	27799	400000	184067
2.	असम	10000	7010	20000	19269
3.	बिहार	15000	7246	200000	90683
4.	छत्तीसगढ़	7500	3635	40000	16582
5.	दिल्ली	50000	9263	20000	291
6.	गुजरात	60000	28432	200000	44592
7.	हरियाणा	25000	6027	70000	14883
8.	हिमाचल प्रदेश	12500	6133	30000	16009
9.	जम्मू और कश्मीर	8500	3222	22000	5738
10.	झारखण्ड	14000	11375	50000	53878
11.	कर्नाटक	50000	37976	120000	91140
12.	केरल	14000	13412	70000	44806
13.	महाराष्ट्र	65000	44000	440000	105755
14.	मध्य प्रदेश	28000	6369	100000	4814
15.	उत्तर-पूर्व	6500	2665	15000	1929
16.	उड़ीसा	12500	10511	60000	62711
17.	पंजाब	20000	5882	60000	21945
18.	राजस्थान	22000	19630	80000	39373
19.	तमिलनाडु	55000	38560	400000	228125
20.	उत्तर प्रदेश	45000	19921	300000	118230
21.	उत्तराखण्ड	15000	5714	70000	25300
22.	पश्चिम बंगाल	35000	22669	150000	40463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	सेना डाक सेवा	130000		116774		0		0	
	कुल	735500		454243		2917000		1230593	

विवरण-III

सर्किलवार लक्ष्य एवं उपलब्धि (2009-10)

क्र. सं.	सर्किल	बीमित धनराशि (करोड़ रु. में)				प्रीमियम से आय (करोड़ रु. में)			
		डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा		डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	980	924.45	9000	2255.08	130	140.49	348	150.24
2.	असम	420	135.40	960	219.40	37	27.93	35	19.61
3.	बिहार	260	178.65	4530	854.49	36	25.91	130	45.90
4.	छत्तीसगढ़	180	71.98	830	39.46	21	11.59	36	14.34
5.	दिल्ली	520	418.08	100	3.37	62	211.46	6	0.86
6.	गुजरात	1750	675.86	2240	467.20	220	84.19	105	55.53
7.	हरियाणा	350	143.97	720	175.74	57	67.29	49	31.91
8.	हिमाचल प्रदेश	370	157.69	820	159.98	33	29.10	39	24.81
9.	जम्मू और कश्मीर	190	80.82	270	36.20	23	16.46	22	9.32
10.	झारखण्ड	680	301	2690	448.39	36	31.64	82	43.70
11.	कर्नाटक	2130	584.75	4590	1053.16	190	160	190	100.14
12.	केरल	660	347.54	2240	454.94	51	49.27	125	84.47
13.	महाराष्ट्र	3090	1013.69	5290	2355.27	250	206.21	230	111.65
14.	मध्य प्रदेश	270	137.28	240	168.96	36	47.40	47	47.20
15.	उत्तर-पूर्व	160	78.74	100	34.18	17	7.95	9	2.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	उड़ीसा	640	210.57	3140	472.46	55	48.13	135	80.22
17.	पंजाब	310	113.01	1100	246.26	29	30.25	46	20.17
18.	राजस्थान	480	364.85	1530	965.71	84	83.37	81	54.92
19.	तमिलनाडु	2090	1221.33	10260	1989.05	136	182.63	340	228.03
20.	उत्तर प्रदेश	750	724.85	3590	2648.77	85	77.78	146	40.52
21.	उत्तराखण्ड	240	151.85	1260	233.11	17	18.78	61	39.12
22.	पश्चिम बंगाल	1390	816.67	2020	151.31	145	116.63	118	56.95
23.	सेना डाक सेवा	7050	3451.80	0	0	550	626.78	0	0
	कुल	24960	12304.83	57520	15432.49	2300	2301.24	2380	1262.11

क्र.सं.	सर्किल	पॉलिसियों की संख्या			
		डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	98136	45855	1801270	1868023
2.	असम	42000	7688	192690	75275
3.	बिहार	25824	8440	906760	323381
4.	छत्तीसगढ़	18220	4442	155920	6732
5.	दिल्ली	52092	9617	20000	1546
6.	गुजरात	175410	32673	447080	71251
7.	हरियाणा	34942	6371	144170	54278
8.	हिमाचल प्रदेश	37266	8629	163360	26820
9.	जम्मू और कश्मीर	18804	4414	54040	5181
10.	झारखण्ड	68250	12189	538780	266286
11.	कर्नाटक	213582	35099	918540	195148
12.	केरल	66564	19047	448060	75281

1	2	11	12	13	14
13.	महाराष्ट्र	309366	53668	1057550	559522
14.	मध्य प्रदेश	26790	8049	48140	62503
15.	उत्तर-पूर्व	15990	3827	20000	6261
16.	उड़ीसा	63834	12534	627110	144487
17.	पंजाब	30588	5575	219450	21946
18.	राजस्थान	48462	17699	306210	814468
19.	तमिलनाडु	208596	49539	2052670	740656
20.	उत्तर प्रदेश	75294	33355	718410	819210
21.	उत्तराखण्ड	23790	7272	252990	60479
22.	पश्चिम बंगाल	139452	32541	404630	31871
23.	सेना डाक सेवा	705348	138551	0	0
	कुल	2498590	557074	11507830	6230605

विवरण-IV

सर्किलवार लक्ष्य एवं उपलब्धि (2010-11) (मई तक)

क्र. सं.	सर्किल	बीमित धनराशि (करोड़ रु. में)				प्रीमियम से आय (करोड़ रु. में)			
		डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा		डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
		लक्ष्य*	उपलब्धि	लक्ष्य*	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	-	25.97	-	6.66	288.48	15.29	817.19	16.28
2.	असम	-	27.22	-	16.75	79.83	5.80	126.31	2.26
3.	बिहार	-	16.61	-	10.45	95.07	3.67	318	7.23
4.	छत्तीसगढ़	-	6.66	-	2.99	40.86	2.11	96.07	2.29
5.	दिल्ली	-	46.50	-	1.51	202.31	9.91	41.98	0.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात	-	41.50	-	14.92	314.53	37.09	241.66	21.51
7.	हरियाणा	-	18.32	-	10.89	96.47	9.27	122.08	3.86
8.	हिमाचल प्रदेश	-	19.68	-	17.90	57.58	5.30	51.19	4.58
9.	जम्मू और कश्मीर	-	17.19	-	5.02	45.73	6.45	38.83	1.89
10.	झारखण्ड	-	35.52	-	17.33	74.59	5.80	161.05	4.35
11.	कर्नाटक	-	51.40	-	58.92	251.13	22.67	418.76	16.78
12.	केरल	-	24.28	-	19.58	98.46	9.13	186.60	18.85
13.	महाराष्ट्र	-	61.91	-	11.48	445.29	19.07	610.20	3.31
14.	मध्य प्रदेश	-	9.70	-	0.94	76.59	5.27	166.30	4.63
15.	उत्तर-पूर्व	-	17.65	-	4.46	42.25	0.59	44.73	0.25
16.	उड़ीसा	-	23.66	-	20.81	107.75	6.25	277.57	9.41
17.	पंजाब	-	11.94	-	3.35	84.05	5.33	101.39	2.76
18.	राजस्थान	-	28.20	-	18.42	187.37	14.44	270.03	6.31
19.	तमिलनाडु	-	147.90	-	13.72	246.60	44.19	604.73	41.56
20.	उत्तर प्रदेश	-	41.83	-	23.66	273.19	11.85	450.09	4.94
21.	उत्तराखण्ड	-	18.03	-	15.58	46.52	3.11	91.12	5.11
22.	पश्चिम बंगाल	-	28.35	-	17.52	349.97	19.38	345.09	10.92
23.	सेना डाक सेवा	-	539.61	-	0	0	0	0	0
	कुल		1259.63		312.86	3504.62	261.97	5580.97	189.24

क्र.सं.	सर्किल	पॉलिसियों की संख्या			
		डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	175000	1373	2652000	2631
2.	असम	48000	1598	424000	6471

1	2	11	12	13	14
3.	बिहार	68000	778	1061000	3055
4.	छत्तीसगढ़	28000	330	318000	628
5.	दिल्ली	124000	1079	159000	108
6.	गुजरात	141000	1927	742000	1700
7.	हरियाणा	45000	851	371000	6482
8.	हिमाचल प्रदेश	28000	940	106000	2812
9.	जम्मू और कश्मीर	23000	842	106000	824
10.	झारखण्ड	45000	1150	530000	9894
11.	कर्नाटक	113000	2864	1273000	21551
12.	केरल	56000	1125	424000	2637
13.	महाराष्ट्र	248000	2902	1909000	1810
14.	मध्य प्रदेश	46000	501	530000	347
15.	उत्तर-पूर्व	28000	699	159000	1396
16.	उड़ीसा	65000	1271	848000	4956
17.	पंजाब	51000	516	318000	372
18.	राजस्थान	101000	1331	848000	12193
19.	तमिलनाडु	158000	5157	1591000	4643
20.	उत्तर प्रदेश	197000	1451	1591000	18991
21.	उत्तराखण्ड	28000	775	212000	2899
22.	पश्चिम बंगाल	197000	1145	1061000	3243
23.	सेना डाक सेवा	141000	17659	0	0
	कुल	2154000	48264	17233000	109643

*बीमित धनराशि के लिए लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

150. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में स्थापित किए गए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की कुल संख्या राज्य-वार और स्थान-वार क्या है;

(ख) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार का देश में और उक्त पार्कों की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.आई.) ने देश में 51 एस.टी.पी.आई. केन्द्र स्थापित किए हैं। एस.टी.पी.आई. केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। पिछले तीन वर्षों (2007-10) के दौरान तीन नए केन्द्र क्रमशः हल्दिया (पश्चिम बंगाल), शिलौंग (मेघालय) तथा पटना (बिहार) में स्थापित किए गए हैं।

(ख) और (ग) चूंकि एस.टी.पी.आई. केन्द्र स्थापित करने की पहल राज्य सरकार करती है, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि में नए एस.टी.पी.आई. केन्द्र स्थापित करने के लक्ष्य निर्धारित करना एस.टी.पी.आई. के लिए संभव नहीं है। और उक्त पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकारों की मांग पर आधारित होता है। नया एस.टी.पी.आई. केन्द्र स्थापित करने की नीति के अनुसार, राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर एस.टी.पी.आई. संबंधित राज्य सरकार के साथ मिलकर संभाव्यता अध्ययन करती है। यह अध्ययन प्रस्ताव की निर्यात क्षमता और व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। व्यावहारिक होने पर केन्द्र स्थापित करने के लिए एस.टी.पी.आई. द्वारा आगे कार्रवाई शुरू की जाती है। इस चरण में, राज्य सरकार को एस.टी.पी.आई. के लिए 3 एकड़ भूमि, 10,000 वर्ग फुट का निर्मित स्थान एवं 1 करोड़ रु. का सहायता अनुदान उपलब्ध कराना होता है। नए एस.टी.पी.आई. केन्द्र के अनुमोदन के बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/एस.टी.पी.आई. 50 लाख रुपए की आरम्भिक राशि उपलब्ध कराता है। नए अनुमोदित एस.टी.पी.आई. केन्द्रों की स्थिति, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है, संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

देश में अब तक स्थापित किए गए एस.टी.पी.आई. केन्द्रों की सूची

राज्य	एस.टी.पी.आई. केन्द्र
आंध्र प्रदेश	(i) हैदराबाद (ii) तिरुपति (iii) विजयवाड़ा (iv) वाइजैग (v) वारंगल (vi) ककीनाडा
असम	गुवाहाटी
छत्तीसगढ़	भिलाई
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू और कश्मीर	(i) श्रीनगर (ii) जम्मू
झारखण्ड	रांची
कर्नाटक	(i) बंगलौर (ii) हुबली (iii) मंगलौर (iv) मणिपाल (v) मैसूर
केरल	तिरुवनन्तपुरम
मध्य प्रदेश	इंदौर
महाराष्ट्र	(i) औरंगाबाद (ii) नागपुर (iii) नासिक (iv) नवी मुम्बई (v) कोल्हापुर (vi) पुणे
मणिपुर	इम्फाल
उड़ीसा	(i) भुवनेश्वर (ii) राउरकेला
पांडिचेरी	पांडिचेरी
पंजाब	मोहाली
राजस्थान	जयपुर, जोधपुर
सिक्किम	गंगटोक
तमिलनाडु	(i) चेन्नै (ii) कोयम्बटूर (iii) मदुरै (iv) तिरुनावेली (v) त्रिची
उत्तर प्रदेश	(i) कानपुर (ii) लखनऊ (iii) नोएडा (iv) इलाहाबाद
उत्तरांचल	देहरादून
पश्चिम बंगाल	(i) कोलकाता (ii) दुर्गापुर (iii) खड़गपुर (iv) सिलगुड़ी (v) हल्दिया
पटना	बिहार
मेघालय	शिलोंग

विवरण-II

कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत नए अनुमोदित एस.टी.पी.आई. केन्द्रों की सूची

राज्य	एस.टी.पी.आई. केन्द्र
मध्य प्रदेश	ग्वालियर
	भोपाल
त्रिपुरा	अगरतला
मिजोरम	आईजोल
गुजरात	सूरत
झारखण्ड	जमशेदपुर
	धनबाद
उत्तर प्रदेश	वाराणसी
	आगरा
कर्नाटक	गुलबर्गा
गोवा	गोवा
उड़ीसा	बरहामपुर*

*एस.टी.पी.आई. केन्द्र प्रचालन के लिए तैयार है।

[अनुवाद]

जी.एम. खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाना

151. श्री जोस के. मणि: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी.एम. और जी.एम. रहित खाद्य पदार्थों पर लेबल नहीं लगाए जाने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से पैकेज्ड और आयातित खाद्य पदार्थों के जी.एम. प्रदूषित होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे जी.एम. खाद्य पदार्थों को विनियमित करने की क्या व्यवस्था है;

(घ) क्या अपने निर्यातों को जी.एम. प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए भारत ने देश के बासमती क्षेत्र में जी.एम. चावल के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके कारण क्या हैं;

(च) क्या गैर-बासमती चावल का निर्यात मात्रा और मूल्य में अधिक रहने के कारण अन्य चावल क्षेत्रों पर भी यह प्रतिबंध लगाये जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) आयात के समय, ऐसे सभी उत्पादों, जिनमें आनुवंशिक रूप से संशोधन किया गया है, के परेषणों के साथ इस आशय का घोषणापत्र संलग्न करना अपेक्षित होता है कि वह उत्पाद आनुवंशिक रूप से संशोधित है। जिन मामलों में परेषण के साथ इस प्रकार का घोषणापत्र नहीं होता है और बाद में उसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित सामग्री पायी जाती है, तो आयातक पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जी.एम.) खाद्य उत्पादों का आयात पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के उपबंधों के अधीन अधिसूचित "खतरनाक सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक रूप से अभियांत्रित जीवों अथवा कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात तथा निर्यात एवं भण्डारण नियम, 1989" द्वारा शासित होते हैं।

तदनुसार, निर्यात एवं आयात मदों के आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण (अनुसूची-I) में शामिल प्रावधानों के अनुसार आनुवंशिक रूप से संशोधित सामग्री वाले किसी खाद्य पदार्थ, चारे, अपरिष्कृत अथवा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अथवा कोई खाद्य संघटक, खाद्य योगज अथवा कोई अन्य खाद्य उत्पाद और जिसका उपयोग औद्योगिक उत्पादन, पर्यावरणीय निर्गम अथवा खेतों में अनुप्रयोगों के लिये किया जा रहा है, के आयात की अनुमति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार में आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी। जी.ई.ए.सी. ने देश में जी.एम. खाद्य पदार्थों के आयात हेतु प्रक्रिया निर्धारित की है।

(घ) से (छ) बासमती उत्पादक क्षेत्रों में आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल के खेतों में परीक्षण की अनुमति नहीं दी गई है। अन्य क्षेत्रों में जी.एम. खेतों में परीक्षण

को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जी.ई.ए.सी. द्वारा जी.एम. फसल वाले सभी खेतों में परीक्षण को कड़े मानकों के अध्यधीन, मौजूदा नियमों तथा विनियमनों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है, जो निम्नानुसार हैं:-

(i) भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणन मानकों के अन्तर्गत यथा निर्धारित प्रयोग स्थल की परिधि से फसल विशिष्ट पृथक्करण दूरी बनाए रखना;

(ii) प्रयोग वाले भूखण्ड के चारों ओर सीमाओं पर कतार में पौध रोपण करके जैविक अवरोध तैयार करना;

(iii) परीक्षण शुरू करने से पूर्व 0.01 प्रतिशत के वैध कार्य विशिष्ट जांच प्रोटोकोल प्रस्तुत करना;

(iv) फसलोत्तर प्रतिबंध।

[हिन्दी]

प्रमुख पत्तनों की कार्यकुशलता

152. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रभावी प्रशासन की कमी के कारण प्रमुख पत्तनों की कार्यकुशलता कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान किन प्रमुख पत्तनों की लदान/उतरान कार्यकुशलता कम हो गयी है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रक्षा संपदा के कर्मचारियों को वेतन लाभ

153. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छावनी बोर्डों सहित रक्षा संपदा के कर्मचारी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ लेने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें केन्द्र सरकार सेवा नियमों के अन्तर्गत लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) रक्षा संपदा संगठन के कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारी होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा यथा-कार्यान्वित छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। छावनी बोर्डों के कर्मचारी न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार के कर्मचारी हैं अपितु वे संबंधित छावनी बोर्डों के कर्मचारी हैं जो स्थानीय निकाय हैं। वे उसी प्रकार के वेतन और भत्ते आहरित करने के हकदार हैं जो राज्य सरकार में तदनुरूपी श्रेणी के पदों को उपलब्ध हैं और राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों को संशोधित करने की अवस्था में राज्य सरकार द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट संशोधित वेतनमान आवश्यक परिवर्तन सहित राज्य के छावनी बोर्ड कर्मचारियों को ठीक उसी तारीख से लागू होगा जैसा कि उन राज्य सरकार कर्मचारियों के मामले में, जहां पर छावनी बोर्ड अवस्थित हैं।

(ग) और (घ) रक्षा संपदा संगठन के कर्मचारी पहले ही केन्द्र सरकार सेवा नियमों के अंतर्गत आते हैं। छावनी बोर्ड कर्मचारियों को केन्द्र सरकार सेवा नियमों के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों के ग्राहकों की संख्या में वृद्धि

154. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मोबाइल टेलीफोन के ग्राहकों की संख्या में सतत वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की ऐसे मोबाइल टेलीफोन हैंडसेटों का निर्माण करने की कोई नीति है जो वर्तमान मोबाइल हैंडसेटों द्वारा उत्पन्न खतरों को कम या समाप्त कर सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के लिए देश में वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

निम्नलिखित तारीखों तक की स्थिति के अनुसार	वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या
31-03-2008	261.08 मिलियन
31-03-2009	391.76 मिलियन
31-03-2010	584.32 मिलियन
31-05-2010	617.53 मिलियन

(ग) से (ङ) भारतीय सेल्यूलर एसोसिएशन (आई.सी.ए.) के माध्यम से मोबाइल हैंडसेटों के सभी स्वदेशी विनिर्माताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि वे विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र (ई.एम.एफ.) प्रभाव को सीमित करने की बाबत मूलभूत प्रतिबंधों और संदर्भ स्तरों तथा "विशिष्ट अवशोषण दर (एस.ए.आर.) मापन" के लिए परीक्षण कार्यक्रम/परीक्षण प्रक्रिया के संबंध में अंतरराष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकिरण सुरक्षा आयोग (आई.सी.एन.आई.आर.पी.) द्वारा अनुशंसित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। मोबाइल हैंडसेटों के विनिर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के संबंध में स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करें।

[अनुवाद]

नक्सल विरोधी अभियानों के लिए सशस्त्र बल

155. श्री उदय सिंह:
श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री मिलिंद देवरा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नक्सल विरोधी अभियानों में सशस्त्र बलों की सेवा का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा स्थिति और माओवादी समस्याओं के संबंध में तीन सेवाओं के प्रमुखों के साथ हाल में बैठक की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या माओवादियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों तथा विस्फोटक उपकरणों को निष्क्रिय करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सेना के कुछ बारूदी सुरंग विशेषज्ञों को तैनात करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या माओवादियों की हरकतों और उनके शिविरों का पता लगाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) को कुछ राडार विकसित करने का काम सौंपा गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) यद्यपि राज्य सरकारों को संभारिकी सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर मुहैया करवाए गए हैं किन्तु नक्सल विरोधी अभियानों में सेना को तैनात करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

156. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री राम सुन्दर दास:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपलब्ध कुशल/अर्द्ध-कुशल तथा अकुशल श्रमिकों/कामगारों की वर्तमान राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) उक्त श्रमिकों/कामगारों के लिए राज्य-वार निर्धारित प्रति दिन की न्यूनतम मजदूरी क्या है;

(ग) क्या न्यूनतम मजदूरी की अपर्याप्त राशि के कारण ऐसे श्रमिकों/कामगारों को कुछेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान सीमा को बढ़ाने/संशोधित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा न्यूनतम मजदूरी को कब तक संशोधित करने तथा उसे लागू करने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) कुशल/अर्द्ध-कुशल तथा अकुशल श्रमिकों/कामगारों से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा नियोजित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

15वें भारतीय श्रम सम्मेलन, 1957 तथा सर्वोच्च न्यायालय के 1992 के मामले में दिये गये निर्देश जो रेप्टाकोस एवं कम्पनी बनाम उसके कामगारों से संबंधित है, की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समुचित सरकारों द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की जाती हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3(1)(ख) में निहित उपबंधों के अनुसार जब कभी आवश्यकता हो, सतत आधार पर समुचित सरकारें ऐसी न्यूनतम दरों की समीक्षा करती हैं तथा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण करती हैं।

इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी का संरक्षण मुद्रास्फीति से करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार तथा अधिकांश राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासनों ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वी.डी.ए.) की पद्धति अपनाई है जिसकी औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर वर्ष में दो बार 1 अप्रैल तथा 1 अक्तूबर को पुनरीक्षा की जाती है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये प्रति दिन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अकुशल	अर्द्ध-कुशल	कुशल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश*	69.00-249.00	-	105.00-459.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	80.00	85.00	90.00
3.	असम	86.80	91.29	99.19
4.	बिहार	103.50	107.00	132.00
5.	छत्तीसगढ़	134.15	138.30	142.53
6.	गोवा	93.00	98.00	100.69
7.	गुजरात	100.00	105.00	115.00
8.	हरियाणा	162.00	167.00	177.00
9.	हिमाचल प्रदेश	110.00	121.00	138.00

1	2	3	4	5
10.	जम्मू और कश्मीर	110.00	150.00	200.00
11.	झारखण्ड	111.00	150.00	138.00
12.	कर्नाटक	111.83	115.76	117.69
13.	केरल	97.52	121.93	126.93
14.	मध्य प्रदेश	110.00	137.49	142.49
15.	महाराष्ट्र	89.35	93.16	94.13
16.	मणिपुर	81.40	86.65	88.40
17.	मेघालय	100.00	120.00	140.00
18.	मिजोरम	132.00	148.00	184.00
19.	नागालैंड	80.00	90.00	100.00
20.	उड़ीसा	90.00	103.00	116.00
21.	पंजाब	136.69	143.81	153.65
22.	राजस्थान	100.00	107.00	115.00
23.	सिक्किम	100.00	115.00	130.00
24.	तमिलनाडु	87.60	95.60	102.60
25.	त्रिपुरा	85.00	102.00	120.00
26.	उत्तर प्रदेश	100.00	114.70	120.16
27.	उत्तराखंड	91.98	108.92	125.17
28.	पश्चिम बंगाल	96.00	98.05	99.80
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	156.00	168.00	181.00
30.	चण्डीगढ़	148.51	154.28	165.82
31.	दादरा और नगर हवेली	117.80	124.30	130.80
32.	दमन और दीव	113.80	123.80	130.80
33.	दिल्ली	203.00	225.00	248.00
34.	लक्षद्वीप	121.00	131.00	141.00
35.	पुडुचेरी	77.70	84.12	86.00

1	2	3	4	5
	केन्द्रीय क्षेत्र			
	यथा वर्गीकृत शहर			
	क्षेत्र "ग"	135.00	158.00	192.00
	क्षेत्र "ख"	169.00	192.00	225.00
	क्षेत्र "क"	203.00	225.00	248.00

*अनुसूचित नियोजन के संबंध में न्यूनतम एवं अधिकतम श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी की सीमा

क्षेत्र-"क"

अहमदाबाद	(यू.ए.)	हैदराबाद	(यू.ए.)	कोयम्बटूर	(यू.ए.)	पटना	(यू.ए.)
बंगलुरू	(यू.ए.)	कानपुर	(यू.ए.)	कटक	(यू.ए.)	रायपुर	(यू.ए.)
कोलकाता	(यू.ए.)	लखनऊ	(यू.ए.)	दुर्गापुर		राजकोट	
दिल्ली	(यू.ए.)	चैन्नई	(यू.ए.)	फरीदाबाद		रांची	(यू.ए.)
ग्रेटर मुम्बई	(यू.ए.)	नागपुर	(यू.ए.)	कम्पलैक्स			
				गाजियाबाद	(यू.ए.)	शोलापुर	(यू.ए.)

क्षेत्र-"ख"

आगरा	(यू.ए.)	जमशेदपुर	(यू.ए.)	गोरखपुर		श्रीनगर	(यू.ए.)
अजमेर		जोधपुर		गुवाहाटी शहर		सूरत	(यू.ए.)
अलीगढ़		कोच्ची	(यू.ए.)	गुंतूर		तिरुवनंतपुरम	(यू.ए.)
इलाहाबाद	(यू.ए.)	कोल्हापुर	(यू.ए.)	ग्वालियर	(यू.ए.)	बडोदरा	(यू.ए.)
अमरवती		कोझीकोड	(यू.ए.)	इंदौर	(यू.ए.)	वाराणसी	(यू.ए.)
औरंगाबाद	(यू.ए.)	कोटा		हुबली-धारवाड		विजयवाड़ा	(यू.ए.)
बरेली	(यू.ए.)	लुधियाना		जबलपुर	(यू.ए.)	विशाखापत्तनम	(यू.ए.)
भाव नगर		मदुरै	(यू.ए.)	जयपुर	(यू.ए.)	वारंगल	
बीकानेर		मेरठ	(यू.ए.)				
भोपाल		मुरादाबाद	(यू.ए.)				
भुवनेश्वर		मैसूर	(यू.ए.)				
अमृतसर		नासिक	(यू.ए.)				
चण्डीगढ़	(यू.ए.)	पुणे	(यू.ए.)				

क्षेत्र-"ग" में इस सूची में उल्लेख न किए गए सभी क्षेत्र शामिल होंगे।

टिप्पणी : यू.ए. का आशय शहरी समूह से है।

[अनुवाद]

लौह अयस्क का निर्यात

157. श्री आनंदराव अडसुल:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज पदार्थ संपन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केन्द्र सरकार से लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगाने का अनुरोध किया है क्योंकि खनिज-पदार्थों के अनियंत्रित निर्यात के कारण कीमती प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात की वर्तमान दर को देखते हुए देश के सभी खनिज पदार्थ संसाधन खत्म होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक नीति लाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश के भीतर मूल्य संवर्द्धन के लिए लौह अयस्क और अन्य ऐसे मूल्यवान खनिज-पदार्थों का उपयोग सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक के मुख्यमंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें खानों के दोहन और अवैध खनन के मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इसमें लौह अयस्क के निर्यात को हतोत्साहित करने और लौह अयस्क का उपयोग करके मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु स्थानीय तौर पर उद्योगों की स्थापना करने का उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) दिनांक 01-04-2005 की स्थिति के अनुसार यह संसाधन + 55 प्रतिशत लौह के अधिकतम मूल्य के आधार पर 25.249 बिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2008-09 के दौरान लौह अयस्क के निर्यात की कुल मात्रा केवल 105.8 प्रतिशत मिलियन टन थी। इन निर्यातों में लौह अयस्क "फाइन्स" लगभग 87 प्रतिशत था, जो देश में "फाइन्स" की मांग सीमित होने के कारण और स्टॉक के भण्डार को बढ़ने से रोकने तथा खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय जोखिम को रोकने के लिए किया गया था। चूंकि भारत के पास लौह अयस्क का भण्डार विश्व के सबसे बड़े भण्डारों में से एक है, जिसके तकनीकी दृष्टि से उन्नत गवेषण तकनीकों के कारण बढ़ने की संभावना है, अत: निर्यातों के कारण इसके घटने की संभावना नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) इस्पात मंत्रालय देश में ही लौह अयस्क के बेनीफिसिशएन तथा सिंटरिंग/पैलेटाइजेशन का संवर्धन करने के पक्ष में है ताकि लौह अयस्क फाइन्स के घरेलू उपयोग को अधिकतम बनाया जा सके। तथापि वर्तमान में स्थापित/स्थापना हेतु प्रस्तावित अधिकांश एकीकृत इस्पात संयंत्र लौह अयस्क के सिंटरिंग/पैलेटाइजेशन पर आधारित है, ताकि लौह अयस्क फाइन्स का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

मक्का और कॉर्न का निर्यात

158. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मक्के और कॉर्न जैसे उत्पादों का निर्यात कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्यात में आयी कमी का कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार को विदेशों से गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए/किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं मक्का (कार्न) के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (लाख मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
2006-07	6.37	498.86
2007-08	27.28	2443.44
2008-09	35.37	2274.99
2009-10 (अप्रैल-दिसम्बर)	20.03	1923.97

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वावलंबन स्कीम

159. श्री रमेश बैस:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असंगठित क्षेत्र में लगे कामगारों और व्यक्तियों से नयी पेंशन योजना के मद में योगदान का संग्रहण करने के लिए प्रारंभ की गयी स्वावलंबन स्कीम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पूरे देश में उक्त स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है; और

(ग) असंगठित कामगारों के लिए गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष के अन्तर्गत निधि का न्यायोचित और समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) सरकार द्वारा नई पेंशन योजना के मद में योगदान का संग्रहण करने की प्रक्रिया एवं पद्धति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राज्य सरकारों से अपील की है कि वे इस स्कीम में समान राशि का अंशदान करें और समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अपनी सहभागिता करें।

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष की उपयोगिता के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रक्षा प्रयोगशालाओं का विलय

160. श्री वरुण गांधी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ रक्षा प्रयोगशालाओं का विलय करने का है ताकि डिजाइन, प्रौद्योगिकी विनिर्माण तथा सहायता कार्यकुशल और केन्द्रित हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण महानिदेशकों की अध्यक्षता में 'प्रौद्योगिकी क्षेत्रवार समूहों' के गठन तथा इन महानिदेशकों और प्रयोगशाला निदेशकों को वित्त सलाहकारों की सहायता उपलब्ध कराकर सशक्त बनाकर किए जाने का प्रस्ताव है।

कराची जा रहे जलपोत में विस्फोटक पदार्थ

161. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विस्फोटक पदार्थों, शस्त्र एवं गोला-बारूद से लदे कराची जा रहे जलपोत को हाल में डायमंड हार्बर, कोलकाता में रोका गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांग्लादेश में चिटगांव पत्तन से जलपोत के प्रस्थान करने से पहले जलपोत में लदे पदार्थों का सटीक खुलासा नहीं किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई जांच करायी गयी है;

(च) यदि हां, तो इसका निष्कर्ष क्या है तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या उक्त जलपोत को भारत सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी हां, कराची जा रहे एम.वी. ऐगेअन ग्रोरी नामक जलपोत

जिस पर विस्फोटक पदार्थों, शस्त्र एवं गोला - बारूद लदे थे, 25 जून 2010 को कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त सूचना के आधार पर रोका गया था।

(ग) और (घ) जी हां, हालांकि घोषणा पत्र द्वारा जलपोत पर कार्गो के लिए सूचना दाखिल कर दी थी, पाकिस्तान जा रहे कार्गो के जोखिमवाले प्रकृति का सीमा-शुल्क कानून द्वारा अपेक्षित घोषणा नहीं की गई थी।

(ङ) और (च) कोलकाता सीमा-शुल्क द्वारा जांच कर निष्कर्ष आया कि जलयान के मालिक/जहाज के कैप्टन के मध्य में अन्तर होने के कारण पाकिस्तान जा रहे कार्गो के संबंध में घोषणा सही प्रकार से दाखिल नहीं की गई थी। जलयान पाया गया था जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के सम्बन्धित कार्गो का देश-प्रत्यावर्तन के लिए राष्ट्रीय संघ द्वारा भाड़े पर लिया गया था। जिनकी सेना यूनिटें लिबिया में यू.एन. मिशन का भाग थी। जहाज कोलकाता पत्तन में नेपाल सीमा के कार्गो उतारने के लिए चिटगांव पत्तन में बांग्लादेश सेना के कार्गो को उतारने के बाद अपने यात्रा में था।

(छ) और (ज) जी हां, जहाज 08 जून, 2010 को छोड़ दिया गया है।

राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं में कार्यरत संविदा मजदूर/श्रमिक

162. श्री पी. कुमार: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं से संबंधित कार्यों में लगे संविदा मजदूरों/श्रमिकों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उक्त कामगार/श्रमिक पंजीकृत किए जाने की प्रतीक्षा में हैं ताकि विभिन्न श्रम कानूनों के तहत नियमित कर्मचारियों को उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त हो सकें;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) ऐसे कामगारों/श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) इस समय केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रमंडल खेल स्थलों संबंधी विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में लगभग 8000 कामगार कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत गठित कल्याण बोर्ड द्वारा "लाभार्थियों" का कामगार के रूप में पंजीकरण कार्य राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के श्रम विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। 31-03-2010 तक बोर्ड ने 25,682 कामगारों का पंजीकरण किया है। राज्य कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण के पश्चात कामगार इस बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आर.आई.एम.) के कार्यालयों ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 के स्थलों पर कार्यरत कामगारों पर लागू होने वाले श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए अनेक उपाय किए हैं तथा साथ ही कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने तथा कामगारों के हितों की संरक्षा के लिए अधिनियमित किए गए विभिन्न कानूनों अर्थात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, प्रसुति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 आदि के उपबंधों के अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी प्रयास किए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न करने जैसे उल्लंघन तथा सुरक्षा उपाय के उल्लंघन के बारे में निरीक्षण का ब्यौरा तथा दर्ज कराए गए दावा मामलों में संबंधित विवरण संलग्न है।

विवरण

गत दो वर्षों (2008 और 09) के दौरान सांविधिक उपबंधों के अनुपालन न किए जाने के मामलों में निरीक्षण तथा दर्ज कराए गए अभियोजनों का ब्यौरा

अधिनियमन	निरीक्षणों की संख्या	न्यायालय में दर्ज कराए गए मामलों की संख्या
1	2	3
ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन), अधिनियम, 1970	202	173

1	2	3
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948	576	479
भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996	217	175

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दावा मामलों का ब्यौरा

वर्ष	फाइल किए गए दावा मामले	शामिल कामगारों की संख्या	फाइल की गई दावां राशि (रु.)	निर्णित मामलों की संख्या	लाभ पाने वालों की संख्या	दी गई राशि (रु.)
2008	84	412	37,84,274,70	106	695	21,88,003,50
2009	222	473	1,22,27,324,00	98	316	23,21,341

भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 का कार्यान्वयन, रजिस्टर, रिकार्ड, मजदूरी पर्ची आदि के रख-रखाव न करने के संबंध में धारा 50 के तहत दायर की गई शिकायतें।

अवधि	फाइल की गई शिकायतें	सिद्ध दोष	किया गया जुर्माना (रु.)
2007-08	56	57	1,77,500
2008-09	80	36	1,53,000
2009-10	76	30	1,45,500

भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 47 तथा 48 के तहत मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नई दिल्ली के समक्ष सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपाय के अनुपालन न किए जाने के संबंध में दायर की गई शिकायतों का ब्यौरा।

अवधि	फाइल की गई शिकायतें	सिद्ध दोष	किया गया जुर्माना (रु.)
2007-08	24	16	45000/-
2008-09	35	20	60000/-
2009-10	45	23	87800/-

[हिन्दी]

कपार्ट के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाएं

163. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक कार्रवाई तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कपार्ट) के अंतर्गत अब तक अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या क्या है तथा उन स्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं जहां ऐसी परियोजनाएं प्रारंभ की गयी हैं;

(ख) आबंटित, जारी की नयी तथा उपयोग की गयी निधि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) सूचना संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्याज का निर्यात

164. श्री प्रदीप माझी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छह माह के दौरान निर्यात की गई प्याज की मात्रा और मूल्य क्या हैं;

(ख) देश में प्याज के निर्यात में रत एजेंसियों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या देश में प्याज की कमी तथा मूल्य वृद्धि के बावजूद इसका निर्यात नियमित आधार पर किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान एन.ए.एफ.ई.डी. ने घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य को कितनी बार संशोधित किया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) गत 6 महीनों के दौरान निर्यातित प्याज की मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार हैं:-

माह	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए)
जनवरी, 10	238234	27454.50
फरवरी, 10	190602	18989.26
मार्च, 10	159765	16619.53
अप्रैल, 10	177366	22436.80*
मई, 10	102489	10146.50*
जून, 10	175299	18537.86*
कुल	10,43,755	1,14,184

* अस्थायी

(ख) प्याज के निर्यात में निम्नलिखित 13 एजेंसियां शामिल हैं:-

(i) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि. (नैफेड), नई दिल्ली, (ii) महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एम.एस.ए.एम.बी.), पुणे, (iii) गुजरात कृषि उद्योग निगम (जी.ए.आई.सी.), अहमदाबाद, (iv) कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लि. (के.एस.सी.एम.एफ.), बंगलौर (v) आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम लि. (ए.पी.एस.टी.सी.एल.), हैदराबाद, (vi) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लि. (एन.सी.सी.एफ.), नई दिल्ली, (vii) मसाला व्यापार निगम लि. (एस.टी.सी.एल.), बंगलौर, (viii) उत्तरी कर्नाटक प्याज उत्पादक सहकारी सोसायटी लि., हुबली (एन.के.ओ.जी.सी.एस.), (ix) मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लि. (एम.पी.ए.आई.डी.सी.), भोपाल, (x) आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लि. (ए.पी.एफ.ई.डी.एन.), हैदराबाद, (xi) मध्य प्रदेश स्टेट को-ऑप ऑयलसीड ग्रोअर्स फेडरेशन लि. (एम.पी.ओ.जी.एफ.), भोपाल, (xii) कर्नाटक कृषि उपज प्रसंस्करण तथा निर्यात निगम लि., (के.ए.पी.पी.ई.सी.), बंगलौर तथा (xiii) पश्चिम बंगाल राज्य आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम लि. (डब्ल्यू.बी.एस.ई.सी.एस.), कोलकाता।

(ग) और (घ) गत 6 महीनों के दौरान प्याज का निर्यात नियमित रूप से किया जाता रहा है क्योंकि उक्त अवधि के दौरान प्याज की कोई कमी नहीं रही है और इस अवधि में घरेलू बाजार में प्याज की कीमत में कोई ऊर्ध्वगामी प्रवृत्त नहीं देखी गई थी।

(ङ) गत 6 माह के दौरान, नैफेड ने घरेलू बाजार में ऊर्ध्वगामी/अधोगामी प्रवृत्ति के अनुसार प्याज की न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी.) में 4 बार संशोधन किया है।

यात्री जलपोत सेवाएं

165. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय पत्तनों से विभिन्न स्थानों को जाने वाले निजी और सरकारी यात्री जलपोतों द्वारा तय की गयी दूरी, वर्ग, भाड़े तथा बारंबारता का प्रमुख पत्तन-वार तथा देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न प्रमुख पत्तनों से अन्य गंतव्य स्थानों विशेषकर तूतीकोरिन और श्रीलंका के बीच यात्री जलपोत सेवा प्रारंभ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे तटीय जलपोत गंतव्य में पर्यटन की संभावना का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता

166. श्रीमती जे. शांता: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उन कामगारों/श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत वितरित बेरोजगारी भत्ते का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो वैश्विक मंदी के चलते अपनी नौकरी गंवा बैठे; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे लाभान्वित कामगारों/श्रमिकों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिश रावत): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत राज्यवार वितरित बेरोजगारी भत्ता और लाभान्वित कामगारों/श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	वर्ष							
		2007		2008		2009		2010 (मई तक)	
		मामलों की सं.	भुगतान की गई राशि	मामलों की सं.	भुगतान की गई राशि	मामलों की सं.	भुगतान की गई राशि	मामलों की सं.	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश								
	(i) हैदराबाद	शून्य	शून्य	233	3374368	8	100920	शून्य	शून्य
	(ii) विजयवाड़ा	शून्य	शून्य	14	109983	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii) विशाखापतनम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	बिहार	4	23820	50	487140	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	पंजाब	21	195200	शून्य	शून्य	1	53400	शून्य	4960
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	दिल्ली	43	527739	12	173484	11	24390	शून्य	शून्य
7.	गोवा	60	789635	52	935803	104	3872792	17	310886
8.	गुजरात								
	(i) अहमदाबाद	51	932140	54	818161	14	180960	शून्य	शून्य
	(ii) वडोदरा	13	140576	15	83297	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii) सुरत	1	20792	शून्य	शून्य	9	424321	शून्य	5220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	92	1750140	शून्य	15840
12.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	10	93730	1	14196	1	17934
13.	कर्नाटक								
	(i) बंगलोर	8	1145886	21	3395670	1	26680	शून्य	शून्य
	(ii) हुबली	शून्य	शून्य	2	22680	4	43568	शून्य	शून्य
	(iii) पीनया	शून्य	शून्य	19	365857	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iv) बोमसंड्रा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	94	1326004
14.	केरल								
	(i) माहे	98	2302541	21	339480	22	350097	शून्य	81342
	(ii) कोलम	128	1718310	29	468720	शून्य	शून्य	शून्य	24450
15.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	65	162000	964	22018060
16.	महाराष्ट्र *								
	(i) लोवर परेल (मुंबई)	शून्य	शून्य	1	19872	7	197465	शून्य	35200
	(ii) मरौल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii) नागपुर	32	947336	23	283038	23	133712	शून्य	शून्य
	(iv) पुणे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	69	1275491	शून्य	466640
	(v) ठाणे	शून्य	शून्य	1	29210	2	44712	शून्य	शून्य
	(vi) औरंगाबाद	5	82810	शून्य	शून्य	45	1854100	शून्य	135564
17.	उड़ीसा	19	166977	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	पुदुचेरी	36	377280	22	214350	66	2047920	10	855808
19.	राजस्थान			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
	(i) जयपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	22500	शून्य	443674
	(ii) उदयपुर	शून्य	शून्य	1	22500	16	240454	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	तमिलनाडु			शून्य	शून्य				
	(i) चेन्नई	59	1248992	शून्य	शून्य	18	802635	शून्य	50517
	(ii) कोयम्बटूर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii) मदुरई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iv) सलेम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(v) त्रिनुलवेली	5	50996	5	21390	5	85230	शून्य	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश								
	(i) कानपुर	254	3851070	47	436588	201	4744365	52	1418111
	(ii) नोएडा	शून्य	शून्य	10	108000	85	1124306	72	2054546
	(iii) वाराणसी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	उत्तराखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	पश्चिम बंगाल								
	(i) कोलकाता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैरकपुर	6	41216	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	843	14563316	642	11803231	870	19576354	1210	29711006

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. की मजदूरी हेतु अलग सूचकांक

167. श्री बिभू प्रसाद तराई: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी के लिए अलग सूचकांक का निर्माण करने हेतु भारत के मुख्य सांख्यिकीय अधिकारों के अंतर्गत कार्य बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्य बल द्वारा क्या सिफारिशें की गयी हैं तथा इन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हकदारी के रूप में प्रतिदिन 100 रु. वास्तविक मजदूरी उपलब्ध कराने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2009-10 में की गई घोषणा के अनुपालन में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी को अद्यतन बनाने के लिए अलग-अलग सूचकांक बनाने के लिए फ्रेम वर्क बनाने हेतु तंत्र के लिए एक समिति गठित की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रति श्रम दिवस 100 रुपए वास्तविक मजदूरी करने के लिए सूचकांक बनाने की निधियों का अध्ययन एवं निर्माण करने के लिए मजदूरी संबंधी कार्यकारी समूह भी गठित किया है।

(ग) समिति ने इस संबंध में अब तक कोई सिफारिश नहीं की है।

रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

168. श्री पी. लिंगम:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री पी. बलराम:
श्री राजैय्या सिरिसिल्ला:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा उत्पादन पर सरकार के नियंत्रण पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

टी.एस.सी. के तहत कार्य

169. श्री एस. अलागिरी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार समग्र स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के तहत पूर्ण किए गए कार्यों के बारे में किस प्रकार सूचना प्राप्त करती है;

(ख) क्या पूर्ण किए गए कार्यों को जाली तरीके से रिकार्ड में दिखाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में टी.एस.सी. के कार्यों की निष्पत्ति की समीक्षा करने का प्रस्ताव है ताकि टी.एस.सी. के तहत शौचालयों के कार्यों की निष्पत्ति की सटीक संख्या का पता लगाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) मांग जनित परियोजना आधारित कार्यक्रम है। इसमें जिले को इकाई माना गया है। अब तक देश में 606 जिला परियोजनाएं हैं। टी.एस.सी. दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार सभी जिला परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां ऑन लाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से वास्तविक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्टें भेजती हैं जिसके लिए यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड बनाए गए हैं और विभाग के एन.आई.सी. सेल द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को भेजे गए हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मासिक आधार पर भेजी गई प्रगति रिपोर्टों को सत्यापित करने के बाद वार्षिक निष्पादन परियोजना रिपोर्टें भेजी जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) योजना आयोग, भारत सरकार का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की मात्रा का जायजा लेने के लिए टी.एस.सी. संबंधी मूल्यांकन अध्ययन पहले से ही करा रहा है।

[हिन्दी]

पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत सड़कों का निर्माण

170. श्रीमती मीना सिंह:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री के.सी. वेणुगोपाल:
श्री अर्जुन मुंडा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश तथा केरल सहित देश में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी सड़कों का निर्माण किया गया, कितनी निधियां आबंटित की गईं तथा उपयोग की गईं;

(ख) कितने तथा किन-किन श्रेणियों के आवासीय क्षेत्रों को सड़क के साथ जोड़ दिया गया तथा इस पर राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ग) क्या वर्ष 2009-2010 के दौरान उक्त योजना के तहत प्रस्तावों के अनुमोदन में अनावश्यक विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ङ) वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार उक्त योजना के तहत लंबित सड़क निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश तथा केरल सहित देश में मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत कितनी सड़कों का निर्माण किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों में निर्मित सड़कों की संख्या, डीजल पर उपकर में से आबंटित निधियों और राज्य सरकार को रिलीज की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जून, 2010 तक जोड़ी गई बसावटों और किए गए व्यय के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) जारी कार्यों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क परियोजनाएं कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 9 से 12 माह के भीतर पूरी करनी होती हैं।

विवरण-I

(आबंटन एवं रिलीज की गई निधि करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	2007-08			2008-09		
		आबंटित निधि	रिलीज की गई निधि	निर्मित सड़कों की संख्या	आबंटित निधि	रिलीज की गई निधि	निर्मित सड़कों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	105.00	316.57	332	105.00	470.60	383
2.	अरुणाचल प्रदेश	57.00	102.03	33	57.00	107.98	31
3.	असम	181.00	555.00	129	181.00	982.12	293
4.	बिहार	337.00	733.06	199	337.00	1065.20	309
5.	छत्तीसगढ़	240.00	1050.89	603	240.00	976.12	721
6.	गोवा	5.00	0.00	0	5.00	0.00	0
7.	गुजरात	65.00	144.56	334	65.00	229.67	375
8.	हरियाणा	30.00	216.21	64	30.00	272.02	99
9.	हिमाचल प्रदेश	87.00	320.58	197	87.00	268.90	307
10.	जम्मू और कश्मीर	65.00	72.74	52	65.00	191.74	48

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	175.00	0.00	63	175.00	210.67	44
12.	कर्नाटक	110.00	271.49	268	110.00	640.46	301
13.	केरल	30.00	24.68	53	30.00	84.02	111
14.	मध्य प्रदेश	440.00	1615.66	939	440.00	1895.10	2068
15.	महाराष्ट्र	145.00	563.96	695	145.00	1030.00	818
16.	मणिपुर	33.00	78.99	0	33.00	20.00	59
17.	मेघालय	45.00	0.00	17	45.00	35.95	8
18.	मिजोरम	32.00	21.96	17	32.00	65.00	11
19.	नागालैंड	30.00	12.51	13	30.00	85.71	19
20.	उड़ीसा	273.00	546.83	432	273.00	1251.38	685
21.	पंजाब	35.00	360.21	64	35.00	243.42	54
22.	राजस्थान	234.00	1646.64	3005	234.00	1771.32	1694
23.	सिक्किम	30.00	174.51	7	30.00	55.00	22
24.	तमिलनाडु	90.00	71.03	379	90.00	88.68	241
25.	त्रिपुरा	40.00	143.00	40	40.00	379.99	119
26.	उत्तर प्रदेश	375.00	1228.40	1649	375.00	1675.78	1423
27.	उत्तराखण्ड	100.00	78.74	67	100.00	116.66	25
28.	प. बंगाल	226.00	549.69	227	226.00	635.48	268
	कुल	3615.00	10899.94	9878	3615.00	14848.97	10536

(आबंटन एवं रिलीज की गई निधि करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	2009-10			2010-11		
		आबंटित निधि	रिलीज की गई निधि	निर्मित सड़कों की संख्या	आबंटित निधि	रिलीज की गई निधि	निर्मित सड़कों की संख्या
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	89.67	877.46	807	36.84	127.71	129

1	2	9	10	11	12	13	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	48.68	282.52	37	20.00	189.37	13
3.	असम	154.58	1179.00	387	63.50	232.17	51
4.	बिहार	287.81	1750.73	624	118.24	602.91	98
5.	छत्तीसगढ़	204.97	540.03	1003	84.20	434.94	172
6.	गोवा	1.71	0.00	0	0.70	0.00	0
7.	गुजरात	55.51	193.80	451	22.80	69.00	23
8.	हरियाणा	25.62	255.49	71	10.53	46.00	19
9.	हिमाचल प्रदेश	74.30	124.95	224	30.52	75.00	21
10.	जम्मू और कश्मीर	55.51	372.60	119	22.80	20.00	35
11.	झारखंड	149.45	417.74	170	61.40	201.11	110
12.	कर्नाटक	93.94	764.87	444	38.59	226.11	110
13.	केरल	25.62	100.11	119	10.53	24.00	24
14.	मध्य प्रदेश	375.77	2135.65	2235	154.37	355.45	497
15.	महाराष्ट्र	123.83	949.18	457	50.87	394.41	135
16.	मणिपुर	28.18	149.16	68	11.58	33.00	3
17.	मेघालय	38.43	0.00	25	15.79	0.00	0
18.	मिजोरम	27.33	44.58	13	11.23	10.00	1
19.	नागालैंड	25.62	65.02	16	10.52	0.00	4
20.	उड़ीसा	233.15	1594.35	596	95.78	289.12	199
21.	पंजाब	29.89	348.42	62	12.28	71.00	18
22.	राजस्थान	200.70	603.41	382	82.45	128.00	150
23.	सिक्किम	25.62	71.80	41	10.53	19.00	11
24.	तमिलनाडु	76.86	525.00	1026	31.58	102.63	582
25.	त्रिपुरा	34.16	168.49	170	14.03	90.00	16
26.	उत्तर प्रदेश	323.68	2844.51	1697	132.97	524.71	412
27.	उत्तराखण्ड	85.40	165.95	101	35.08	62.69	10

1	2	9	10	11	12	13	14
28.	प. बंगाल	193.01	375.00	238	79.29	140.00	46
	कुल	3,089.00	16899.82	11583	1269.00	4468.33	2889

नोट: 1. रिलीज की गई निधियों में योजनागत सहायता से की गई रिलीज, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से सहायता और नाबार्ड से लिया गया ऋण शामिल है।

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	सड़कों से जोड़ी गई उन बसावटों की सं. जिनकी जनसंख्या है:			कुल	किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
		1000 और इससे अधिक व्यक्ति	500 से 999 व्यक्ति	250 से 499 व्यक्ति		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	199	457	369	656	3080.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	35	70	119	105	842.29
3.	असम#	3950	1634	0	5584	4295.49
4.	बिहार#	3059	527	0	3586	4733.32
5.	छत्तीसगढ़	1483	2863	1350	4346	4350.29
6.	गोवा	0	2	0	2	5.32
7.	गुजरात	379	1517	169	1896	1103.81
8.	हरियाणा	0	1	0	1	1137.51
9.	हिमाचल प्रदेश	185	672	946	857	1424.88
10.	जम्मू और कश्मीर	258	313	125	571	782.42
11.	झारखंड	936	541	384	1477	1379.82
12.	कर्नाटक	151	118	0	269	2626.55
13.	केरल	108	241	0	349	377.21
14.	मध्य प्रदेश	5492	3375	819	8867	9157.41
15.	महाराष्ट्र	219	661	203	880	3629.5
16.	मणिपुर	36	61	47	97	416.79

1	2	9	10	11	12	13	14
17.	मेघालय	5	74		60	79	159.09
18.	मिजोरम	30	42		20	72	401.79
19.	नागालैंड	24	30		26	54	319.84
20.	उड़ीसा	3067	1840		312	4907	5937.33
21.	पंजाब	93	313		0	406	1282.56
22.	राजस्थान	2682	6048		1666	8730	7138.48
23.	सिक्किम	15	89		33	104	431.59
24.	तमिलनाडु	546	1406		0	1952	1361.27
25.	त्रिपुरा	112	379		492	491	911.62
26.	उत्तर प्रदेश	7353	3606		0	10959	8765.56
27.	उत्तरांचल	103	238		127	341	668
28.	प. बंगाल	4801	1994		0	6795	3096.98
	कुल योग	35321	29112		7267	64433	69817.35

आंकड़े - मई, 10 तक

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य	जारी सड़क कार्यो की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	526
2.	अरुणाचल प्रदेश	223
3.	असम	2,921
4.	बिहार	7,144
5.	छत्तीसगढ़	1,501
6.	गोवा	18
7.	गुजरात	472
8.	हरियाणा	76
9.	हिमाचल प्रदेश	711
10.	जम्मू और कश्मीर	1,062
11.	झारखंड	1,723
12.	कर्नाटक	472
13.	केरल	410
14.	मध्य प्रदेश	3,516
15.	महाराष्ट्र	922
16.	मणिपुर	296
17.	मेघालय	61

1	2	3
18.	मिजोरम	81
19.	नागालैंड	23
20.	उड़ीसा	3,584
21.	पंजाब	88
22.	राजस्थान	590
23.	सिक्किम	210
24.	तमिलनाडु	799
25.	त्रिपुरा	373
26.	उत्तर प्रदेश	1,258
27.	उत्तरांचल	274
28.	प. बंगाल	711
	कुल	30,045

पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत डीजल तथा पेट्रोल पर उपकर के उद्ग्रहण के फलस्वरूप संग्रहित धनराशि

171. डॉ. संजय सिंह:

श्री यशवंत लागुरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान डीजल व पेट्रोल पर उपकर के उद्ग्रहण के फलस्वरूप कितनी धनराशि संग्रहित की गई है;

(ख) इस धनराशि से पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या इस धनराशि का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा कार्यों को योजना के अनुसार निष्पादित नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार डीजल पर लगाए गए उपकर का एक हिस्सा ग्रामीण सड़कों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। पेट्रोल पर लगाए गए उपकर का कोई भी हिस्सा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान डीजल पर लगाए गए उपकर से पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए प्राप्त निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	आवंटित उपकर का हिस्सा (करोड़ रु. में)
2007-08	3825.00
2008-09	4046.25
2009-10	4183.13

(ख) पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों अर्थात् डीजल पर लगाए गए उपकर, योजना सहायता, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक तथा नाबार्ड से प्राप्त सहायता का उपयोग ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए किया जाता है। जून, 2010 तक इस राशि से बनाई गई सड़कों की लंबाई संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) और (घ) कार्यों को योजना के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है और राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसकी मंजूरी दी गई है। विगत दो वर्षों के दौरान ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	पूरे किए गए सड़क कार्यों की लंबाई (जून, 2010 तक) (कि.मी. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17,578.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,649.92
3.	असम #	8,177.71

1	2	3
4.	बिहार #	10,066.85
5.	छत्तीसगढ़	17,322.92
6.	गोवा	158.70
7.	गुजरात	6,604.05
8.	हरियाणा	4,083.89
9.	हिमाचल प्रदेश	8,843.02
10.	जम्मू और कश्मीर	1,627.73
11.	झारखंड	5,169.83
12.	कर्नाटक	12,450.03
13.	केरल	1,084.39
14.	मध्य प्रदेश	39,398.23
15.	महाराष्ट्र	16,241.39
16.	मणिपुर	2,141.20
17.	मेघालय	881.45
18.	मिजोरम	1,774.44
19.	नागालैंड	2,580.98
20.	उड़ीसा	16,390.55
21.	पंजाब	4,248.22
22.	राजस्थान	46,236.48
23.	सिक्किम	2,270.27
24.	तमिलनाडु	7,909.64
25.	त्रिपुरा	1,605.03
26.	उत्तर प्रदेश	38,232.32
27.	उत्तराखंड	2,934.10
28.	प. बंगाल	9,528.36
	कुल	288,190.43

#आंकड़े मई, 2010 तक

भूमि सुधार कानूनों का निष्कर्ष

172. श्रीमती दीपा दासमुंशी:

श्री महाबल मिश्रा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लागू भूमि सुधार के कानूनों का क्या परिणाम निकला;

(ख) ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसे कानून अब तक अधिनियमित नहीं किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा आदर्श भूमि सुधार कानूनों के संबंध में कोई अनुसंधान किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) से (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं. 18 के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन अनन्य रूप से संबंधित राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भूमि सुधारों के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकारी और समन्वयकारी स्वरूप की ही है। तदनुसार, भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित कानून बनाए गए हैं। हालांकि, आदर्श भूमि सुधार कानूनों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है, भूमि सुधारों से संबंधित मामलों की जांच के लिएं 9 जनवरी, 2008 को ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में "राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति" का गठन किया गया था। समिति ने भूमि सुधार संबंधी विभिन्न पहलुओं के संबंध में सिफारिशें की है। समिति की सिफारिशों को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद" के विचारार्थ एवं निदेश हेतु प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

173. श्री यशवंत लागुरी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त कर लिया है;

(ख) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में सफलता का पता लगाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा चलाए गए ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम असफल सिद्ध हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है यथा इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.)। आई.ए.वाई. के अंतर्गत प्राप्त किए गए लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

आई.ए.वाई. (मकानों की संख्या लाख)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त लक्ष्यों की उपलब्धता की प्रतिशतता
2007-08	21.27	19.92	93.66
2008-09	21.27	21.34	100.32
2009-10	40.52	33.84	83.52

एस.जी.एस.वाई. को 1-4-1999 से शुरू किया गया। इस योजना की शुरुआत से अब तक 3820588 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 14323812 स्वरोजगारियों को बैंक ऋण तथा सब्सिडी से सहायता दी गई है। 22983.32 करोड़ रु. की राशि जुटाई गई तथा 11071.91 करोड़ रु. की सब्सिडी का संवितरण किया गया।

महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित योजना है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है। तथापि, वर्ष 2006-07 में इस अधिनियम के अंतर्गत 2.10 करोड़ परिवारों को, 2007-08 में 3.39 करोड़ परिवारों को, 2008-09 में 4.51 करोड़ परिवारों को तथा 2009-10 के दौरान 5.25 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के तहत जॉब कार्ड धारकों को कम मजदूरी

174. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के जॉब कार्ड धारकों द्वारा कम मजदूरी प्राप्त करने के कारणों की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश राज्यों में निर्धारित मजदूरी की तुलना में कम मजदूरी प्राप्त होने तथा मजदूरों तक मजदूरी न पहुंचने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए इस मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। गंभीर किस्म के मामलों में उन शिकायतों की जांच के लिए मंत्रालय राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता तैनात करता है। राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता के निष्कर्षों से संबंधित राज्य सरकार को अवगत कराया जाता है जो इन आरोपों की जांच करवाती हैं तथा उपयुक्त कार्रवाई करती हैं।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय में विभिन्न राज्यों में मजदूरी के कम भुगतान के संबंध में कुल 59 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी शिकायतों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज भेज दिया गया है। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को मजूदरी के कम भुगतान की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) एक वेब आधारित प्रबंधन आसूचना प्रणाली (www.nrega.nic.in) शुरू की गई है जिसमें

जॉब कार्ड, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान, उपलब्ध कराए गए रोजगार के दिनों की संख्या तथा चल रहे कार्यों जैसे सभी महत्वपूर्ण पैरामीटरों से संबंधित जानकारी को निगरानी तथा आम जनता की जानकारी के लिए ऑनलाइन डाला गया है।

(ii) नरेगा श्रमिकों को मजदूरी का उचित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से नरेगा श्रमिकों को मजूदरी संवितरण अनिवार्य बना दिया गया है। अब तक 9.19 करोड़ बैंक/डाकघर खाते खोले गए हैं।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आरक्षित पदों को भरना

175. श्री रामसिंह राठवा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में अनुसूचित जातियों (एस.सी.), अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) और विकलांग श्रेणियों की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कोई विशेष भर्ती अभियान आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रोजगार कार्यालय उन्हें अधिसूचित रिक्तियों (आरक्षित रिक्तियों सहित) के लिए पंजीकृत रोजगार चाहने वालों के नाम प्रायोजित करते हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के उपरांत, सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके तथा खुले विज्ञापन आदि द्वारा की जाती है। अतएव, रोजगार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत रोजगार चाहने वालों तथा विज्ञापन के प्रति प्रत्युत्तर देने वालों-दोनों को सूची पर नियोक्ता/प्रतिष्ठान द्वारा चयन हेतु विचार किया जाता है। तथापि, पदोन्नति अथवा उसी प्रतिष्ठान की किसी शाखा अथवा विभाग के अधिशेष कर्मचारी वर्ग को खपाने अथवा किसी ली गई परीक्षा अथवा साक्षात्कार के परिणाम, अथवा किसी स्वतंत्र अभिकरण जैसे संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग तथा ऐसे ही अभिकरणों द्वारा की गई संस्तुति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उत्पन्न समस्त रिक्तियां (आरक्षित रिक्तियों सहित) को रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुरूप रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की जानी हैं।

[हिन्दी]

ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन

176. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के दूरदराज तथा दुर्गम क्षेत्रों में ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर मध्य प्रदेश में क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के उक्त सभी क्षेत्रों में कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 30-6-2010 की स्थिति के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार आबाद 5,93,601 गांवों में से 5,69,758 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) सुविधा प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में, मध्य प्रदेश सहित राज्यवार उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शेष वी.पी.टी. चरणबद्ध रूप से फरवरी, 2011 तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(30-06-2010 की स्थिति के अनुसार)

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) सुविधायुक्त गांवों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबाद गांवों की सं.	बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त वीपीटी सुविधायुक्त गांवों की सं.	निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा प्रदत्त वीपीटी सुविधायुक्त गांवों की सं.	सुविधायुक्त गांवों की कुल सं.
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501	341		341
2.	आंध्र प्रदेश	26,613	23390	845	24235
3.	असम	25,124	23998		23998
4.	बिहार	39,032	38895		38895
5.	झारखंड	29,354	27740		27740
6.	गुजरात	18,159	16916	1130	18046
7.	हरियाणा	6,764	6678		6678
8.	हिमाचल प्रदेश	17,495	17331		17331
9.	जम्मू और कश्मीर	6,417	6024		6024
10.	कर्नाटक	27,481	27420		27420
11.	केरल	1,372	1372		1372
12.	मध्य प्रदेश	52,117	51986		51986
13.	छत्तीसगढ़	19,744	18109		18109
14.	महाराष्ट्र	41,442	39365	878	40243
15.	पूर्वोत्तर-I				
	मेघालय	5,782	3445		3445
	मिजोरम	707	704		704
	त्रिपुरा	858	858		858
16.	पूर्वोत्तर-II				
	अरुणाचल प्रदेश	3,863	1679		1679

1	2	3	4	5	6
	नागालैंड	1,278	1261		1261
	मणिपुर	2,315	2081		2081
17.	ओडिसा	47,529	43260		43260
18.	पंजाब	12,301	12063		12063
19.	राजस्थान	39,753	38803	572	39375
20.	तमिलनाडु	15,492	15481		15481
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	74,161	74123		74123
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	23781	23629		23629
23.	उत्तरांचल	15,761	14841		14841
24.	पश्चिम बंगाल	38,405	34540		34540
	कुल	5,93,601	5,66,333	3,425	5,69,758

[अनुवाद]

विहित अवधि के भीतर रोजगार

177. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल बेरोजगार युवकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत समय पूर्व रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज करवाने के बावजूद उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का पंजीकरण की विहित अवधि के पश्चात् रोजगार उपलब्ध कराने की योजना लागू करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत, 15-29 वर्ष के आयु समूह के युवा रोजगार चाहने वालों, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या वर्ष 2003 में 29.51 मिलियन से कम होकर वर्ष 2007 में 27.91 मिलियन रह गई है। पिछले पांच वर्षों में युवा रोजगार चाहने वालों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	युवा (मिलियन में)
2003	29.51
2004	28.76
2005	27.83
2006	29.08
2007	27.91

शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल युवा रोजगार चाहने वालों की संख्या का रखरखाव नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान औसतन

युवाओं सहित लगभग 58 लाख रोजगार चाहने वालों ने रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण हेतु संपर्क किया और युवाओं सहित केवल 1.80 लाख रोजगार चाहने वालों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रतिवर्ष रोजगार प्रदान किया गया। रोजगार कार्यालय उन्हें अधिसूचित की गई रिक्तियों के लिए नियोक्ताओं को उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध करवाते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकरण और नियोजन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	पंजीकरण (लाख में)	नियोजन (लाख में)	पंजीकरण की तुलना में नियोजन की प्रतिशतता
2003	54.63	1.55	2.84
2004	53.73	1.33	2.47
2005	54.37	1.73	3.19
2006	72.90	1.77	2.43
2007	54.34	2.64	4.85

(ङ) और (च) भारत सरकार के पास ऐसी योजना के कार्यान्वयन का कोई प्रस्ताव नहीं है। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों के अंतर्गत कार्यरत रोजगार कार्यालय नियोक्ताओं और रोजगार चाहने वालों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करते है और स्वयं किसी प्रकार का कोई रोजगार प्रदान नहीं करते। तथापि, राज्य सरकारों को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों के नियोजन के अवसरों में वृद्धि करने के लिए आजीविका मेलों/रोजगार मेलों, ई-आजीविका सम्मेलन के आयोजन, स्व रोजगार योजनाओं के संवर्धन, वेबसाइट/इंटरनेट पर रोजगार चाहने वालों संबंधी आंकड़े रखने जैसे विभिन्न उपाय करने के लिए मनाया जा रहा है।

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना

178. श्री एम.के. राघवन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रायोगिक परियोजना प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) की स्थिति तथा फीड बैक का ब्यौरा क्या है;

(ख) पी.एम.ए.जी.वाई. के तहत किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या पी.एम.ए.जी.वाई. को लागू करने में एस.सी. समुदाय के असंकेन्द्रण का मुद्दा सरकार के आड़े आ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना को आरंभ करने में चयनित राज्यों तथा स्थानों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) सरकार ने देश के पांच राज्यों अर्थात् राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और असम में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 1000 गांवों में प्रत्येक के सर्वांगीण समेकित विकास के लिए मार्च, 2010 में "प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना" (पी.एम.ए.जी.वाई.) नामक एक केन्द्र प्रायोजित प्रायोगिक स्कीम अनुमोदित की है। अभी तक, इस स्कीम के तहत असम (नौगांव और मोरीगांव जिलों में 100 गांव), बिहार (गया जिले में 225 गांव), राजस्थान (श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में 225 गांव) तथा तमिलनाडु (कुड्डालोर और तिरुवारुर जिलों में 225 गांव) में गांवों को कवर किए जाने के लिए चयनित किया गया है। बिहार और राजस्थान राज्यों, प्रत्येक के लिए 22.72 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है। असम को 10.10 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। तमिलनाडु को 1.3 करोड़ रुपए की आरंभिक सहायता प्रदान की गई है।

(ख) इस स्कीम का लक्ष्य चयनित गांवों में मौजूदा केन्द्रीय और राज्य स्कीमों का सम्मिलित कार्यान्वयन करना है। इस स्कीम के तहत किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की पहचान नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा बलों में प्रोन्नति नीति

179. श्री निलेश नारायण राणे:

प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रोन्नति नीति के संबंध में रक्षा कार्मिकों के मध्य आक्रोश व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मौजूदा प्रोन्नति नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित बदलावों का ब्यौरा क्या है तथा इससे रक्षा कर्मियों के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) रक्षा सेनाओं में पदोन्नति संबंधी नीति का लक्ष्य सर्वोत्तम प्रतिभा को आगे लाना है और यह नीति समय के साथ परीक्षण पर खरी उतरी है। इस नीति में बदलते परिवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित ढंग से सुधार लाया गया है। अधिक वास्तविकता लाने के लिए पदोन्नति बोर्डों द्वारा मूल्यांकित कुछ पैरामीटरों को नई प्रणाली में परिमाणित किया गया है। पदोन्नति नीति की पुनरीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आवास तथा पर्यावास नीति

180. डॉ. संजीव गणेश नाईक: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आवास तथा पर्यावास नीति को आरंभ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि गरीब ग्रामीणों को उनके अस्थायी ढांचे को पक्के आवास में परिवर्तित करने के लिए अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस योजना के तहत अधिक निधियां उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आवास तथा पर्यावास नीति को आरंभ करने की योजना बना रही है। राज्य सरकारों तथा अन्य स्टैक होल्डरों से विस्तृत चर्चा के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आवास तथा पर्यावास नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए मंत्रिमंडल हेतु नोट के प्रारूप के साथ भेज दिया गया है। नीति का उद्देश्य सभी को पर्याप्त तथा सस्ते आवास उपलब्ध कराना तथा सरकारी सहायता बढ़ाकर, सामुदायिक भागीदारी, स्वसहायता तथा पंचायती राज के फ्रेम वर्क में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर बसावटों का स्थायी विकास करना है।

(ग) आई.ए.वाई. लाभार्थी को दिया गया अनुदान इकाई सहायता है न कि वास्तविक इकाई लागत। लाभार्थी से यह आशा की जाती है कि वे मकान का निर्माण स्वयं करें। इसके अतिरिक्त आई.ए.वाई. लाभार्थी स्वच्छ शौचालय के निर्माण के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान से निधियां प्राप्त कर सकता है। वह ब्याज की विभेदक दर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की ब्याज दर से राष्ट्रीयकृत बैंक से 20,000 रु. तक का ऋण ले सकता है।

(घ) सरकार ने 1-4-2010 से आई.ए.वाई. मकानों के लिए इकाई सहायता को मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रु. से बढ़ाकर 45,000 रु., दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों में 38500 रु. बढ़ाकर 48500 रु. कर दिया है।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

181. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) उस प्रयोजनार्थ किस स्थान/राज्य का चयन किया गया है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों के केन्द्र सरकार से अपने संबंधित राज्य में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई, 2010 को हुई अपनी बैठक में गुड़गांव जिले (हरियाणा) के बिनोला में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (इंदू) की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में इन्दू की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया था।

अप्रयुक्त दूरसंचार उपकरण

182. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लैण्डलाइन टेलीफोन सेवाओं के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के पास 800 करोड़ रुपये के केबल एक्सचेंज उपस्कर तथा अन्य भण्डार अनुपयोगी पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लैण्डलाइन टेलीफोनी के उपभोक्ता आधार में गिरावट के रुझान तथा भण्डार के उपयोग पैटर्न का सामग्री की खरीद पूर्व मूल्यांकन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी नहीं, भंडार/फील्ड में उपलब्ध स्टॉक का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जा रहा है।

(ग) सामग्री की खरीद करने से पूर्व लैंडलाइन टेलीफोनी के उपभोक्ता आधार में गिरावट के रुझान तथा भंडार के उपयोग पैटर्न का मूल्यांकन किया जा रहा है। भूमिगत केबलों और एक्सचेंज उपस्कर की खरीद क्षेत्रीय इकाइयों से अनुरक्षण/विकास के प्रयोजनार्थ मांग प्राप्त होने पर ही की जाती है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्य आयुक्तों की नियुक्ति

183. डॉ. संजय धोत्रे:

श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत अब तक राज्य आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों की मदद करने के लिए राज्य-वार कुल कितनी शिकायतों का निपटान किया गया; और

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का प्रभावी सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) राज्य विकलांगजन आयुक्त सभी राज्यों में या तो पूर्णकालिक आधार पर अथवा अपने अन्य कार्य के अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के ब्यौरों के अनुसार, विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या और निपटाई गई शिकायतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) विकलांगजनों के सशक्तीकरण के लिए यह मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से बाधामुक्त वातावरण सृजन, सहायक उपकरण प्रदान करने, विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विद्यालय-पूर्व कार्यक्रम, व्यावसायिक पुनर्वास सेंटर तथा शीघ्र सहायता के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, विश्वविद्यलयों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सहायता अनुदान जारी करता है। रोजगार सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष रोजगार केन्द्र और विशेष सैल भी गठित किए गए हैं। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एन.एच.एफ.डी.सी.) स्व-रोजगार के लिए आय सृजक कार्य-कलाप करने के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है। विकलांगजन नियमावली, 1996 को विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए एक सरलीकृत और विकेन्द्रित क्रिया-विधि निर्धारित करने के लिए संशोधित किया गया है। विकलांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बकाया को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान भी आरम्भ किया गया है। विकलांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहनों की एक स्कीम भी कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) और कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) में 3 वर्ष के लिए नियोक्ता का अंशदान प्रदान करने के लिए आरम्भ की गई है। माध्यमिक स्तर पर विकलांग समावेशी शिक्षा की एक नई स्कीम (आई.ई.डी.एस.एस.) भी कक्षा IX-XII में विकलांग बच्चों को कवर करने के लिए इस लक्ष्य के साथ क्रियान्वित की गई है कि सभी विकलांग छात्र एक समावेशी वातावरण में माध्यमिक स्तर की पढ़ाई कर सकें।

विवरण

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार कुल संख्या और निपटान की गई शिकायतों की कुल संख्या (उपलब्ध सूचना के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष (2007-08)		वर्ष (2008-09)		वर्ष (2009-10)	
		प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	04	00	11	16 (लंबित मामले शामिल हैं)	05	15 (लंबित मामले शामिल हैं)
2.	असम	66	60	35	24	11	11
3.	बिहार	-	-	366	366	56	19
4.	दिल्ली	-	-	-	-	57	28
5.	गोवा	177	177	11	11	09	08
6.	गुजरात	40	36	91	37	34	93 (लंबित मामले शामिल हैं)
7.	झारखंड	282	79	3500	3341	6603	6468
8.	कर्नाटक	1016	983	1316	1283	1950	1928
9.	केरल	271	271	303	303	177	154
10.	मध्य प्रदेश	312	217	1129	1049	2411	2191
11.	महाराष्ट्र	57	25	49	07	268	28
12.	मेघालय	23	23	15	15	04	04
13.	उड़ीसा	05	03	18	06	26	13
14.	पंजाब	80	80	110	110	150	150
15.	राजस्थान	127	85	74	79 (लंबित मामले शामिल हैं)	90	93 (लंबित मामले शामिल हैं)
16.	तमिलनाडु	45	40	48	43	23	19

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	उत्तर प्रदेश	197	189	263	255	276	270
18.	उत्तराखंड	17	11	09	05	11	02
19.	पश्चिम बंगाल	234	213	314	292	436	428

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. का विस्तार

184. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में योजना आयोग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के विस्तार का सुझाव दिया है ताकि वर्तमान में प्रति परिवार एक व्यक्ति के बजाय प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को कवर किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयोग का सुझाव स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. का कब तक विस्तार कर दिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अकुशल शारीरिक कार्य की मांग करने पर 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। परिवार के ऐसे किसी भी वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में शामिल है, को एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 100 दिनों के अधिकतम सीमा के अध्यधीन अधिनियम के अंतर्गत रोजगार दिया जा सकता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में मसाला पार्क

185. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में आंध्र प्रदेश में मसाला पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार ने XIवीं योजना के दौरान 192.691 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से मसाला बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु "मसालों के निर्यात विकास एवं संवर्धन स्कीम" को अनुमोदित किया है। इस स्कीम के तहत सरकार ने मिर्च के उपजकर्ताओं को उनके उत्पाद हेतु बेहतर कीमत प्राप्त करने और व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए समर्थ बनाने हेतु गुंटूर, आंध्र प्रदेश में एक मसाला पार्क की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मसाला पार्क की स्थापना हेतु मसाला बोर्ड के पक्ष में गुंटूर जिले के एडलापाडु मंडल के वेंकायलापाडु तथा मैदावोलू गांव में 124.78 एकड़ भूमि का आवंटन किया है। मसाला पार्क स्थल हेतु आंतरिक सड़कों, नालियों, चारदीवारी तथा बाड़ के निर्माण से संबंधित सिविल कार्य का प्रथम चरण शुरू किया जा चुका है।

एन.सी.सी. केडिट

186. श्री पी.के. बिजू: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने एन.सी.सी. केडिट हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल आबंटित/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रक्षा बलों में एन.सी.सी. केडिटों की भर्ती में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) देश में इस समय भर्ती राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों की कुल संख्या 12,36,792 है।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर को गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए आबंटित और प्रयुक्त निधियों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आबंटित निधियों			प्रयुक्त निधियां
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	संशोधित विनियोजन (एमए)	
2007-08	426.36	446.70	500.17	500.17
2008-09	488.76	670.03	670.03	562.65
2009-10	872.90	646.35	640.03	640.03

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने रक्षा सेनाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों की भर्ती को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। वे इस प्रकार हैं:-

(i) विभिन्न राष्ट्रीय कैडेट कोर शिविरों के दौरान विषय पर सामूहिक चर्चा, सामूहिक कार्य और सार्वजनिक व्याख्यान कक्षाएं/प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन।

(ii) सेवा चयन बोर्ड उत्तीर्ण करने की संभावना वाले कैडेटों की पहचान करना।

(iii) अफसर प्रशिक्षण अकादमी, काम्पटी में सेवा चयन बोर्ड कोचिंग कैप्सूलों की सीटों में वृद्धि करना।

(iv) अफसर प्रशिक्षण अकादमी, ग्वालियर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की आवृति में वृद्धि करना।

(v) सम्बद्ध राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारियों के लिए सेवा चयन बोर्ड कैप्सूलों पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

(vi) सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए कैडेटों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्बद्ध राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसरों को प्रोत्साहन।

(vii) राज्य निदेशालय स्तर और केन्द्रीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों के दौरान कोचिंग देना।

(viii) अफसर प्रशिक्षण अकादमी द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों के लिए मुख्यालय महानिदेशालय, राष्ट्रीय कैडेट कोर, दिल्ली में विशेष सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षण का आयोजन।

(ix) सशस्त्र सेना में भर्ती होने के लिए अधिकतम संख्या में कैडेट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालयों में अफसरों को प्रोत्साहन।

मिग विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

187. श्री मिलिंद देवरा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी 2010 से मिग-21 तथा मिग-27 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तब से कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप भारतीय वायुसेना को कुल कितनी हानि हुई है;

(ङ) क्या दुर्घटना में किसी 'कोर्ट ऑफ इन्कवारी' के आदेश दिए गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) इन विमान-दुर्घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

विमान दुर्घटना की तारीख	विमान का प्रकार	मारे गए सैन्य कार्मिक
20-1-2010	मिग 27	शून्य
16-2-2010	मिग 27	1
19-2-2010	मिग 21	शून्य
15-6-2010	मिग 21	शून्य

भारतीय वायुसेना में प्रत्येक विमान-दुर्घटना की जांच एक जांच-अदालत द्वारा कराई जाती है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तदनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

रक्षा क्षमता निर्माण

188. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

श्री राजैया सिरिसिल्ला:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए रक्षा क्षमताओं का निर्णय करने हेतु रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में तैयार की गई परिप्रेक्ष्य योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) रक्षा क्षमता निर्माण सुरक्षा परिवेश, प्रौद्योगिकी परिवेश और खतरे की अवधारणाओं पर निर्भर करता है जिनकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। देश के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों से सरकार पूरी तरह से अवगत है और किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए सशस्त्र सेनाओं की तैयारी बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

सी.ई.जी.सी. द्वारा एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के तहत न्यूनतम मजदूरी का विरोध किया जाना

189. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् (सी.ई.जी.सी.) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) तथा राजीव गांधी सेवा केन्द्र के नाम पर पंचायत भवन के निर्माण के तहत प्रदत्त न्यूनतम मजदूरी का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के तहत किस प्रकार नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं तथा इसमें केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् की भूमिका क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, नहीं। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्यों ने ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम संसाधन केंद्र और ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के निर्माण के मामले पर कतिपय स्पष्टीकरण मांगा था और ये सदस्यों को उपलब्ध कराए गए।

(ग) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं। इस अधिनियम की धारा 27 के अनुसार केंद्र सरकार को ऐसी शक्तियां दी गई हैं कि वह इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य राज्य सरकारों को निदेश दें। इस अधिनियम की धारा 29 केंद्र सरकार को, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं उपयुक्त है, अधिसूचना जारी कर अधिनियम की अनुसूची I एवं II में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करती है। अधिसूचना की प्रतियां सदन के पटल पर रखी जाती हैं जैसाकि इस अधिनियम की धारा 11(1) में निर्धारित है, केंद्रीय परिषद को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

(i) केंद्रीय मूल्यांकन एवं निगरानी तंत्र बनाना;

(ii) अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना;

(iii) समय-समय पर निगरानी एवं निवारण तंत्र की समीक्षा करना तथा अपेक्षित सुधार की सिफारिश करना;

(iv) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी के संभावित प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना;

(v) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(vi) अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना;

(vii) केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सौंपे जाने वाले कोई अन्य कार्य।

अनुसूचित जाति की सूची में जातियों को शामिल करना

190. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में शामिल की गई जातियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के पास अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने हेतु लंबित प्रस्तावों की राज्य-वार और जाति-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कोरी जाति को अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी कर रही है जिसके आधार पर इस जाति के लोग अनुसूचित जनजातियों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007 नामक संसद के अधिनियम द्वारा पिछली बार वर्ष 2007 में अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों को शामिल किया गया था। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पूर्ण प्रस्तावों का ब्यौरा, जो अनुमोदित तौर-तरीके के अनुसार प्रक्रियाधीन हैं और केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में कोरी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने और उनका सत्यापन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

विवरण-I

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007" के माध्यम से वर्ष 2007 के दौरान अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए गए समुदाय

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समुदाय
छत्तीसगढ़	1. तुरी
हरियाणा	2. बड़वाला
	3. मेघ
महाराष्ट्र	4. बसोद
	5. चर्मकार, परदेशी चमार
	6. हेला
उड़ीसा	7. चमारा, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास
	8. कुडुमा, कोडमा, कोडामा
पंजाब	9. महातम, रायसिख

विवरण-II

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पूर्ण प्रस्ताव, जो अनुमोदित तौर-तरीके के अनुसार प्रक्रियाधीन हैं और केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समुदाय
1	2
छत्तीसगढ़	1. माहरा, महारा
	2. चिक गांडा, चिक, चीक
हरियाणा	3. कबीरपंथी जुलाहा
हिमाचल प्रदेश	4. तरखान
जम्मू-कश्मीर	5. जेन
	6. नाडियाला
	7. मजहबी सिख
केरल	8. पुल्लुवन
	9. थाचर (बढ़ई से अलग)
	10. माडिया
	11. कोप्पलन
कर्नाटक	12. बोवी (गैर-बेस्ता), कल्लूवड्डार, मन्नूवड्डार
मध्य प्रदेश	13. दहिया
	14. सखवार
मणिपुर	15. चकपा

1	2
उड़ीसा	16. अमाता, गमाथ
	17. बाजिया
	18. बूना पानो
	19. जग्गीली, जगली
	20. चिक, चिक बडाइक
	21. तिआर, तिओर
	22. सितूरिया
	23. अघेरी केला, सिंदूरिया केला
	24. गौडिया केला
	25. पाना बैष्णब, पानो बैष्णब
	26. कालंदी, कालंदी बैष्णब, कालिंदी बैष्णब
	27. कांद्रा बैष्णब, कांद्रा बैष्णब
	28. बौरी बैष्णब
	29. धोबा बैष्णब
	30. गोखा बैष्णब, गोकह बैष्णब
	31. केसूरिया
	32. भीना, तूला भीना
	33. मेहन्तर, मेहेन्तर
	34. सित्रा
	35. गौडिया केला
	36. अधूरिया डोंब, अधूरिया डोम
	37. रजक
	38. बेत्रा
	39. खातिया
त्रिपुरा	40. चमार-रविदास, चमार-रोहिदास
	41. धोबी
	42. झालो मालो
उत्तराखंड	43. नामशूद्र, पोड, पौंड्रा, मांझी
दादरा और नगर हवेली	44. रोहित

भारत-नेपाल व्यापार समझौता

191. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच 2010 के दौरान किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुराने समझौते की फिर से समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप भारत को क्या फायदा होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। मौजूदा करार की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नालंदा आयुध निर्माणी

192. श्री रामकिशुन:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में नालंदा आयुध निर्माणी की स्थापना हेतु किसानों से अधिगृहीत की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना के कारण कितने परिवार प्रभावित/विस्थापित हुए तथा उनको दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को प्रभावित परिवारों से मुआवजा, पुनर्वास और नौकरी प्रदान करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विस्थापितों की शिकायतों को दूर करने तथा आजीविका का समुचित साधन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) अधिगृहित की गई कुल भूमि 1749.82 एकड़ है।

(ख) (i) प्रभावित/विस्थापित हुए परिवारों की संख्या 1191

(ii) भूमि की कीमत के रूप में 35.56 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।

(iii) विस्थापित परिवारों के लिए सड़कें, जल-आपूर्ति और शौचालय की सुविधाओं के साथ 1191 आवासों का निर्माण किया गया है। साझी सुविधाएं जैसे कि सामुदायिक केंद्र, विद्यालय और औषधालय का भी निर्माण किया गया है। इन सभी पर सकल व्यय की राशि 14.59 करोड़ रुपये है।

(ग) मुआवजा अथवा पुनर्वास के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु नौकरी के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) विस्थापित लोगों के लिए आयुध निर्माणी, नालंदा में तरजीही रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता था क्योंकि उस समय सरकार की नीति में इस प्रकार का रोजगार देने की व्यवस्था नहीं थी।

पाकिस्तानी सैन्य अभ्यास

193. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि पाकिस्तान ने हाल ही में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) यह रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने अप्रैल से मई, 2010 तक सैन्य अभ्यास किया है। इस प्रकार के कार्यकलापों के बारे में सूचना एकत्र करना तथा उनका विश्लेषण करना रक्षा तैयारियों के भाग के रूप में एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

केंद्रीय यातायात राजसहायता योजना

194. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008-09 के लिए केंद्रीय यातायात राजसहायता योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को कुछ अनुदान राशि जारी नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) वर्ष 2008-09 में, परिवहन राजसहायता योजना के तहत हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को कोई राशि जारी नहीं की गई थी क्योंकि उस वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों में उक्त स्कीम के तहत केवल 1.00 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे। वर्ष 2009-10 में परिवहन राजसहायता योजना के तहत हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को 15.74 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

[अनुवाद]

स्व-सहायता समूह

195. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्व-सहायता समूह के सदस्यों में उद्यमशीलता के गुण पैदा करने के लिए कोई कदम उठा रही है क्योंकि उद्यमशीलता के लिए अच्छे प्रशिक्षण के साथ-साथ बाजार की समझ, व्यवसाय की पूरी जानकारी और उसका प्रबंधन जैसे विभिन्न पहलुओं पर अच्छी पकड़ होना जरूरी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश के पिछड़े

क्षेत्रों सहित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के भावी कार्यक्रमों हेतु स्व-सहायता समूह के सदस्यों और विशेषज्ञों का इस संबंध में क्या विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए आय सर्जक क्रियाकलाप - उन्मुखी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी। इस योजना के मुख्य घटकों में शामिल हैं- (1) गरीब ग्रामीण परिवारों का स्व-सहायता समूहों के रूप में गठन (2) स्व-सहायता समूहों के प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण तथा सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए कौशल प्रशिक्षण (3) परिक्रामी निधि सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्व-सहायता समूहों की बचत एवं साख को मजबूत करना (4) बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ ऋण सम्पर्क तथा सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए पात्र स्व-सहायता समूहों/सदस्यों के लिए कार्योत्तर सब्सिडी (5) विपणन के लिए सहायता का प्रावधान तथा हर संभव सम्पर्क को मजबूत बनाने के लिए अवसंरचना सृजन (6) सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी इनपुट।

(ग) स्व-सहायता समूहों के सदस्यों तथा विशेषज्ञों सहित सभी भागीदारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात तथा एस.जी.एस.वाई. के निष्पादन के संबंध में करवाए गए विभिन्न अध्ययनों को ध्यान में रखकर एस.जी.एस.वाई. को अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) के रूप में पुनर्गठित किया गया है ताकि इसे परिणामों की लक्षित एवं समयबद्ध सुपुर्दगी के लिए मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा सके। एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के गठन के माध्यम से व्यापक सामाजिक जुटाव से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक ग्रामीण बी.पी.एल. परिवार से कम से कम एक सदस्य, महिला सदस्य को प्राथमिकता देते हुए, को स्व-सहायता समूह नेटवर्क के अंतर्गत कवर किया जाए। मजबूत जन-संस्थान बनाने के लिए एन.आर.एल.एम. ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक स्व-सहायता समूहों के परिसंघों के गठन पर ध्यान केंद्रित करेगा। एन.आर.एल.एम. में इसके सभी लाभार्थियों के बचत खाते खोलने में सहायता देकर, साथ ही साथ बचत तथा साख क्रियाकलापों को बढ़ावा देकर, बैंकों से ऋण तक पहुंच में सहायता देकर इत्यादि जैसे तरीकों से व्यापक वित्तीय अन्तर्वेषण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, परिक्रामी निधि तथा पूंजी सब्सिडी के प्रावधान के अतिरिक्त सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए लाभार्थियों को वाजिब दरों पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्याज सब्सिडी शुरू की जा रही है। एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत सभी भागीदारों के लिए गहन तथा केंद्रित प्रशिक्षण और सहायता की परिकल्पना की गई है।

एन.आर.एल.एम. का कार्यान्वयन एक चरणबद्ध तरीके से आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली तथा चंडीगढ़ को छोड़कर) में किया जाएगा।

दूरसंचार क्षेत्र में नए लाइसेंस

196. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दूरसंचार क्षेत्र में नए लाइसेंस प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उपभोक्ताओं को किस हद तक लाभ होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) सरकार को "स्पैक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क" पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिनांक 11-05-2010 की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं जिनमें ट्राई ने अन्य बातों के साथ-साथ अभिगम सेवा लाइसेंसों सहित दूरसंचार लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। इसके अतिरिक्त ट्राई ने 18-05-2010 को सरकार से इस मामले में कतिपय और अधिक सिफारिशों की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया है। सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए सदस्य (प्रौद्योगिकी) की अध्यक्षता में 14-07-2010 को एक समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

अर्द्ध सरकारी क्षेत्रों में रिक्त पद

197. श्री अर्जुन मुंडा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्द्ध सरकारी क्षेत्रों में रिक्त पदों की संख्या काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) अर्ध-सरकारी क्षेत्रों में रिक्त पदों की संख्या से संबंधित सूचना श्रम और रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

युद्धविराम समझौते का उल्लंघन

198. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तानी सेना द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम समझौते का उल्लंघन किए जाने का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीमा पर शांति सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान युद्धविराम समझौते के उल्लंघन के कारण मारे गए/घायल सैनिकों की संख्या कितनी है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	अन्तर्राष्ट्रीय सीमा	नियंत्रण रेखा
2007	02	21
2008	07	77
2009	05	28

(ग) और (घ) भारत सरकार ने युद्ध-विराम के उल्लंघन का मामला पाकिस्तान के साथ नियमित रूप से उठाया है। युद्ध-विराम के उल्लंघन के सभी ऐसे मामले पाक सैन्य प्राधिकारियों के साथ सैन्य संक्रिया महानिदेशालयों के साथ साप्ताहिक बातचीत के साथ-साथ हॉटलाइन, ध्वज बैठकों के स्थापित तंत्र के जरिए भी समुचित स्तर पर उठाए जाते हैं।

(ङ)

वर्ष	घातक	गैर घातक
2007	03	07
2008	05	15
2009	04	10

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. में तैनाती नीति

199. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा कर्मचारियों को अन्य विभागों और अन्य विभागों के कर्मचारियों की इन निगमों में तैनाती हेतु अपनाई जा रही प्रतिनियुक्ति नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के मामले में सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित नियमों का उल्लंघन कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में यथा वर्णित प्रतिनियुक्ति नीति का अनुपालन कर रहे हैं। तथापि, दूरसंचार विभाग के आमेलित नहीं हुए समूह 'क' अधिकारी एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. में समप्रतिनियुक्ति पर हैं क्योंकि उनके आमेलन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खुदरा बाजार में निवेश हेतु अनुमोदन

200. श्री अनंत कुमार हेगड़े:

श्री जगदीश शर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2010 तक देश के खुदरा व्यापार में विदेशी और घरेलू पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में खुदरा व्यापार करने हेतु जिन विदेशी/कारपोरेट कंपनियों को अनुमति दी गई है उनका ब्यौरा क्या है तथा संगठित और असंगठित खुदरा बाजार में कितनी धनराशि निवेश की गई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) फरवरी, 2006 से विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन केवल एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति दी गई है।

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार हेतु 93 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 55 प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए थे। इन 55 प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। मार्च, 2010 तक एकल ब्रांड के खुदरा व्यापार की श्रेणी के अंतर्गत 901.64 करोड़ रुपए (194.39 मिलियन अमेरिकी डालर) तक की राशि का एफ.डी.आई. अंतर्वाह बताया गया था। खुदरा व्यापार में किए गए घरेलू/कारपोरेट पूंजी निवेश पर सरकार द्वारा कोई केंद्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) खुदरा व्यापार में लगी घरेलू/कारपोरेट खुदरा कंपनियों के कारण रोजगार सृजन पर सरकार द्वारा कोई केंद्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। एन.एस.एस.ओ. 64वें राउंड डाटा (2007-08) के अनुसार खुदरा व्यापार ने कुल श्रमिकों के 7.2 प्रतिशत नियोजित किए जिससे लगभग 33 मिलियन व्यक्तियों को कार्य का अवसर दिया गया।

विवरण

31 मार्च, 2010 तक अनुमोदित खुदरा व्यापार प्रस्तावों की सूची

क्र. सं.	आवेदक का नाम/विदेशी निवेशक का नाम	भारतीय साझीदार का नाम और पता	गतिविधियां	ब्राण्ड तथा अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4	5
1.	(i) मै. मोजा शूज, नई दिल्ली (ii) मै. टानों इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड 1/और अथवा इसकी सहायक कंपनियां, मोरीशस	एस.एस.आई.पी.एल. रिटेल लि. बी 1/एफ 4, मोहन को-आप इंडस्ट्रीयल एरिया मथुरा रोड नई दिल्ली-44	सभी प्रकार के फुटवियर, स्पोर्टस वीयर, बूट्स स्लीपर, सैंडिल खेलकूद के जूते और परिधान आदि का एकल ब्राण्ड खुदरा व्यापार	नाइक ब्रांड 31-5-2006
2.	(i) मै. एल.बी. ट्रेडिंग इंडिया मुंबई (ii) मै. ल्यूइस ल्यूटोन मैलेटियर, फ्रांस	एल.बी. ट्रेडिंग (इ) प्रा.लि., 2 ई कालकोट, दूसरा तल टाइरिंग लेन, फोर्ट, मुम्बई-400001	डेरीरिफिल पेपर 2. पैन और पैन रिफिल 3. जूते 4. ट्रंक ट्रैवल बैग/पर्स 5. चमड़े की अन्य वस्तुएं 6. सनग्लासिस 7. घडियां 8. प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं 9. नकली आभूषण 10. टाइयां 11. कपड़ा (स्कार्फ और शाल) 12. छाते 13. सिले-सिलाए वस्त्र सहित एल.वी.एम. उत्पादों का खुदरा व्यापार	एल.वी.एम. 29-8-2006

1	2	3	4	5
3.	(i) मै. लाड्रो कमर्शियल एस.ए., स्पेन (ii) मै. लाड्रो कमर्शियल एस.ए., स्पेन	मै. एस. पी.ए. एजेन्सिज (इं) प्रा.लि., 164/3 लाडो सराय, नई दिल्ली-110030	लाड्रो के उत्पादों के विपणन के लिए नैटवर्क बुटीक की स्थापना हेतु मै. लाड्रो और एस.पी.ए. एजेंसीज द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित करना	लाड्रो 19-10-2009
4.	(i) मै. फनफैशन इंडिया प्रा.लि. मुंबई (ii) मै. फैंडी इंटरनैशनल, एस.ए. फ्रांस	मै. चोरडिया फेशन्स प्रा.लि., डी ब्लाक, शिवसागर एस्टेट डा. एनी बीसेन्ट रोड, वर्ली, मुम्बई	जूतों, पहनने के परिधान ट्रंक ट्रैवल बैग, पर्स सनग्लासिस, घड़ियों, नकली आभूषणों वस्त्रों का खुदरा व्यापार	फैंडी 7-11-2006
5.	(i) मै. डैमरो फर्नीचर प्रा.लि., (ii) मै. डैमरो एक्सपोर्ट्स प्रा.लि., श्रीलंका	150 (पुराना नं. 39/19) आरकोट रोड, कोडामबाक्कम, चेन्नई-600024	नोक डाउन फर्नीचर का सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार	डैमरो 19-10-2006
6.	(i) मै. रिनो ग्रेगियो अर्जेंटेरी एस. पी.ए. (ii) मै. रिनो ग्रेगियो अर्जेंटेरी एस. पी.ए., इटली	अभी अभिज्ञात नहीं	सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग ऑफ सिल्वर आइटम	अर्जेंटेरी ग्रीगियो 19-10-2006
7.	(i) मै. मित्सुई आटोमोटिव इंवैस्टमैंट बी.वी., नीदरलैंड (ii) मै. मित्सुई आटोमोटिव इंवैस्टमैंट बी.वी., नीदरलैंड	मै. टी.सी.आई. इंडिया लि. प्लान नं 69 टी.सी.आई. हाउस, इंस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32 गुड़गांव	कारो का सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार	टोयटा 6-11-2006
8.	(i) मै. एलमैनेगिल्डो जैगना इटली (ii) मै. एलमैनेगिल्डो जैगना होल्डो जैगना होल्डी टाल्टा एस.पी.ए., इटली	मै. एलमैनेगिल्डो जैगना 135, मेरिन ड्राइव, मुम्बई-400020	(क) सिले-सिलाए वस्त्रों (ख) फुटवियर (ग) चमड़े का सामान (घ) इत्र (ङ) क्रिसमिस उपहार आदि के विपणन के लिए सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार	जैगना 28-12-2006
9.	(i) मै. इटार्मिट, बेल्जियम मै. इटार्मिट, बेल्जियम	मै. इटाम फ्यूचर फैशन्स प्रा.लि. नोलेज हाउस श्याम नगर, ऑफ जोगेश्वरी विक्रोली, लिंक रोड जोगेश्वरी (ईस्ट) मुम्बई-400060	सिलेसिलाए, लिंगेरी और अन्य असैसरीज का सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार	इटाम 9-1-2007
10.	(i) मै. ली. कूपर इंटरनैशनल लि. यू.के. (ii) मै. ली. कूपर इंटरनैशनल लि.,	मै. लि. कूपर इंडिया प्रा.लि. 16/2, अली आस्कर रोड, बंगलौर-560052	फैशन श्रेणी (पुरुषों के लिए सिलेसिलाए) में सिंगल ब्रांड का खुदरा व्यापार	ली. कूपर 5-3-2007
11.	(i) मै. फैबइंडिया ओवरसीज प्रा.लि., नई दिल्ली (ii) मै. फैबइंडिया इंक, यू.एस.ए. (iii) मै. डब्ल्यू.सी.पी. मारिशस होल्डिंग्स मारीशस	मै. फेबइंडिया ओवरसीज प्रा.लि./14, एन ब्लाक मार्केट, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I नई दिल्ली-110048	हस्तशिल्प, कपड़ों, एसैसरील, होम फर्निशिंग आदि सिंगल ब्रांड उत्पादों का खुदरा व्यापार	फेबइंडिया 5-3-2007

1	2	3	4	5
12.	(i) मै. सोकोमैक एस.ए., चैन्नई (ii) मै. सोकोमैक एस.ए., फ्रांस	मै. सोकोमैक एस.ए. न्यूमेरिक हाउस, सं. 5, सर पी.एस. सिवासामी सायय, माइटापोर, चैन्नई-600004	ब्रांड यू.पी.एस. सिस्टम्स संबंधित असैसरीज का सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार	सोकोमैक 26-3-2007
13.	(i) मै. ग्रोटो एस.पी.ए., इटली (ii) मै. ग्रोटो एस.पी.ए., इटली	मै. गैस एपरेल प्रा.लि. सी-10, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, आंबातुर, चैन्नई	फैशन श्रेणियों में सिंगल ब्रांड के अंतर्गत खुदरा व्यापार	गैस 3-5-2007
14.	(i) मै. महतानी फैशन प्रा.लि. नई दिल्ली (ii) मै. सिन रोंग प्रा.लि., सिंगापुर	मै. महतानी फैशन्स प्रा.लि. नई दिल्ली रजि. आफिस ई-534, जीके-II कार्पोरेट आफिस ए-26, सेक्टर-3, नोएडा	फुटवियर के सिंगल ब्रांड के नाम के अंतर्गत खुदरा व्यापार	वीआई-जीए 13-4-2007
15.	(i) मै. वाह ल्यून इलैक्ट्रानिक टूल्स कं. लि. चीन (ii) मै. वाह ल्यून इलैक्ट्रानिक टूल्स कं. लि. चीन	विंग कमांडर (सेवानिवृत) जसबीर एस चड्डा, 84 ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-65	एकल बांड के अन्तर्गत बेचे गये इलैक्टानिक वस्तुओं तथा औजारों का खुदरा व्यापार	सीटी ब्रांड 24-7-2007
16.	(i) मै. सिग्नेचर किचन्स इंडिया प्रा.लि. बेंगलूर (ii) मै. सिग्नेचर किचन कुआलालामपुर, मलेशिया	मै. सिग्नेचर किचन्स इंडिया प्रा.लि., 8 अलसूर रोड, बंगलौर-560042	मोडलर किचन तथा किचन केबिनेट, सिगनेचर किचन एक्सेसरीज, कुकिंग रेंज उपकरण, ओवन्स, चिमनी, वार्डरोब्स, सोलर पावर्ड तथा अन्य गैर परम्परागत ऊर्जा उपकरण का सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार	सिगनेचर किचन 1-2-2008
17.	(i) मै. क्रिस्चियन डायोर ट्रेडिंग इं प्रा.लि. मुंबई (ii) मै. क्रिस्चियन डायोर कोचूर पेरिस, फ्रांस	मै. क्रिस्चियन डायोर ट्रेडिंग इं प्रा.लि. कमरा नं. 10, चौथा तल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग 55, एमजी रोड, फोर्ट-मुम्बई-03	लग्जरी रेडी टू फैशन, मैन वियर, वुमेन वियर, एक्सेसरीज तथा लग्जरी वस्तुओं का सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार	क्रिस्चियन डायोर 4-6-2007
18.	(i) मै. फेरएवर न्यू एप्रेल्स प्रालि नई दिल्ली (ii) मै. फोरएवर न्यू एप्रेल्स प्रा.लि. आस्ट्रेलिया	मै. फोरएवर न्यू एपरेलस प्रा.लि., बी-304, न्यू फ्रैंडस कॉलोनी, नई दिल्ली	एकल ब्रांड के अन्तर्गत फेशन कल्लोथिंग हेंडबेग, बेल्ट, ज्वेलरी तथा अन्य एक्सेसरीज	फॉरएवर न्यू 6-11-2007
19.	(i) मै. खन्ना स्पेशियलटी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. नई दिल्ली (ii) मै. हमर्स इन्टरनेशनल फ्रांस	मै. खन्ना स्पेशियलटी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. नं. 2 अशोका एवेन्यू, डीएलएफ छत्तरपुर, नई दिल्ली-1100300	एकल ब्रांड के अन्तर्गत चमड़े की वस्तुएं, पुरुषों व महिलाओं के लिए रेडी टू वियर, परयूमस व कास्मेटिक स्टेशनरी तथा डेयरीज, फुटवियर तथा संबद्ध एक्सेसरीज, इनेमल	हमर्स 18-6-2007

1	2	3	4	5
			प्रोडक्ट, आर्ट ऑफ लिविंग प्रोडक्टस, टेबलवेयर, जीनसाजी व घुड़सवारी गियर, ज्वेलरी तथा एक्सेसरीज, सिल्क तथा टेक्सटाइल की वस्तुएं व एक्सेसरीज, पेटस मदें, बेबीज रेडी टू वियर एवं एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार और थोक व्यापार	
20.	(i) मै. ट्रिओ स्पोर्टस वियर प्रा.लि. नई दिल्ली (ii) मै. ट्रिओ सलेक्शन इंक कनाडा	मै. ट्रियो स्पोर्टस वियर प्रा.लि. डी 18/1, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020	सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत सभी प्रकार की खेल के सामान एप्परल, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स, गार्मेन्टस, एक्सेसरीज तथा अन्य मर्चेंडाइजिंग मदों का खुदरा व्यापार और थोक व्यापार	"ग्रोजी" 6-11-2007
21.	(i) मै. टोडस रिटेल इंडिया प्रा.लि. (ii) मै. टोडस इंटरनेशनल बी.वी.	मै. टोडस रिटेल इंडिया प्रा.लि.. 20वां तल निर्मल बिल्डिंग, नरिमन प्वाइंट, मुम्बई	सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत पुरुषों तथा महिलाओं के लिए रेडी टू वियर, शूज, लेदर की जैकेटस तथा एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार	टोड 7-9-2007
22.	(i) मै. डीजल फैशन इंडिया अरविंद प्रा.लि., अहमदाबाद (ii) मै. डीजल इंटरनेशनल बी.वी. नीदरलैंड	मै. डीजल फैशन इंडिया अरविंद प्रा.लि., अरविंद मिल्स परिसर, नरोदा रोड, अहमदाबाद-380025	सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत पुरुषों व महिलाओं के लिए रेडी टू वियर तथा एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार	डीजल 7-9-2007
23.	(i) मै. डोइस एंड गब्बाना इटली (ii) मै. डोइस एंड गब्बाना, मिलान इटली	मै. डी.एल.एफ. लि. शापिंग माल, तीसरा तल, अर्जन मार्ग फेस-I, डीएलएफ सिटी, गुड़गांव-122002	मै. डी.एल.एफ. लि. शॉपिंग माल, तीसरा तल, अर्जुन मार्ग, फेस-1, डी.एल.एफ. सिटी, गुड़गांव	डोइस एंड गब्बाना तथा डी एंड जी डोइस एंड गब्बाना 7-12-2007
24.	(i) मै. एल.ए. सोवरेन बाइसिकल्स प्रा.लि. लुधियाना (ii) मै. एल.ए. बाइसिक्लस (थाइलैंड) (iii) मै. इण्डस ट्रेडिंग कं., थाईलैंड	मै. एल.ए. सोवरेन बाइसिक्लस प्रा.लि. 168 बी, इंडस्ट्रीयल एस्टेट लुधियाना-141003 पंजाब	सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत बाइसाइकिलों, खिलौनों ई-बाइक तथा उनके पुर्जों तथा एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार	एलए सोवरेन 6-11-2007
25.	(i) मै. क्रिस्टल बाल फैशन प्रा.लि. नई दिल्ली (ii) मै. रेने डेरही, फ्रांस	मै. क्रिस्टल बाल फैशन प्रा.लि. सी-49, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-II नई दिल्ली	सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत एप्परल तथा एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार	डेरही 1-2-2008
26.	(i) मै. क्रोक्स इंक यू.एस.ए. (ii) मै. क्रोक्स एशिया प्रा.लि., सिंगापुर	मै. चोगोरी रिटेल प्रा.लि. 511, कैलाश बिल्डिंग, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-11	एकल ब्रांड के अन्तर्गत फुटवियर, एप्परेल तथा चामर्स का व्यापार	क्रोक्स 27-11-2007

1	2	3	4	5
27.	(i) मै. रिचमोंट सर्विसेस बीवी एम्सटरडम नीदरलैंड (ii) मै. रिचमोंट सर्विसेस बीवी एम्सटरडम नीदरलैंड	मै. नवरत्न भारत रिटेल प्रा.लि. 46, अराधना चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-110066	सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत ज्वेलरी, घडियां गिफ्ट आर्टिकल्स आदि का व्यापार	कार्टियर 27-11-2007
28.	(i) मै. पावर प्लेट इंडिया प्रा.लि. नई दिल्ली (ii) मै. पावर प्लेट इंडिया होल्डिग लि. मारीशस	मै. पावर प्लेट इंडिया प्रा.लि. 603 इंटरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	एकल ब्रांड के अन्तर्गत फिटनेश उपकरण का खुदरा व्यापार	पावर प्लेट 10-4-2008
29.	(i) मै. जोरजियो अरमानी होल्डिग बी.वी. नीदरलैंड (ii) मै. जोरजियो अरमानी होल्डिग बी.वी. नीदरलैंड	मै. डी.एल.एफ. लि. डी.एल.एफ. शापिंग माल, तीसरा तल, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी फेस-I, गुड़गांव-120002	क्लाथिंग फुटवियर, चमड़े की वस्तुओं आदि उत्पादों का सिंगल ब्राण्ड खुदरा व्यापार	अरमानी 10-4-2008
30.	(i) मै. गियोरडानो फेशन (आई) प्रा.लि. चैन्नई (ii) मै. गियोरडानो मॉरिशस लि. मॉरिशस	मै. गियोरडानो फैशन्स (इं) प्रा.लि. 58/17, श्रीरंगम एवेन्यु पेन्थेऑन रोड, इग्मोर, चैन्नई-60008	सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत मर्चेन्डाइज का खुदरा व्यापार	गियोरडानो 10-7-2008
31.	(i) मै. पियर्ल यूरोप नीदरलैंड (ii) मै. पियर्ल यूरोप, नीदरलैंड	मै. एबकस रिटेल प्रा.लि. दूसरा तल, चित्रकूट, श्रीराम मिल्स परिसर, गनपात्रो कदम मार्ग, वोर्ली, मुम्बई	एकल ब्रांड के अन्तर्गत ऑप्टिकल उत्पादों का खुदरा व्यापार	विजन एक्सप्रेस 10-7-2008
32.	(i) मै. मार्कस एंड स्पेन्सर पी.एल.सी., यू.के. (ii) मै. मार्कस एंड स्पेन्सर पी.एल.सी., यू.के.	मै. मार्क्स एंड स्पेन्सर रिलायन्स (इं) लि. दूसरा तल, चित्रकूट श्रीराम मिल्स, परिसर, गनपात्रो कदम मार्ग, वोर्ली, मुम्बई	सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत क्लॉथिंग, लिगरीज, इलैक्ट्रिकल उपकरण तथा एप्लाइंसेस का खुदरा व्यापार	मार्क्स एंड स्पेन्सर 10-7-2008
33.	(i) मै. हालमार्क ग्रुप लि. यू.के. (ii) मै. हालमार्क ग्रुप लि. यू.के.	श्री अजय सचदेवा, डी-10/10 न्यू फ्रेडस कालोनी, नई दिल्ली-110065	सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत प्रमुख राष्ट्रीय स्टेंपस तथा एनग्रेवड सोलिड के रूप में रिक्रिएटिड तथा गोल्ड से प्लेटिड रेपीलयस का खुदरा व्यापार	हालमार्क 29-7-2008
34.	(i) मै. पिकूयाड्रो एस.पी.ए. इटली (ii) मै. पिकूयाड्रो एस.पी.ए., इटली	मै. डी.एल.एफ. लि. डी.एल.एफ. शापिंग मॉल, तीसरा तल अर्जुन मार्ग, डी.एल.एफ. सिटी फेस-1, गुड़गांव	एकल ब्रांड के अन्तर्गत ब्रीफकेस, हेंडबेग, कम्प्यूटर (केसेस/ट्राली) डायरियां, शूज, स्पोर्टसवियर आदि का खुदरा व्यापार	पिकूयाड्रो 7-8-2008
35.	(i) मै. फेरागामों इंटरनेशनल बी.वी. नीदरलैंड	मै. डी.एल.एफ. लि., प्रत्यक्ष रूप से अथवा इसकी	सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत क्लाथिंग, एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार	सालवात्रो फेरागामो 7-8-2008

1	2	3	4	5
	(ii) मै फेरागामों इंटरनेशनल बी.वी. नीदरलैंड	सहायक कंपनी डी.एल.एफ. शापिंग मॉल, तीसरा तल अर्जुन मार्ग, डी.एल.एफ. सिटी फेस-1, गुड़गांव के जरिए		
36.	(i) मै. आरन किचन वर्ल्ड प्रा.लि. चैन्नई (ii) मै. आरन वर्ल्ड एस.आर.एल., इटली	मै. आरन किचवर्ल्ड प्रा.लि., 37, कोनरोन स्मिथ रोड, गोपालपुरम, चैन्नई	सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत मोडलुर फर्नीचर, किचन तथा एक्सेसरीज का खुदरा व्यापार	आरन 9-9-2008
37.	(i) मै. सीलियो इंटरनेशनल बेलजियम (ii) मै. सीलियो इंटरनेशनल (iii) मै. सीलियो इंटरनेशनल बेलजियम	मै. सीलियो फ्यूचर फैशन लि. नोलेज हाउस, श्याम नगर ऑफ जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड जोगेश्वरी (ईस्ट) मुम्बई-400060	सिंगल ब्रांड के अन्तर्गत पुरुषों के फैशन का खुदरा व्यापार	सीलियो 16-9-2008
38.	(i) मै. एस. ओलिवर बेरंड फ्रेहर जर्मनी (ii) मै. एस. ओलिवर बेरंड फ्रेहर जर्मनी	मै. ऑरिएंट क्रॉफ्टस ऑलिवर प्राइवेट लिमिटेड एफ-8 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-I नई दिल्ली	सभी प्रकार के फैशन और लाइफ स्टाइल उत्पादों का सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार जिनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं कपड़े, जूते, बैग, चमड़े की वस्तुएं (पर्स, मनी बैग, की फौब, क्रेडिट बैब आदि), घड़ियां, आभूषण, चश्मे, कमर की बेल्ट, छाते, परफ्यूम, परफ्यूम सामान, कैजुअल वेयर।	एस. ऑलिवर 12-11-2008
39.	(i) मै. लुइस व्यूटोन, फ्रांस (ii) मै. एस. ओलिवर बेरंड फ्रेहर जर्मनी	अन्तिम रूप नहीं दिया	खुदरा व्यापार में वर्तमान निवेश को बनाए रखने के लिए एक धारक कंपनी की स्थापना करना	लुइस व्यूटन 12-11-2008
40.	(i) मै. दोरल कैपिटल एस.ए. लग्जेमबर्ग (ii) मै. दोरल कैपिटल एस.ए. लग्जेमबर्ग	मै. कापो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, 1ई, झंडेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-55	सिंगल उत्पादों का खुदरा व्यापार (पुरुष और महिलाओं के कपड़े/ परिधान, उपसाधन सहित)	बीओजीजीआई 15-1-2009
41.	(i) मै. रिलैन्स पॉल और शार्क फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ii) मै. डी.ए.एम.ए. एस.पी.ए., इटली	मै. रिलैन्स पॉल और शार्क फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड, चौथा तल, श्रीराम मिल्स कम्पाऊंड, वर्ली, मुंबई	निट वेयर, स्वैटर/टी-शर्ट/पोलो शर्ट्, आऊट वेयर: जैकेट, शर्ट, पैंट, जूते और आभूषण का सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार	पॉल एंड शार्क 15-1-2009
42.	(i) मै. टॉय वाच इंडिया (पी) लिमिटेड मुंबई (ii) मै. कूल टॉय वाच एस.आर.एल., इटली	मै. टॉय वाच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 44, बजाज भवन नॉरीमन प्वाइंट, मुंबई	एकल ब्रांड के तहत घड़ियों का खुदरा व्यापार	टाय वाच 15-1-2009

1	2	3	4	5
43.	(i) मै. ऑस्ट्रिया पुमा, ऑस्ट्रिया (ii) मै. ऑस्ट्रिया पुमा, ऑस्ट्रिया	मै. नॉलेज-फायर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 1-ए वंदना बिल्डिंग, 11 टॉल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली	सिंगल ब्रांड नाम के तहत परिधान, उपसाधन तथा जुता-चप्पलों का खुदरा व्यापार	पुमा 15-1-2009
44.	(i) मै. लेरॉस फैशनस (I) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (पूर्व में वियर इंटरनेशनल) (ii) मै. लेरॉस फैशनस (I) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	मै. लेरॉस फैशनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ए-3, कम्यूनिटी सेंटर नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेस-II नई दिल्ली-110058	सिंगल ब्रांड नाम के तहत परिधानों का खुदरा व्यापार	लेरोस 16-1-2009
45.	(i) मै. पॉलट्रोना फ्रो एस.पी.ए. फ्रो, इटली (ii) मै. पॉलट्रोना फ्रो एस.पी.ए. फ्रो, इटली	मै. कासा डेकर प्राइवेट लिमिटेड बम्बई हाउस, 24 होमी मोदी स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई-400 001	सिंगल ब्रांड के फर्नीचर उत्पादों, फिटिंग्स तथा फर्नीचर उपसाधनों का खुदरा व्यापार	पॉलट्रोना फ्रो 18-3-2009
46.	(i) मै. इंडो प्राइम विजुअल टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड (ii) मै. इंडो प्राइम विजुअल टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड स्पेन	मै. इंडो प्राइम विज्यूअल टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड 16-ए टिविम इंडस्ट्रियल इस्टेट, मापूसा गोआ	इंडो एजर्स तथा उपकरणों का सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार	"इंडो" 1-4-2009
47.	(i) मै. नोकिया कॉरपोरेशन फिनलैंड (ii) मै. नोकिया कॉरपोरेशन फिनलैंड	मै. एचसीएल इनफोकॉम लिमिटे्ड 806 सिद्धार्थ 96 नेहरू प्लेस कार्पोरेट ऑफिस ई 4,5,6 सेक्टर-11 नोएडा	सिंगल ब्रांड नाम के तहत मोबाइल फोन तथा इंटरनेट सेवाओं का खुदरा व्यापार	नोकिया वेरटू ओवीएल 5-5-2009
48.	(i) मै. दमस एल.एल.सी., दुबई, यू.ए.ई. (ii) मै. दमस एल.एल.सी., दुबई, यू.ए.ई.	मै. गीतांजली लाइफस्टाइल लिमिटेड ऑफिस नं. 10, बी विंग, II फ्लोर, लक्ष्मी टॉवर, जी ब्लॉक, बांद्रा कुरल कॉम्पलेक्स, बांद्रा मुम्बई	सिंगल ब्रांड नाम के तहत ज्वेलरी तथा उपसाधनों का खुदरा व्यापार	दामास 15-6-2009
49.	(i) मै. ओवेस एस.पी.ए. इटली (ii) मै. ओवेस एस.पी.ए. इटली	मै. ब्रांडहाउस रिटेल्स लिमिटेड एस नं. 90/एच न. 5, इंगा कॉम्पलेक्स, महाकाली केब्स रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई	सिंगल ब्रांड नाम के तहत परिधानों, जूतों तथा उपसाधनों, घरेलू सामग्री, परफ्यूम्स, लेखन सामग्री, खिलोनों तथा गजट का खुदरा व्यापार	ओविएन्स 29-7-2009
50.	(i) मै. इंडस्ट्रिया डे डिसेनो टेक्सटाइल सोसीदाद एनोमिना (इंडेक्स एस.ए.), स्पेन (ii) मै. इंडस्ट्रिया डे डिसेनो टेक्सटाइल सोसीदाद एनोमिना (इंडेक्स एस.ए.), स्पेन	मै. ट्रेंट लिमिटेड बम्बई हाउस, 24, होमी मोदी स्ट्रीट, मुम्बई	सिंगल ब्रांड नाम के तहत सिले सिलाए वस्त्र, जूते-चप्पल, उपसाधनों सुगंध के सामान तथा शृंगार सामग्री का खुदरा व्यापार	जारा 21-8-2009

1	2	3	4	5
51.	(i) मै. एल. ओसिटेन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर (ii) मै. एल. ओसिटेन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर	मै. एल. ओसिटेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एस-327 ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली	सिंगल ब्रांड नाम के तहत साबुनों, परफ्यूम, शृंगार उत्पादों का आयात, विपणन, वितरण तथा बिक्री	"एल" ऑसिटैन 29-9-2009
52.	(i) मै. फेम एस.पी.ए. इटली (ii) मै. फेम एस.पी.ए. इटली	कु. दीपा शशिधर 24ए/15, सुदर्शन सी.एच.एस. लिमिटेड, पेकटॉम सागर, रोड नं. 4, मुम्बई-400 089	सिंगल ब्रांड नाम के तहत लीड ऐसिड बैटरियों का खुदरा व्यापार	एफआईएएमएस 20-11-2009
53.	(i) मै. लग्जरी गुड्स रिटेल लि. मुंबई (ii) मै. गुस्सी ग्रुप एन.वी. नीदरलैंड	मै. लग्जरी गुड्स रिटेल प्रा.लि., 308/309, रहेजा प्लाजा वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई	लेडीज गारमेंट्स, पहनने के लिए तैयार कपड़े, मैंस गारमेंट्स आदि की सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग	गुस्सी 11-12-2009
54.	(i) मै. बरबेरी इंटरनेशनल होल्डिंग लि., यू.के. (ii) मै. बरबेरी इंटरनेशनल होल्डिंग लि., यू.के.	मै. जेनेसिस कलर्स प्रा.लि., 3 ए-1, ताज अपार्टमेंट, राव तुला मार्ग, नई दिल्ली	क्लोथिंग, रेनवाटर आऊटरवीयर तथा सहायक वस्त्र आदि सहित बरबेरी उत्पादों की सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग	बरबेरी 7-12-2009
	(i) मै. मदरकेयर यू.के. लि., यू.के. (ii) मै. मदरकेयर यू.के. लि., यू.के.	मै. रहिया रिटेल प्रा.लि. 1 ई, झंडेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली	क्लोथिंग, टॉयज, फीडिंग उत्पादों आदि की सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग	मदरकेयर 3-3-2009

सैम पित्रोदा समिति रिपोर्ट

201. श्री विश्वमोहन कुमार:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री ओम प्रकाश यादव:
डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री अर्जुन राय:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री अर्जुन मुंडा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए किसी समिति/तंत्र का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के कार्य-निष्पादन और उनकी सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान बिहार और झारखंड सहित राज्य-वार हुई लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त दूरसंचार कंपनियों के कार्य-निष्पादन को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। सैम पित्रोदा समिति की सिफारिशों पर पूर्ण दूरसंचार आयोग की 7 जुलाई, 2010 को हुई बैठक में चर्चा की गई थी। दूरसंचार आयोग ने अपनी सिफारिशें देने के लिए दूरसंचार विभाग

के सदस्य (सेवाएं) की अध्यक्षता में आंतरिक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति बी.एस.एन.एल. के कर्मचारी संघों सहित बी.एस.एन.एल. से जानकारियां प्राप्त कर सकती है।

(ग) और (घ) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. लोक उद्यम विभाग के समझौता ज्ञापन में निहित मॉनीटरिंग संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक आधार पर दूरसंचार विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते रहे हैं। तिमाही आधार पर इसकी समीक्षा होती है। इसके अतिरिक्त, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के समग्र निष्पादन, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव इत्यादि पर दूरसंचार विभाग में विभिन्न स्तरों पर आवधिक आधार पर विभिन्न विचारों का आदान-प्रदान भी होता है। वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए बी.एस.एन.एल. के कर पूर्व निवल लाभ (सर्किलवार) का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2009-10 के लिए बी.एस.एन.एल. के लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

गत 3 वर्षों के दौरान एम.टी.एन.एल. के कर पूर्व निवल लाभ का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) बी.एस.एन.एल. ने समग्र रणनीति और रूपांतरण संबंधी कार्यवृत्त तैयार करने के लिए दिसम्बर, 2008 में सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रारंभ की है। समग्र व्यावसायिक रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास के प्रमुख घटकों पर पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से बी.एस.एन.एल. की संगठनात्मक संरचना में विभिन्न परिवर्तन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विपणन, बिक्री एवं वितरण और ग्राहक संबंधी क्रियाकलापों पर और अधिक जोर देने के लिए विभिन्न पहल कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान बी.एस.एन.एल. का कर पूर्व निवल लाभ (सर्किलवार)

(आंकड़े करोड़ रु.)

सर्किल का नाम	कर पूर्व लाभ		
	2008-09	2007-08	2006-07
1	2	3	4
असम	-7	54	190
कलकत्ता फोन्स	-41	24	183
चेन्नै फोन्स	112	276	380
आंध्र	-211	-39	205
बिहार	-222	-133	77
गुजरात	-269	-142	279
जम्मू और कश्मीर	73	266	289
कर्नाटक	291	260	297
केरल	509	807	722
मध्य प्रदेश	-71	-163	247
महाराष्ट्र	133	210	796
पूर्वोत्तर	10	28	74
पंजाब	-36	114	96
उड़ीसा	38	47	194
राजस्थान	121	269	519
तमिलनाडु	-53	168	565
उत्तर प्रदेश पूर्व	101	79	157
उत्तर प्रदेश पश्चिम	-99	-68	158
पश्चिम बंगाल	-287	-170	45
हरियाणा	50	120	220
हिमाचल	1	11	61
अण्डमान और निकोबार	-4	0	12
छत्तीसगढ़	-45	28	104
झारखंड	8	10	82
उत्तरांचल	38	31	174
पूर्वोत्तर II	-22	21	49
अन्य सर्किल	1154	2344	1578
कुल	1272	4452	8153

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों के दौरान एम.टी.एन.एल. का कर पूर्व निवल लाभ

वर्ष	कर पूर्व निवल लाभ (करोड़ रु. में)
2006-07	681.74
2007-08	586.89
2008-09	211.72

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता

202. श्री पूर्णमासी राम:

श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब के मालवा क्षेत्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,95,813 बस्तियों के लिए उपलब्ध पेयजल को आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारापन, लौह, नाइट्रेट जैसे संदूषण अथवा इन सबके योग ने प्रभावित किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1-4-2006 तक देश में 195813 ग्रामीण बसावटें हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पंजाब के मालवा क्षेत्र में आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारापन, लौह, नाइट्रेट जैसे संदूषण अथवा इन सबके योग जैसी जल गुणवत्ता समस्याएं हैं।

(ख) भारत निर्माण के अंतर्गत राज्यों ने अनेक बसावटों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। राज्य सरकारों ने ऑन लाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली में आंकड़ों को अद्यतन किया है तथा 1-4-2010 तक देश में लगभग 1.44 लाख ऐसी ग्रामीण बसावटें हैं जहां जल गुणवत्ता की समस्याएं हैं। राज्य सरकारें अपने जिला और उप मण्डलीय स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता की समय-समय पर जांच करती है इसलिए जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या संबंधी आंकड़े गतिशील हैं। भारत सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के माध्यम से राज्य सरकारों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों को आबंटित निधियों का 65 प्रतिशत जल गुणवत्ता समस्या को दूर करने और साफ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

रक्षा फर्मों को काली सूची में डालना

203. श्री गजानन ध. बाबर:

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

श्री हर्ष वर्धन:

चौधरी लाल सिंह:

श्रीमती रमा देवी:

श्री रमेश बैस:

श्री विलास मुत्तेमवार:

श्री हरिन पाठक:

श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा:

श्री हंसराज गं. अहीर:

डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

श्री आनन्दराव अडसुल:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ स्वदेशी और विदेशी रक्षा फर्मों को आयुद्ध निर्माणी बोर्ड (ओ.एफ.बी.) से हाल में संदिग्ध तरीकों से ठेका हासिल करने जैसी गतिविधि में शामिल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक के खिलाफ कथित रूप से क्या आरोप लगाए गए हैं और इसमें शामिल ओ.एफ.बी. कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उक्त फर्मों के साथ कितने मूल्य के रक्षा ठेकों को अंतिम रूप दिया गया है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा उक्त फर्मों को काली सूची में डालने की संस्तुति की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विशेष न्यायाधीश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कोलकाता के न्यायालय के साथ मई, 2009 में आयुध निर्माणियों के विभिन्न आपूर्तिकारों से अवैध घूस लेने के संबंध में पूर्व डी.जी.ओ.एफ. (महानिदेशक, आयुध निर्माणी) एवं अध्यक्ष, ओ.एफ.बी. (आयुध निर्माणी बोर्ड) श्री सुदीप्तो घोष तथा कुछ अन्यों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था। अब तक उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मैसर्स टी.एस. किस्सन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली तथा मैसर्स आर.के. मशीन टूल्स, लुधियाना के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कुछ अन्य फर्मों की तरफ से भी श्री सुदीप्तो घोष को अवैध रूप से घूस दी गई थी तथा यह कि की जा रही जांच के दौरान एकत्र किए जाने वाले साक्ष्य पर निर्भर करते हुए बाद के चरण पर उनमें कुछेक पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

(ख) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि मैसर्स टी.एस. किस्सन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली ने श्री सुदीप्तो घोष को भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी से कतिपय आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के लिए 30 लाख रुपए की अवैध रूप से घूस दी थी तथा मैसर्स आर.के. मशीन टूल्स ने आयुध निर्माणी चांदा तथा भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी से कतिपय क्रयादेश प्राप्त करने के एवज में 2.50 लाख रुपए की अवैध रूप से घूस दी थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में आयुध निर्माणी बोर्ड के अन्य अफसरों पर आरोप नहीं लगाया गया है। अन्य कंपनियों के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि श्री सुदीप्तो घोष को अवैध रूप से घूस दिए जाने के प्रथम दृष्टया अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामले की आगे जांच की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त कंपनियों के साथ संविदाओं का अनुमानित कुल मूल्य नीचे दिया गया है:-

1. मैसर्स सिंगापुर टेक्नोलॉजी, कायनेटिक्स सिंगापुर -शून्य
2. मैसर्स इजराइली मिलिट्री इन्डस्ट्रीज, इजराइल- 91,24,928 अमरीकी डालर, 11,30,677,545 यूरो, 372,29,21,000/-रुपए।
3. मैसर्स टी.एस. किस्सन एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली-70,50,04,701/-रुपए।
4. मैसर्स आर.के. मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना-53,83,233,871/-रुपए।
5. मैसर्स रेहनमेटल एयर डिफेंस, शून्य।
6. मैसर्स कार्पोरेशन डिफेंस रूस-शून्य।

(ङ) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच के आधार पर निम्नलिखित फर्मों को काली सूची में डालने की सिफारिश की है:-

1. मैसर्स सिंगापुर टेक्नोलोजी, सिंगापुर,
2. मैसर्स इजराइली मिलिट्री इंडस्ट्रीज, इजराइल,
3. मैसर्स टी.एस. किस्सन एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली,
4. मैसर्स आर.के. मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना,
5. मैसर्स रेहनमेटल एयर डिफेंस; और
6. मैसर्स कार्पोरेशन डिफेंस रूस।

(च) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट की जांच मंत्रालय में की जा रही है। इस मामले में इससे आगे की कार्रवाई केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा विधि मंत्रालय से परामर्श प्राप्त करने के पश्चात की जाएगी।

भारत-सिंगापुर आर्थिक सहयोग

204. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सिंगापुर की कंपनियों को भारतीय अवसंरचरना विकास में निवेश करने हेतु आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में पहचान किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग से संबद्ध प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सिंगापुर सहित सभी देशों से अवसंरचना क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारत सरकार की कोई रोक नहीं है।

(ग) भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग से संबंधित कोई द्विपक्षीय समझौता करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग

205. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आणविक ऊर्जा आयोग की तर्ज पर रक्षा प्रौद्योगिक आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो अधिदेश और संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आयोग की स्थापना से क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक मूर्त रूप दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग स्थापित करने के लिए रामा राव समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है। इस आयोग के अध्यक्ष रक्षा मंत्री होंगे तथा इसके सदस्य सशस्त्र सेनाओं, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, आदि से लिए जाएंगे। इस आयोग को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को नीति संबंधी दिशा-निर्देश देने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा जिससे रक्षा तैयारी में अधिक आत्म-निर्भरता का अपेक्षित लाभ मिलेगा। इस आयोग के फरवरी, 2011 में अपना कार्य शुरू करने की संभावना है।

[हिन्दी]

मरु और परती भूमि क्षेत्र

206. श्री हरीश चौधरी:

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मरु और परती भूमि क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में ऐसे क्षेत्रों के विस्तार अथवा संकुचन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कुछ समय के दौरान देश में मरु और परती भूमि क्षेत्रों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में मरु और परती भूमि के विस्तार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) देश में मरुभूमि और बंजरभूमि क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II पर दिया गया है।

(ख) से (घ) विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में मरुभूमि क्षेत्र के विस्तार का कोई प्रमाण नहीं है। 'बंजरभूमि एटलस-2000' के अनुसार देश में कुल बंजरभूमि क्षेत्र 63.85 मिलियन है. था, जबकि 'बंजरभूमि एटलस-2005' के अनुसार, देश में उपलब्ध कुल बंजरभूमि क्षेत्र 55.27 मिलियन है. है। वर्ष 2000 से 2005 के दौरान, देश में कुल बंजरभूमि में 8.583 मिलियन है. तक की कमी आई।

(ङ) भूमि संसाधन विभाग तीन कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वर्ष 1995-96 से वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इन तीन कार्यक्रमों को 26-02-2009 से 'समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू. एम.पी.)' नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया गया है। भूमि आधारित मुख्य कार्यकलाप मृदा और नमी संरक्षण संकार्य, जल संग्रहण, वनीकरण, चरागाह विकास और बागवानी हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान, आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत 6.299 मिलियन है. क्षेत्र को शामिल करते हुए 1326 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान, आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत 0.191 मिलियन है. क्षेत्र को शामिल करते हुए 42 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

विवरण-I

देश में मरुभूमि क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	जिलों की सं.	ब्लाकों की सं.	क्षेत्र मिलियन है. में
1.	आंध्र प्रदेश	1	16	1.9136
2.	बिहार	-	-	-
3.	छत्तीसगढ़	-	-	-
4.	गुजरात	6	52	5.5424
5.	हरियाणा	7	45	2.0542
6.	हिमाचल प्रदेश	2	3	3.5107
7.	जम्मू और कश्मीर	2	12	9.6701
8.	झारखंड	-	-	-
9.	कर्नाटक	6	22	3.2295
10.	मध्य प्रदेश	-	-	-
11.	महाराष्ट्र	-	-	-
12.	उड़ीसा	-	-	-
13.	राजस्थान	16	85	19.8744
14.	तमिलनाडु	-	-	-
15.	उत्तर प्रदेश	-	-	-
16.	उत्तरांचल	-	-	-
17.	प. बंगाल	-	-	-
	योग	40	235	45.7949

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

विवरण-II

कवर में परिवर्तन सहित राज्यवार बंजरभूमि आंकड़े

बंजरभूमि एटलस आंकड़े (एन.आर.एस.ए.) (क्षेत्र मि.है. में)

क्र. सं.	राज्य	बंजरभूमि एटलस-2003	बंजरभूमि एटलस-2005	
		1986-2000 कुल बंजरभूमि क्षेत्र	2003 कुल बंजरभूमि क्षेत्र	मि.है. में परिवर्तन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5.18	4.53	0.65

1	2	3	4	5
2.	बिहार	0.59	0.54	0.05
3.	छत्तीसगढ़	1.02	0.76	0.26
4.	गोवा	0.06	0.05	0.01
5.	गुजरात	4.30	2.04	2.26
6.	हरियाणा	0.37	0.33	0.04
7.	हिमाचल प्रदेश	3.17	2.83	0.34
8.	जम्मू और कश्मीर	6.54	7.02	-0.48
9.	झारखंड	1.59	1.12	0.47
10.	कर्नाटक	2.08	1.35	0.73
11.	केरल	0.14	0.18	-0.04
12.	मध्य प्रदेश	6.07	5.71	0.36
13.	महाराष्ट्र	5.35	4.93	0.42
14.	उड़ीसा	2.13	1.90	0.24
15.	पंजाब	0.22	0.12	0.10
16.	राजस्थान	10.56	10.15	0.42
17.	तमिलनाडु	2.30	1.73	0.57
18.	उत्तर प्रदेश	2.30	1.61	0.69
19.	उत्तरांचल	1.61	1.70	-0.09
20.	प. बंगाल	0.57	0.44	0.13
21.	संघ राज्य क्षेत्र	0.06	0.03	0.03
	योग	**56.00**	**49.06**	**6.94**
22.	अरुणाचल प्रदेश	1.83	1.82	0.01
23.	असम	2.00	1.40	0.60
24.	मणिपुर	1.29	1.32	-0.03
25.	मेघालय	0.99	0.34	0.65
26.	मिजोरम	0.41	0.45	-0.04
27.	नागालैण्ड	0.84	0.37	0.47

1	2	3	4	5
28.	सिक्किम	0.36	0.38	-0.02
29.	त्रिपुरा	0.13	0.13	0.00
	पूर्वोत्तर के लिए योग	**7.85**	**6.21**	**1.64**
	कुल योग	63.85	55.27	8.58

स्रोत: भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, एन.आर.एस.ए., भारत सरकार, हैदराबाद।

आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड का वितरण

207. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत इसके आरंभ से असंगठित क्षेत्रों में लगे हुए कामगारों/श्रमिकों को राज्य-वार और वर्ष-वार कितने स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) क्या वर्तमान में आर.एस.बी.वाई. को पूरे देश में लागू किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा सरकार द्वारा आर.एस.बी.वाई. को पूरे देश में लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत जारी किए गए कार्डों की राज्य-वार तथा वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) इस समय परियोजना 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा चंडीगढ़ प्रशासन में कार्यान्वित की जा रही है। 20-07-2010 की स्थिति के अनुसार 1.71 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं। आन्ध्र प्रदेश, जो अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना नामश: राजीव गांधी आरोग्य श्री सामुदायिक स्वास्थ्य योजना कार्यान्वित कर रहा है और राजस्थान को छोड़कर, शेष राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। योजना के लाभ राज्यों को लिखित पत्राचार, कार्यशाला तथा व्यक्ति संपर्कों के माध्यम से संसूचित किए गए हैं तथापि, यह राज्य सरकार के ऊपर है कि वह इस संबंध में कोई निर्णय ले।

विवरण

जारी किए गए स्मार्ट कार्डों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	जारी किए गए स्मार्ट कार्ड		
		2008-2009	2009-2010	2010-11 (20-07-2010 तक)
1	2	3	4	5
1.	असम	-	81,565	1,44,590
2.	बिहार	5,57,002	20,38,909	33,20,800

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	-	9,27,672	9,74,701
4.	दिल्ली	41,990	2,18,055	2,18,055
5.	गोवा	1,679	3,505	5,505
6.	गुजरात	6,70,517	6,82,354	6,82,354
7.	हरियाणा	4,01,587	6,82,354	6,91,197
8.	हिमाचल प्रदेश	78,370	11,58,28	2,36,947
9.	झारखण्ड	1,01,219	4,34,762	6,04,927
10.	कर्नाटक	-	36,971	1,04,414
11.	केरल	7,03,570	11,73,388	12,32,664
12.	महाराष्ट्र	1,35,804	14,40,407	15,46,159
13.	मेघालय	-	22,579	41,135
14.	नागालैण्ड	7,645	39,301	39,301
15.	उड़ीसा	-	3,41,653	4,18,929
16.	पंजाब	76,528	1,69,306	1,64,901
17.	राजस्थान*	1,20,123	-	-
18.	तमिलनाडु	57,925	1,49,520	1,49,520
19.	त्रिपुरा	-	1,45,780	2,57,974
20.	उत्तर प्रदेश	8,34,871	42,96,865	48,05,280
21.	उत्तराखण्ड	50,071	53,940	1,27,670
22.	पश्चिम बंगाल	1,19,327	8,02,974	13,42,366
23.	चंडीगढ़	3,627	5,407	5,407
	कुल	39,61,855	1,38,65,338	1,71,11,988

*राजस्थान सरकार ने योजना बंद कर दी है।

राष्ट्रीय जलमार्गों में जल और गहराई

208. श्री जगदानंद सिंह: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के दूरी-वार और राज्य-वार अलग-अलग नाम क्या हैं;

(ख) क्या ऐसे जलमार्गों पर जलाभाव और गहराई

की कमी के कारण वर्षभर जहाजों का नौवहन संभव नहीं हो पाता है;

(ग) यदि हां, तो जलमार्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) देश में 14500 कि.मी. नौचालनात्मक और नौचालन के संभाव्य से युक्त अंतर्देशीय जलमार्ग मौजूद हैं जिनमें से निम्नलिखित अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है:

(i) राष्ट्रीय जलमार्ग - 1: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा भागीरथी-हुगली नदी का इलाहाबाद-हल्दिया खंड (कुल लंबाई 1620 कि.मी.)।

(ii) राष्ट्रीय जलमार्ग - 2: असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया-धुबरी खंड (कुल लंबाई 891 कि.मी.)।

(iii) राष्ट्रीय जलमार्ग - 3: केरल राज्य में पश्चिमी तट केनाल और चम्पाकारा तथा उद्योगमंडल केनालों का कोल्लम-कोट्टापुरम खंड (कुल लंबाई 205 कि.मी.)।

(iv) राष्ट्रीय जलमार्ग - 4: आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों तथा पुड्डुचेरी संघ क्षेत्र में काकीनाडा केनाल, इल्लूरु केनाल, कोम्मामूर केनाल, बकिंघम केनाल और कालुवेली टैंक केनालों का काकीनाडा-पुड्डुचेरी खंड, गोदावरी नदी का भद्राचलम-राजामुंद्री खंड और कृष्णा नदी का वजीराबाद-विजयवाड़ा खंड (कुल लंबाई 1027 कि.मी.)

(v) राष्ट्रीय जलमार्ग - 5: पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में ब्राह्मणी-खरसुआ-धम्रा नदियों का तलचर-धम्रा खंड, पूर्वी तट केनाल का गोयन्खाली-चारबतिया खंड, मताई नदी का चारबतिया-धम्रा खंड और मंगलगाडी तथा पारादीप के बीचा महानदी डेल्टा नदियां (कुल लंबाई 205 कि.मी.)।

(ख) से (घ) उपरोक्त पांच राष्ट्रीय जलमार्गों में से केवल रा.ज. 1, 2 और तीन पर ही भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। रा.ज. 1 और 2 में, भा.अं.ज.प्रा. कम पानी वाली अवधि के दौरान विभिन्न खंडों में 3 मीटर/2.0 मीटर/1.5 मीटर की गहराई वाले नौचालनात्मक जलमार्ग उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से नदी अनुरक्षण कार्य करता है। रा.ज. 3 में, जो कि एक ज्वारीय केनाल है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 2 मीटर गहराई तथा 32 मीटर चौड़ाई वाला एक नौचालनात्मक जलमार्ग उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग कार्य कर रहा है। इन तीनों राष्ट्रीय जलमार्गों में कार्गो तथा अन्य अंतर्देशीय जलयानों द्वारा वर्ष भर नौचालन जारी रहता है। राष्ट्रीय जलमार्ग-4 और 5, जिन्हें नवंबर 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, के विकास के लिए प्रस्तावों का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

डाक वितरण सेवा में विलंब

209. श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्री पी. करुणाकरन:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के गांवों और छोटे शहरों के डाक-घरों में संस्वीकृत और वास्तविक कर्मचारियों की स्थिति क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डाकघरों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा देश में डाक वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) देश के गांवों और छोटे शहरों के डाकघरों में कर्मचारियों की संस्वीकृत एवं वास्तविक संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	श्रेणी	संस्वीकृत कर्मचारी-संख्या	कार्यरत कर्मचारी-संख्या
(i)	विभागीय समूह ग एवं घ कर्मचारी	265483	207373*
(ii)	ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस)	306129	273336

*यह आंकड़ा सभी विभागीय डाकघरों के लिए हैं जिसमें गांवों और छोटे शहरों के डाकघर शामिल हैं।

(ग) ग्रामीण डाक सेवकों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए पहले से ही अनुदेश प्रभावी हैं। विभागीय रिक्तियों के संबंध में भी, सीधी भर्ती की सभी रिक्तियों को भरने के लिए आदेश दिए गए हैं। आगे, पदोन्नति कोटे के अंतर्गत भी रिक्तियों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

डाक विभाग भी डाक छंटाई, पारेषण एवं वितरण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रहा है।

डाक वितरण सेवाओं में सुधार लाने के लिए डाक विभाग द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) परीक्षण पत्रों और परीक्षण कार्डों को डाक-प्रेषित करके डाक के मार्ग-निर्धारण (मेल रूटिंग) एवं डिलीवरी की नियमित मानीटरिंग करना।

(ii) पर्यवेक्षकीय स्टॉफ एवं अधिकारियों द्वारा डाक डिलीवरी का औचक निरीक्षण करना।

(iii) डाक पारेषण एवं डिलीवरी प्रणाली की कमजोर कड़ियों की पहचान करने और उन्हें सुचारू बनाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित अंतरालों पर लाइव मेल सर्वेक्षण करना।

(iv) पिन कोड के इस्तेमाल और उसकी लोकप्रियता को बढ़ाना।

(v) देश के उत्तर-पूर्वी भागों में डाक पारेषण के लिए पूर्ण समर्पित मालवाही हवाई जहाज का इस्तेमाल करने के अलावा डाक की और बेहतर तरीके से डिलीवरी करने के लिए उत्तर-पूर्व सर्किल में डाकियों को वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

[अनुवाद]

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को लागू करना

210. श्री आधि शंकर: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत महिला मजदूरों के लाभ हेतु कार्यक्रम/परियोजनाएं शुरू करने वाले गैर-सरकारी संगठनों/अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) क्या समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का प्रभावी रूप से पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण देश में महिला कामगारों का शोषण हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) देश में उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा ऐसी शिकायतों के आधार पर कितने लोगों को दोषी पाया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय एक सहायता अनुदान योजना प्रशासित कर रहा है जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/स्वयंसेवी संगठनों को महिला श्रमिकों के लाभार्थ कार्रवाई कार्यक्रम/परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ) प्रतिष्ठानों द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा नियमित निरीक्षण करके प्रभावी ढंग से प्रवर्तित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रमायुक्त (कें.) का कार्यालय और राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारें इस अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करने हेतु समुचित प्राधिकरण हैं। तथापि, केन्द्र सरकार को लैंगिक आधार पर मजदूरी में भेदभाव के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से भी इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने का संकेत नहीं मिलता है। केन्द्र सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन का नियमित रूप से अनुवीक्षण करती है तथा इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

दूरसंचार कंपनियों द्वारा राजस्व हानि

211. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ दूरसंचार कंपनियां विशेषकर रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय कालों को स्थानीय कॉल कर सरकारी राजकोष को अत्यधिक राजस्व हानि पहुंचा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्ग्रस्त राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) इस तरह का कोई मामला विभाग की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता

212. श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2010-11 हेतु उड़ीसा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा निधियों को जारी करने में विलंब के कारण उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं की निष्पादनता प्रभावित हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या पी.एम.जी.एस.वाई., महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं निधियों को विलंब से प्रदान किए जाने के कारण लंबित हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए मानकों को बढ़ाने या उनमें परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ चालू कार्यक्रमों की समीक्षा करने हेतु केन्द्र से कहा है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उक्त परियोजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को मदद प्रदान करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। चालू वर्ष (2010-11) के दौरान उड़ीसा को 289.12425 करोड़ रुपये सहित पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 15-7-2010 तक 4468.33 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) सामान्यत: तिमाही आधार पर आयोजित निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्य योजनाओं सहित कार्यान्वयन की स्थिति की इन बैठकों में समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम प्रभागों द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

वृद्धाश्रमों हेतु निधियां

213. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु निर्धारित मानक और दिशानिर्देश क्या हैं और देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में चल रहे ऐसे वृद्धाश्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश में ऐसे कितने वृद्धाश्रमों की स्थापना की गई है और ऐसे गृहों इत्यादि में रहने वाले लोगों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे और अधिक वृद्धाश्रमों

की स्थापना करने हेतु राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश को दिए जाने वाले वित्तीय आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) देश के विभिन्न भागों में वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रकार की कोई केन्द्रीय योजना इस समय क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवा

214. श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री भूदेव चौधरी:
डॉ. संजय सिंह:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री बदरूद्दीन अजमल:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री कीर्ति आजाद:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, विकलांगों और अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों सहित शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों/युवाओं, पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों/युवाओं की राज्य-वार, वर्ष-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर और देश में बेरोजगारी की दर कितनी रही;

(घ) सरकार द्वारा बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) पिछले तीन वर्षों 2005, 2006 एवं 2007 (31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार) में रोजगार कार्यालयों के यहां पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या का श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

श्रेणी	रोजगार चाहने वाले (लाख में)		
	2005	2006	2007
अनुसूचित जातियां	63.53	64.48	63.21
अनुसूचित जनजातियां	22.29	21.17	21.32
अन्य पिछड़े वर्ग	79.11	85.17	88.16
विकलांग	5.01	5.16	5.64
अल्पसंख्यक समुदाय	0.60	0.62	0.63

राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II पर दिया गया है।

(ख) 2005, 2006 एवं 2007 (31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार) के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार चाहने वालों को उपलब्ध कराए गए रोजगार की राज्य-वार एवं श्रेणी-वार संख्या संलग्न विवरण-III पर दी गई है।

(ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अनुसार संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में संयुक्त रूप से रोजगार वृद्धि 2005 में 264.58 लाख से बढ़ कर 2008 में 275.48 लाख हो गई। वर्ष 2005-2008 की अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की

राज्य-वार चक्रवृद्धि वार्षिक दर तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 61वें चक्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य-वार बेरोजगारी दर क्रमशः संलग्न विवरण-IV तथा V पर दी गई है।

(घ) और (ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रोजगार के 58 मिलियन अवसर सृजित करना है और योजनावधि के अंत तक वर्तमान दैनिक स्थिति आधार पर बेरोजगारी दर में 4.83 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है। ग्रामीण जनसंख्या की जीवनयापन स्थितियों में सामान्य सुधार लाने के लिए जनता की आय में तीव्र गति से वृद्धि करने के लिए उत्पादक रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में वृद्धि, अवसंरचना विकास में निवेश, निर्यात में वृद्धि इत्यादि से रोजगार अवसरों के सृजन की संभावना है। भारत सरकार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.); स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) जैसे अनेक रोजगार सृजन कार्यक्रम भी कार्यान्वित करती रही है।

विवरण-I

31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार वर्षों के दौरान देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित तथा अशिक्षित रोजगार चाहने वालों (पुरुष एवं महिलाएं) की राज्य-वार संख्या

(हजार)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	शिक्षित			अशिक्षित		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1698.7	1576.7	1559.0	728.9	841.9	790.9
अरुणाचल प्रदेश	15.4	15.1	3.1	9.7	15.1	29.1
असम	1224.0	1214.0	1277.4	536.8	629.2	660.9
बिहार	1107.8	1461.9	990.7	354.0	285.2	318.9
छत्तीसगढ़	864.1	904.5	967.8	124.4	146.4	129.9
दिल्ली	501.3	385.3	385.3	170.1	171.6	66.2
गोवा	86.2	87.3	86.2	14.6	14.5	15.1
गुजरात	742.3	709.4	714.6	112.3	92.1	94.2
हरियाणा	883.1	940.5	820.4	181.6	179.9	183.8
हिमाचल प्रदेश	689.5	591.2	708.7	221.8	174.8	66.7
जम्मू और कश्मीर	75.0	69.9	79.2	41.0	35.7	27.7
झारखंड	682.8	843.3	839.0	526.1	410.9	273.2

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	1026.6	861.8	632.3	291.7	281.7	327.3
केरल	3040.9	3219.4	3414.7	587.7	557.9	634.5
मध्य प्रदेश	1695.0	1584.1	1475.0	465.9	422.0	365.6
महाराष्ट्र	2931.3	3054.5	2724.2	1060.5	597.7	642.3
मणिपुर	342.8	375.6	368.8	189.6	204.3	228.2
मेघालय	24.3	20.9	21.5	13.7	11.2	9.8
मिजोरम	20.4	26.4	15.4	14.0	18.5	33.9
नागालैण्ड	25.8	25.8	26.7	18.5	16.8	19.3
उड़ीसा	717.5	755.9	673.4	115.7	135.4	145.7
पंजाब	358.4	434.4	317.4	104.7	19.9	117.9
राजस्थान	615.0	619.5	702.4	178.6	160.1	171.1
सिक्किम*						
तमिलनाडु	2485.4	3046.9	4654.3	1195.8	1211.9	186.8
त्रिपुरा	175.7	199.2	212.7	224.0	228.0	229.9
उत्तरांचल	319.4	398.4	402.8	59.5	65.7	77.6
उत्तर प्रदेश	1463.9	2752.4	3008.5	407.4	358.2	335.0
प. बंगाल	3911.0	4276.0	3308.0	3380.9	3426.3	3091.8
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.2	19.9	20.1	20.8	20.1	@
चण्डीगढ़	31.2	29.8	28.1	24.8	22.2	20.7
दादरा और नगर हवेली	3.3	4.2	4.8	3.2	2.3	1.7
दमन और दीव	4.5	4.8	5.0	6.1	6.1	5.9
लक्षद्वीप	6.3	7.8	8.6	4.9	3.4	2.6
पांडिचेरी	161.4	174.4	193.7	10.0	7.8	0.0
सकल योग	27948.5	30691.1	30649.6	11399.2	10774.9	9324.4

टिप्पणी: @ 50 से कम

हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

विवरण-II

31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार वर्षों के दौरान देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित तथा अशिक्षित महिला रोजगार चाहने वालों की राज्य-वार संख्या

(हजार)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	शिक्षित			अशिक्षित		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	435.3	499.2	433.6	194.8	123.2	190.3
अरुणाचल प्रदेश	4.8	4.8	0.9	3.0	4.5	9.2
असम	275.8	273.7	290.8	120.1	149.4	176.2
बिहार	98.2	189.3	132.5	9.3	21.0	40.8
छत्तीसगढ़	172.2	186.9	210.7	12.6	1821.9	16.5
दिल्ली	184.5	154.0	151.0	21.3	28.9	2.9
गोवा	31.0	31.7	32.7	1.2	1.3	1.2
गुजरात	167.3	166.2	178.7	7.9	8.2	10.5
हरियाणा	164.2	175.9	160.1	45.4	46.4	35.2
हिमाचल प्रदेश	241.5	229.6	225.0	42.8	30.6	41.8
जम्मू और कश्मीर	16.5	16.0	17.9	1.0	0.5	0.8
झारखंड	98.6	103.8	103.1	36.5	28.1	10.6
कर्नाटक	274.1	184.5	155.5	52.1	95.6	76.3
केरल	1643.4	1832.0	1987.7	463.5	359.5	374.0
मध्य प्रदेश	357.0	325.4	334.3	46.0	57.2	52.2
महाराष्ट्र	636.3	613.2	691.7	190.4	158.9	117.3
मणिपुर	121.3	135.2	127.4	17.6	24.9	40.3
मेघालय	11.6	9.8	10.0	3.7	3.1	2.7
मिजोरम	9.4	12.1	11.6	3.0	4.7	7.2
नागालैण्ड	10.2	9.7	10.0	2.5	1.9	2.6

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	169.0	191.2	155.9	20.8	21.7	30.9
पंजाब	96.4	128.5	99.7	32.0	5.2	29.9
राजस्थान	78.9	88.3	108.4	21.8	18.1	21.5
सिक्किम*						
तमिलनाडु	820.1	1266.1	2008.7	708.8	582.5	139.3
त्रिपुरा	63.0	73.1	77.6	83.3	84.0	83.9
उत्तरांचल	59.5	88.2	95.8	1.7	1.0	3.6
उत्तर प्रदेश	153.4	677.9	697.8	25.7	18.7	72.9
प. बंगाल	1056.0	1133.0	934.0	878.9	876.4	846.2
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.1	8.6	9.0	5.8	4.4	4.1
चण्डीगढ़	8.5	7.2	8.0	5.1	5.6	4.2
दादरा और नगर हवेली	1.1	1.5	1.7	0.8	0.4	0.2
दमन और दीव	1.4	1.1	1.2	1.5	1.8	1.7
लक्षद्वीप	2.4	3.0	3.4	1.1	0.5	0.1
पांडिचेरी	72.6	80.1	87.5	1.0	0.3	0.4
सकल योग	7542.5	8901.2	9553.7	3063.1	2879.8	2447.8

टिप्पणी: @ 50 से कम

हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

विवरण-III

वर्ष 2005, 2006, 2007 के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया गया राज्य-वार नियोजन

(हजार)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	शिक्षित			अशिक्षित		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1.7	0.9	1.3	0.9	0.6	0.7

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	@	@	0.1	@	-	@
असम	0.4	1.1	0.4	0.1	0.1	0.2
बिहार	@	0.1	0.1	@	@	0.1
छत्तीसगढ़	2.2	2.5	1.4	0.1	0.2	0.2
दिल्ली	0.1	0.2.	0.1	0.1	0.2	0.2
गोवा	0.3	0.6	1.2	0.3	0.5	1.2
गुजरात	92.9	99.0	178.3	40.3	44.5	133.5
हरियाणा	3.5	3.1	3.7	2.0	1.2	1.4
हिमाचल प्रदेश	1.7	1.8	0.7	1.6	1.7	0.6
जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-
झारखंड	2.7	1.6	1.8	0.1	0.2	0.1
कर्नाटक	1.7	2.3	1.6	0.9	0.9	0.9
केरल	9.7	10.0	11.0	8.6	8.1	9.1
मध्य प्रदेश	1.7	1.9	3.9	0.5	1.2	1.3
महाराष्ट्र	15.0	13.9	8.2	9.2	12.2	3.4
मणिपुर	0.3	0.1	@	0.3	0.1	0.1
मेघालय	@	@	@	@	-	@
मिजोरम	-	@	0.3	-	-	0.0
नागालैण्ड	@	@	0.1	@	-	@
उड़ीसा	2.0	1.0	3.8	1.5	0.4	3.4
पंजाब	2.1	3.3	3.0	1.1	0.9	2.6
राजस्थान	7.7	4.1	4.5	6.1	4.0	2.8
सिक्किम*						
तमिलनाडु	15.3	9.7	23.8	12.7	3.5	22.0
त्रिपुरा	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
उत्तरांचल	2.1	3.1	3.8	2.0	2.7	3.4
उत्तर प्रदेश	1.6	1.7	3.3	1.0	0.6	1.0

1	2	3	4	5	6	7
प. बंगाल	7.3	13.1	5.3	4.9	5.2	6.2
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.1	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5
चण्डीगढ़	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1
दादरा और नगर हवेली	-	-	-	@	-	-
दमन और दीव	@	@	-	@	-	-
लक्षद्वीप	-	-	-	0.1	-	-
पांडिचेरी	0.7	0.7	0.2	0.5	0.6	0.2
सकल योग	173.2	177.0	263.5	95.3	90.4	195.4

टिप्पणी: @ 50 से कम

हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

विवरण-IV

वर्ष 2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर राज्य-वार बेरोजगारी दरें (ग्रामीण एवं शहरी)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0.7	3.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.9	1.2
3.	असम	2.6	7.2
4.	बिहार	1.5	6.4
5.	छत्तीसगढ़	0.6	3.5
6.	दिल्ली	1.9	4.8
7.	गोवा	11.1	8.7
8.	गुजरात	0.5	2.4
9.	हरियाणा	2.2	4
10.	हिमाचल प्रदेश	1.8	3.8
11.	जम्मू और कश्मीर	1.5	4.9
12.	झारखण्ड	1.4	6.5
13.	कर्नाटक	0.7	2.8
14.	केरल	10.7	15.6
15.	मध्य प्रदेश	0.5	2.8
16.	महाराष्ट्र	1	3.6
17.	मणिपुर	1.1	5.5
18.	मेघालय	0.3	3.5
19.	मिजोरम	0.3	1.9
20.	नागालैण्ड	1.8	5.5
21.	उड़ीसा	5	13.4

1	2	3	4
22.	पंजाब	3.8	5
23.	राजस्थान	0.7	2.9
24.	सिक्किम	2.4	3.7
25.	तमिलनाडु	1.2	3.5
26.	त्रिपुरा	13.3	28
27.	उत्तरांचल	1.3	5.4
28.	उत्तर प्रदेश	0.6	3.3
29.	प. बंगाल	2.5	6.2
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.2	8.8
31.	चण्डीगढ़	2.6	4
32.	दादरा और नगर हवेली	3.3	3
33.	दमन और दीव	0.3	3
34.	लक्षद्वीप	7.5	25
35.	पांडिचेरी	7	8.1
	अखिल भारत	1.7	4.5

विवरण-V

वर्ष 2005-2008 के दौरान सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की राज्य-वार वार्षिक चक्रवृद्धि रोजगार वृद्धि दरें दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (2005-08)		
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5
I.	**उत्तरी क्षेत्र**	**-0.61**	**5.98**	**1.22**
1.	हरियाणा	-0.80	3.50	0.95
2.	पंजाब	-0.02	8.68	2.99
3.	हिमाचल प्रदेश	0.34	21.03	4.84
4.	चण्डीगढ़	-1.06	14.01	4.34
5.	दिल्ली	-3.35	2.93	-1.64
6.	राजस्थान	0.53	3.24	1.11
7.	जम्मू और कश्मीर	-0.07	-1.45	-0.15
II.	**मध्य क्षेत्र**	**-1.07**	**2.72**	**-0.38**
8.	मध्य प्रदेश	-2.19	-3.91	-2.44
9.	उत्तर प्रदेश	-0.63	4.19	0.42
10.	उत्तराखण्ड	-1.11	9.82	0.59
11.	छत्तीसगढ़	0.03	2.73	0.29
III.	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र**	**1.15**	**3.58**	**2.15**
12.	असम	-0.41	3.66	1.75
13.	मेघालय	-0.17	1.07	-0.03
14.	मणिपुर	-0.88	-1.31	-0.89
15.	मिजोरम	0.12	11.87	0.44
16.	नागालैण्ड	1.54	11.49	2.14
17.	त्रिपुरा	10.16	-0.38	9.14
IV.	**पूर्वी क्षेत्र**	**0.35**	**4.83**	**1.44**
18.	बिहार	-9.27	-9.57	-9.29
19.	उड़ीसा	-4.41	-0.93	-3.98
20.	प. बंगाल	-2.84	0.25	-1.67
21.	झारखण्ड	11.69	27.65	14.27
V.	**पश्चिमी क्षेत्र**	**-2.18**	**6.76**	**1.88**
22.	गुजरात	-1.89	6.96	2.80
23.	महाराष्ट्र	-2.53	6.67	1.31

1	2	3	4	5
24.	गोवा	4.50	8.30	5.96
25.	दमन व दीव	-0.22	-1.24	-1.10
VI.	**दक्षिणी क्षेत्र**	**-0.39**	**5.04**	**1.71**
26.	आंध्र प्रदेश	-0.73	3.88	0.77
27.	कर्नाटक	-0.19	10.86	4.86
28.	केरल	-0.27	-1.11	-0.65
29.	पुडुचेरी	0.10	16.79	5.86
30.	तमिलनाडु	-0.26	3.14	0.90
31.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	-0.01	-19.07	-1.26
	योग	-0.62	5.32	1.35

[अनुवाद]

मुख्य पत्तनों द्वारा अर्जित राजस्व

215. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वस्तुओं के आयात और निर्यात तथा परिवहन के माध्यम से विभिन्न प्रमुख पत्तनों से केन्द्र सरकार द्वारा अर्जित राजस्व पत्तन-वार कितना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने प्रमुख पत्तनों के समग्र विकास हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है ताकि निर्यातकों/आयातकों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु पत्तन-वार और वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान पत्तन-वार और वर्ष-वार देश में विभिन्न मुख्य पत्तनों की क्षमता और उपयोगिता कितनी है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और इस सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

216. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों/परियोजनाओं की योजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में मूल्य शृंखला तथा लक्षदत्ततोन्मुख परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विशेषज्ञों तथा राज्य सरकारों के क्या दृष्टिकोण हैं; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नरेगा के साथ पर्यावरण और वन, कृषि; जल संसाधन मंत्रालयों; भूमि संसाधन विभाग के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण विकास विभाग के एस.जी.एस.वाई. और पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यक्रमों का तालमेल करने के लिए तालमेल संबंधी संयुक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। महात्मा गांधी नरेगा के साथ मिलकर इन मंत्रालयों के ग्रामीण विकास कार्य शुरू करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 23 राज्यों में 115 प्रायोगिक जिलों का निर्धारण किया गया है।

(घ) महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित कार्यक्रम है, न कि आवंटन आधारित कार्यक्रम। केन्द्र सरकार क्षेत्र स्तर पर उत्पन्न होने वाली श्रम मांगों के आधार पर राज्यों/जिलों को निधियां रिलीज करती है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए बजट प्रावधान अधिनियम के कार्य निष्पादन तथा विगत वर्ष की खर्च न की गई राशि के आधार पर किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवसंरचना

217. श्री उदय सिंह:

श्री राकेश सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घटिया अवसंरचना के प्रमुख कारणों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संचार और आवागमन को मजबूती प्रदान करने हेतु सामरिक महत्व की सड़कों, हवाई अड्डों एवं अन्य अवसंरचना के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) को सौंपा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बी.आर.ओ. द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सरकार सीमाओं पर सभी प्रकार की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए है और खतरे की अवधारणा के आधार पर सेना और अन्य अवसंरचना खड़ी करने के लिए पर्याप्त उपाय करती है। सीमा सड़क संगठन को समय-समय पर सरकार की दीर्घावधिक योजना के अनुसार सामरिक सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है और नियमित अंतराल पर उनकी प्रगति की गहन मानीटरी की जाती है।

[हिन्दी]

ई-पंचायत परियोजना

218. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री राम सुन्दर दास:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ई-पंचायत परियोजनाओं के अंतर्गत जोड़ी गई पंचायतों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2010-11 में ई-पंचायत परियोजना के अंतर्गत कितनी पंचायतों की संख्या को जोड़े जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) देश की सभी पंचायतों को ई-पंचायत परियोजना के अंतर्गत कब तक शामिल कर लिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) से (ग) अब तक पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार की गई ई-पंचायत परियोजना के अंतर्गत किसी भी पंचायत को नहीं जोड़ा गया है।

[अनुवाद]

ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन

219. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
डॉ. संजय सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैण्ड सेवाओं के विकास से लाभान्वित होने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैण्ड सेवा प्रदान करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) सहित ब्रॉडबैण्ड सेवा प्रदाता देश में ग्राहकों को ब्रॉडबैण्ड की घोषित गति प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 5,62,668 ग्रामीण ब्राडबैंड कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं।

(ख) जी, हां। जारी ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड योजना के तहत वर्ष 2014 तक 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012 तक सभी ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने हेतु कोई वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। सभी ग्राम पंचायतों के लिए ब्राडबैंड कनेक्टिविटी के लक्ष्य के अलावा, जारी ग्रामीण वायरलाइन ब्राडबैंड योजना

के संबंध में वर्ष 2014 तक प्राप्त किए जाने वाले संचयी लक्ष्य का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं। एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. सहित अन्य सेवा प्रदाता अपने उपभोक्ताओं को प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पी.ओ.पी.) पर मापी गई घोषित ब्रॉडबैंड गति प्रदान कर रहे हैं। तथापि, कभी-कभार कम्प्यूटर अथवा अभिगम सर्वर में समस्याओं के कारण उपभोक्ता को अपेक्षाकृत कम गति प्राप्त हो सकती है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

"ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड योजना" के अंतर्गत दूरसंचार सर्किल-वार लक्ष्य का ब्यौरा

क्र. सं.	दूरसंचार सर्किल	ग्रामीण एक्सचेंजों की संख्या	5 वर्षों की अवधि (20-01-09 से) में लक्षित ब्राडबैंड कनेक्शनों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार	45	1395
2.	आंध्र प्रदेश	2665	82615
3.	असम	429	13299
4.	बिहार	1000	31000
5.	छत्तीसगढ़	449	13919
6.	चेन्नै	123	3813
7.	गुजरात	1988	61628
8.	हरियाणा	805	24955
9.	हिमाचल प्रदेश	811	25141
10.	जम्मू और कश्मीर	209	6479
11.	झारखंड	291	9021
12.	कर्नाटक	2217	68727
13.	केरल	1143	35433
14.	कोलकाता	0	0
15.	मध्य प्रदेश	1982	61442
16.	महाराष्ट्र	4353	134943
17.	पूर्वोत्तर-I	149	4619
18.	पूर्वोत्तर-II	221	6851
19.	उड़ीसा	942	29202
20.	पंजाब	1217	37727
21.	राजस्थान	1959	60729
22.	तमिलनाडु	1182	36642
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2188	67828
24.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	576	17856
25.	उत्तरांचल	341	10571
26.	पश्चिम बंगाल	1387	42997
	कुल	28672	888832

[हिन्दी]

दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस

220. श्री रमेश बैस:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-2008 के दौरान मोबाइल लाइसेंस और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाली दूरसंचार कंपनियों ने अपने दायित्वों को अब तक पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जिनका स्पेक्ट्रम अप्रयुक्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (घ) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.)/एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) की लाइसेंस शर्तों में 10 फरवरी 2009 को संशोधित जारी किए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह विहित किया गया कि:-

- रॉल आऊट दायित्व केवल वायरलेस नेटवर्क के लिए लागू होंगे, वायरलाइन नेटवर्क के लिए नहीं।
- लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नै के महानगरीय सेवा क्षेत्रों को प्रारम्भिक स्पेक्ट्रम के आवंटन की तारीख से एक वर्ष के भीतर कवर कर लिया जाए।
- गैर-महानगरीय सेवा क्षेत्रों में लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि रॉल आऊट दायित्व के प्रथम चरण में जहां प्रारंभिक स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है, कम-से-कम 10 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को ऐसे आवंटन के एक वर्ष के भीतर कवर कर लिया जाए। रॉल आऊट दायित्व की अंतिम तारीख की संगणना करने के लिए फ्रीक्वेंसी के आवंटन की तारीख पर विचार किया जाएगा।
- इसके अलावा, रॉल आऊट दायित्व के द्वितीय चरण में लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि गैर-महानगरीय सेवा क्षेत्र में कम-से-कम 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को, जहां प्रारम्भिक स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है, ऐसे आवंटन की तारीख से तीन वर्षों के भीतर कवर कर लिया जाए।
- उपर्युक्त उप-पैराओं के तहत एक वर्ष की संगणना करते समय एस.ए.सी.एफ.ए. अनुमोदन में औसत विलम्ब को अलग रखा जाएगा।
- जिला मुख्यालय/नगर की कवरेज का अर्थ यह होगा कि म्यूनिसिपल सीमाओं से घिरे कम से कम 90 प्रतिशत क्षेत्र को अपेक्षित घर-घर तक की कवरेज मिले।
- एस.ए.सी.एफ.ए. के लिए आवेदन की तारीख या फ्रीक्वेंसी के आवंटन की तारीख, जो भी बाद में हो, को एस.ए.सी.एफ.ए. अनुमोदन में औसत विलम्ब की गणना के आशय से ध्यान में रखा जाएगा।
- लाइसेंसधारक को जिला मुख्यालय के बदले जिले में किसी अन्य नगर को कवर करने की अनुमति है।
- उपर्युक्त उप-पैराओं में यथा उल्लिखित रॉल आऊट दायित्वों के लिए तथा प्ररिनिर्धारित नुकसानी रोपित करने के लिए भवन के भीतर की कवरेज पर विचार नहीं किया जाएगा।
- कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों की संख्या की गणना के लिए यदि अंश 0.5 या उससे ऊपर है तो उसे अगली पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कर दिया जाएगा और यदि अंश 0.5 से कम है तो इसे गिना नहीं जाएगा।
- यदि कवरेज सम्बन्धी मानदंड को परीक्षण पर रॉल आऊट दायित्व के लिए पूरा किया जाता है तो टी.ई.सी./टी.ई.आर.एम. द्वारा पंजीकरण की तारीख को रॉल आऊट दायित्व पूरा करने की तारीख के रूप में माना जाना चाहिए।
- पी.बी.जी. परिनिर्धारित नुकसानी की सीमा तक भुनाई जाएगी।

लाइसेंस की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- इस लाइसेंस में निर्धारित सेवा उपलब्ध कराने की समय अवधि को करार के मुख्य अंश के रूप में माना जाएगा और यह सेवा ऐसी किसी विनिर्दिष्ट समय अवधि के बाद चालू नहीं की जानी चाहिए। निर्धारित तारीख को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सेवा को निर्धारित तारीख समाप्त होने के बाद लाइसेंस प्रदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना चालू किया जाता है और इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इस शर्त के तहत इस प्रकार सेवा चालू करने के संबंध में परिनिर्धारित नुकसानी

की वसूली की जाएगी। इसके अलावा यदि सेवा की शुरुआत सेवा आरम्भ करने की निर्धारित तारीख समाप्त होने के 15 कैलेण्डर दिवसों के भीतर की जाती है तो लाइसेंस प्रदाता सेवाओं को परिनिर्धारित नुकसानी प्रभार लगाए बिना स्वीकार कर लेगा।

- यदि लाइसेंसधारक सेवा आरंभ करने की निर्धारित अवधि के भीतर सेवा अथवा तत्संबंधी कोई भाग चालू करने में विफल रहता है (अर्थात सेवा प्रदान करने अथवा अपेक्षित कवरेज मानदंडों/ नेटवर्क विस्तार संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है), तो लाइसेंस प्रदाता प्रथम 13 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह 5 लाख रु. (पांच लाख रुपए) की दर से, अगले 13 सप्ताहों के लिए 10 लाख रु. की दर से तथा तत्पश्चात 26 सप्ताहों के लिए 20 लाख रु. की दर से परिनिर्धारित नुकसानी प्रभारों की वसूली करेगा जो अधिकतम 7.00 करोड़ रु. की सीमा के भीतर होगा।

संशोधित लाइसेंस शर्तों के अनुसार रॉल आऊट स्थिति की जांच करने के लिए उन सभी एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) लाइसेंसधारकों से सूचना मांगी गई है जिन्हें वर्ष 2006 से 2008 के दौरान लाइसेंस मंजूर किए गए थे।

यू.ए.एस. लाइसेंसधारकों से प्राप्त आंकड़ों को बेतार आयोजना और समन्वय (डब्ल्यू.पी.सी.) स्कंध तथा टी.ई.आर.एम. सेलों से सत्यापित करवाना होता है। रॉल आऊट में विलम्ब के लिए एल.डी. की राशि का आकलन सेवाओं की शुरुआत हेतु स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी सत्यापित आंकड़े फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थाई सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने में औसत विलम्ब तथा दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं अनुश्रवण (टी.ई.आर.एम.) सेलों में पंजीकरण की तारीख और टी.ई.आर.एम. सेल द्वारा जारी सेवा जांच प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाता है।

चूंकि संशोधित रॉल आऊट लाइसेंस की शर्तों में वित्तीय निहितार्थ हैं इसलिए इस मामले को वित्त मंत्रालय के पास भेजा दिया गया है जिनके उत्तर की प्रतीक्षा है। वर्ष 2006 से 2008 तक के दौरान प्रदान किए गए लाइसेंसों के लिए परिनिर्धारित नुकसानी लगाए जाने संबंधी कार्य रॉल आऊट की शर्तों में संशोधन पर वित्त मंत्रालय से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना

221. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों और इसकी सफलताओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का अन्य योजनाओं में उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति एवं पुनर्वास योजना को वर्ष 2004-05 तक क्रियान्वित किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। वर्ष 2006 के दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति एवं पुनर्वास योजना की उत्तरवर्ती योजना के रूप में सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना को अनुमोदित किया गया। इस योजना के अंतर्गत ऋण पाने वाले लाभार्थियों की संख्या तथा संबंधित राज्यों की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना (एस.आर.एम.एस.) के अंतर्गत आबंटित निधियों का उपयोग दूसरी योजनाओं के लिए किए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसके द्वारा राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए थे।

विवरण

जून, 2010 तक सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत (i) ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थी (ii) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को जारी धनराशि का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को जारी निधियां (लाख रु.)
1.	असम	5543	1306.52
2.	बिहार	8009	1601.08
3.	दिल्ली	537	95.46
4.	गुजरात	4209	1655.03
5.	हिमाचल प्रदेश	1506	232.28
6.	जम्मू-कश्मीर	83	18.60
7.	झारखंड	2879	506.50
8.	कर्नाटक	9	0.75
9.	मध्य प्रदेश	13260	4687.65
10.	महाराष्ट्र	9885	1973.81
11.	मेघालय	130	52.50
12.	उड़ीसा	14077	2232.92
13.	पुदुचेरी	30	4.51
14.	राजस्थान	932	331.53
15.	तमिलनाडु	10352	2301.42
16.	उत्तर प्रदेश	3161	1049.70
17.	उत्तराखंड	404	26.40
18.	पश्चिम बंगाल	3935	881.32
	सकल योग	78941	18957.977

[अनुवाद]

छोटे स्तरीय संघर्षों हेतु हथियार

222. श्री वरुण गांधी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) ने अर्धसैनिक बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे स्तरीय संघर्षों हेतु आधुनिक औजार विकसित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास कार्यों में लगा है तथा अब तक उभर कर आए नए सुरक्षा खतरों के प्रति सैन्य ऑपरेशनों के लिए पहले से ही विकसित कतिपय प्रौद्योगिकियों के अनुरूपकरण तथा सेना तथा अर्ध सैनिक बलों दोनों के साथ बातचीत के दौरान उनके द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों तथा यंत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सुरक्षा बलों की जरूरतों तथा डी.आर.डी.ओ. की क्षमताओं के आधार पर तत्संबंधी जरूरतों को विभिन्न प्रौद्योगिकी शीर्षों में बांटा गया है जैसे निगरानी तथा टोह के लिए प्रौद्योगिकी तथा यंत्र; रात तथा दिन में देख सकने की क्षमता में वृद्धि करना; अक्षमकरण; शस्त्रास्त्र तथा गोलाबारूद; विस्फोटकों तथा आई.ई.डी. का पता लगाकर उन्हें नष्ट करना; संचार तथा संचाररोध; कार्मिक संरक्षा तथा सहायता प्रणालियां आदि। डी.आर.डी.ओ. की कई प्रयोगशालाओं, सुरक्षा बलों तथा उद्योगों की सहभागिता से एक व्यापक मिशन मॉड कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित कुछ हथियार जो कि एल.आई.सी. ऑपरेशनों के लिए पूर्णतया उपयोगी हैं, इस प्रकार हैं:-

(i) इन्सास राइफल (भरी हुई मैग्जीन के साथ वजन 4.1 किलोग्राम तथा मारक क्षमता दूरी - 400 मीटर)।

(ii) आधुनिक सब मशीन कारबाइन (भरी हुई मैग्जीन के साथ वजन -3.4 कि.ग्रा. तथा मारकक्षमता दूरी - 200 मीटर)।

(iii) ओलियो-रेसिंन (चिल्ली) आधारित हैंड ग्रेनेड।

(iv) सी.आर. आधारित शेल्स।

(v) अश्रु गैस ग्रेनेड (आतंकवादियों को पंगु करने तथा उन्हें उनके छिपने के ठिकाने से बाहर निकालने तथा भीड़ को तितर-बितर करने/दंगा नियंत्रण ऑपरेशनों के लिए)।

(vi) प्लास्टिक की गोलियां (गैर-घातक एवं गैर-जहर वाली गोलियां जो शरीर में घुसने के बाद फैलती नहीं है केवल सतही घाव करती हैं)।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

223. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भूतपूर्व-सैनिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) भूतपूर्व-सैनिकों के कल्याण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना हेतु लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे राज्य-वार लाभान्वित होने वाले भूतपूर्व-सैनिकों की संख्या कितनी है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस पर राज्य-वार कितना व्यय किया गया है;

(ङ) क्या भूतपूर्व-सैनिकों के पुनर्वास हेतु राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या भूतपूर्व-सैनिकों को उचित नौकरियां नहीं मिल रही हैं; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें उपयुक्त रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) लाभार्थियों/व्यय का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है, तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान 4326 अधिकारियों, 83079 अफसर रैंक के नीचे के कार्मिकों तथा 2998 भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 1,17,779 भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास महानिदेशालय के माध्यम से रोजगार मुहैया कराया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनर्वास एवं कल्याण पर 100.18 करोड़ रुपए व्यय किया गया था। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर 2009.77 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

(ङ) और (च) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास पर खर्च की जाने वाली राशि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक आवश्यकता पर आधारित होती है।

(छ) और (ज) भूतपूर्व सैनिकों को उपयुक्त रोजगार मिल रहे हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	आंध प्रदेश	72801	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1148	
3.	असम	42722	
4.	बिहार	106997	
5.	चंडीगढ़	375	
6.	छत्तीसगढ़	1677	
7.	दादर और नगर हवेली	8	
8.	दिल्ली	16887	
9.	गोवा, दमन और दीव	424	
10.	गुजरात	24433	
11.	हरियाणा	217528	
12.	हिमाचल प्रदेश	110508	
13.	जम्मू और कश्मीर	95282	
14.	झारखंड	11692	
15.	कर्नाटक	65448	
16.	केरल	138114	
17.	मध्य प्रदेश	52596	

1	2	3	4
18.	महाराष्ट्र	170431	
19.	मणिपुर	7656	
20.	मेघालय	3041	
21.	मिजोरम	3723	
22.	नागालैंड	4677	
23.	उड़ीसा	34342	
24.	पांडिचेरी	1153	
25.	अंडमान व निकोबार	823	
26.	लक्षद्वीप	47	
27.	पंजाब	306743	
28.	राजस्थान	167175	
29.	सिक्किम	911	
30.	तमिलनाडु	129718	
31.	त्रिपुरा	2257	
32.	उत्तर प्रदेश	300643	
33.	उत्तराखण्ड	98326	
34.	पश्चिम बंगाल	70399	
	योग	22,60,705	

विवरण-II

1. प्रशिक्षण

भूतपूर्व सैनिकों को सिविलियन जीवन के लिए तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। पुनर्वास महानिदेशालय को भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों दोनों को दूसरे कैरियर हेतु तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अफसरों तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को आई.आई.एम. संस्थाओं में तथा देश की विभिन्न अन्य संस्थाओं में पुनर्वास प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. स्वयं रोजगार

अफसरों तथा अफसर रैंक से नीचे के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्वयं रोजगार स्कीमें चलाई जाती हैं:

(i) सुरक्षा एजेंसियां;

(ii) अधिशेष सेना वाहनों का आबंटन;

(iii) कोयला परिवहन स्कीम;

(iv) तेल उत्पाद एजेंसियों का आबंटन;

(v) कोयला टिप्पर स्कीम;

(vi) बी.पी.सी.एल.जी.एच.ए.आर. आऊटलेटों का आबंटन;

(vii) मदर डेयरी दूध तथा फल तथा सब्जियों की दुकानें;

(viii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिक अफसरों द्वारा सी.एन.जी. स्टेशन का प्रबंधन;

(ix) एन.एच.ए.आई. के अंतर्गत टोल प्लाजा का प्रबंधन।

3. वित्तीय सहायता

(i) गंभीर बीमारियों का इलाज;

(ii) अधरांगघात के भूतपूर्व सैनिक मरीजों के लिए रूपांतरित स्कूटरों की आपूर्ति;

(iii) भूतपूर्व सैनिक तकनीसियनों के लिए औजारों के किट;

(iv) मकान की मरम्मत, बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता, इत्यादि।

4. प्रधान मंत्री की योग्यता (मेरिट) छात्रवृत्ति स्कीम

तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने हेतु भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए प्रतिवर्ष 4000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

5. अधरांगघात संबंधी पुनर्वास केन्द्रों, चेशायर गृह तथा सेंट डस्टन देखभाल संगठन तथा युद्ध स्मारक छात्रवासों के रखरखाव हेतु निधियां।

6. उपर्युक्त के अलावा, भूतपूर्व सैनिकों को निम्नलिखित लाभ भी उपलब्ध हैं:

(i) युद्ध विधवाओं/युद्ध निशक्त भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए शिक्षा शुल्क की छूट;

(ii) रक्षा कार्मिकों के लिए मेडिकल/बी.डी.एस. सीटों का आबंटन;

(iii) राज्य सरकार की नौकरियों में तथा व्यावसायिक महाविद्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध विधवाओं के वाड्र्स के लिए आरक्षण;

(iv) आवास स्थान/फ्लैटों के आबंटन में आरक्षण;

(v) वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए नकद प्रोत्साहन;

(vi) युद्ध विधवाओं के लिए अनुग्रह अनुदान;

(vii) वीरता पुरस्कार विजेताओं स्थाई रूप से अशक्त अधिकारियों तथा युद्ध विधवाओं को हवाई एवं रेल किराए में छूट;

(viii) कानूनी सहायता और न्यायालय शुल्क में छूट;

(ix) केन्द्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अर्ध सैन्य बलों में समूह 'ग' और 'घ' पदों में 10 प्रतिशत से 24.5 प्रतिशत का आरक्षण।

7. चिकित्सा सुविधा

उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों के लिए जो इस योजना के सदस्य हैं, 100 प्रतिशत चिकित्सा कवरेज, उपलब्ध है।

उपभोक्ताओं का सत्यापन

224. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मोबाइल कनेक्शनों के उपभोक्ता सत्यापन के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार आपरेटरों को उपभोक्ताओं की पहचान के संबंध में कड़े अनुपालन हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार ने यह पाया है कि मोबाइल टेलीफोन के कुछ ब्राण्ड देश की राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) देश के सभी लाइसेंसिंग सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत 34 टी.ई.आर.एम. (दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं निगरानी) प्रकोष्ठ हैं। टी.ई.आर.एम. प्रकोष्ठ नमूने के आधार पर प्रति माह उपभोक्ता अधिप्रापण प्रपत्र (सी.ए.एफ.) की लेखा-परीक्षा करते हैं। लेखा-परीक्षा की रिपोर्टों के आधार पर, पी.आई.ए. (फोटो पहचान एवं पता) आधार पर सी.ए.एफ. प्रपत्रों के अनुमोदित प्रतिशत (%) विवरणों की सारणी लाइसेंसीकरण सेवा क्षेत्र-वार नीचे दी गई है:-

दूरसंचार सेवा क्षेत्र	वर्ष 2007* (अनुमोदित प्रतिशतता)	वर्ष 2008 (अनुमोदित प्रतिशतता)	वर्ष 2009 (अनुमोदित प्रतिशतता)	वर्ष 2010 (अनुमोदित प्रतिशतता) #
1	2	3	4	5
चेन्नई	78.27	88.68	95.33	87.79
तमिलनाडु	83.21	91.05	96.4	91.31
आंध्र प्रदेश	63.4	80.67	90.03	78.24

1	2	3	4	5
कर्नाटक	81.32	72.8	87.29	79.84
केरल	84.33	80.5	96.47	88.96
दिल्ली	85.85	87.82	90.11	78.79
जम्मू और कश्मीर	81.07	85.7	82.9	62.61
हरियाणा	80.44	86.11	91.71	80.74
हिमाचल प्रदेश	89.38	99.13	93.19	89.09
पंजाब	78.29	81.61	86.6	83.8
राजस्थान	84.42	82.11	84.45	78.87
उत्तर प्रदेश (प.)	90.7	96.29	97.47	88.9
उत्तर प्रदेश (पू.)	79.61	78.05	85.52	88.05
बिहार	92.45	95.41	97.59	91.54
उड़ीसा	81.3	91	95.59	90.68
कोलकाता	86.08	91.21	97.15	88.25
पश्चिम बंगाल	92.64	91.46	91.46	95.1
असम	77.37	82.37	93	95.24
पूर्वोत्तर	74.26	86.52	94.83	91.51
मुम्बई	44.13	67.83	91.11	90.71
महाराष्ट्र	83.33	75.43	83.45	89.9
गुजरात	90.33	94.29	91.17	90.59
मध्य प्रदेश	77.55	92.82	93.84	89.34
अखिल भारत के आधार पर औसत	लगभग 81%	लगभग 84%	लगभग 91%	लगभग 87%

*टी.ई.आर.एम. प्रकोष्ठों द्वारा सी.ए.एफ. लेखा परीक्षा अप्रैल, 2007 से की जा रही थी। अत: प्रतिशतता के आंकड़े अप्रैल, 2007 से दिसम्बर 2007 तक की सी.ए.एफ. लेखा परीक्षा व सत्यापन पर आधारित हैं।

#इंगित प्रतिशतता फरवरी 2010 तक के सी.ए.एफ. लेखा परीक्षा संकलन पर आधारित है।

(ग) और (घ) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे विभिन्न अवसरों पर उपभोक्ताओं के सत्यापन संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करें। इन अनुदेशों के अनुसार, लाइसेंसधारक प्रत्येक व्यक्ति को उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत करने के पूर्व उसके बारे में पर्याप्त सत्यापन सुनिश्चित करेगा। लाइसेंसधारक यह भी सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता अधिप्रापण प्रपत्र (सी.ए.एफ.) भरे जाने तथा अपेक्षित दस्तावेज के जमा कराए जाने के बाद ही कनेक्शनों को एक्टिवेट किया जाए।

31 मार्च 2007 के बाद, लाइसेंसधारकों पर उपभोक्ता सत्यापन संबंधी मानकों के उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए न्यूनतम 1000/-रु. की राशि का दंड लगाया जा रहा है। जालसाजी किए जाने की स्थिति में, एफ.आई.आर./ पुलिस शिकायत को विधि प्रवर्तन एजेंसियों में दर्ज कराया जा रहा है।

1 अप्रैल, 2009 से, उपभोक्ता सत्यापन में चूक होने वाले मामलों के लिए श्रेणीकृत पैमाने पर दंड लगाए जाने की योजना आरंभ हो गई है। गलत रूप से सत्यापित पता लगाए गए प्रति उपभोक्ता पर लगाए गए वित्तीय दंड की राशि की तुलना में सही उपभोक्ता सत्यापन प्रतिशतता संबंधी ब्यौरे निम्नवत हैं:-

सही उपभोक्ता सत्यापन की प्रतिशतता	गलत रूप से सत्यापित प्रति उपभोक्ता के लिए लगाए गए वित्तीय दंड की राशि
95 % से अधिक	1000/-रु.
90 % - 95 %	5000/-रु.
85 % - 90 %	10000/-रु.
80 % - 85 %	20000/-रु.
80 % से कम	50000/-रु.

(ङ) से (छ) सुरक्षा एजेंसियों ने कतिपय मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की है जिनमें ब्लैकबेरी सर्विसेज, बिना आई.एम.ई.आई. (अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपस्कर पहचान)/ अप्रामाणिक आई.एम.ई.आई. वाले चीनी मोबाइल फोन शामिल हैं। दूरसंचार विभाग ब्लैकबेरी सर्विसेज के बारे में सभी स्टेकधारकों से परामर्श ले रहा है। देश में प्रयोग किए जा रहे बिना आई.एम.ई.आई. का या बिना प्रामाणिक आई.एम.ई.आई. वाले मोबाइल हैंडसेटों के बारे में दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि 'ग्लोबल सिस्टम फोर मोबाइल एसोसिएशन (जी.एस.एम.ए.)' के अद्यतन आई.एम.ई.आई. डाटाबेस में अनुपलब्ध ऐसे आई.एम.ई.आई. नम्बर वाले मोबाइल हैंडसेटों से किए गए कॉलों या बिना आई.एम.ई.आई./सभी शून्य अंक के आई.एम.ई.आई. वाले हैंडसेटों से किए गए कॉलों को 30 नवंबर, 2009 की 12 बजे रात्रि से प्रोसेस नहीं किया जाए तथा उन्हें अस्वीकार कर दिया जाए। साथ ही, वाणिज्य मंत्रालय ने बिना आई.एम.ई.आई. या सभी शून्य अंक के आई.एम.ई.आई. वाले मोबाइल हैंडसेटों तथा सभी शून्य अंक वाले ई.एस.एन./ एम.ई.आई.डी. या बिना इलेक्ट्रानिक सीरियल नंबर (ई.एस.एन.)/मोबाइल उपस्कर पहचानकर्ता (एम.ई.आई.डी.) वाले सी.डी.एम.ए. हैंडसेटों के आयात को पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है।

[हिन्दी]

पी.सी.ओ. का कार्यकरण

225. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में चल रहे सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में अनेक बूथों को कार्य नहीं करने के कारण बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वज़निक स्थलों पर अवस्थित सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के उपयुक्त और संतोषजनक कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी.पी.टी.) को छोड़कर सार्वजनिक टेलीफोन बूथों [सार्वजनिक काल घरों (पी.सी.ओ.)] के आंकड़े सर्किलवार रखे जाते हैं,

राज्यवार नहीं रखे जाते हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्यरत पी.सी.ओ. की संख्या संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. द्वारा रेलवे स्टेशनों/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पी.सी.ओ. का समुचित और संतोषजनक कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों में - चोरी के मामले में नए सी.सी.बी. पी.सी.ओ. उपकरण की संस्थापना करना, क्षतिग्रस्त हो जाने के मामले में उसे बदलना, उपकरण खराब होने पर उसकी मरम्मत करने को प्राथमिकता देना, केबल दोषपूर्ण होने पर केबल की शीघ्र मरम्मत करना, खंभारहित नेटवर्क का सृजन करना (ड्राप वायर दोषों को कम करने के लिए), आवधिक जांच करना आदि शामिल हैं। वायरलैस पी.सी.ओ. शुरुआत भी की गई है। बी.एस.एन.एल. द्वारा, पी.सी.ओ. के दोष दर्ज कराने के लिए अलग से 3 अंकों के नंबर '179' की शुरुआत की गई है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 31-3-2008, 31-3-2009, 31-3-2010 और 30-6-2010 की स्थिति के अनुसार, वी.पी.टी. को छोड़कर, बी.एस.एन.एल. के कार्यरत पी.सी.ओ. का सर्किलवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	निम्न तारीखों की स्थिति के अनुसार, वी.पी.टी. को छोड़कर, कार्यरत पी.सी.ओ.			
		31-3-2008	31-3-2009	31-3-2010	30-6-2010
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार	963	702	572	589
2.	आंध्र प्रदेश	241212	200291	161113	151364
3.	असम	34518	33862	30620	30605
4.	बिहार	66388	67160	65208	64636
5.	छत्तीसगढ़	9311	8630	6717	6459
6.	गुजरात	106021	89587	77632	73191
7.	हरियाणा	28218	26273	23035	21745
8.	हिमाचल प्रदेश	12020	11416	10104	9716
9.	जम्मू और कश्मीर	14395	12693	10898	10798
10.	झारखंड	21111	18954	18149	17858
11.	कर्नाटक	256305	242020	217522	208460
12.	केरल	129135	123493	106507	100825
13.	मध्य प्रदेश	56377	56992	54056	52730
14.	महाराष्ट्र	313780	262797	214110	199305

1	2	3	4	5	6
15.	पूर्वोत्तर-I	9731	9531	9196	9002
16.	पूर्वोत्तर-II	7924	8628	8700	8637
17.	उड़ीसा	28848	24796	19726	17530
18.	पंजाब	27837	23897	19603	18280
19.	राजस्थान	63132	55445	47635	45919
20.	तमिलनाडु	236417	216555	196915	186167
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	122849	124809	119458	118981
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	43426	44103	45362	28795
23.	उत्तरांचल	12868	11065	10216	9851
24.	पश्चिम बंगाल	65685	60181	53547	49076
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	60024	64083	58413	57416
26.	चेन्नई टेलीफोन्स	82711	79513	77579	77168
	कुल	2051206	1877452	1662594	1575103

विवरण-II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 31-3-2008, 31-3-2009, 31-3-2010 और 30-6-2010 की स्थिति के अनुसार, वी.पी.टी. को छोड़कर, एम.टी.एन.एल. के कार्यरत पी.सी.ओ. का सर्किलवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	निम्न तारीखों की स्थिति के अनुसार, वी.पी.टी. को छोड़कर, कार्यरत पी.सी.ओ.			
		31-3-2008	31-3-2009	31-3-2010	30-6-2010
1.	एमटीएनएल दिल्ली	82692	75493	69480	68042
2.	एमटीएनएल मुम्बई	156643	137409	125950	123602
	कुल	239335	212902	195430	191644

[अनुवाद]

रक्षा क्षेत्रों में मोबाइल कंपनियों के कार्यकलाप

226. श्री प्रदीप माझी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मोबाइल कंपनियों को छावनी और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टावरों को लगाने और आप्टिकल फाइबर बिछाने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कंपनियों के कार्यकलापों

पर नजर रखने के लिए कोई विशिष्ट तंत्र तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों में संचार सेवाओं में कितना सुधार हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) रक्षा मंत्रालय ने उन संचार प्रचालकों को रक्षा भूमि के प्रावधान के लिए सितंबर, 2008 में एक नीति तैयार की है जिन्हें दूर-संचार विभाग द्वारा सहभागिता संचार टावरों का निर्माण करने और सैन्य स्टेशनों/छावनियों में संचार नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। उपर्युक्त नीति में आवश्यक सुरक्षा जांचों को जोड़ दिया गया है।

(ङ) जहां कहीं भी नीति के अनुसार सहभागिता संचार टावर स्थापित किए जाते हैं, वहां पर संचार सेवाओं में सुधार होता है।

तूतीकोरिन पत्तन पर हानिकारक अपशिष्ट का आयात

227. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की तूतीकोरिन पत्तन पर आयात मानदंडों का उल्लंघन करते हुए हानिकारक अपशिष्ट का आयात किए जाने के मामले के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तूतीकोरिन पत्तन पर हानिकारक अपशिष्ट के पाटन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पत्तन पर उतरे उस सामान की सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की गई और उसकी मॉनीटरिंग की गई तथा उन्होंने आयातक को अनिष्टकारी कचरा (प्रबंधन और संभलाई) नियम 1989 समय-समय पर संशोधित के अनुपालन में निकासी दे दी। पत्तन के कार्मिक केवल अधिकृत अनिष्टकारी कचरे की सुरक्षित संभलाई और भंडारण से संबंध रखते हैं।

[हिन्दी]

बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निधियों का आवंटन

228. श्रीमती मीना सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.), के अंतर्गत बाढ़ और सूखा प्रभावित राज्यों को प्रदान की गई निधियों का क्षेत्रवार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अपर्याप्त निधियों के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना के सुकर और पारदर्शी प्रचालन हेतु 'निगरानी प्रकोष्ठ' स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित योजना है। केन्द्र सरकार फील्ड स्तर पर पैदा होने वाली श्रम मांग के आधार पर राज्यों/जिलों को निधियों की रिलीज करती है। वर्ष 2009-10 के दौरान निधियों की रिलीज का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस अधिनियम के अंतर्गत निधियों के उपयोग की निगरानी निम्नलिखित तरीके से की जाती है:

(i) श्रम बजट अनुमानों के साथ एम.आई.एस. में सूचित वास्तविक निष्पादन की तुलना।

(ii) लागत में मजदूरी तथा सामग्री के बीच 60 : 40 का अनुपात रखा जाता है। अकुशल श्रम पर लागत 60 प्रतिशत से अधिक हो सकती है किन्तु सामग्री पर लागत 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

(iii) सनदी लेखाकार की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तथा पिछले वर्ष के लिए उपलब्ध निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग दर्शाने वाला उपयोग प्रमाण-

पत्र निधियों की रिलीज के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iv) अब तक रिलीज की गई केंद्रीय निधियों में से राज्य अंश की रिलीज तथा प्राप्ति दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र।

(v) विपथन न होने तथा गबन न होने के बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुति।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2009-10 के दौरान रिलीज की गई केंद्रीय निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	378160.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	3386.17
3.	असम	77888.5
4.	बिहार	103278.45
5.	छत्तीसगढ़	82710.3
6.	गुजरात	77729.7
7.	हरियाणा	12400.38
8.	हिमाचल प्रदेश	39542.5
9.	जम्मू और कश्मीर	17568.95
10.	झारखण्ड	81216.22
11.	कर्नाटक	276998.19
12.	केरल	46771.42
13.	मध्य प्रदेश	351923.66
14.	महाराष्ट्र	24965.06
15.	मणिपुर	43681.36
16.	मेघालय	21136.81
17.	मिजोरम	27697.03
18.	नागालैंड	56292.34
19.	उड़ीसा	44581.26
20.	पंजाब	14318.45
21.	राजस्थान	594264.49
22.	सिक्किम	8857.35
23.	तमिलनाडु	137118.92
24.	त्रिपुरा	88636.01
25.	उत्तराखंड	27960.22
26.	उत्तर प्रदेश	531887.16
27.	पश्चिम बंगाल	178728.96
28.	अं. व नि. द्वीप समूह	241.15
29.	दादरा व नगर हवेली	39.2
30.	दमन व द्वीव	0
31.	लक्षद्वीप	200
32.	पांडिचेरी	459.93
33.	चंडीगढ़	0
34.	गोवा	20.72
	कुल	3350661.09

[अनुवाद]

डाक विभाग में रिक्त पद

229. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री पी.के. बिजू:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डाक विभाग में रिक्त पदों और भरे गए पदों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा बैकलॉग को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री गुरुदास कामत): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भर्ती नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बैकलॉग रिक्तियों को या तो पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरने हेतु समय-समय पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। जहां कहीं निर्धारित है पदोन्नति कोटे के पदों को भरने हेतु विभागीय परीक्षाएं भी नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। सीधी भर्ती की रिक्तियों को भरने के लिए इस विषय पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित तौर पर कार्रवाई की जाती है।

विवरण

वर्ष	रिक्त पद	भरे हुए पद
2006-2007	8848	5294
2007-2008	8726	5446
2008-2009	9106	5013
2009-2010	10208	2162

भारतीय बाजारों में चीन के खिलौने

230. श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री महाबल मिश्रा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बाजारों में घटिया किस्म के और असुरक्षित चीन निर्मित खिलौने बड़ी संख्या में बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कंपनियां चीन को ऐसे खिलौनों की खेपों को वापस कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में बच्चों पर हानिकारक खिलौनों के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) यद्यपि चीन के किसी घटिया और असुरक्षित खिलौनों के अलग-अलग मामलों का ब्यौरा सीमाशुल्क के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के पास ही उपलब्ध होता है तथापि चीन के खिलौनों के आयात के मामले में जब्ती/अभिनिर्णय के ऐसे 23 मामले सीमाशुल्क समाहर्तालय, अहमदाबाद द्वारा सूचित किए गए हैं।

चीन के खिलौनों की सुरक्षा के संबंध में बढ़ती चिंताओं और भारत में बच्चों पर इन खिलौनों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के आधार पर सरकार ने दिनांक 23-01-2009 से चीन के खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तदनन्तर, सरकार द्वारा मामले की जांच की गई थी और वर्तमान में सभी स्रोतों से खिलौनों का आयात निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:-

(i) ए.एस.टी.एम. एफ 963 आई.एस.ओ. 8124 (भाग-I - III) अथवा आई.एस 9873 (भाग-I - III) अथवा ई.एन. 71 में निर्धारित मानदण्डों की अनुरूपता का प्रमाण-पत्र

(ii) विनिर्माता द्वारा इस बात की अनुरूपता का प्रमाण-पत्र कि आयात किए जा रहे खिलौनों की जांच आई.एल.ए.सी., एम.आर.ए. के तहत मान्यता प्राप्त किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला द्वारा की गई है और उन्हें ऊपर उल्लिखित विनिर्देशनों के अनुरूप पाया गया है।

खिलौनों के ऐसे परेषण, जिन्हें निर्धारित मानकों और विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ङ) और (च) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खिलौनों में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के मार्गदर्शन में एक अध्ययन शुरू किया गया है जिसमें बाजार में प्लास्टिक के खिलौनों में किन्हीं भारी धातुओं तथा थैलेट्स की मौजूदगी की जांच की जा रही है।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1
2.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन श्री प्रहलाद जोशी	2
3.	श्रीमती जयाप्रदा श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	3
4.	श्री मनीष तिवारी	4
5.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल डॉ. संजय सिंह	5
6.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	6
7.	श्री इन्दर सिंह नामधारी श्री जय प्रकाश अग्रवाल	7
8.	श्री अनंत कुमार हेगड़े श्री जगदीश शर्मा	8
9.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	9
10.	श्री विश्व मोहन कुमार श्री दिनेश चन्द्र यादव	10
11.	श्री पूर्णमासी राम	11
12.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी श्री नीरज शेखर	12
13.	श्री गजानन ध. बाबर श्री मधु गौड यास्खी	13
14.	श्री मनोहर तिरकी श्री नृपेन्द्र नाथ राय	14
15.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	15
16.	श्री एस. पक्कीरप्पा श्रीमती जे. शांता	16
17.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री कोडिकुन्नील सुरेश	17
18.	श्री आर. थामराईसेलवन श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	18
19.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री रामकिशुन	19
20.	श्री एस. सेम्मलई	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	40, 142
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	37
3.	आधि शंकर, श्री	23, 146, 210
4.	अडसुल, श्री आनंदराव	47, 60, 132, 157, 203
5.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	113, 213, 214, 221
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	10, 159, 203, 220
7.	अलागिरि, श्री एस.	72, 169
8.	अजमल, श्री बदरूद्दीन	92, 214
9.	अंगड़ी, श्री सुरेश	55, 135
10.	अनुरागी, श्री घनश्याम	36, 53, 154, 214
11.	आजाद, श्री कीर्ति	4, 224
12.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	76
13.	बाबर, श्री गजानन ध.	47, 60, 132, 203
14.	बैस, श्री रमेश	10, 159, 203, 220
15.	बलराम, श्री पी.	59, 168

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
16.	बनर्जी, श्री अम्बिका	68, 130
17.	बिजू, श्री पी.के.	30, 186, 229
18.	चौधरी, श्री हरीश	9, 36, 138, 206
19.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	67, 138, 145, 201, 206
20.	चौहान, श्री संजय सिंह	33, 139
21.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	25, 117, 140, 223
22.	चौधरी, श्री भूदेव	142, 159, 214
23.	चौधरी, श्री अधीर	65
24.	'कमांडो', श्री कमल किशोर	15, 53
25.	दास, श्री राम सुन्दर	58, 156, 218
26.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	35, 60, 71, 155, 168
27.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	89, 124, 130, 172, 230
28.	देवरा, श्री मिलिंद	3, 11, 104, 155, 187
29.	देशमुख, श्री के.डी.	28
30.	देवी, श्रीमती रमा	38, 203
31.	धनपालन, श्री के.पी.	84
32.	धोत्रे, श्री संजय	46, 96, 183
33.	धुर्वे, श्रीमती ज्योति	91
34.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	147, 211
35.	गांधी, श्री वरुण	62, 160, 222
36.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	88, 135, 203
37.	गुड्डू, श्री प्रेमचन्द	78
38.	हजारी, श्री महेश्वर	50
39.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	128, 200
40.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	109, 191
41.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	78, 130
42.	जायसवाल, डॉ. संजय	99, 129
43.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	125, 138, 199
44.	जरदोश, श्रीमती दर्शना	42, 144, 209
45.	जयाप्रदा, श्रीमती	123
46.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	66, 165, 227
47.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	203
48.	जोशी, श्री प्रहलाद	106, 189
49.	करुणाकरन, श्री पी.	209
50.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	5, 103
51.	खैरे, श्री चंद्रकांत	135, 204
52.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	147, 211
53.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	32, 111, 130, 192
54.	कुमार, श्री विश्व मोहन	127, 130, 201
55.	कुमार, श्री पी.	26, 162
56.	लागुरी, श्री यशवंत	7, 72, 171, 173, 214
57.	लिंगम, श्री पी.	35, 60, 71, 168
58.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	116, 135, 140, 229
59.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	39, 141, 207
60.	महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद	128
61.	महतो, श्री नरहरि	92, 93
62.	महताब, श्री भर्तृहरि	86, 219

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
63.	माझी, श्री प्रदीप	64, 164, 226
64.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	130, 133
65.	मणि, श्री जोस के.	49. 151
66.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	24, 43, 125
67.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	77, 174
68.	मिश्रा, श्री महाबल	89, 130, 172, 230
69.	मुंडा, श्री अर्जुन	29, 120, 170, 197, 201
70.	मुंडे, श्री गोपीनाथ	135, 202
71.	मुत्तेमवार, श्री विलास	63, 161, 203, 224
72.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	55, 83, 180
73.	नामधारी, श्री इन्दर सिंह	127
74.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	27, 119, 135, 196, 220
75.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	16, 21, 78, 107
76.	पांडा, श्री वैजयंत	45, 148, 212
77.	पांडा, श्री प्रबोध	70, 155, 168
78.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	127, 130, 134, 201
79.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	61, 158, 219
80.	पाटिल, श्री सी.आर.	65, 88, 89
81.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	6
82.	पटेल, श्री बाल कुमार	90, 182
83.	पाठक, श्री हरिन	203
84.	पाटील, श्री संजय दिना	55
85.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	47, 141, 150, 214

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
86.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	14, 59, 168
87.	प्रधान, श्री नित्यानंद	148, 212
88.	रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	51
89.	राघवन, श्री एम.के.	81, 178
90.	रहमान, श्री अब्दुल	88, 135
91.	राजगोपाल, श्री एल.	38. 79
92.	राजेन्द्रन, श्री सी.	52, 153, 215
93.	राजेश, श्री एम.बी.	75, 126, 201
94.	राम, श्री पूर्णमासी	131, 202
95.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	34, 35, 121, 198
96.	रामकिशुन, श्री	111, 130, 192
97.	राणे, श्री निलेश नारायण	82, 179
98.	राव, श्री नामा नागेश्वर	98, 184, 224
99.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	100, 185
100.	राठवा, श्री रामसिंह	12, 175, 214
101.	रावत, श्री अशोक कुमार	8, 142, 163, 225
102.	राय, श्री अर्जुन	97, 138, 201
103.	राय, श्री रूद्रमाधव	45, 127, 130
104.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	87, 132, 181
105.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	11, 118, 135, 195
106.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	35, 181, 213
107.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	21, 35, 114, 193, 216
108.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	93
109.	सेम्मलई, श्री एस.	137

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
110.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	122
111.	सरोज, श्रीमती सुशीला	17, 35, 108, 190
112.	सईद, श्री हमदुल्लाह	31, 146
113.	शांता, श्रीमती जे.	16, 69, 166
114.	शर्मा, श्री जगदीश	200
115.	शर्मा, श्री मदन लाल	85
116.	शेखर, श्री नीरज	139
117.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	13, 47, 59, 105, 188
118.	शेट्टी, श्री राजू	94
119.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	46, 140, 149, 213
120.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	2, 102, 141
121.	सिंह, डॉ. भोला	43
122.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	19, 93, 170, 176, 214
123.	सिंह, श्री गणेश	106
124.	सिंह, श्री इज्यराज	9, 201, 214
125.	सिंह, श्री जगदानंद	41, 143, 208
126.	सिंह, श्रीमती मीना	73, 170, 228
127.	सिंह, श्री राधा मोहन	73, 74
128.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	135, 145, 149
129.	सिंह, श्री राकेश	1, 101, 217
130.	सिंह, श्री उदय	57, 155, 217
131.	सिंह, चौधरी लाल	48, 203
132.	सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन	38, 140, 203
133.	सिंह, राजकुमारी रत्ना	169, 209
134.	सिंह, श्री उमाशंकर	145
135.	सिंह, डॉ. संजय	171, 214, 219
136.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	47, 59, 105, 168, 188
137.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3, 156
138.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	55, 135
139.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	18, 73, 110, 224
140.	तराई, श्री बिभू प्रसाद	70, 155, 167
141.	तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ	55
142.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	5, 22, 103, 115, 194
143.	थामराईसेलवन, श्री आर.	88, 136, 205
144.	तम्बिदुरई, डॉ. एम.	55, 80, 177
145.	तिरकी, श्री मनोहर	92, 130, 133
146.	तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल	58, 156, 218
147.	वर्धन, श्री हर्ष	44, 203
148.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	51, 152
149.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	20, 112, 145, 170
150.	विश्वनाथन, श्री पी.	46, 96, 123, 183, 201
151.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	140, 149, 213
152.	यादव, श्री अंजनकुमार एन.	56, 92
153.	यादव, श्री धर्मेन्द्र	47, 60, 132, 157, 203
154.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	140
155.	यादव, श्री ओम प्रकाश	54, 201
156.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	95, 179
157.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	129
158.	यास्खी, श्री मधु गौड	147, 211

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	2, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 19
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1, 10
रक्षा	:	
श्रम और रोजगार	:	13, 17
पंचायती राज	:	
ग्रामीण विकास	:	3, 7, 11, 12
पोत परिवहन	:	9, 20
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	15.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	9, 15, 20, 27, 33, 37, 49, 51, 54, 61, 68, 69, 71, 80, 89, 92, 98, 106, 110, 112, 115, 118, 133, 136, 140, 148, 151, 157, 158, 164, 185, 191, 194, 200, 204, 230
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1, 2, 10, 11, 13, 28, 42, 46, 48, 60, 75, 77, 96, 99, 119, 122, 125, 126, 135, 139, 145, 147, 149, 150, 154, 176, 182, 196, 199, 201, 209, 211, 219, 220, 224, 225, 229
रक्षा	:	4, 19, 26, 29, 31, 39, 44, 47, 52, 62, 63, 79, 86, 88, 90, 93, 95, 101, 104, 105, 113, 120, 127, 153, 155, 160, 168, 179, 181, 186, 187, 188, 192, 193, 198, 203, 205, 217, 222, 223, 226
श्रम और रोजगार	:	8, 18, 36, 38, 56, 72, 73, 81, 82, 87, 100, 111, 123, 124, 128, 130, 141, 142, 156, 159, 162, 166, 175, 177, 197, 207, 210, 214
पंचायती राज	:	25, 30, 59, 65, 108, 114, 143, 218
ग्रामीण विकास	:	3, 6, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 40, 41, 43, 45, 50, 53, 58, 67, 74, 76, 85, 97, 102, 116, 117, 121, 129, 131, 132, 134, 138, 144, 146, 163, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 180, 184, 189, 195, 202, 206, 212, 216, 228
पोत परिवहन	:	32, 57, 64, 66, 70, 83, 84, 152, 161, 165, 208, 215, 227
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	5, 7, 12, 16, 55, 78, 91, 94, 103, 107, 109, 137, 178, 183, 190, 213, 221.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।